आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2022–23

विषय सूची

अध्याय - 1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-4
अध्याय - 2 आंतरिक सुरक्षा	5-21
अध्याय - 3 सीमा प्रबंधन	22-35
अध्याय - 4 देश में अपराध का परिदृश्य	36-43
अध्याय - 5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)	44-51
अध्याय - 6 संघ राज्य क्षेत्र	52-66
अध्याय - 7 पुलिस बल	67-99
अध्याय - 8 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान	100-128
अध्याय - 9 आपदा प्रबंधन	129-151
अध्याय - 10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	152-159
अध्याय - 11 प्रमुख पहल और स्कीमें	160-174
अध्याय - 12 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	175-189
अध्याय - 13 महिला सुरक्षा	190-198
अध्याय - 14 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग	199-216
अध्याय - 15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	217-228
अध्याय - 16 केंद्र-राज्य संबंध और अन्य विविध विषय	229-246
अनुलग्नक **(I-XXIII)**	247-276

अध्याय - 1
गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, राज्यों में सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए उनकी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त एडवाइजरी जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है तथा जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक–I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक–II** में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों की सूची और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के मध्य कार्य का आवंटन करना है। प्रशासन प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–I (बीएम–I) प्रभाग

1.5 बीएम–I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं के सशक्तिकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार की सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़क, सीमा फ्लड लाइट तथा सीमा रक्षक बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्यों के सृजन और सुधार के द्वारा भू–सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। यह प्रभाग "सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई)" से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–II (बीएम–II) प्रभाग

1.6 बीएम–II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों को देखता है। बीएडीपी केंद्र प्रायोजित एक मुख्य स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का क्रियान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। यह प्रभाग एलपीएआई के स्थापना मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की

भू–सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.7 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर– वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई–समीक्षा के मामले, अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करने इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.8 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में एक केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करारों के संबंध में सुरक्षा स्वीकृतियों तथा गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/बैठकों के लिए समन्वय कार्य भी करता है।

केंद्र–राज्य (सीएस) प्रभाग

1.9 सीएस प्रभाग केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की क्रियाशीलता, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.10 सीएस प्रभाग में पब्लिक सेक्शन भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, वीरता पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.11 सीआईएस प्रभाग सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) का क्रियान्वयन करने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों की आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) स्कीम, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) आदि से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.12 आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग आतंकवाद से संबंधित नीतिगत एवं ऑपरेशनल मुद्दों, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने तथा साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.13 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, रोकथाम, न्यूनीकरण, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत कार्य तथा तैयारी के कार्य करना है।

वित्त प्रभाग

1.14 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.15 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, प्रवासी भारतीय नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.16 एफएफआर प्रभाग, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" और पुराना पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुये लोगों के पुनर्वास के लिए स्कीमों को बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई एवं तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है और साथ ही शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 को लागू करने से संबधित कार्य देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–I (आईएस–I) प्रभाग

1.17 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून–व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों; राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने; हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ; व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, परियोजनाओं एवं प्रस्तावों को स्वीकृति देने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) और "राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–II (आईएस–II) प्रभाग

1.18 आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा–पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट से पीड़ित हुए आम नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

1.19 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद से निपटने समेत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों और साथ ही भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित विषयों/मामलों के संबंध में समन्वय के कार्य को देखता है। यह विभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है तथा अयोध्या मामलों को देखता है।

न्यायिक विंग

1.20 न्यायिक विंग, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.21 एलडब्ल्यूई प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है।

यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.22 एनई प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस–I (पी–I) प्रभाग

1.23 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, सराहनीय/विशिष्ट सेवा तथा वीरता के लिए पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस–II (पी–II) प्रभाग

1.24 पुलिस–II प्रभाग, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.25 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.26 यूटी प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के "अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" तथा साथ ही "दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)"/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा प्रभाग

1.27 सरकार ने दिनांक 28.05.2018 को गृह मंत्रालय में एक महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है, ताकि देश के भीतर महिला सुरक्षा के उपायों को सशक्त बनाया जा सके और न्याय का समग्र रूप से त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन करके और साथ ही महिलाओं हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। यह प्रभाग कारागार सुधार और संबंधित विषयों समेत उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने और परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार कर उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना तथा साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध एवं अपराधी सबंधी रिकॉर्डो के लिए एक सहायक ईको–सिस्टम तैयार करना शामिल है।

*****

अध्याय - 2
आंतरिक सुरक्षा

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण मोटे तौर पर निम्नानुसार किया जा सकता है :–

(क) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद

(ख) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

(घ) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद

2.2 वर्ष 2022 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने पर उपयुक्त प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य फोकस जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में आतंकवाद का मुकाबला करने, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और देश के भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर रहा। यद्यपि जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के संबंध में ब्यौरा **अध्याय–XIV** में दिया गया है, तथापि (क), (ख) और (ग) के संबंध में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार है :

2.3 आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु क्षमता निर्माण

(क) चूंकि, किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले कार्रवाई करने वाले संगठन होते हैं; इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आसूचना जुटाने, आतंकवादी घटनाओं पर कारवाई करने और जांच करने के क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से इन राज्य पुलिस बलों का क्षमता संवर्धन किया जाता है।

(ख) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 'आतंकवादी संगठनों' अथवा 'व्यक्तियों' के नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की क्रमशः पहली और चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन और 48 व्यक्तियों को आतंकवादी व्यक्तियों के रूप में घोषित किया है।

(ग) गृह मंत्रालय ने विदेशी राष्ट्रों के साथ "आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह" की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(घ) विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले कट्टरपंथी संगठनों और समूहों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं और आवश्यकतानुसार, कानून के विद्यमान उपबंधों के तहत कार्रवाई करती हैं।

आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों सहित

आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआईए ने अपने गठन से लेकर दिनांक 31.12.2022 तक, 497 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 389 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 115 मामलों में विचारण पूरा हो गया है, जिनमें से 108 मामलों में दोषसिद्धि हो चुकी है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.5 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसी अवसंरचना (फ्रेमवर्क) के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद–रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से अनुमोदित प्रयोक्ता एजेंसियों (सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को नामित डाटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में वृद्धि करेगी। नेटग्रिड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1002.97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। नई दिल्ली और बेंगलुरू में सिविल अवसंरचना का कार्य पूरा हो चुका है।

2.6 नेटग्रिड ने इन–हाउस संसाधनों की सहायता से नेटस्टार कनेक्टर्स विकसित किए हैं तथा 11 प्रयोक्ता एजेंसियों (यूए) और 10 प्रदाता संगठनों (पीओ) को जोड़कर इसे क्रियाशील बनाया गया है। नेटस्टार कनेक्टर्स की कनेक्टिविटी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई है।

आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल)

2.7 गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल), आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) की रोकथाम से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.8 जाली करेंसी नोटों के प्रचलन की समस्या से निपटने के लिए केंद्र/राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान–प्रदान करने हेतु, गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) कार्य कर रहा है।

2.9 आतंक के वित्तपोषण तथा जाली करेंसी नोटों के मामलों पर केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के तहत एक "आतंक का वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी)" कार्य कर रहा है।

2.10 जाली करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें भारतीय करेंसी की तस्करी/जालसाजी के बारे में जागरूक बनाया जा सके। आतंक के वित्तपोषण की गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए, केंद्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर कार्य करती हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

2.11 भारत दिनांक 25.06.2010 से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर–सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है। यह निकाय धनशोधन के विरुद्ध (एएमएल) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है। भारत, एएमएल तथा सीएफटी पर बने एफएटीएफ के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) जैसे कि यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) तथा एशिया पैसेफिक ग्रुप (एपीजी), का भी सदस्य है। भारत "आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर बिम्स्टेक उप समूह" की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.12 आतंकवादी और उग्रवादी समूहों से खतरे के कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों का प्रभावी

तरीके से मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.13 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से एडवायजरी भेजी जाती हैं। राज्यों के सुरक्षा बलों को ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

विमानपत्तन सुरक्षा / दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.14 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति, विमानपत्तनों में बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीआईएसएफ और अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विमानपत्तनों के लिए आतंकवाद–रोधी आकस्मिक योजना (सीटीसीपी) तैयार की गई है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में प्राप्त खतरे की सूचनाओं को तुरंत ही नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

2.15 सीआईएसएफ द्वारा दिल्ली मेट्रो के लिए सुरक्षा एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के तहत प्रदान की जाती है। देश में चल रही अन्य 8 मेट्रो प्रणालियों (रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम, बैंगलोर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कोलकाता मेट्रो) का सुरक्षा समन्वय भी सीआईएसएफ द्वारा किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

2.16 देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय / विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर, गृह मंत्रालय उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में प्राप्त खतरे की सूचनाएं, संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा की जाती हैं। संगठनों / मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है तथा उनके खतरे की संभावना को देखते हुए और अधिक संख्या में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए उन्हें ए, बी, सी, डी एवं ई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। अब महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संख्या 784 है।

धार्मिक पीठों / स्थलों की सुरक्षा

2.17 देश में धार्मिक पीठों / स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर अथवा सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर, गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी धार्मिक पीठों / स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

सुरक्षा मंजूरी

2.18 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोलीदाताओं

और व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, संविदा आदि जारी करने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा के खतरों का मूल्यांकन करना है तथा प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और परियोजना संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले वहां जोखिम का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य जहां एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना है, वहीं दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाना एवं निवेश को बढ़ावा देना है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, सुरक्षा मंजूरी के 633 प्रस्तावों का निपटान किया गया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.19 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों को सम्पूरित कर रही है। भारत सरकार ने सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करके तथा साथ ही सुशासन को भी बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे हासिल करने के लिए, 'वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि के क्षेत्रों में बहु–आयामी रणनीति अपनाई गई है।

2.20 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्यों की विशेष खुफिया शाखाओं एवं विशेष बलों को सुदृढ़ बनाना और पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई–रोधी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर–राज्य समन्वय की सुविधा देना और नागरिक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

2.21 इसके साथ ही, विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी अवसंरचना में सुधार और कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। आगे और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक अवसंरचनाओं और सेवाओं, जो कि तत्काल प्रकृति के होते हैं, में महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित हुए जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाती है।

2.22 इसके पीछे यह विचारधारा है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे से ठोस ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि की जाए।

2.23 सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गत आठ वर्षों के दौरान, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के साथ–साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2022 में हिंसक घटनाओं में कमी आई है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा कृत हिंसक घटनाओं की संख्या 413 रही, जबकि 118 घटनाएं सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्यवाही थीं। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद संबंधी मौतों में 75% की कमी (397 से 98) आई है।

2.24 वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में, सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु और हताहतों की संख्या में क्रमशः 33% (147 से 98) और 68% (50 से 16) की कमी आई। साथ ही, भारत सरकार की विकासोन्मुख

पहल के कारण वामपंथी उग्रवादियों ने पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा है और वे मुख्य धारा में लौटे हैं। वर्ष 2022 में, छततीसगढ़ (61 मौतें) सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, इसके बाद झारखंड (12 मौतें), ओडिशा (11 मौतें), महाराष्ट्र (08 मौतें), मध्य प्रदेश (02 मौतें) और बिहार (01 मौत) का स्थान आता है।

2.25 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है।

2.26 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। वर्ष 2022 में, 8 राज्यों के 45 जिलों के 176 पुलिस स्टेशनों (पीएस) से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 328 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद के संबंध में हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हिंसा को उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया गया है तथा 25 जिले ही लगभग 90% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और यह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में हिंसा की कुल घटनाओं के 90% से अधिक के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली 95% मौतों के लिए जिम्मेदार है। सीपीआई (माओवादी) अंतर–राज्यीय सीमाओं के साथ–साथ नए क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

2.27 अधिकांश राज्यों में माओवादियों के बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो जाने के कारण, वर्तमान समय इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक सुअवसर बना हुआ है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.28 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध:** सीपीआई (माओवादी), जो कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा/हताहत होने की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.29 **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना:** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24X7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर एवं गया में "संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र" की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढ़ीकरण करना इत्यादि शामिल है, जिसके लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.30 **बेहतर अंतर–राज्य समन्वय:** सीपीआई (माओवादी) कैडरों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर–राज्य समन्वय आवश्यक है। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच अंतर–राज्यीय बैठकों और पारस्परिक बातचीत में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.31 **इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की समस्या का सामना करना:** वामपंथी उग्रवाद–रोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हताहत होने का कारण ज्यादातर आईईडी है। गृह मंत्रालय सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस बलों को उनकी आईईडी–रोधी क्षमता का निर्माण करने में उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों' पर एक मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की है और इसे सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया है।

2.32 **इंडिया रिजर्व (आईआर)/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी):** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और साथ ही राज्यों को विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों को 56 इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें स्वीकृत की गई थीं। इसके अलावा, सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (02), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) राज्य में 10 नई स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) के गठन को मंजूरी दी है। स्वीकृत 66 आईआरबी/एसआईआरबी में से, 54 का गठन किया जा चुका है।

2.33 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमें:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में एलडब्ल्यूई प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम:** भारत सरकार, वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजे, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा कार्मिकों की अशक्तता तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को पहली बार स्कीम में शामिल किया गया है। इस एसआरई स्कीम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की वामपंथी उग्रवाद से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 266.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस):** वर्ष 2017 में अनुमोदित इस स्कीम को राज्यों की राज्य आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तीकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाने के कार्य के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने 991 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं (10 राज्यों में 371 करोड़ रुपये से विशेष बल (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाएं (एसआईबी) तथा 7 राज्यों में 620 करोड़ रुपये से 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशन (एफपीएस))। वर्ष 2017–18 से इस स्कीम के तहत, राज्यों को 224.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 150 एफपीएस का निर्माण पूरा हो गया है। इस स्कीम को 1134 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) **नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी):** इस स्कीम के तहत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। अब इस स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में वर्ष 2025–26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएपीएफ द्वारा स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए अपनी तैनाती के इलाकों में नागरिक कार्य जैसे कि स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, मानव संसाधन विकास–व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण, आदि किए जाते हैं।

(घ) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए):** सरकार ने इस स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में सितंबर 2017 में अनुमोदित किया है। आरंभ में 3 वर्षों के लिए अनुमोदित इस स्कीम को अब दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों और समस्याग्रस्त जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं, जो आकस्मिक प्रकृति की होती हैं, में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 3130 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस):** इस स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में वर्ष 2017–18 से कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभ में वर्ष 2019–20 तक के लिए अनुमोदित, इस स्कीम को अब दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ द्वारा हेलीकॉप्टरों को किराये पर लेने और सीएपीएफ को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में, 92.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(च) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया प्लान स्कीम:** इस स्कीम को वर्ष 2009–10 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब इसे 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में वर्ष 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय आदिवासी युवाओं को कौशल विकास/रोजगार के अवसरों तथा देश के अन्य भागों में प्रौद्योगिकी/औद्योगिक उन्नति से परिचित कराने के लिए देश के 26 अलग–अलग स्थानों पर नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के समन्वय से 14वां आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम (टीवाईईपी) आयोजित कर रहा है।

निगरानी तंत्र

2.34 गृह मंत्रालय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला एक समीक्षा समूह भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और वीडियो कांफ्रेंसों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूइ) से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति और वहां चल रही विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

2.35 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/पहलः

(क) **सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I) :** सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए दिनांक 26.02.2009 को इस योजना को अनुमोदित किया था। इस योजना के तहत 5,361 किमी. सड़कें और 8 महत्वपूर्ण पुल स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 5,085 किमी. सड़कों और सभी 8 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाः** सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को यह केंद्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की थी। इस परियोजना का प्रायोजक/कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब तक, 12,021 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12,100 किमी. सड़कों (1342 सड़कें और 701 पुल) की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कुल 6,760 किमी. लंबाई की सड़कों और 243 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाः** यह योजना दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के चरण–I में, 4080.78 करोड़ रुपये के व्यय से चरण–I के अंतर्गत 2343 मोबाइल टावर इंस्टॉल किए गए थे। अप्रैल 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 2जी साइटों को 4जी में अपग्रेडेशन किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था। अपग्रेडेशन का कार्य नवंबर, 2022 में सौंप दिया गया है।इस परियोजना के चरण–II के तहत 4072 मोबाइल टावर लगाये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें 7,330 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कवरेज सर्वेक्षण के बाद, सितंबर, 2021 में 2542 मोबाइल टावरों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था।

वमपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए उक्त विशिष्ट योजनाओं के अलावा, भारत सरकार अब तक शामिल नहीं हुए आकांक्षी जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) समर्थित योजना का कार्यान्वयन करती रही है। इस योजना के तहत, 4859 टावर अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 37 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए 4312 मोबाइल टावर अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 10 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधान के तहत स्वामित्व विलेख प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वन भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। 34,06,904 दावे प्राप्त हुए थे और व्यक्तियों के साथ–साथ समुदायों को 18,54,823 स्वामित्व विलेख प्रदान किए गए।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास स्कीमः** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने और युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। इस स्कीम में 47 जिलों में

एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 34 जिलों में दो–दो कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) के निर्माण/स्थापना की परिकल्पना की गई है। मध्य प्रदेश के मांडला जिले के लिए अप्रैल, 2022 में 01 अतिरिक्त आईटीआई अनुमोदित किया गया है।

(च) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 11 जिलों, जो अत्यधिक प्रभावित थे, में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) नहीं थे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन जिलों के लिए 11 नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए हैं, जिनमें से 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले दिए गए हैं और शेष 2 नए केंद्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले 2 जिलों नामतः, गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और नवादा (बिहार) में मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार, 6 नए नवोदय विद्यालय मंजूर किये गये हैं। ये सभी नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं।

(छ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय लेन–देन के लिए, वित्तीय सेवाएं विभाग और डाक विभाग द्वारा नई बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग करसपोंडेंट (बीसी) और डाकघर खोले जा रहे हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1,258 बैंक शाखाएं, 1,348 एटीएम तथा 22,202 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी) खोले हैं। डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 90 जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले हैं। इनमें से चरण– ।। के अंतर्गत 3,114 नए डाकघर खोलने की स्वीकृति सितंबर–2021 में दे दी गई थी। ये सभी डाकघर खोले जा चुके हैं।

(ज) जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ''एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)'' खोल रहा है। अब तक, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र के लिए 245 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 121 पहले से ही संचालन में हैं। 09 अतिरिक्त ईएमआरएस मंजूर करने की योजना है।

2.36 भारत सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए, खतरों का समाधान समग्र रूप से करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सभ्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तथा आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलडब्ल्यूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावान है।

पूर्वोत्तर

प्रस्तावना

2.37 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह

क्षेत्र देश के 7.97% भू–भाग को कवर करता है और इसमें आबादी का लगभग 3.78% हिस्सा निवास करता है। इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यथा, बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)। भू–भाग, सामाजिक–आर्थिक विकास की स्थिति, ऐतिहासिक घटकों यथा भाषागत/जातिगत, जनजातीय झगड़े, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और लंबी एवं छिद्रयुक्त (पोरस) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के चलते पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति कमजोर हुई है। इसने विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी), जो पड़ोसी देशों में सुरक्षित ठिकाने/ शिविर बनाए हुए हैं, द्वारा हिंसा, जबरन वसूली और विविध मांगों को जन्म दिया है। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में बेसिक आंकड़े निम्नानुसार हैं–

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	जनसंख्या का घनत्व (प्रतिवर्ग किमी.)
अरुणाचल प्रदेश	83,743	13,83,727	17
असम	78,438	3,12,05,576	398
मणिपुर	22,327	28,55,794	115
मेघालय	22,429	29,66,889	132
मिजोरम	21,081	10,97,206	52
नागालैंड	16,579	19,78,502	119
सिक्किम	7,096	6,10,577	86
त्रिपुरा	10,486	36,73,917	350
कुल पूर्वोत्तर	2,62,179	4,57,72,188	173
अखिल भारत	32,87,263	1,21,08,54,977	382

विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.38 यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, फिर भी केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में विद्रोही समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हो रहे गैर–कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना आदि शामिल हैं।

2.39 पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण, वर्ष 2022 में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) को असम के 24 जिलों से पूर्ण रूप से व आंशिक रूप में 1 अन्य जिले से, मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया है। वर्ष 2022 में अरूणाचल प्रदेश में एएफएसपीए को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के अलावा, नामसाई जिले के 2 पुलिस थाना क्षेत्रों

तक सीमित कर दिया गया है।

2.40 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 16 विद्रोही संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधिविरुद्ध एसोसिएशन" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की विधिविरूद्ध एसोसिएशनों/आतंकवादी संगठनों की सूची **अनुलग्नक–III** में दी गई है।

2.41 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा चौकसी कार्यों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 496 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 444 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार विद्रोह से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों हेतु 61 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रत्येक के लिए 11 बटालियनें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रत्येक के लिए 7, मेघालय के लिए 6, मिजोरम के लिए 5 और सिक्किम के लिए 3 बटालियनें शामिल हैं।

2.42 केन्द्र सरकार ऐसे विद्रोही दलों के साथ वार्ता/बातचीत की नीति अपना रही है, जो हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते किए हैं तथा उनमें से कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वयं का विघटन कर लिया है। जो संगठन वार्ता नहीं कर रहे हैं, उन पर विद्रोह–रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.43 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय में केंद्र और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होती है।

(क) इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों का गठन।

(ख) राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किया गया संभार तंत्र (लॉजिस्टिक)।

(ग) उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान एवं निःशुल्क राहत।

(घ) सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किया गया मानदेय।

(ङ) ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाई स्थगन करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों का अनुरक्षण।

(च) आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही एवं उनका पुनर्वास।

(छ) अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए व्यय का केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है, और

(ज) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को दिया जाने वाला अनुग्रह भुगतान 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

पिछले सात वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, एसआरई योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

2.44 गृह मंत्रालय भ्रमित युवाओं, जो विद्रोह में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर (एनई) में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण– सह–पुनर्वास की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही दोबारा विद्रोह में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

(क) प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को 4 लाख रूपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय समर्थन प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है।

(ख) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान।

(ग) विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन।

(घ) आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(ङ) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां।

(च) पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई योजना के तहत की जाएगी।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई कैडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

2.45 स्थानीय जनता का दिल जीतने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आम नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। विगत सात वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

2.46 पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सब्सिडी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में सस्ता यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्री से होने वाली वसूली की कटौती के बाद कुल परिचालन लागत के 75% अथवा वास्तविक परिचालन लागत के 20%, जो भी अधिक हो, को वहन करता है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

पूर्वोत्तर राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	एमआई-172 (पहला) एमआई-172 (दूसरा) बेल 412	960 1200 1300
सिक्किम	बेल-407	1200
मेघालय	डॉफिन	1000
नागालैंड	बेल 412 (पहला) बेल 412 (दूसरा)	1200
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412	750

विगत छः वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्योरा **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है:

पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति

2.47 वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2022 में विद्रोह की घटनाओं में 76% की कमी आई है। इसी तरह, इस अवधि में सुरक्षा बलों के कार्मिकों की मौतों की संख्या में 90% और आम नागरिकों की मौतों में 97% की कमी आई है।

2.48 वर्ष 2022 में, पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित कुल 201 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 7 नागरिकों और 2 सुरक्षा बल (एसएफ) कार्मिकों की जान गई। इस क्षेत्र में विद्रोह–रोधी ऑपरेशनों में 6 विद्रोही मारे गए, 563 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 279 हथियार बरामद किए गए। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के विभिन्न विद्रोही संगठनों के कुल 2,023 कैडरों ने 394 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

2.49 वर्ष 2014 से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पण किए गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	824	181	1934	20	212	291	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108
2020	163	21	646	05	03	2,696	445	466	69
2021	209	40	686	08	23	1,473	471	368	94
2022	201	06	563	02	07	2,023	394	279	103

2.50 मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कुल मिलाकर शांति रही। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

असम

2.51 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) (वार्ता समर्थक) भारत सरकार के साथ "कार्रवाई स्थगन (एसओओ)" समझौते के तहत है। तथापि, उल्फा (स्वतंत्र) असम के कुछ हिस्सों में सक्रिय है।

2.52 यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी) ने दिनांक 25.11.2011 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात अपने आप को विघटित कर दिया। डीएचडी (डिमा हलम दओगाह) ने दिनांक 08.10.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात अपने आप को विघटित कर दिया।

2.53 लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए दिनांक 27.01.2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों, जिनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड/प्रोग्रेसिव (एनडीएफबी/पी), एनडीएफबी/रंजन डायमरी, एनडीएफबी/सावरैगवरा, यूनाइटेड बोडो पीपुल्स आर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) शामिल हैं, के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। बोडो समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात कुल 1,615 कैडरों, जिसमें एनडीएफबी (पी) के 836 कैडर, एनडीएफबी (आरडी) के 579 कैडर और एनडीएफबी (एस) के 200 कैडर शामिल हैं, ने दिनांक 30.01.2020 को गोवाहाटी में आयोजित किए गए आत्मसमर्पण समारोह में बड़ी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। एनडीएफबी समूहों ने दिनांक 9–10 मार्च, 2020 को खुद का विघटन कर लिया। असम के बोडो क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए 1,500 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) प्रदान किया जाएगा।

2.54 असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्रों में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए दिनांक 04.09.2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूहों (केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए, केपीएलटी) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही, 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दी है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। कार्बी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु 5 वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

2.55 असम में आदिवासियों और चाय बागान कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों (बीसीएफ, एसीएमए, एएएनएलए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए/एफजी, बीसीएफ/बीटी और एसीएमए/एफजी) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 15.09.2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही, असम के जनजातीय समूहों के 1182 कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम के आदिवासी आबादी वाले गांवों/क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

2.56 असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर–राज्यीय सीमा की दशकों लंबी समस्या को हल करने के लिए सीमा मतभेद वाले कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के संबंध में असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा

दिनांक 29.03.2022 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मतभेद वाले शेष 6 क्षेत्रों के संबंध में समझौते का अंतिम रूप देने के लिए दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय समितियां गठित की हैं।

2.57 असम और अरूणाचल प्रदेश ने इन दोनों राज्यों के बीच 123 गांवों के संबंध में सीमा विवाद को कम करने के लिए दिनांक 15.07.2022 को नामसाई, अरूणाचल प्रदेश में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 123 गांवों का संयुक्त सत्यापन करने और तत्पश्चात सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु दोनों राज्यों ने अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और असम के समकक्ष जिलों को कवर करते हुए 12 क्षेत्रीय समितियां अधिसूचित की हैं। मतभेद वाले क्षेत्रों का समाधान करने के लिए दोनों राज्य सरकारों द्वारा 12 क्षेत्रीय समितियां अधिसूचित की गई हैं।

2.58 वर्ष 2022 में, राज्य में विद्रोह संबंधी 7 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन विद्रोही घटनाओं में किसी भी नागरिक/सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई। विद्रोह–रोधी अभियानों में 2 विद्रोहियों को मार गिराया गया, 35 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 117 हथियार बरामद किए गए। असम के विद्रोही संगठनों के कुल 1,887 कैडरों ने 354 हथियारों सहित अत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

त्रिपुरा

2.59 त्रिपुरा राज्य में माहौल कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा है। भूमिगत संगठन, "नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)" की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है।

2.60 भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और श्री साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा (एनएलएफटी/एसडी) के बीच दिनांक 10.08.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। परिणामस्वरूप, दिनांक 13.08.2019 को 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। त्रिपुरा की जनजातियों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए त्रिपुरा सरकार को 100 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक विकास पैकेज (एसईडीपी) प्रदान किया जाएगा। इस 100 करोड़ रुपये में से वित्तीय वर्ष 2020–21 में त्रिपुरा को 40 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

2.61 लगभग 661.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता/पैकेज के साथ त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) प्रवासियों के स्थायी पुनर्वास के लिए भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16.01.2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, 2 वर्षों के लिए मुफ्त राशन, 2 वर्षों के लिए 5,000/– रुपये प्रति माह, 1.5 लाख रुपये की दर से आवास सहायता और 30x40 वर्ग फुट आकार का भूखंड प्रदान किया जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास हेतु वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 140 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 130.12 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.12.2022 तक) के लिए 99.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अभी तक, 5811 परिवारों को 11 स्थानों पर बसाया गया है और 2648 मकानों का निर्माण किया गया है।

मेघालय

2.62 मेघालय राज्य में माहौल कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा है। वर्तमान में विद्रोही संगठन 'हयनीट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)' राज्य में सक्रिय है।

2.63 भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी (अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल) एवं एएनवीसी/बी के बीच दिनांक 24.09.2014 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एएनवीसी और एएनवीसी/बी दिनांक 15.12.2014 को विघटित हो गए हैं।

नागालैंड

2.64 नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) वर्ष 1988 में इसाक सी स्वू और टी. मुइवा के नेतृत्व वाले एनएससीएन– (आईएम) और म्यांमार के एक नागा एसएस खापलांग के नेतृत्व वाले एनएससीएन (के) समूहों में बंट गई। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में एनएससीएन के इसाक–मुइवा समूह के साथ एक औपचारिक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे वर्ष 2007 से अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) ने 03.08.2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में एनएससीएन के विभिन्न गुट यथा, एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के–खांगो) और एनएससीएन (के) निकि ग्रुप भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम के अधीन हैं। वर्तमान में केवल एक एनएससीएन/के–युंग आंग गुट, जो मुख्यतः म्यांमार में है, सक्रिय है।

2.65 वर्ष 2022 में, राज्य में विद्रोह संबंधी 31 घटनाएं हुई हैं। विद्रोह की घटनाओं में किसी भी नागरिक/सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। इसके अलावा, 1 विद्रोही मारा गया है, 167 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 70 हथियार बरामद किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश

2.66 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह सक्रिय नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में एनएससीएन और उल्फा (स्वतंत्र) गुटों की छिट–पुट (स्पिल ओवर) विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित है।

2.67 वर्ष 2022 में, राज्य में विद्रोह की 24 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 2 नागरिकों की मृत्यु हुई। विद्रोह की घटनाओं में किसी सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई। विद्रोह–रोधी अभियानों में 1 विद्रोही मारा गया, 40 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 10 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा, विद्रोही संगठनों के 52 कैडरों ने 7 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

मणिपुर

2.68 मणिपुर राज्य मैतई, नागा, कुकी, जोमी, हमार विद्रोही समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। वर्तमान में दो समूहों के तहत कुल 23 भूमिगत संगठन (यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ)–8 और कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ)–15) भारत सरकार के साथ अगस्त, 2008 से कार्रवाई स्थगन (एसओओ) के अतंर्गत हैं।

2.69 भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने दिनांक 27.12.2022 को मणिपुर के जेलियाग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ कार्रवाई स्थगन (सीओओ) समझौता किया। जेडयूएफ हिंसा त्यागने और मौजूदा कानून द्वारा निर्धारित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हो गया।

2.70 वर्ष 2022 में, राज्य में विद्रोह की 137 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 5 नागरिकों और 1 सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु हो गई। विद्रोह–रोधी अभियानों में 2 विद्रोही मारे गए, 315 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 76 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा, विद्रोही संगठनों के 57 कैडरों ने 29 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

सिक्किम और मिजोरम

2.71 सिक्किम और मिजोरम राज्य विद्रोह से मुक्त हैं।

आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)

2.72 गृह मंत्रालय "आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से

फायरिंग तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)" नामक एक केंद्रीय स्कीम चला रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा, सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों के परिवार को भरणपोषण एवं उत्तरजीविता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम दिनांक 01.04.2008 से प्रभाव में है।

2.73 इस स्कीम के तहत, दिनांक 24.8.2016 से पूर्व घटित घटनाओं हेतु 3 लाख रुपये तथा दिनांक 24.8.2016 को अथवा उसके पश्चात घटित घटनाओं हेतु 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों के आश्रित को प्रदान की जाती है। इसमें से 50% बचत खाते में और 50% तीन साल की लॉक–इन अवधि के साथ सावधि जमा खाते में जमा की जाती है। पहली बार जिला प्राधिकारी भुगतान करते है और तत्पश्चात इस मंत्रालय द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

2.74 स्कीम के कार्यान्वयन तंत्र को दिनांक 1.4.2022 से संशोधित कर दिया गया है। नए दिशा–निर्देशों के तहत, इस मंत्रालय द्वारा 70% और 30% की राशि की 2 किस्तों के स्थान पर 1 किस्त में ही शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.75 इसके अलावा, सीएसएसीवी पोर्टल दिनांक 1.8.2022 से आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से, राज्य सरकारें प्रतिपूर्ति हेतु अपने प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेज सकती हैं।

2.76 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 31.12.2022 तक सीएसएसीवी स्कीम के तहत 1,08,60,000/– रुपये का व्यय किया गया है।

हथियारों और गोला–बारूद का विनियमन

2.77 गृह मंत्रालय देश में आयुध अधिनियम और साथ ही देश में हथियारों के निर्माण एवं व्यक्तिगत हथियार हेतु लाइसेंस को विनियमित करने के नियम के संबंध में नीति निर्माण तथा समीक्षा के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, लाइसेंसों के डिजिटलीकरण (एनडीएएल– एएलआईएस पोर्टल) तथा नियमों में संशोधन जैसी कई पहलें समय–समय पर की जाती हैं। ऐसा करने से देश में आग्नेय अस्त्रों के प्रसार को रोकने तथा मौजूदा विधिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के इरादे से देश में लोक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधानों को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

2.78 आयुध अनुभाग, गृह मंत्रालय ने देश में गोला–बारूद के निर्माण में रूचि रखने वाले निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, अपने एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल को एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत कर दिया है।

2.79 दिनांक 1.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, 11 हथियार निर्माण लाइसेंस जारी किए गए हैं।

सिख जत्थों द्वारा पाकिस्तान मे गुरुद्वारों की यात्रा

2.80 धार्मिक पीठों की यात्रा के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच दिनांक 14.09.1974 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसार सिख जत्थे अप्रैल में बैसाखी, जून में अर्जन देवजी की शहादत, जून मे महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और अक्तूबर/नवंबर में श्री गुरू नानक देवजी के जन्मदिन आदि के अवसरों पर पाकिस्तान स्थित नौ गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) को 3887 तीर्थयात्रियों की अनुशंसा की गई थी।

*****

अध्याय - 3
सीमा प्रबंधन

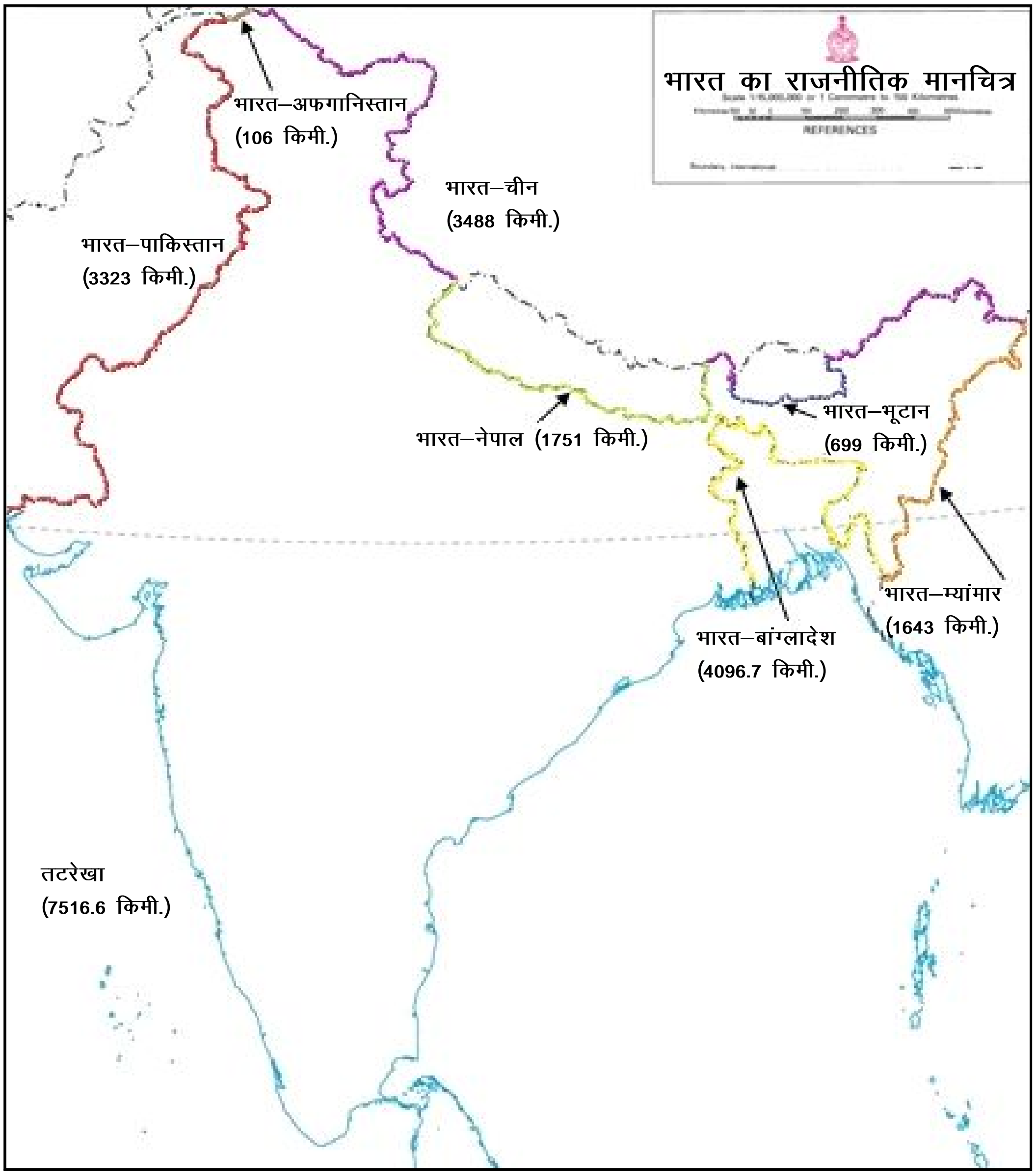

अन्तर्राष्ट्रीय भू-सीमा

(स्रोतः भारतीय सर्वेक्षण)

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है:

सीमा का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
भारत-बांग्लादेश सीमा	4,096.7
भारत-चीन सीमा	3,488.0
भारत-पाकिस्तान सीमा	3,323.0
भारत-नेपाल सीमा	1,751.0
भारत-म्यांमार सीमा	1,643.0
भारत-भूटान सीमा	699.0
भारत-अफगानिस्तान सीमा	106.0
भू-सीमाओं की कुल लंबाई	**15,106.7**

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग बनाया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा करने तथा इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक एवं आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) तथा सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती "एक सीमा, एक सीमा–रक्षक बल (ओबीओबीजीएफ)" के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) को सौंपी गई है:–

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)
- चीन सीमा – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स

इसके अतिरिक्तः

- भारतीय सेना बी एस एफ के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आईटीबीपी के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है।
- भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। "भारतीय तट रक्षक" को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है।

3.6 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने दिनांक 19.01.2022 के अपने निर्णय के तहत "सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम)" की अंब्रेला योजना को 13,020 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 31.03.2026 तक अथवा आगे इसकी समीक्षा किए जाने तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। बीआईएम योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें वे परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

3.7 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा अनुमानों तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

3.8 भारत की तरफ भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) के साथ लगती है। संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां

3.9 सीमाओं पर सीमा चौकियां (बीओपी) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, इन सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा–पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी दर्शाना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास 1,096 सीमा चौकियां (बीओपी) हैं।

3.10 भारत सरकार ने 509 कम्पोजिट बीओपी (भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर कुल बीओपी) की एक स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। इन 509 कम्पोजिट बीओपी में से, 383 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है।

बाड़ लगाना

3.11 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.12 भारत–बांग्लादेश सीमा पर पहाड़ियों, नदियों और घाटियों जैसे कठिन भूभाग स्थित हैं, फिर भी बीएसएफ सीमा पार अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास को रोकने, जो कि प्रमुख

चुनौतियां हैं, के लिए चौबीसों घंटे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। सीमा पार से राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों सहित अवैध प्रवासन और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने चरणबद्ध रूप से सीमा पर तेज रोशनी (फ्लडलाइट्स) की व्यवस्था करने समेत बाड़ का निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किमी. है, जिसमें से 3180.653 किमी. सीमा भौतिक बाड़ से कवर की गई है और शेष लगभग 916.047 किमी. सीमा भौतिक और गैर–भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी। चल रहे सभी कार्यों को मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना है। गैर–भौतिक अवरोध में प्रौद्योगिकीय समाधान शामिल होंगे। पुरानी डिजाइन की बाड़ को नई डिजाइन की बाड़ से बदले जाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा के पास बसावट होने, भूमि अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ हिस्सों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्याएं आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलंब हुआ है।

सड़कें

3.13 सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और ऑपरेशनल आवाजाही के लिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक, 4223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से 3785.30 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। चल रहे कार्यों को मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना है।

तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था

3.14 सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 3077.549 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2692.29 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है।

भारत–पाकिस्तान सीमा

3.15 भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किमी. भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.16 भारत–पाकिस्तान सीमा पर 736 बीओपी की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 675 बीओपी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 31 बीओपी में चल रहे कार्य के जून, 2025 तक पूरा हो जाने की संभावना है और शेष 30 बीओपी के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश की जा रही है।

तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था

3.17 घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयासों को रोकने के लिए, सरकार ने 2078.80 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से 2043.76 किमी. क्षेत्र में यह कार्य पूरा हो गया है और शेष 35.04 किमी. क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

बाड़

3.18 सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने 2097.646 किमी. बाड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2064.666 किमी. बाड़ संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष 32.98 किमी. का कार्य प्रगति पर है।

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) और भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

3.19 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

(सीआईबीएमएस) की अवधारणा में जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमान नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने में सुधार हो सके और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप शीघ्र एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके। बीएसएफ ने भारत–पाकिस्तान एवं भारत–बांग्लादेश सीमाओं का अध्ययन किया है और सुभेद्यता, भू–भाग की स्थिति, अपराध के पैटर्न तथा क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर, सीमाओं को प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से कवर करने के लिए विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है।

3.20 भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) के साथ जम्मू में प्रत्येक 5 किमी. की लम्बाई वाली दो पॉयलट परियोजनाएं लागू की गई हैं और भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. की लम्बाई वाली एक परियोजना पूर्णता के अंतिम चरण में है। इसके अलावा, कम लागत वाले प्रौद्योगिकीय समाधान के साथ सीमा की सुरक्षा हेतु, सरकार ने 83.79 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना मंजूर की है, ताकि भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं के साथ 484 किमी. के सुभेद्य क्षेत्र को कवर किया जा सके और यह परियोजना अक्तूबर, 2023 तक पूरी हो जाएगी।

भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.21 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) से गुजरती है। कुल 1,643 किमी. में से 1,472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। मौजूदा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत–म्यांमार सीमा के साथ 100 किमी. की लंबाई में एक उन्नत स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम प्रक्रियाधीन है।

3.22 मोरेह, मणिपुर में 10.023 किमी. लम्बी सीमा पर बाड़ के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपा गया है। कार्य प्रगति पर है और 6.812 किमी. बाड़ का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। कुल निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

3.23 भारत और म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) विद्यमान है। एफएमआर के अंतर्गत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी भी ओर 16 किमी. के भीतर किसी क्षेत्र का निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बॉर्डर पास (एक वर्ष की वैधता वाला) प्रस्तुत करने पर आईएमबी को पार कर सकता है और प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक रह सकता है।

भारत–चीन सीमा (आईसीबी)

3.24 भारत–चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, सरकार ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत–चीन सीमा पर सीमा सड़कों, पैदल मार्ग, हेलीपैड और अनुकूलन केंद्रों के निर्माण तथा सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना जैसी सीमा संबंधी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की हैं।

भारत–नेपाल सीमा

3.25 भारत और नेपाल 1,751 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं।

3.26 सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भारत–नेपाल सीमा पर 1,299.80 किमी. सड़क के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत नेपाल सीमा पर 539 सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की गई है।

भारत–भूटान सीमा

3.27 भारत और भूटान 699 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए खुली सीमा के दुरूपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं। भारत–भूटान सीमा पर 195 सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की गई है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.28 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 117 सीमावर्ती जिलों के 460 सीमा ब्लॉकों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), जो एक कोर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, का कार्यान्वयन कर रहा है।

3.29 बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खुशहाल बनाना तथा केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के संयोजन तथा सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है।

3.30 बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति (अन्य कोर सीएसएस की भांति) 08 पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), 02 हिमालय क्षेत्र के राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा 01 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जम्मू एवं कश्मीर के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्साः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा) के अनुपात में है। 06 अन्य राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 (केंद्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में केंद्र का हिस्सा 100% है।

3.31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से 0–10 किमी. की दूरी (क्रो–फ्लाई/एरियल डिस्टेंस) के भीतर स्थित जनगणना वाले सभी गांवों/कस्बों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण, पेय जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्रियाकलापों तथा कुछ सामाजिक अवसंरचनाओं के सृजन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

बीएडीपी के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आवंटन के लिए मानदंड

3.32 बीएडीपी के दिशानिर्देश, 2020 और अक्टूबर, 2021 में जारी किए गए संशोधन के अनुसार, कुल वार्षिक आवंटन के 10% तक की धनराशि प्रशासनिक व्यय और आरक्षित निधि के लिए निर्धारित है।

3.33 इसके अतिरिक्त, कुल आवंटित निधि का 10%, भारत–चीन सीमा से सटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड) को भारत–चीन सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में कार्य/परियोजनाएं शुरू करने के लिए अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाता है।

3.34 शेष 80% निधियों को 40:60 के अनुपात में बांटा जाता है और 40% निधियां आठ पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित की जाती हैं तथा 60% निधियां शेष आठ सीमावर्ती राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानदंडों के अनुसार आवंटित की जाती हैं।

3.35 इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन भी तीन मापदंडों पर आधारित है, अर्थात (i) अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई (33% वेटेज), (ii) सीमावर्ती क्षेत्र, जिनमें 0–10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गांव, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्र शामिल हैं (33% वेटेज) और (iii) अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के 0–10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गांवों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (33% वेटेज)।

बीएडीपी के अंतर्गत निधियों का प्रवाह

3.36 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बजट आवंटन 166.00 करोड़ रुपये है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों

(2017–18 से 2021–22) और चालू वित्तीय वर्ष (2022–23) के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.37 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात् दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	280.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.40
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमन एवं दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुदुचेरी	47.60
13	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.38 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौ सेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.39 सीमा प्रबंधन विभाग तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही जल–क्षेत्र में गश्त लगाने और

निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) को चरणों में कार्यान्वित कर रहा है।

3.40 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 73 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.41 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा कुल 1579.91 करोड़ रुपये के परिव्यय से अनुमोदित की गई तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण–II) दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई है। चरण–II के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 131 सीपीएस, 60 जेटी तथा 10 समुद्री परिचालन केन्द्रों के निर्माण और 131 चार पहिया वाले वाहनों तथा 242 मोटर साइकिलों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

3.42 तटीय सुरक्षा योजना चरण–II के तहत, सभी स्वीकृत 131 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) कार्यशील कर दिए गए हैं, 35 जेटी का निर्माण किया गया है, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।

3.43 सीएसएस–II का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कार्यान्वयन निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)					जेटी		चार पहिया वाले वाहन		दो पहिया वाले वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित	निर्माण जारी	निर्माण किया जाना है	स्वीकृत	निर्मित/स्तरोन्नत की गई	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित
गुजरात	12	12	11	0	1	5	1	12	12	24	24	0	0	0
महाराष्ट्र	7	7	5	0	2	3	14*	7	7	14	14	0	0	0
गोवा	4	4	1	1	2	2	2	4	4	8	8	0	0	0
कर्नाटक	4	4	4	0	0	2	2	4	4	8	8	0	0	0
केरल	10	10	10	0	0	4	2	10	10	20	20	0	0	0
तमिलनाडु	30	30	30	0	0	12	5	30	30	60	60	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0

ओडिशा	13	13	12	1	0	5	4	13	13	26	26	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	8	7	0	1	4	0	8	8	16	16	0	0	0
दमन एवं दीव	2	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0
पुदुचेरी	3	3	2	0	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
लक्षद्वीप	3	3	1	0	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	0	10	0	20	20	20	20	10	10	4
कुल	**131**	**131**	**120**	**2**	**9**	**60**	**35***	**131**	**131**	**242**	**242**	**10**	**10**	**4**

(*) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई जेटी का निर्माण करने के बजाय इंजन कक्षों तथा नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का स्तरोन्नयन किया है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहल

सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी)

3.44 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने हेतु मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित करता रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और सूचना के संग्रहण हेतु उन्हें "आंख एवं कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र

3.45 केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन और खुले समुद्र) में जाने वाले सभी समुद्री मछुआरों को दिनांक 13.03.2019 को अथवा उसके पश्चात मुद्रित किये गये क्यूआर समर्थित स्पष्ट फोटोयुक्त आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए। इस मंत्रालय के अनुरोध पर, मात्स्यिकी विभाग ने सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि समुद्र में जाने वाले सभी मछुआरे क्यूआर समर्थित आधार कार्ड के साथ मूल बायोमीट्रिक पहचान पत्र अपने साथ लेकर जाएं, ताकि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जा सके।

जलयानों/नौकाओं का पता लगाना

3.46 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ''समुद्र से होने वाले खतरे के प्रति राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस)'' ने दिनांक 04.09.2009 को हुई अपनी पहली बैठक के दौरान एक समिति के गठन का निर्णय लिया था, जो 20 मीटर से कम लम्बाई वाली छोटी नौकाओं के पंजीकरण और उन पर ट्रांसपोंडर लगाने के मुद्दे पर विचार–विमर्श करेगी। विभिन्न मंचों पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, समस्त तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी यांत्रिक (मैकेनाइज्ड) जलयानों में इसरो द्वारा विकसित ट्रैकिंग डिवाइस लगाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यन नौकाओं में लगाए जाने हेतु उपयुक्त डिवाइस का चयन करें, ताकि उनकी गतिविधि की निगरानी सुनिश्चित की

जा सके। मोटर–युक्त/गैर–मोटर युक्त मत्स्यन नौकाओं में फिट करने के लिए ये ट्रैकिंग डिवाइस श्रम–दक्षता की दृष्टि से उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई होनी चाहिए।

छोटे/लघु बंदरगाहों की सुरक्षा

3.47 तटीय राज्यों में 239 छोटे बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में दिनांक 11 मार्च, 2016 को 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए लघु बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस मंत्रालय ने सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों से पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संबंधित छोटे/लघु बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) के अनुरूप बनाने का अनुरोध भी किया है।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.48 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को चढ़ाने या उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर–संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम कार्यशील हैं। एसपीएम की सुरक्षा के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.49 तटीय मानचित्रण तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा–शुल्क जांच चौकियों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और लोकेशन शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। देश की संपूर्ण तटरेखा के तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो–इन्फोर्मेटिक्स (बीआईएसएजी– एन), गांधीनगर, गुजरात को तटीय मानचित्रण के डिजिटाइजेशन को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुए सभी अपराधों से निपटने के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

3.50 गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र अर्थात प्रादेशिक जलक्षेत्र के आगे और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) तक के क्षेत्र में हुए अपराधों से निपटने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 10 तटीय पुलिस स्टेशनों नामतः नवीबंदर तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पोरबंदर (गुजरात), येलो गेट पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र तथा दमन एवं दीव), हार्बर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, हार्बर, मोर्मुगांव, जिला साउथ गोवा (गोवा), मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), फोर्ट कोच्चि तटीय पुलिस स्टेशन, कोच्चि (केरल और लक्षद्वीप), बी5 हार्बर पुलिस स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु और पुदुचेरी), गिलाकलाडिंडी, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश), पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन, जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा), नयाचार तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) को अधिसूचित किया है।

नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.51 भारत सरकार ने देवभूमि द्वारका, गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एकेडमी ने एक अस्थायी कैम्पस से दिनांक 29.10.2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। तटीय पुलिस/सीमा शुल्क कर्मियों के आठ बैचों ने मरीन पुलिस फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है। गृह मंत्रालय में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड ने दिनांक 27.07.2022 को हुई अपनी बैठक के दौरान गांव–मोजप, जिला–देवभूमि द्वारका, गुजरात में जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि में 441.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना की मंजूरी प्रदान की।

3.52 वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के विजन दस्तावेज़ में कहा गया है कि तटीय जल क्षेत्र और तटरेखा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने के लिए दिनांक 31.12.2020 तक नए तटीय गश्ती एसओपी/ पैटर्न/प्रोटोकॉल लागू होंगे। तदनुसार, कोविड–19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय तटीय पुलिस कर्मियों और आईसीजी इकाइयों के बीच उन्नत समन्वय और तालमेल के जरिए भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) दिनांक 31.12.2020 की समय सीमा से काफी पहले दिनांक 15.08.2020 से ही शुरू हो गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	क्लासरूम प्रशिक्षण	भाग लेने वाले कार्मिक	समुद्री फेरे (सी सॉर्टीज)	जहाज पर चढ़ने वाले कार्मिक
दिनांक 15.08.2020 से 31.12.2022 तक	755	3143	1338	3503

भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.53 **आईसीपी द्वारा प्रदान की गई ढांचागत सुविधाएं**

(क) व्यापार सुविधाएं

i. वेयरहाउस/रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज स्पेस

ii. बैंक, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि

iii. कार्गो कॉम्प्लेक्स

iv. चालक विश्राम क्षेत्र

v. इलेक्ट्रॉनिक तुला

vi. निरीक्षण शेड

vii. सीसीटीवी

viii. जब्त किए गए सामान के लिए शेड

ix. कार्गो स्कैनर

x. सीमा–शुल्क

(ख) यात्री सुविधाएं

i. बस सेवा

ii. प्रतीक्षा स्थल

iii. बैंक

iv. स्वास्थ्य जांच

v. ट्रॉली और व्हीलचेयर

vi. वॉशरूम

vii. पार्किंग और टैक्सी

viii. प्रार्थना कक्ष

ix. कैफेटेरिया

x बाल देखभाल कक्ष

3.54 **कार्यशील की गई आईसीपी – 09**

क्र. सं.	स्थान	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	कार्यशील किए जाने की तारीख
1	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	13.04.2012
2	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	17.11.2013
3	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	12.02.2016
4	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	03.06.2016
5	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	15.11.2016
6	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	15.03.2018
7	श्रीमंतपुर	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	05.09.2020
8	पीटीबी डेरा बाबा नानक	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	09.11.2019
9	सुतारकंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	07.09.2019

3.55 **अतिरिक्त आईसीपी का विकासः** सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने तथा साथ ही पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों में भी सुधार करने हेतु एकीकृत जांच चौकियों के विकास के लिए निम्नलिखित 14 स्थानों की पहचान की गई हैः

क्रम संख्या	आईसीपी	राज्य	सीमा	स्थिति
1	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	नेपाल	विकसित की जा रही है
2	डॉकी	मेघालय	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
3	सुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल	विकसित की जा रही है
4	बनबासा	उत्तराखंड	नेपाल	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
5	भीटामोड़	बिहार	नेपाल	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
6	कवरपुइछुआ	मिजोरम	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
7	सबरूम	त्रिपुरा	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
8	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
9	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	नेपाल	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है

10	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भूटान	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
11	महादीपुर	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
12	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
13	हिली	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
14	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है

3.56 **रुपैडिहा में आईसीपी:** लगभग 93% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 28.02.2023 है।

(क) आईसीपी सुनौली: वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 106.54 एकड़ भूमि एलपीएआई को हस्तांतरित की गई है। इसे वर्ष 2025 तक शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) आईसीपी सुतारकंडी: 88.87 एकड़ भूमि कब्जे में है। सीमा व्यापार केंद्र (बीटीसी–I और II) के साथ आईसीपी दिनांक 07.09.2019 से चालू हो गई है।

(ग) आईसीपी डॉकी: लगभग 87.5% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.03.2023 है।

(घ) आईसीपी सबरूम: लगभग 44% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

3.57 **अस्थायी यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी), पेट्रापोल:** एक नया अस्थायी यात्री टर्मिनल भवन–I बनाया गया है और दिनांक 17.09.2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। पीटीबी की समग्र प्रगति 42% है।

3.58 **बनबासा में आईसीपी का विकास:** भारत और नेपाल की तरफ आईसीपी के स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे वर्ष 2026 तक शुरू करने का प्रस्ताव है।

3.59 **भीटामोड़ में आईसीपी का विकास:** राज्य सरकार को दिनांक 22.12.2021 को भूमि की कीमत के रूप में 97,81,31,260/– रुपये का भुगतान किया गया है। आईसीपी की स्थापना के लिए कुल 26.42 एकड़ क्षेत्र की पहचान की गई है। राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसे वर्ष 2025 तक शुरू करने का प्रस्ताव है।

3.60 **आईसीपी कवरपुइछुआ:** राज्य सरकार ने एलपीएआई को 21.50 एकड़ पट्टाकृत भूमि हस्तांतरित की है। इसके अलावा, राज्य सरकार से मौजूदा उपलब्ध भूमि से सटी अतिरिक्त 30–40 एकड़ भूमि की पहचान करके उसे हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। अधिगृहीत भूमि पर निर्माण–पूर्व गतिविधियों जैसे कि सुरक्षा फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3.61 **पश्चिम बंगाल में 07 आईसीपी के लिए भूमि का अधिग्रहण:** पश्चिम बंगाल में 07 आईसीपी के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और दिनांक 07.02.2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। सभी आईसीपी के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है। राज्य सरकार ने अभी तक इन स्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू नहीं किया है। भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिए एलपीएआई राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है।

3.62 **एलपीएआई के महत्वपूर्ण कार्य**

(क) **आईसीपी, अटारी में कार्गो ऑपरेशन का संचालन** : आईसीपी अटारी में कार्गो के संचालन का कार्य, जो पहले सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जा रहा था, दिनांक 09.04.2022 से एलपीएआई ने अपने हाथों में ले लिया है।

(ख) **आईसीपी में रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट (आरडीई) की स्थापना:** 08 ऑपरेशनल आईसीपी में रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु कार्य का आदेश दिनांक 02.08.2022 को निष्पादित करार के तहत दिया गया है। दिनांक 02.08.2022 के करार के साथ पठित निविदा दस्तावेज की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, विक्रेता करार की तिथि से 06 महीने के भीतर आपूर्ति करेगा और स्थापना की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली आईसीपी में अटारी, पेट्रापोल, अगरतला, रक्सौल, जोगबनी, मोरेह, डॉकी और सुतारकंडी आईसीपी शामिल हैं।

3.63 **भू–सीमाओं के पार सामान और लोगों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक:** समन्वय समिति की तीसरी बैठक दिनांक 02.09.2022 को सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें हितधारकों के साथ संबंधित मंत्रालयों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3.64 भारत सरकार एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के विकास और एलपीएआई मुख्यालय तथा ऑपरेशनल आईसीपी के स्थापना व्यय के लिए अनुदान–सहायता प्रदान करती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पूंजीगत और स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए क्रमशः 588 करोड़ रुपये तथा 30.50 करोड़ रुपये की अनुदान–सहायता जारी की है। वर्ष के दौरान पूंजीगत मद के तहत 588 करोड़ रुपये में से, कुल 435.80 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था और 152.18 करोड़ रुपये की खर्च न की गई शेष राशि, टीएसए योजना के अनुसार स्वचालित रूप से सरेंडर कर दी गई थी। वर्ष के दौरान स्थापना व्यय के मद में 30.50 करोड़ रुपये में से, कुल 29.44 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया और 1.06 करोड़ रुपये की शेष राशि, टीएसए योजना के अनुसार स्वचालित रूप से सरेंडर कर दी गई।

3.65 प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान नौ आईसीपी के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से अपने हिस्से के रूप में अर्जित ब्याज सहित 28.09 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वर्ष 2021–22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा 54.89 करोड़ रुपये का स्थापना व्यय किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान एलपीएआई द्वारा अर्जित और प्राप्त राजस्व को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक में अनुरक्षित एलपीएआई के बैंक खातों में जमा किया गया है।

*****

अध्याय - 4
देश में अपराध का परिदृश्य

4.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वार्षिक आंकड़े, "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशन के लिए 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ब्यूरो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़ों को वार्षिक आधार पर एकत्रित, मिलान, संकलित और प्रकाशित करता है। ये आंकड़े, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन (पीएस)/जिला स्तर पर दर्ज किए जाते हैं। ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपराध के आंकड़ों की गणना के लिए "प्रिंसिपल ऑफेंस रूल" का अनुसरण करता है। इस प्रकार, एक एफआईआर मामले में दर्ज किए गए अनेक अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिसमें कठोरतम दंड मिले) को ही गणना की एक इकाई के रूप में लिया जाता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
आईपीसी	32,25,597	42,54,356	36,63,360	241.1	314.3	268.0
एसएलएल	19,30,561	23,46,929	24,32,950	144.3	173.4	178.0
कुल	51,56,158	66,01,285	60,96,310	385.5	487.8	445.9

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.2 वर्ष 2021 में कुल 60,96,310 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें 36,63,360 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 24,32,950 विशेष एवं स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं। ये आंकड़े वर्ष 2020 की तुलना में 7.6% की कमी को दर्शाते हैं। वर्ष 2021 के दौरान, आईपीसी अपराधों में वर्ष 2020 की तुलना में 13.9% की कमी और एसएलएल अपराधों में 3.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 के दौरान, कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी अपराधों का प्रतिशत हिस्सा 60.1% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 39.9% था।

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

4.3 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 11,00,425 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2021 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 30.0% है। इनमें से, अधिकतर मामलों के कारण चोट लगना (11,00,425 मामलों में से 5,85,774 मामले) रहा अर्थात 53.2% तथा इसके बाद लापरवाही से मौत होना (11,00,425 मामलों में से 1,46,195 मामले) और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के मामलों (11,00,425 मामलों में से 89,200 मामले) का होना रहा है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.3% और 8.1% रहा।

ग) लोक शांति के विरुद्ध अपराध

4.4 वर्ष 2021 के दौरान, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के कुल 63,391 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से दंगों के मामलों का प्रतिशत ऐसे कुल मामलों का 66.2% है।

घ) हिंसक अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर*		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
हत्या	28,915	29,193	29,272	2.2	2.2	2.1
अपहरण एवं व्यपहरण	1,05,036	84,805	1,01,707	7.9	6.3	7.4
कुल हिंसक अपराध	4,17,846	4,00,006	4,13,497	31.2	29.6	30.2

* अपराध दर: अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

(स्रोत: एनसीआरबी)

ङ) हिंसक अपराध – हत्या

4.5 वर्ष 2021 के दौरान, हत्या के कुल 29,272 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें वर्ष 2020 (29,193 मामलों) की तुलना में 0.3% की वृद्धि देखी गई है। हत्या के सबसे अधिक मामलों का मकसद "विवाद" (9,765 मामले) था और तत्पश्चात "व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी" (3,782 मामले) और "लाभ अर्जन" (1,692 मामले) था।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

4.6 वर्ष 2021 के दौरान, अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,01,707 मामले दर्ज किए गए थे। कुल 1,04,149 (17,605 पुरुष और 86,543 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों का अपहरण या व्यपहरण किया गया। वर्ष 2021 के दौरान, 45,270 पीड़ितों को अपहृत की श्रेणी के तहत रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा, कुल 99,680 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (17,477 पुरुष, 82,202 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर) को बरामद किया गया, जिनमें से 98,860 व्यक्ति जीवित और 820 व्यक्ति मृत पाए गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्र. सं.	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्जशीट दर	विचारण हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध हुए कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1	हत्या	51,540	83.8	2,48,731	4,304	42.4
2	बलात्कार	46,127	80.4	1,85,836	3,368	28.6
3	अपहरण और व्यपहरण	1,72,302	36.8	2,92,473	2,665	29.3
4	दंगे	75,937	87.1	5,44,184	2,964	21.9
5	चोट (मामूली और गंभीर चोट)	8,22,384	88.3	32,78,679	54,707	37.1
6.	कुल आईपीसी अपराध	**58,10,088**	**72.3**	**1,58,30,228**	**6,76,668**	**57.0**

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.7 देश में कुल 58,10,088 मामले (21,42,907 पुराने + 36,63,360 नए + 3,821 पुनः खोले गए) जांच के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2021 के दौरान, 72.3% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 27,20,265 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए थे। वर्ष के अंत तक, पुलिस द्वारा कुल 37,64,632 मामलों का निपटान किया गया और 20,42,045 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान, कुल 1,58,30,228 मामले (1,31,09,963 पुराने और 27,20,265 नए) विचारण (ट्रायल) के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2021 के दौरान, 11,86,377 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा कर लिया गया था और 6,76,668 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जिनमें दोषसिद्धि की दर 57.0% थी।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्र. सं.	एसएलएल के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्जशीट दर	विचारण (ट्रायल) हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1.	आबकारी अधिनियम	3,92,635	98.9	11,47,664	1,82,062	92.2
2.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	1,15,417	98.3	3,25,841	20,747	77.9
3.	आयुध अधिनियम	90,402	98.3	4,97,387	28,076	81.8
4.	कुल एसएलएल अपराध	**31,30,575**	**96.0**	**1,03,93,412**	**11,06,199**	**78.7**

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.8 जांच के लिए कुल 31,30,575 मामले (6,97,412 पुराने + 24,32,950 नए + 213 पुनः खोले गए) रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2021 के दौरान, 96.0% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 22,30,427 मामलों में आरोप–पत्र सौंपे गए थे। पुलिस द्वारा 23,24,511 मामलों का निपटान किया गया और वर्ष के अंत तक 8,05,880 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान, विचारण हेतु कुल 1,03,93,412 मामले (81,62,985 पुराने + 22,30,427 नए) रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2021 के दौरान, 14,05,286 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया था और 78.7% की दोषसिद्धि दर के साथ 11,06,199 मामलों में दोषमुक्ति हुई।

झ) गिरफ्तारी, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

4.9 वर्ष 2021 के दौरान, आईपीसी अपराधों के तहत कुल 34,92,436 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 44,18,024 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए, 8,85,842 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 8,42,787 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया अथवा उन्हें बरी कर दिया गया। वर्ष 2021 के दौरान, एसएलएल अपराधों के तहत कुल 23,17,005 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 27,91,827 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए, 13,28,465 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3,71,272 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें बरी कर दिया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
4,05,326	3,71,503	4,28,278	62.3	56.5	64.5	-8.3%	15.3%

(स्रोत: एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षकों में अपराध की अधिक घटनाऐं रिपोर्ट की गई

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1,36,234
महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करना	89,200
अपहरण एवं व्यपहरण	75,369
बलात्कार	31,677

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.10 महिलाएँ भी कई सामान्य अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ही "महिलाओं के विरुद्ध अपराध" के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2020 की तुलना में 15.3% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप हो सकती है, जैसे कि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करना, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को एडवाइजरी जारी करके पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाया जाना आदि। वर्ष 2021 के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल आईपीसी अपराधों में महिलाओं के खिलाफ किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात 9.8% है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 64.5 थी।

4.11 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामले "पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" (31.8%) के तहत रिपोर्ट किये गए थे, इसके बाद "महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने" (20.8%), "महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण" (17.6%) और "बलात्कार" (7.4%)के तहत रिपोर्ट किये गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
1,48,090	1,28,531	1,49,404	33.2	28.9	33.6	-13.2%	16.2%

(स्रोत:एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षकों में अपराध की अधिक घटनाऐं रिपोर्ट की गई

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
अपहरण एवं व्यपहरण	67,245
पॉक्सो अधिनियम, 2012	53,874

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.12 तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021 के दौरान, देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,49,404 मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2021 के दौरान "बच्चों के प्रति अपराध" के तहत प्रमुख अपराध शीर्ष "अपहरण एवं व्यपहरण" (45.0%) तथा बलात्कार सहित "यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012" (38.1%) के रूप में थे। बच्चों के प्रति अपराध की दर वर्ष 2021 के दौरान प्रति एक लाख बच्चों पर 33.6 देखी गई।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2019	**2020**	**2021**	**2019-2020**	**2020-2021**
32,269	29,768	31,170	-7.8%	4.7%

(स्रोत:एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षकों में अपराध की अधिक घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
चोरी	6,463
चोट पहुँचाना	5,899
सेंधमारी	1,983
हत्या करने का प्रयास	1,291

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.13 वर्ष 2021 के दौरान, 31,170 मामलों में कुल 37,444 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 32,654 किशोर आईपीसी के मामलों के तहत पकड़े गए और 4,790 किशोरों को एसएलएल के मामलों में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2021 के दौरान, कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था, 16–18 वर्ष (76.2%) (37,444 में से 28,539) के बीच के आयु वर्ग के थे।

घ) अनुसूचित जातियों (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
45,961	50,291	50,900	22.8	25.0	25.3	9.4%	1.2%

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.14 अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर 25.3 देखी गई थी।

ङ) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
7,570	8,272	8,802	7.3	7.9	8.4	9.3%	6.4%

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.15 ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021 के दौरान, देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल 8,802 मामले/अत्याचार रिपोर्ट किए गए। अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर 8.4 देखी गई थी।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2018-2019	2020-2021
27,804	24,794	26,110	26.8	23.9	25.1	14.2%	5.3%

(स्रोत: एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षकों में अपराध की अधिक घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
मामूली चोट	7,396
चोरी	3,531
जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी	2,948

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.16 वर्ष 2021 के दौरान, देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 26,110 मामले रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2021 के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए प्रमुख अपराधों में मामूली चोट, चोरी एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी शामिल हैं।

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
1,65,693	1,45,754	1,74,013	-12.0%	19.4%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.17 वर्ष 2021 के दौरान, आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणी अर्थात विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, नकल एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी में से जालसाजी और ठगी एवं धोखाधड़ी श्रेणी में अधिकतम 1,52,073 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (21,241 मामले) और नकल (699 मामले) के अंतर्गत मामले रिपोर्ट हुए थे।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
44,735	50,035	52,974	11.8%	5.9%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.18 वर्ष 2021 के दौरान, कंप्यूटर संबंधित अपराधों के अंतर्गत साइबर अपराध के 37.6% मामले (52,974 मामलों में से 19,915) दर्ज किए गए, उसके बाद 26.4% मामले (14,007) धोखाधड़ी और 12.5% मामले (6,598) इलेक्टॉनिक रूप में अश्लील/कामुकता दर्शाने वाले कार्य का प्रकाशन/प्रसारण से संबंधित थे।

ङ. संपत्ति के लिए अपराध

4.19 वर्ष 2021 के दौरान, संपत्ति के लिए किए गए अपराधों के तहत कुल 7,62,368 मामले रिपोर्ट किए गए (कुल आईपीसी अपराधों का 20.8%), जिनमें से चोरी (5,86,649 मामले) और सेंधमारी (97,792 मामले) में क्रमशः 77.0% और 12.8% मामले रिपोर्ट किए गए।

वर्ष	2019	2020	2021
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	4,710.5	3,678.1	5,173.2
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड रु. में)	1,448.6	1,185.0	1,561.0
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत बरामदगी	30.8%	32.2%	30.2%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.20 वर्ष 2021 के दौरान, 5,173.2 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,561.0 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्तियां बरामद की गईं, जो कि चोरी की गई संपत्तियों की 30.2% बरामदगी है। वर्ष 2021 के दौरान, चोरी के कुल मामलों (5,86,649 मामले) में से, 2,36,795 मामले (40.4%) ऑटो/मोटर वाहन चोरी से संबंधित थे। वर्ष 2021 के दौरान, आवासीय परिसरों में संपत्ति अपराधों के 2,81,602 मामले हुए थे। यद्यपि,

19,008 मामलों के साथ लूटपाट के अधिकतर मामले सड़क मार्गों पर हुए।

च. लापता व्यक्ति

4.21 वर्ष 2021 में, कुल 7,27,604 व्यक्ति (2,62,243 पुरुष, 4,65,171 महिलाएं और 190 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2021 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 3,85,124 व्यक्तियों (1,23,716 पुरुष, 2,61,278 महिलाएं और 130 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

4.22 वर्ष 2021 में कुल 1,21,351 बच्चे (31,224 पुरुष, 90,113 महिलाएं और 14 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2021 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 76,827 बच्चों (17,845 पुरुष, 58,980 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

छ आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

4.23 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत, कुल 74,482 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 84,623 हथियार जब्त किए गए। इन हथियारों में से 80,579 हथियार बिना लाइसेंस के थे और 4,044 हथियार लाइसेंस युक्त थे। वर्ष 2021 के दौरान, कुल 86,572 गोला–बारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

4.24 देश में वर्ष 2021 के दौरान, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 78,331 मामले रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें 1,07,808 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

*****

अध्याय - 5
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

5.1 भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) का गठन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसमें 05 अन्य सदस्य होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल–चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच–पड़ताल शुरू करना है, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

5.2 मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:–

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(ग) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

5.3 वर्ष 2022–23 के लिए एनएचआरसी का बजटीय अनुमान 75.61 करोड़ रु. है। दिनांक 31.12.2022 तक, गृह मंत्रालय द्वारा 56.71 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2021–22 के अव्ययित शेष के रूप में 4.88 करोड़ रु. को समायोजित करने के पश्चात 51.82 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

शिकायतों का निपटान

5.4 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, 85,618 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एनएचआरसी ने 89,921 मामलों का निपटान किया। इन मामलों में, पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित हैं। एनएचआरसी ने भी 7,118 मामले निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को हस्तांतरित किए हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 161 मामलों में 7,42,25,000/– रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की है।

मामलों की जांच–पड़ताल

5.5 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने कुल मिलाकर 2412 मामलों, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौतों के 1799 मामले, पुलिस हिरासत में मौतों के 236 मामले और तथ्य का पता लगाने वाले 219 मामले शामिल हैं, का निपटान किया। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के 158 मामलों का भी निपटान किया तथा मानव–अधिकारों के कथित गंभीर उल्लंघनों के 38 मामलों की मौके पर जांच की।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व

5.6 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों मंचों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक प्रमुख स्थान रखता है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) का

एक सक्रिय सदस्य रहा है, जो 110 से अधिक एनएचआरआई का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार नेटवर्क में से एक है। एनएचआरसी को पेरिस सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के लिए "जीएएनएचआरआई की प्रत्यायन संबंधी उप समिति (एससीए)" द्वारा "क" दर्जे के लिए प्रमाणित किया गया है। एनएचआरसी, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एनएचआरआई का एक क्षेत्रीय गठबंधन है और एपीएफ को प्रति वर्ष 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान देता है, एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एनएचआरसी का अध्यक्ष, एपीएफ गवर्नेंस समिति का सदस्य होता है, जो एशिया पैसिफिक फोरम की निर्णय लेने वाली समिति है।

अंतरराष्ट्रीय निकायों को लिखित प्रस्तुति

5.7 एनएचआरसी ने निम्नलिखित लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

I. तदर्थ भारत–यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद के लिए 'महिलाओं के प्रति हिंसा'

II. सभी महिलाओं और लड़कियों द्वारा सभी मानवाधिकारों के पूर्ण और प्रभावी उपयोगों पर उनके जबरन विवाह से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर रिपोर्ट।

III. पर्याप्त आवास का अधिकार और जलवायु परिवर्तन

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) रिपोर्ट प्रस्तुत करना

5.8 एनएचआरसी हितधारक रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रत्येक यूपीआर चक्र में नियमित रूप से योगदान देता है। एनएचआरसी ने वर्ष 2017–2022 के दौरान, चौथे चक्र के लिए अपनी स्वतंत्र यूपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय स्तर के परामर्श, सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श, आंतरिक चर्चा और विचार–विमर्श किए गए। इसके अलावा, एनएचआरसी सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न अन्य हितधारकों के साथ उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई योग्य बिंदुओं को साझा करके यूपीआर की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिफारिशों का ठीक से कार्यान्वयन हो।

एनएचआरसी के पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन का विवरण

5.9 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) के साथ एनएचआरसी के पुनः प्रत्यायन के संबंध में एनएचआरसी के पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन का एक विस्तृत विवरण एनएचआरसी के आगामी प्रत्यायन के लिए दिनांक 01.10.2022 को "प्रत्यायन उप–समिति (एससीए)" के विचारार्थ भेजा गया है।

कोर परामर्शदात्री समूह

5.10 एनएचआरसी में 12 कोर परामर्शदात्री समूह हैं, जिनमें मानवाधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो स्वैच्छिक रूप से, मानद आधार पर, उन समूहों के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए सहमत होते हैं, जो एनएचआरसी को विशेषज्ञ परामर्श देते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनजीओ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (एचआरडी) के कोर ग्रुप का पुनर्गठन किया गया था।

5.11 कोर परामर्शदात्री समूह की बैठकें

(क) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कोर समूह की दिनांक 13.04.2022 को आयोजित बैठकः बैठक का एजेंडा "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के उपबंधों के अनुसार सरकारी संस्थानों/संगठनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों तक

पहुंच प्रदान करने संबंधी निदेशों का अनुपालन था।

(ख) "व्यवसाय और मानवाधिकार पर कोर समूह" द्वारा दिनांक 27.06.2022 को वाणिज्यिक ट्रक चालकों के मुद्दों पर चर्चाः बैठक का एजेंडा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रक चालकों के हितों और उनके स्वास्थ्य की देखभाल, मादक पदार्थों के दुरुपयोग को कम करने के उपायों, उनके गैर–जिम्मेदाराना यौन व्यवहार के बारे में जागरूकता, उनके पारिश्रमिक का मानकीकरण और नियमित अवकाश के प्रावधान पर एक एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देना था।

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कोर समूह की दिनांक 26.07.2022 को आयोजित बैठकः बैठक का एजेंडा "विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2021 पर चर्चा" था।

(घ) महिलाओं के अधिकारों पर कोर ग्रुप की दिनांक 05.09.2022 को आयोजित बैठकः बैठक का एजेंडा ''महिला स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और पोषण की स्थितिः चुनौतियां और समाधान'' था।

5.12 ओपन हाउस चर्चा/सम्मेलन/ सेमिनार/ कार्यशालाएं

(क) एनएचआरसी ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर अपनी पहली कार्यशाला दिनांक 01.06.2022 को मानव अधिकार भवन में आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का प्रसार करना था।

(ख) एनएचआरसी ने दिनांक 30.06.2022 और 01.07.2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से "भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया। सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकारों के अध्ययन में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना था। सम्मेलन में उन मानवाधिकारों को समझने का प्रयास किया गया, जो अति प्राचीन काल से भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। भारतीय दार्शनिक–ऐतिहासिक परंपरा में मानवाधिकारों के विकास, इसके सामाजिक संदर्भ, कला और साहित्य में अभिव्यक्ति, नियम रूपरेखा, और अंत में भारतीय संविधान के तहत रहने जैसे विभिन्न मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रमुख शिक्षाविदों, विद्वानों, विधि विशेषज्ञों, न्यायविदों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था।

(ग) एनएचआरसी ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर के सहयोग से दिनांक 08–09 सितंबर, 2022 को 'मानवाधिकारों की अमृत उपलब्धियां' विषय पर हिंदी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में साहित्य की भूमिका, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में पुलिस की भूमिका पर चर्चा की गई।

(घ) एनएचआरसी ने दिनांक 21.09.2022 को "ओकुलर ट्रॉमा के रोकथाम, न्यूनीकरण और शमन पर ओपन हाउस चर्चा" का आयोजन किया। इस चर्चा का एजेंडा ओकुलर ट्रॉमा की रोकथाम, न्यूनीकरण और शमन के लिए अगले कदम के रूप में रणनीति तैयार करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त करना था।

(ङ) प्रवासी श्रमिकों पर ओपन हाउस चर्चा में दूसरे

शोध अध्ययन "बढ़ती मूक बहुसंख्या की अनसुनी आवाजः राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन" की सिफारिशों पर दिनांक 07.08.2022 को चर्चा की गई।

(च) एनएचआरसी ने दिनांक 01.11.2022 को "खेल और मानवाधिकारों पर ओपन हाउस चर्चा" का आयोजन किया। इस चर्चा का उद्देश्य खेल उद्योग में मानवाधिकारों के मुद्दों की जांच करना और उनका समाधान करना, अवसंरचनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना तथा खेल संघों में मानवाधिकारों के उल्लंघनों का समाधान ढूँढना, जवाबदेही और सम्मान की भावना लाना था। बैठक में युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों तथा सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के अन्य डोमेन विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(छ) एनएचआरसी ने दिनांक 04.11.2022 को सीएसएएम की समस्या की प्रकृति, मात्रा और विभिन्न अभिरूपों को समझने के लिए ''बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)'' पर चर्चा का आयोजन किया।

(ज) एनएचआरसी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिनांक 24.11.2022 को एक बैठक की।

विशेष रिपोर्टर और विशेष मॉनीटर

5.13 एनएचआरसी ने देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने के लिए विशेष रिपोर्टर और मॉनीटर नियुक्त किए हैं। विशेष रिपोर्टर और मॉनीटर एनएचआरसी की ओर से क्षेत्र विशिष्ट अधिदेश अथवा मानवाधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के दायरे में काम कर रहे हैं। वर्तमान में, एनएचआरसी ने 15 विशेष रिपोर्टर और 15 विशेष मॉनीटर नियुक्त किए हैं, जो एनएचआरसी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पीएचआर अधिनियम) की धारा 12 में परिकल्पित दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। एनएचआरसी के निदेश के अनुसार, एनएचआरसी के विशेष रिपोर्टरों ने पूरे भारत में 46 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का दौरा पूरा कर लिया है। इन दौरों का उद्देश्य इन प्रतिष्ठानों की स्थिति और उनके कामकाज की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है, ताकि प्रत्येक पहलू का निरीक्षण करने के बाद एनएचआरसी को उनके विश्लेषण और आगे की उचित कार्रवाई के लिए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

कैंप बैठक

5.14 झारखंड राज्य के लिए एनएचआरसी की कैंप बैठक दिनांक 16.08.2022 को रांची में आयोजित हुई। खुली सुनवाई के दौरान एनएचआरसी ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के 53 मामलों की सुनवाई की। खुली सुनवाई के दौरान लगभग 50 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की गई है। मामलों के निपटान के बाद, एनएचआरसी ने एनजीओ/एचआरडी संगठनों के साथ बातचीत की।

कारागार के दौरे

5.15 एनएचआरसी के सदस्य ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मई, 2022 में बेउर सेंट्रल जेल और छपरा जिला जेल, बिहार का दौरा किया तथा वहां जेल की स्थितियों और कामकाज का आकलन किया। सिफ़ारिशें लागू करने के लिए संबंधित महानिदेशक (जेल) को भेजी गई हैं। आयोग के विशेष रिपोर्टरों ने दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, रांची, जमशेदपुर, लुधियाना, जालंधर आदि में विभिन्न केंद्रीय और जिला कारागारों का दौरा किया और उनका निरीक्षण किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.16 वर्ष 2022–2023 के दौरान (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक), एनएचआरसी ने विभिन्न संगठनों

और संस्थानों द्वारा आयोजित मानवाधिकारों और अन्य संबंधित मुद्दों पर 18 सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। एनएचआरसी ने संस्थानों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कैप्सूल को जारी रखा है। कुल 1800 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) प्रदान किया गया। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, एनएचआरसी जुलाई, 2020 से ऑनलाइन अल्पावधि इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान दिनांक 31.12.2022 तक, एनएचआरसी ने अप्रैल, जून, अगस्त और अक्तूबर के महीनों में 4 ऑनलाइन अल्पावधि इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें कुल 286 छात्र इंटर्न ने भाग लिया और एनएचआरसी के साथ अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की। समूह अनुसंधान, परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता जैसी व्यावहारिक गतिविधियां आयोजित की गईं और विजेता छात्रों को नकद पुरस्कार/पुस्तकें और प्रमाण पत्र दिए गए तथा उन्हें एनजीओ आशाकिरण, तिहाड़ जेल, एनसीडब्ल्यू और डिफेंस कॉलोनी एवं हौजखास, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का दौरा कराया गया।

5.17 एनएचआरसी ने एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें यूजी/पीजी छात्रों को 15 दिन के लिए एनएचआरसी के साथ अटैच किया जाता है। दिनांक 5–19 अगस्त, 2022 तक 11 छात्रों को एनएचआरसी के साथ अटैच किया गया था। छात्रों को एनएचआरसी के कामकाज से अवगत कराया गया। इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना 2022–2023 के अनुसार, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिनांक 30.09.2022 और 29.12.2022 को दो जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः 60 और 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 30.09.2022 को आयोजित कार्यक्रम का विषय 'जेंडर संबंधी मुद्दे तथा महिलाओं एवं पुरुषों की असुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना' था। दिनांक 29.12.2022 को कार्यक्रम के दौरान "जेंडर और मानवाधिकार" विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया और इसके परिणामों के आधार पर शीर्ष चार अधिकारियों को पुस्तक देकर पुरस्कृत किया गया।

5.18 एनएचआरसी ने दिसंबर, 2022 तक विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए 15 अर्धदिवसीय/एक दिवसीय दौरों का आयोजन किया। लगभग 510 छात्रों/फैकल्टी/अधिकारियों को मानवाधिकार जागरूकता पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान दिया गया।

5.19 एनएचआरसी ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला को दिनांक 28–30 अक्टूबर, 2022 के दौरान मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 5,00,000/– की अग्रिम राशि जारी की। एनएचआरसी ने जेवियर लॉ स्कूल, एक्सआईएम यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा को दिनांक 16–18 दिसंबर, 2022 के दौरान इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 2,12,500/– रुपये की अग्रिम राशि जारी की।

मानव अधिकारों के मुद्दों पर पुस्तकों/पुस्तिकाओं का प्रकाशन

5.20 एनएचआरसी द्वारा दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि में निम्नलिखित पुस्तकों का मुद्रण किया गया है:

(क) मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।

(ख) संयुक्त विधान, निर्णय और योजनाएं, एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन।

(ग) महिलाओं पर यौन हमले के मामले में वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और प्रसंस्करण पर एसओपी।

(घ) एनएचआरसी हिंदी पत्रिका – मानव अधिकारः नई दिशाएं। (अंक 19, वर्ष 2022)

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका, 2022 (अंक 21)

एनएचआरसी स्थापना दिवस

5.21 एनएचआरसी प्रति वर्ष 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2022 में भी, एनएचआरसी ने दिनांक 12.10.2022 को भीम ऑडिटोरियम, डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे।

मानव अधिकार दिवस

5.22 एनएचआरसी प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाता है। वर्ष 2022 में, मानवाधिकार दिवस दिनांक 10.12.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। भारत की माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं।

सांप्रदायिक सौहार्द

5.23 केंद्र सरकार द्वारा जारी सांप्रदायिक सद्भाव दिशानिर्देशों के तहत अन्य बातों के साथ–साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संभावित साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और समय से पहले कार्रवाई करने के लिए उचित सतर्कता बरतना, सुविचारित योजना बनाना और तैयारी के उपाय करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सजग बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों को समय–समय पर दोहराया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उनके अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में समय–समय पर आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, एडवाइजरी जारी करने जैसे विभिन्न उपाय समय–समय पर करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर, विशेष तौर पर ऐसी हालात से निपटने के लिए गठित की गई "कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स" सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करती है।

5.24 दिनांक 31.10.2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए, सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी निर्देश जारी किए गए थे।

5.25 प्रतिवर्ष की भांति, इस वर्ष भी, एकता दिवस के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात में एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने भाग लिया। पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का संदेश और राष्ट्रीय एकता एवं आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के प्रसार के उद्देश्य से, देश के 750 जिलों में 75,000 यूनिटी रन भी आयोजित किए गए, जिनमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। विशेष पहल के रूप में, देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सीएपीएफ और सीपीओ की विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों में बाइक रैली, एकता दौड़, एकता श्रृंखला आदि जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन

5.26 गृह मंत्रालय के तहत "राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच)" एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता, जातिवाद, नस्लीय या आतंकी हिंसा के कारण अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं के पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है।

5.27 फाउंडेशन ने दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया:

(क) **प्रोजेक्ट 'असिस्ट':** यह फाउंडेशन की प्रमुख स्कीम है, जिसके तहत पूरे देश में सांप्रदायिक,

जातिवादी, नस्लीय या आतंकवादी हिंसा के शिकार बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, 1.43 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए 888 मामलों को मंजूरी दी गई थी।

(ख) **'सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस–2022:** फाउंडेशन ने दिनांक 19.11.2022 से 25.11.2022 तक देश भर के विभिन्न हितधारकों और भागीदारों के सहयोग से सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया। इस दौरान दिनांक 25.11.2022 को झंडा दिवस मनाया गया। सप्ताह मनाने के लिए, लगभग 1.19 लाख संस्थानों को प्रचार सामग्री भेजी गई थी।

(ग) **विस्तार गतिविधियाँ:** फाउंडेशन ने निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

i. एनएफसीएच ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए बेगमपुर हाई स्कूल, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में दिनांक 10.07.2022 से 12.07.2022 तक प्रोजेक्ट 'रीच' के तहत एक स्कूल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पश्चिम बंगाल स्थित संगठन 'पीपुल्स पार्टिसिपेशन' को सहायता प्रदान की।

ii. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट 'असिस्ट' के अंतर्गत सीएसआर के तहत असम और मणिपुर राज्यों में 638 बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 22.07.2022 को गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 1.02 करोड़ रुपये के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

iii. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सुधा– ओडिशा स्थित एक संगठन, के सहयोग से दिनांक 31.07.2022 को पुरी, ओडिशा में स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।

iv. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए बेगमपुर हाई स्कूल, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में दिनांक 10.08.2022 से 15.08.2022 तक प्रोजेक्ट 'रीच' के तहत एक स्कूल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पश्चिम बंगाल स्थित संगठन 'पीपुल्स पार्टिसिपेशन' को सहायता प्रदान की।

v. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के अधिकारियों ने कश्मीर में प्रोजेक्ट "असिस्ट" के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 07.09.2022 से 09.09.2022 तक कश्मीर के जिला उपायुक्तों के साथ जम्मू–कश्मीर का दौरा किया।

vi. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने एसएमआईटी, सिक्किम के सहयोग से दिनांक 21.09.2022 से 22.09.2022 तक 'राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव और सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए इंटरफेथ कन्वेंशन' नामक दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

vii. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के सहयोग से दिनांक 21.09.2022 से 23.09.2022 तक विश्वविद्यालय परिसर, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर में 03 दिवसीय तरंग–युवा महोत्सव का आयोजन किया।

viii. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन

(एनएफसीएच) ने दिनांक 13.10.2022 से 15.10.2022 तक मणिपुर के सेनापति और कांगपकोई जिलों में प्रोजेक्ट 'असिस्ट' के तहत बाल पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी कार्यान्वयन की समीक्षा की।

ix. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) ने एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे के सहयोग से दिनांक 16.11.2022 से 20.11.2022 तक एमआईटी–डबल्यूपीयू, कोथरुड परिसर, पुणे महाराष्ट्र में "नो माई इंडिया प्रोग्राम 2022" का आयोजन किया।

x राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) ने क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से दिनांक 17.11.2022 को होसुर परिसर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में एक दिवसीय 'संगीत से सद्भाव - म्यूजिक फॉर हार्मनी' कार्यक्रम का आयोजन किया।

xi. नेशनल फाउंडेशन फॉर सांप्रदायिक सद्भाव (एनएफसीएच) ने एएसएन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मयूर विहार, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 22.11.2022 से 23.11.2022 तक दो दिवसीय 'संगीत से सद्भाव – म्यूजिक फॉर हार्मनी' कार्यक्रम का आयोजन किया।

*****

अध्याय - 6
संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

6.1 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) आठ हैं, जिनके नाम अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (एएंडएनआई), चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएचएंडडीडी), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) और पुदुचेरी हैं। इन आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से, तीन संघ राज्य क्षेत्र यथा जम्मू एवं कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में विधानमंडल हैं और शेष पांच संघ राज्य क्षेत्र बिना विधानमंडल वाले हैं।

6.2 जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अध्याय–14 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। यहां इस अध्याय में, शेष छह संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में नीचे बताया गया है।

6.3 छह संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना)
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	603	5,86,956
4.	लक्षद्वीप	32	64,429
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
6.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	**10,960**	**2,00,83,714**

6.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए छह संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5763.65
2.	चंडीगढ़	5779.12
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3781.10
4.	लक्षद्वीप	1421.50

5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1168.00*
6.	पुदुचेरी	1729.79**

(स्रोतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

* दिल्ली को अंतरित

** पुदुचेरी को अंतरित

संवैधानिक स्थिति

6.5 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के तहत चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय (एमएचए) विधायन, वित्त और बजट, सेवाओं तथा उपराज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

6.6 प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में, प्रशासकों को उपराज्यपालों (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के रूप में पदनामित किया गया है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

6.7 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (एएंडएनआई) *बंगाल* की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपसमूह–मंडल प्रणाली है, जिसमें लगभग 836 द्वीप, चट्टानें तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। ये द्वीपसमूह *कोलकाता* से 1,255 किमी. तथा *चेन्नई* से 1190 किमी. दूर स्थित हैं। मूल रूप से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियां हैं, यथा *ग्रेट अंडमानीज, ओंगेस, जार्वास, सेंटीनेलीज, शोम्पेंस* तथा *निकोबारीज*। *निकोबारीज* को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.8 वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

(क) कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इन द्वीपों में 70 जलयानों को तैनात किया गया है। इस पूरे द्वीपसमूह में जलयान की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति की तर्ज पर मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा निर्मित एक 500 यात्री वाले पोत एमवी *सिंधु* को पहले ही वर्ष 2021 में सेवा में शामिल किया गया है। 500 यात्री वाले एक और पोत एमवी *नालंदा* को दिनांक 27.10.2022 को सेवा में शामिल किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 1200 यात्री वाले दो पोतों का निर्माण किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एमवी *राजहंस* तथा एमवी नारकोंडम के प्रतिस्थापन के रूप में 02 तेज गति वाले क्राफ्ट पोत के अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी है। बड़े जलयानों को समायोजित करने के लिए मौजूदा ड्राई–डॉक का भी 90 मीटर और विस्तार किया गया है, जो दिनांक 30.06.2023 तक तैयार हो जाएगा।

(ख) स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों की खरीद की गई और इनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 21.09.2022 से शुरू किया गया।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 127 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सभी प्रमुख आबादी वाले द्वीपों में लगभग 1.46 लाख घरों को

चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है।

(घ) *भारत नेट* के अंतर्गत, भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा 336 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई है। 63 स्थानों पर बिजली पहुंच गई है और सेवा शुरू करने के लिए तैयार है।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सभी 03 जिलों में *प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना* (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत 10 *जनऔषधि केन्द्र* खोलने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(च) ई *संजीवनी* एप पर उपलब्ध चिकित्सक से सीधे परामर्श लेने के लिए सभी 03 जिलों में स्थित 10 स्वास्थ्य संस्थानों में ई *संजीवनी* एप्लिकेशन के माध्यम से टेलिमेडिसिन परामर्श सेवाओं की शुरुआत की गई है।

(छ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने राष्ट्रीय परियोजना निगरानी यूनिट, *दीक्षा* के सहयोग से *दीक्षा* पोर्टल पर कक्षा VI से X तक के छात्रों के लिए गणित और विज्ञान में माइक्रो लर्निंग पैकेज की शुरुआत की है।

(ज) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कार्यान्वयन के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में दक्षिण अंडमान जिले के 45 सैंपल विद्यालयों में फाउंडेशन लर्निंग स्टडी (एफएलएस) का आयोजन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र के सभी विद्यालयों में ग्रेड–I में दिनांक 01.09.2022 से एक त्रैमासिक विद्यालय तैयारी माड्यूल *'विद्या प्रवेश'* का कार्यान्वयन किया गया।

(झ) सेल्युलर जेल के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और सेल्युलर जेल में "लाइट एवं साउंड शो" के स्तरोन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

(ञ) वनों में, सरकारी भूमि पर और सड़क के किनारे पौधारोपण के लिए कुल 15,69,896 बीजों का रोपण किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान (दिनांक 31.12.2022 तक) पूरे संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 2,60,996 फलदार बीजों का रोपण किया गया।

(ट) वर्ष 2022–23 के दौरान दिनांक 31.12.2022 तक अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का कुल मछली उत्पादन 34,840 मीट्रिक टन है। वर्ष 2022–23 के दौरान (दिनांक 31.12.2022 तक), 2,472 मीट्रिक टन मछली और मत्स्य उत्पाद मुख्य भूमि में भेजे गए।

(ठ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 67.023 किमी. सड़क का निर्माण कर लिया गया है और 21.205 किमी. सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अंडमान ट्रंक रोड को 33 किमी. डबल लेन का बनाने और 64.4 किमी. सिंगल लेन का बनाने का कार्य ब्लैकटॉपिंग के साथ पूरा कर लिया गया। ब्लैकटॉपिंग के साथ 144.5 किमी. की इंटरमीडिएट लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 86.5 किमी. पर कार्य चल रहा है।

(ड) *जल जीवन मिशन* के अंतर्गत 100% चालू घरेलू नल के कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 41.054 किमी. जलापूर्ति पाइप लाइन बिछाई गई है और 08 शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है।

(ढ) 425 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है और इससे 3.7 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है।

(ण) *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* (पीएमयूवाई) के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की महिलाओं को 12,925 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(त) "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" स्कीम के अंतर्गत, सभी उचित मूल्य की दुकानों में बायोमेट्रिक समर्थित "ई–पीओएस उपकरण" लगाए गए हैं।

(थ) *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2022 तक 96% खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है।

(द) *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत, *खरीफ* 2022–23 में 496 किसानों का नामांकन किया गया है।

(ध) उर्वरकों के डिजिटल भुगतान हेतु, 49 उप–डिपो में कॉर्डलेस स्वाइप मशीन लगाई गई हैं और सभी 51 उप–डिपो में क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की गई है।

(न) *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि* (पीएम–किसान) के अंतर्गत, 17,619 किसानों का पंजीकरण किया गया है और 15,078 किसान इसके पात्र हैं। किसानों को दिनांक 31.12.2022 तक 12 किस्तों में 37.20 करोड़ रुपये का संवितरण कर दिया गया है। डिजिटल रूप से रखे जाने वाले भूमि अभिलेखों में 11,220 पीएम–*किसान* लाभार्थियों के भूमि के ब्यौरे को अद्यतन किया गया।

(प) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के 38 स्टार्टअप्स की पहचान की गई है।

(फ) री–स्टॉकिंग कार्यक्रम के भाग के रूप में *जारवा* जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के भीतर 8 अंडमान जंगली सूअर (सूस स्क्रोफा अंडमानेंसिस) छोड़े गए, ताकि *जारवा* जनजाति के लिए प्राकृतिक खाद्य संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

(ब) दिनांक 17.09.2022 को, संघ राज्य क्षेत्र को भारत का 'पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश' घोषित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र में, सभी गांवों ने *हर घर जल* प्रमाणन प्राप्त किया है और उन्हें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र को *स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण* 2022 में छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है और इस संघ राज्य क्षेत्र के दक्षिण अंडमान जिले को संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में समग्र शीर्ष जिलों में पहला स्थान दिया गया है।

(भ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 79 वर्ष से कम आयु के 12,920 वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के 1177 वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2022 तक 6,049 विधवाओं, 1712 निराश्रित महिलाओं एवं 3,531 दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) को ई–जिला पोर्टल के माध्यम से 2,500 रुपये पेंशन प्रदान की गई है।

(म) *प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना* (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत दिनांक 31.12.2022 तक कुल 1008 के लक्ष्य में से, 775 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

(य) गृह मंत्रालय की तटीय सुरक्षा योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, 06 समुद्री पुलिस परिचालन केंद्रों (पूर्वी द्वीप, एरियल बे, कदमतला, चैथम, नानकौरी और कैंपबेल बे) का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष चार समुद्री पुलिस परिचालन केंद्र (स्वराजद्वीप, इंटरव्यू द्वीप, फोंग्यबालू और हट बे) का निर्माण किया जा रहा है।

(र) *आजादी का अमृत महोत्सव* के भाग के रूप में दिनांक 13.08.2022 से 15.08.2022 तक *'हर घर तिरंगा'* अभियान का आयोजन किया गया।

चंडीगढ़

6.9 चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल" को देश के सबसे अधिक हरे–भरे, सुरक्षित और सर्वोत्तम–योजनाबद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। आईएसएफआर रिपोर्ट–2021 के अनुसार, चंडीगढ़ ने वन और हरित आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.05% संरक्षित किया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं/सेवाओं के उन्नयन के लिए कई गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू की हैं।

6.10 **वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

(क) चंडीगढ़ की स्वास्थ्य अवसंरचना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी)– स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी), शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी), सिविल औषधालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ तीन स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है। जिला अस्पतालों– सरकारी मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पताल (जीएमएसएच), सेक्टर 16, उप जिला अस्पताल (एसडीएच) मनीमाजरा, यूसीएचसी (यूसीएचसी – सेक्टर 22, यूसीएचसी सेक्टर 45) तथा ईएसआई अस्पताल रामदरबार द्वारा द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल और 1 चिकित्सा कॉलेज (जीएमसीएच–32) तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) द्वारा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर 32, चंडीगढ़ में दिनांक 31.12.2022 तक 10,077 मरीजों ने निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त किया है।

(ग) सभी सरकारी विद्यालयों में जुलाई 2022 से विद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई। बच्चों के अनुसार आंकड़ों को एकत्र किया गया है, छात्रों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है और इसकी सहायता से पूरे विद्यालयी जीवन–चक्र के दौरान बच्चे की निगरानी की जा सकती है।

(घ) प्रौद्योगिकी की मदद से शिक्षण के लिए 89 सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक स्मार्ट क्लासरूम (माइक्रो कंप्यूटर के साथ 65 इंच के इंटरएक्टिव पैनल) की स्थापना की गई है।

(ङ) युवाओं के मन की जिज्ञासा, ऊर्जा और कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए "किलकारी" परियोजना शुरू की गई है।

(च) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के सभी विद्यालयों में हरित वाटिका 'किचन गार्डन' शुरू किए गए हैं। दिनांक 01.07.2022 से पीएम पोषण योजना (एमडीएम) के अंतर्गत 08 नए विद्यालय आधारित क्लस्टर किचन शुरू किए गए हैं। ये नए क्लस्टर किचन संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के 44 विद्यालयों के लगभग 26194 बच्चों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार कर रहे हैं और उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

(छ) "फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम–II) स्कीम" के अंतर्गत, 80 इलेक्ट्रिक बसों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है और शेष 40 वॉल्वो आयशर बसों का भी वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। संविदा करार की कुल अवधि 10 वर्ष है।

(ज) दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, कुल 6.502 एमडब्ल्यूपी क्षमता का सोलर रूफटॉप फोटो वोल्टिक (एसपीवी) पावर प्लांट स्थापित किया गया। इसके

अलावा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने 38.37 मिलियन यूनिट (एमयू) सौर ऊर्जा (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) पैदा की है, जिससे सीओ2 के उत्सर्जन में 26475 मीट्रिक टन की कमी आई है।

(झ) डीबीटी के अंतर्गत कुल 63 स्कीमें (28 एसएसएस+35 सीएसएस) हैं। पीएफएमएस *आधार* आधारित डीबीटी के माध्यम से कुल 2.90 लाख लाभार्थियों को 65.99 करोड़ रुपये (100%) की राशि अंतरित की गई (दिनांक 31.12.2022 तक)।

(ञ) दिनांक 31.12.2022 तक *प्रधानमंत्री जन धन योजना* के अंतर्गत 3.03 लाख लाभार्थी, पीएम *जीवन ज्योति बीमा योजना* के अंतर्गत 1,28,888 लाभार्थी, पीएम *सुरक्षा बीमा योजना* के अंतर्गत 3,72,985 लाभार्थी और *अटल पेंशन योजना* के अंतर्गत 55,287 लाभार्थी हैं।

(ट) "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए, चिह्नित 1142 नियामक अनुपालन में से, 994 नियामक अनुपालन को समाप्त कर दिया गया है।

(ठ) माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुसार उद्यमियों/स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में उद्यमी विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) की स्थापना की है और उद्यमियों/स्टार्टअप्स के लिए सह–कार्यस्थल का शुभारंभ किया है।

(ड) संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग ने https://chandigarhtourism.gov.in की एक वेबसाइट शुरू की है, जिसमें फिल्म शूटिंग के स्थान की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन, ऑनलाइन एनओसी, पियरे जेनेरेट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जाने की अनुमति और चंडीगढ़ से संबंधित अन्य जानकारी की सुविधा है।

(ढ) सरकारी अधिकारियों में मौजूदा प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.12.2022 तक, कुल 10,978 कर्मचारियों ने अपना पंजीकरण कराया है और 7,490 ने सफलतापूर्वक आईसीटी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(ण) श्री *अमित शाह,* माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2022 को चंडीगढ़ के सेक्टर–17 में "एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी)" का उद्घाटन किया। इस परियोजना के अंतर्गत, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) को शामिल करते हुए यातायात वाली जगहों (जंक्शनों) की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। अनुकूलनीय (एडैप्टिव) यातायात नियंत्रण प्रणाली (एटीसीएस) शहर के यातायात की स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी करेगी और सिग्नल के समय में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करेगी।

(त) अनुसूचित जाति समुदाय की उन विधवाओं/निराश्रित महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 20000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी पारिवारिक आय 24000/– रुपये प्रति वर्ष तक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिनके पास मोटर चालित वाहन हैं और वे पेट्रोल/डीजल की खरीद पर 40 लीटर प्रति माह तक के वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए सहायक उपस्कर/उपकरण खरीदने

के लिए 40,000/— रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। 10228 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन की योजना के अंतर्गत, 7,174 लाभार्थियों को विधवा पेंशन मिल रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की स्कीम के अंतर्गत, 3,800 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है।

(थ) 'अपनी बेटी अपना धन' स्कीम का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विषम महिला—पुरूष अनुपात में सुधार करना है। इस स्कीम में, ऐसे माता—पिता, जिनकी वार्षिक आय 60,000/— रुपये तक है, के लिए बच्चे के कैरियर प्लान में बालिका के नाम पर 5000/— रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। दिनांक 31.12.2022 तक, 202 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है।

(द) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अंतर्गत, 450 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और दिनांक 31.12.2022 तक 06 माह से लेकर 06 वर्ष की आयु वर्ग के 42,235 बच्चों, 7,310 गर्भवती महिलाओं और पोषण कराने वाली (नर्सिंग) माताओं को नामांकित किया गया है।

(ध) संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और बालिकाओं को बचाने के लिए, ''हमारी बेटी योजना'' शुरू की गई है और दिनांक 31.10.2022 तक 65 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है।

(न) वर्ष 2022—2023 के दौरान दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक, चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम ने समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष ऋण और राष्ट्रीय दिव्यांग जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्कीम के अंतर्गत, कुल 25 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया है। *स्वावलम्बन* स्कीम के अंतर्गत 467 अभ्यर्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वन स्टॉप सेंटर (सखी) के प्रयास से 27 लापता महिलाओं को उनके राज्यों में पहुंचाया गया है।

(प) खाद्यान्न के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत, 67,765 परिवार (2.94 लाख सदस्य) प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लिए प्रति सदस्य प्रति माह 140.43/— रुपये की दर से और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लिए प्रति परिवार प्रति माह 983.01/— रुपये की दर से इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(फ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के अनुसार, दिनांक 01.07.2022 से चिह्नित एकल—उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है।

(ब) आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ "हर घर तिरंगा" का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

6.11 अनुच्छेद 239कक को शामिल करके 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के पारित होने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली अस्तित्व में आया। इसकी सत्तर सदस्यों वाली एक विधान सभा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल ग्यारह राजस्व जिले हैं।

दिल्ली पुलिस

6.12 दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत नफरी 94,255 कार्मिकों की है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 18 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त

पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 107 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंज, 15 जिलों और 225 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है, जिसमें हाल ही में स्वीकृत/अधिसूचित 15 साइबर पुलिस स्टेशन और 01 प्रादेशिक पुलिस स्टेशन *कर्तव्य पथ* (सेंट्रल विस्टा) शामिल हैं। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने, आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

बजट

6.13 पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23
राजस्व खंड	9808.39
पूंजी खंड	546.90
कुल	10355.29

6.14 **वर्ष 2022–23 के दौरान दिल्ली पुलिस की प्रमुख उपलब्धियां**

(क) कुल आईपीसी अपराधों के प्रतिशत के रूप में, कुल जघन्य अपराध वर्ष 2016 में 3.93% से घटकर वर्ष 2020 में 2.16%, वर्ष 2021 में 1.96% और वर्ष 2022 में (दिनांक 31.12.2022 तक) 1.75% हो गए। डकैती, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में भी क्रमशः 30.77%, 12.50% और 58.82% की कमी आई है। 'ऑपरेशन *मिलाप*' के अंतर्गत (दिनांक 31.12.2022 तक), कुल 6,845 लापता बच्चों का पता लगाया गया और उन्हें फिर से उनके परिवार से मिलाया गया।

(ख) दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना, जो भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है, लागू की गई है। सीसीटीएनएस एप्लिकेशनों का एकीकरण दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के विभिन्न एप्लिकेशनों के साथ किया गया है, जिसमें इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) शामिल है, जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों जैसे कि पुलिस, न्यायालय, कारागार, अभियोजन और फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एफएसएल) के एकीकरण के लिए है।

(ग) ई–बीट बुक प्रणाली ने पारंपरिक पेपर बीट बुक का स्थान ले लिया है और इससे दिल्ली पुलिस के सीसीटीएनएस, जिपनेट, डोजियर ऑफ क्रिमिनल्स, ईआरएसएस–112 और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से रियल टाइम आंकड़े प्राप्त हो रहे है। यह जेल से/जमानत पर रिहा अपराधियों, दुश्चरित्र व्यक्तियों और किरायेदार–नौकर के सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करती है। दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों में दिनांक 01.10.2020 को ई–बीट बुक प्रणाली शुरू की गई थी।

(घ) सार्वजनिक शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने दिनांक 08.11.2021 से एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की है। आईसीएमएस के शुरु होने के बाद से, दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों/पुलिस स्टेशनों में आईसीएमएस में कुल 11,06,797 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से दिनांक 31.12.2022

तक 8,58,876 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

(ङ) पुलिस प्रशिक्षण स्कूल–I (पीटीएस)–I/झड़ौदा कलां का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने दिनांक 14.09.2022 को इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 12 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं तथा 01 परियोजना अर्थात पुलिस चौकी सादिक नगर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

(च) ई–चालान संस्करण 2.7 में "टो अवे ऐप" दिनांक 18.06.2022 को जारी किया गया है, ताकि वाहन मालिकों को यातायात पुलिस द्वारा उनके वाहनों को ले जाए जाने के बारे में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा सके।

(छ) दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस के 99.00% कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक, 98.48% को दूसरी खुराक, 76.16% को तीसरी खुराक (एहतियाती खुराक) दी जा चुकी है और उनके परिवार के 85.26% सदस्यों को टीका लगाया जा चुका है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

6.15 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच एंड डीडी) संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तथा गुजरात के वलसाड जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले से घिरा हुआ है।

6.16 वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- इस अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की गई हैं:
  - शहीद चौक से अथाल–नरोली प्रवेश द्वार (9 किमी.) तक सिलवासा नरोली रोड पर वर्षा जल की नालियों के उन्नयन, जनोपयोगी सेवाओं के प्रबंधन और लैंडस्केपिंग कार्यों सहित सड़कों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण।
  - दमन जिले में देवका समुद्र तट एवं सी फ्रंट रोड का 0/0 से 6/380 किमी. तक सौंदर्यीकरण कार्य।
  - दमन जिले के एनएच 848 बी पर पटलिया कॉजवे में कोलक नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण।
  - दादरा और नगर हवेली जिले में सब्जी मंडी का निर्माण।
  - दमन में खेल परिसर के साथ बंदोदकर स्टेडियम का निर्माण ।
  - नानी दमन एवं मोती दमन और जेटी (समुद्र नारायण घाट) में जेटी क्षेत्र के पास डायाफ्राम दीवार के साथ सुरक्षा कार्य के लिए परियोजना।
  - नानी दमन में छपली शेरी से देवका समुद्र तट से प्रिंसेस पार्क तक सी फ्रंट रोड के विस्तार का कार्य।
  - दादरा और नगर हवेली जिले में सायली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट स्टेडियम (चरण–1) का निर्माण।
- शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए छात्राओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति, कक्षा I से XII तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण और कक्षा–आठवीं की छात्राओं को साइकिल के निःशुल्क वितरण आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान 100% संस्थागत प्रसव हुए।

- संघ राज्य क्षेत्र में सभी 90 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को कार्यात्मक बना दिया गया है। शेष 10 केंद्रों का स्तरोन्नयन किया गया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 14 सुविधाओं के लक्ष्य की तुलना में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) के अंतर्गत एचडब्ल्यूसी सहित 38 स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिसूचित किया गया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नामक स्कीम के अंतर्गत, 2,867 लाभार्थियों को तीन किस्तों में 5,000/– रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
- डिकरी विकास स्कीम के अंतर्गत 1,110 बालिकाओं के लिए 42,372 रुपये की एलआईसी पॉलिसी बनाई गई है।
- परिपक्व माता नियोजित बाल योजना के अंतर्गत, उन 980 माताओं को 10,000/– रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया गया है, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और अगली गर्भावस्था के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल रखा।
- एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत, 14,538 बच्चों (06 माह से 03 वर्ष) और 8,921 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया गया है।
- दादरा और नगर हवेली जिले में 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
- कुल 5.71 लाख की पात्र जनसंख्या में से, संघ राज्य क्षेत्र में पड़ोसी जिलों के प्रवासी मजदूरों सहित 6.6 लाख लोगों का कोविड–19 टीकाकरण किया गया है।
- संघ राज्य क्षेत्र की पेंशन स्कीम से 28,933 लाभार्थी लाभान्वित हुए, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और दिव्यांगों को वित्तीय सहायता शामिल है।
- दिनांक 31.12.2022 तक, पीएम जन धन योजना के अंतर्गत 2.21 लाख खाते; पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 1,01,588 खाते और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1,74,327 खाते खोले गए हैं।
- सार्वजनिक वितरण योजना के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र में "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना" लागू की जा रही है । आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अपने मौजूदा राशन कार्डों का उपयोग करके पात्र खाद्यान्न लेने के लिए कुल 58,382 लेनदेन (माइग्रेटेड लाभार्थियों सहित) किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई चरण–V) के अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 5 किग्रा. खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। 96% लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसी तरह, चरण VI में, 87.82% लाभार्थी और चरण–VII में, 98.93% लाभार्थी कवर किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, इस स्कीम की शुरुआत के बाद से 18,288 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत, 1,876 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) नामक स्कीम के अंतर्गत, 3,048 घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, 10,141 घरों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 7,363 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

- कोविड–19 से मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों के 506 परिवारों को कोविड–19 के अंतर्गत अनुग्रह राशि (50,000/– रुपये) का भुगतान (डीबीटी के माध्यम से) किया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत, दादरा और नगर हवेली तथा दमन जिलों में 1068 एचटी/ईएचटी उद्योगों ने 76.17 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सोलर रूफ टॉप स्थापित और चालू किए हैं।
- उजाला स्कीम के अंतर्गत, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में दिसंबर, 2022 तक 4.72 लाख एलईडी बल्ब, 42,323 एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा की बचत करने वाले 5,578 पंखे बेचे गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत फसल की समुचित सेहत सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों की खरीद हेतु 15,031 किसानों को तीन किस्तों में 6000/– रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी गई। 281 किसान पीएम किसान मान धन योजना और 1967 किसान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं। 2911 किसानों को एकीकृत कृषि विकास योजनाओं जैसे कि बीज, उर्वरक, बागवानी पौधों आदि के वितरण के तहत कवर किया गया है।
- विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के माननीय प्रशासक ने नागोआ समुद्र तट टेंट सिटी, दीव में 81 नवनिर्मित भव्य टेंटों का उद्घाटन किया।
- संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 11.06.2022 को दीव जिले में परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 11.06.2022 को निम्नलिखित परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया:
    - पेंसाओ बेरिया मार का एक विरासत होटल के रूप में और दीव जिले में एक मल्टी फेसिलिटी सेंटर।
    - दीव किले के बाहर सार्वजनिक प्लाजा।
    - सेंट थॉमस चर्च का संरक्षण और जीर्णोद्धार तथा बीएल विद्यालय (पानी बाई विद्यालय) का प्रदर्शन कला प्रशिक्षण अकादमी के रूप में अनुकूलनीय पुनः उपयोग।
    - पानी कोठा का संरक्षण और जीर्णोद्धार।
    - जेठीबाई बस टर्मिनल और पुराने मछली बाजार के क्षेत्र का विकास।
    - दीव से घोघला तक केबल कार।
- माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 8 और 9 मई, 2022 को संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान, उन्होंने दमन जिले में भव्य 'उन्नति ग्राहक उत्पाद एक्सपो/बिक्री' का उद्घाटन किया और नई निवेश प्रोत्साहन योजना–2022, श्रम कल्याण ऐप तथा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।
- संघ राज्य क्षेत्र ने एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय, सिलवासा में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के माननीय प्रशासक की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2022 को बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, सभी तीनों जिलों में "सरस्वती विद्या

योजना" के अंतर्गत 7,323 साइकिलें वितरित की गईं तथा बधाई किट और गिर आदर्श आजीविका योजना नामक स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को अन्य लाभ दिए गए।

लक्षद्वीप

6.17 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है और यह भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) है। यहां कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किमी. की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। संघ राज्य क्षेत्र की समस्त देशी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कॉयर की रस्सियां बनाना है।

6.18 **वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

- पहले तेल टैंकर, एमटी थिलक्कम ने थोक पीओएल उत्पादों के परिवहन की सेवा शुरू की है।
- संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने 90% से अधिक कोविड–19 टीकाकरण को पूरा कर लिया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) के अंतर्गत, द्वीपसमूह में 97.69% लाभार्थियों को कवर करते हुए 73,182 स्वास्थ्य पहचान पत्र (आईडी) बनाए गए और 95.40% लाभार्थियों को कवर करते हुए 123 स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री/डिजि चिकित्सक भी बनाए गए।
- कावारत्ती में 20 बिस्तरों वाले दीनदयाल उपाध्याय आयुष अस्पताल ने काम करना शुरू कर दिया है।
- प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आठवीं कक्षा तक के 9,085 छात्रों को मध्याह्न भोजन (एमडीएम) प्रदान कर रहा है।
- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा किया है:
  - एलटीटीडी संयंत्र के लिए पंप हाउस के साथ 1,50,000 लीटर क्षमता का जल संग्रहण संप और नर्सरी स्कूल कीचरयाट, एंड्रोथ ।
  - इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) परिसर का प्रशासनिक ब्लॉक; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऑक्सीजन संयंत्र; कम तापमान वाले थर्मल विलवणीकरण (एलटीटीडी) संयंत्र का जल संग्रहण संप; कृषि प्रदर्शन इकाई और अमिनी में एलटीटीडी संयंत्र।
  - कल्पेनी में एलटीटीडी संयंत्र।
- कावारत्ती और मिनिकॉय में पीओएल आउटलेट ने काम करना शुरू कर दिया है और साथ ही एंड्रोथ तथा कल्पेनी में पीओएल आउटलेट के लिए भूमि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को सौंप दी गई है। एंड्रोथ, कदमत, अमिनी, बित्रा और मिनिकॉय में एलपीजी गोदाम को लंबी अवधि के पट्टे पर आईओसीएल को सौंप दिया गया है।
- प्रशासन ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक विकास योजना (एलएएनआईडीएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा, प्रशासन ने अपनी निर्यात क्षमता को साकार रूप देने के लिए एक कार्यनीति बनाने हेतु लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (यूटीएल) निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया है।
- संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में 20 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।

- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पशु स्वास्थ्य कवरेज कार्यकलापों जैसे कि समय पर टीकाकरण तथा पशु–पक्षियों के उपचार की सुविधा क्लिनिक पर और साथ ही किसान के घर के द्वार तक उपलब्ध करा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा लगभग 79,553 पक्षियों और 16,738 पशुओं का उपचार किया गया।

- बैंडविड्थ क्षमता को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.7 जीबीपीएस कर दिया गया है। इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से केरल एवं लक्षद्वीप के बीच कनेक्टिविटी के लिए 1048 करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिस पर बीएसएनएल और एनईसी कार्य कर रहे हैं और इसके वर्ष 2023 में चालू हो जाने की आशा है।

- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने ईआरएनईटी और इसरो की सहायता से अपना खुद का कैप्टिव सी–बैंड वीसैट आधारित नेटवर्क बनाया है। 10 बसे हुए द्वीपों में लगभग 100 एमबीपीएस की क्षमता इस्तेमाल हेतु लगा दी गई है।

- प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र ने ग्रामीण आवास का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

- चरणबद्ध तरीके से सभी परिवारों तक पहुंचने और स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करके उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.10.2022 तक द्वीपश्री नामक 324 एनएचजी का गठन किया गया है।

- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के चरण–VI के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार द्वारा छह महीने (अर्थात अप्रैल 2022–सितंबर 2022) के लिए आवंटित 654.210 मीट्रिक टन खाद्यान्न में से, सभी एनएफएसए लाभार्थियों को 593.17 (90.67%) मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसी तरह, पीएमजीकेएवाई के चरण–VII के अंतर्गत, सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक तीन महीने के लिए आवंटित 327.105 मीट्रिक टन चावल में से, संघ राज्य क्षेत्र ने सितंबर, 2022 के महीने के लिए 109.035 मीट्रिक टन चावल लिया और सभी लाभार्थियों को 87.230 मीट्रिक टन (80.01%) चावल का वितरण किया।

- लक्षद्वीप के हाजियों के लिए कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने हेतु संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लक्षद्वीप हज समिति को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है।

- पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत चल रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत, 6–36 महीने की आयु वर्ग के बच्चों को प्रति लाभार्थी 8.00/– रुपये प्रति दिन की दर से "टेक होम राशन" प्रदान किया जाता है, 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रति लाभार्थी 8.00/– रुपये प्रति दिन की दर से सुबह का नाश्ता/पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रति लाभार्थी 9.50/– रुपये प्रति दिन की दर से "टेक होम राशन" प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 4,489 लाभार्थी शामिल हैं।

- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2022 के लिए जीएसटी संग्रह के रूप में 17.94 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 11.08.2022 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के राजपत्र में "लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2022 का मसौदा" अधिसूचित किया है।

- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने विभागों के लिए जीईएम (जीईएम में उपलब्ध वस्तुओं के लिए) के माध्यम से खरीद करना अनिवार्य कर दिया है।

- बितरा गांव (द्वीप) पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय के सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- मिनिकॉय और कदमत द्वीप के थुंडी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण–पत्र मिला है और इसे ब्लू समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है, जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको–लेबल है।

पुदुचेरी

6.19 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से पृथक हैं।

6.20 **वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

- अरिकमडु में कुल 2846.70 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ 595.40 लाख रुपये की लागत से संग्रहालय और व्याख्या केंद्र का निर्माण किया गया है। यह केंद्र देशी–विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
- किरुममपक्कम झील का निर्माण 898.86 लाख रुपये की लागत से किया गया है।
- कुल 12 मेगावाट (एम डब्ल्यू) की क्षमता वाले रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित किए गए और उन्हें ग्रिड से जोड़ा गया। केबल परिवर्तन स्कीम के अंतर्गत, 89 लो टेंशन (एलटी) ओवरहेड सेवाओं को भूमिगत केबल प्रणाली में परिवर्तित किया गया।
- माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 13.09.2022 को पुदुचेरी में इनोवेशन हब का शुभारंभ किया।
- माननीय मुख्यमंत्री, पुदुचेरी, श्री एन. रंगासामी ने समकालीन कला दीर्घा का उद्घाटन किया, जिसमें स्वतंत्रता–पूर्व के दिनों से संबंधित प्रदर्शनीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस कला दीर्घा में समकालीन कलाकारों के योगदान का भी प्रदर्शन किया जाएगा और यह शहर के स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहित करेगी।
- 61 दिनों के प्रतिबंध की अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल और यानम क्षेत्र में 16,917 परिवारों को 9.30 करोड़ रुपये की प्रतिबंध राहत सहायता प्रदान की गई। 7,999 वृद्ध मछुआरों को 24.76 करोड़ रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई। 31 पंजीकृत यांत्रिक नौका संचालकों द्वारा अपनी नौकाओं का बीमा कराने हेतु भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 2.34 लाख रुपये की 75% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई।
- संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के 34,200 मछुआरे "मछुआरों के लिए बीमा" घटक के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
- सांबा ऋतु 2021–22 में धान की खेती करने वाले 5313 सामान्य किसानों को उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में 4.45 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
- "लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम–पुरस्कार 2019", पुदुचेरी बाजार समिति को ई–नाम–राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया।
- पुदुचेरी क्षेत्र में उत्तर–पूर्वी मानसून के कारण प्रभावित गन्ने और पपीते की फसलों के संबंध में 871 किसानों को 93.24 लाख रुपये की राहत सहायता प्रदान की गई और कराईकल क्षेत्र में 4,842 धान किसानों को 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में 30 सूचीबद्ध अस्पताल और 12 सार्वजनिक अस्पताल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2022 तक कुल 30,389 लाभार्थियों को लाभ मिला।

- माननीय मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन दस्तावेज जारी किया और वर्ष 2025 तक इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निवारक उपचार अभियान शुरू किया।

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में कोविड–19 टीकाकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

कोविड-19 टीकाकरण		
पहली खुराक	**दूसरी खुराक**	**एहतियाती खुराक**
9.94 लाख	8.67 लाख	4.11 लाख

- पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, सभी नगर पालिकाओं में 2,529 पथ–विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) की पहचान की गई है और 2,425 पथ–विक्रेताओं को पथ–विक्रय प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए हैं।

- प्रधानमंत्री आवास योजना नामक स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 975 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 4,249 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी ने 13,700 घरों के लक्ष्य की तुलना में लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत 14,216 घरों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान परिवारों को 72,000 रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) जारी किए गए। 6.70 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए, जिनमें से 5.85 लाख (87.31%) कार्य दिवस महिलाओं के लिए थे।

- 21,109 दिव्यांगों को 533.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण/उपस्कर वितरित किए जा रहे हैं।

- अनुसूचित जाति (एससी) की वधुओं के माता–पिता को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए, 266 परिवारों को 75,000/– रुपये प्रत्येक की दर से वित्तीय सहायता दी गई। अनुसूचित जाति (एससी) की 514 गरीब गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा विभिन्न लंबी बीमारियों से पीड़ित 1,814 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 3000/– रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति के 550 गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 504 परिवारों को 398.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गई।

*****

अध्याय - 7
पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

7.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, इस सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

7.2 यह सेवा 25 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की गई है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों की संख्या की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है।

7.3 दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या 4984 है और आईपीएस अधिकारियों की अधिकृत संख्या का राज्य–वार विभाजन **अनुलग्नक–IX** के अनुसार है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद, तेलंगाना

7.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसे भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और पुलिस संबंधी विषयों पर अनुसंधान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.5 बेसिक कोर्स भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किए गए नए अधिकारियों के लिए होता है और इसमें चरण–I का प्रशिक्षण (49 सप्ताह), जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (29 सप्ताह) तथा चरण–II का प्रशिक्षण (09 सप्ताह) शामिल है। चरण–I के प्रशिक्षण में, अन्य बातों के साथ–साथ, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स (सीएसडब्ल्यूटी), तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स, सीआरपीएफ तथा सेना के साथ एक–एक सप्ताह का अटैचमेंट, 2 सप्ताह का अध्ययन–सह–सांस्कृतिक दौरा (एससीसीटी), संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के साथ अटैचमेंट के लिए नई दिल्ली का दौरा (2 सप्ताह) तथा विभिन्न केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का दौरा शामिल है। चरण–I का समापन पासिंग आउट परेड के साथ होता है। चरण–I के प्रशिक्षण के बाद, प्रोबेशनर्स जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संवर्ग में जाते हैं। जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा होने पर, वे चरण–II के प्रशिक्षण के लिए वापस अकादमी में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के

साथ एक सप्ताह का अटैचमेंट और एक सप्ताह का विदेश दौरा भी शामिल है। चरण–।। का प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रोबेशनर्स फील्ड पोस्टिंग के लिए अपने संवर्ग में रिपोर्ट करेंगे।

बेसिक कोर्स में आंतरिक प्रशिक्षण और आउटडोर प्रशिक्षण शामिल है:

- **आंतरिक प्रशिक्षण:** आंतरिक प्रशिक्षण में दंड विधि, जांच, मानवाधिकार, अभिवृत्ति, आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था प्रबंधन और फॉरेंसिक्स पर सत्र शामिल हैं।
- **आउटडोर प्रशिक्षण:** आउटडोर प्रशिक्षण में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स, निःशस्त्र युद्ध (यूएसी), इक्विटेशन, स्कूबा डाइविंग, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से निपटना, उन्नत हथियारों, जंगल सर्वाइवल टैक्टिक्स, चट्टान पर चढ़ने (रॉक क्लाइंबिंग) तथा रीवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण शामिल है।

7.6 (i) भारतीय पुलिस सेवा के नियमित भर्ती (आरआर) के 74वें बैच के कुल 166 आईपीएस प्रोबेशनर्स चरण–I के प्रशिक्षण के लिए दिनांक 28.03.2022 को अकादमी में शामिल हुए। उनकी पासिंग आउट परेड दिनांक 11.02.2023 को आयेजित की गई। अकादमी में मित्र देशों यथा नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरीशस के कुल 29 प्रशिक्षु अधिकरियों को 74वें बैच के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जेंडर, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी प्रदान करने के लिए मॉड्यूल संचालित किए गए। क्लास रूम की जानकारी को फील्ड की वास्तविकताओं से जोड़ने के लिए हैदराबाद शहर में ग्रामीण और शहरी पुलिस स्टेशनों के नियमित दौरे के माध्यम से जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था संबंधी प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा के नियमित भर्ती के 75वें बैच के कुल 167 अधिकारी अपने बुनियादी प्रशिक्षण के लिए दिनांक 19.12.2022 को चरण–I के प्रशिक्षण हेतु अकादमी में शामिल हुए हैं।

(iii) मित्र देशों यथा नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरीशस के कुल 20 प्रशिक्षु अधिकारी भी 75 आरआर के साथ अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) 75 आरआर के कुल 187 प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

7.7 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तैंतीस पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1048 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन तैंतीस पाठ्यक्रमों में से, आठ सेवा–कालीन पाठ्यक्रम थे (शीघ्र विचारण और कुशल अभियोजन, पुलिस विभाग, कारागार विभाग, न्यायालयों तथा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय, पॉक्सो अधिनियम के 10 वर्ष, आर्थिक अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा सेमिनार, लापता एवं पीड़ित बच्चों के लिए पुलिस व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा)।

7.8 अकादमी ने निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए:

- आंतरिक (इन–हाउस) संकाय के कौशल को बढ़ाने के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम।
- अन्य एजेंसियों के अनुरोध पर अथवा अन्य विभागों अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, उच्चतम न्यायालय और मुख्य सतर्कता आयोग के कार्मिकों के लिए तेरह पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा प्रायोजित विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) तथा न्यायिक अधिकारियों, संसद सुरक्षा के अधिकारियों, सुरक्षा

कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम।

इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.9 भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के अनुसार, पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि के भीतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। अकादमी इन अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स (आईटीसी) नामक छह सप्ताह का कोर्स कराती है। 43वां इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स दिनांक 04.04.2022 से 13.05.2022 तक आयोजित किया गया। इस कोर्स में 111 अधिकारियों ने भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.10 भारतीय पुलिस (वेतन) नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण–III के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम स्केल (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V को पूरा करना अनिवार्य है।

7.11 अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) डा. त्रिनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली समिति (2008) द्वारा सुझाए गए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.12 अकादमी अपने "राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी)" के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक तथा सोशल मीडिया के विश्लेषण में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस केंद्र ने 32 पाठ्यक्रम संचालित किए और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) तथा स्टेकहोल्डरों के 1492 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें साइबर अपराधों की जांच तथा डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

7.13 अकादमी ने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया और अलग–अलग राज्यों की पुलिस यूनिटों तथा अकादमिक संस्थानों के साथ आईटी से संबंधित विषयों पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

स्पेशल टैक्टिक्स विंग (एसटीडब्ल्यू)

7.14 अवधि के दौरान स्पेशल टैक्टिक्स विंग द्वारा आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों (टैक्टिक्स पर 60वां पाठ्यक्रम, शहरी परिचालनों पर 16वां पाठ्यक्रम, बिहार पुलिस अकादमी में टैक्टिक्स पर 61वां पाठ्यक्रम तथा आतंकवाद के विरोध पर 9वां पाठ्यक्रम) में राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कुल 128 पुलिस अधिकारियों को स्पेशल टैक्टिक्स में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, स्पेशल टैक्टिक्स विंग ने 74 नियमित भर्ती (आरआर) के 199 प्रोबेशनर्स को विभिन्न टैक्टिकल विषयों अर्थात सैंड मॉड्यूल ब्रीफिंग, शहरी परिचालनों, विस्फोटक मॉड्यूल एवं जंगल मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया तथा 25 किमी. और 40 किमी. के रूट मार्चों सहित विभिन्न रूट मार्चों का भी आयोजन किया। स्पेशल टैक्टिक्स विंग ने 73 नियमित भर्ती (आरआर) के 123 आईपीएस प्रोबेशनर्स को उनके चरण–II के प्रशिक्षण के दौरान विशिष्ट इनपुट भी प्रदान किया।

7.15 स्पेशल टैक्टिक्स विंग द्वारा आतंकवाद रोध पर पाठ्यक्रम और विस्फोटक, आईईडी एवं विस्फोट के पश्चात की प्रक्रिया पर पाठ्यक्रम–16वां पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 59 पुलिस अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा, स्पेशल टैक्टिक्स विंग ने 74 नियमित भर्ती (आरआर) के 195 आईपीएस प्रोबेशनर्स के लिए अंतिम फील्डक्राफ्ट एवं टैक्टिक्स परीक्षा भी आयोजित की।

उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग, मेघालय

7.16 **उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी (नेपा)** की स्थापना डॉ. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता वाली "राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण समिति" की सिफारिश पर पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1978 में मेघालय के री–भोई जिले के उमसाव गांव में की गई थी। शुरू में इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में की गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के बनाए जाने के पश्चात, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के अधीन कर दिया गया। मई 1980 में अकादमी का नाम बदलकर उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी कर दिया गया और इसे दिनांक 01.04.2007 को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए, अकादमी में एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

प्रशिक्षण

7.17 नेपा को आठ पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले पुलिस उपाधीक्षकों और उप पुलिस निरीक्षकों के लिए बेसिक इंडक्शन कोर्स संचालित करने और पूरे देश के पुलिस कार्मिकों के लिए सेवाकालीन कोर्स तैयार एवं संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.18 नेपा ने असम के कुल 578 प्रशिक्षुओं के साथ दिनांक 19.04.2021 से 50वां बेसिक कोर्स आयोजित किया, जिसमें 400 उप निरीक्षक (पुरूष) और 178 उप निरीक्षक (महिला) शामिल हैं। नेपा की स्थापना के बाद इसके इतिहास में यह बैच बेसिक कोर्स का अब तक का सबसे बड़ा बैच था। 50वें बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड दिनांक 06.04.2022 को आयोजित की गई। असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में सलामी ली और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

7.19 51वां बेसिक कोर्स दिनांक 18.04.2022 से शुरू हुआ, जिसमें कुल 195 प्रशिक्षु अर्थात त्रिपुरा, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के 25 पुलिस उपाधीक्षक और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के 170 उप निरीक्षक शामिल हैं। इस कोर्स की पासिंग आउट परेड दिनांक 30.03.2023 को आयोजित की गई ।

7.20 कुल 402 प्रशिक्षुओं के साथ 52वां बेसिक कोर्स दिनांक 15.11.2022 से शुरू हुआ। इनमें से, 82 अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक हैं और 320 उप–निरीक्षक हैं। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कुल 320 उप–निरीक्षकों ने दिनांक 15.11.2022 को रिपोर्ट किया, असम और त्रिपुरा के 74 पुलिस उपाधीक्षकों ने दिनांक 28.11.2022 को रिपोर्ट किया तथा नागालैंड के 8 पुलिस उपाधीक्षकों ने दिनांक 21.12.2022 को रिपोर्ट किया और ये सभी 52वां बेसिक कोर्स कर रहे हैं।

7.21 विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों जैसेकि सेना, सीएपीएफ, सीपीओ, राज्य पुलिस, सीएफएसएल, एसएफएसएल, सीमा शुल्क, एनडीआरएफ, एनसीआरबी और कई अन्य संगठनों के अनेक अतिथि संकायों को बेसिक कोर्स के प्रशिक्षुओं के लिए सत्र लेने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।

सेवाकालीन/ऑनलाइन पाठ्यक्रम/वेबिनार

7.22 वर्ष 2022 के दौरान, नेपा (एनईपीए) ने 45 (पैंतालीस) ऑफलाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम और 45 (पैंतालीस) ऑनलाइन पाठ्यक्रम/वेबिनार निर्धारित किए हैं। अब तक 45 वेबिनार/ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1075 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 45 ऑफलाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कुल 1851 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पुरस्कार एवं पुलिस पदक

7.23 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:

(क) **"वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)"** अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस– 2022 के अवसर पर राज्य पुलिस/ सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को **347 पदक** प्रदान किए गए।

(ख) **"विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)"** पुलिस सेवा में अथवा केंद्रीय पुलिस/ सुरक्षा संगठनों में विशेष असाधारण रिकॉर्ड अथवा विशेष रूप से कठिन स्थिति में पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन की यूनिटों को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस–2022 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को **88 पदक** प्रदान किए गए।

(ग) **"सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)"** लम्बी सेवा अथवा सक्षमता एवं मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस– 2022 के अवसर पर राज्य पुलिस/ सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को **650 पदक** प्रदान किए गए।

(घ) **"अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक"** अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए राज्य / केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के **151 अधिकारियों** को **"अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक"** प्रदान किया गया।

(ङ) **"केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक"** उन ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनकी योजना उच्चकोटि की होती है, जो देश/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका समाज के एक बड़े वर्ग की सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2022 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/ सीएपीएफ/ सीपीओ के **153 अधिकारियों** को **"केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक"** प्रदान किया गया।

(च) **"असाधारण आसूचना कुशलता पदक"** उत्कृष्ट खुफिया सेवा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए राज्य / केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के **176 अधिकारियों** को यह पदक प्रदान किया गया है।

(छ) अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/ सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को **57660 पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक– जम्मू एवं कश्मीर राज्य/पूर्वोत्तर क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र** प्रदान किए गए हैं।

(ज) अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को **32995 पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक** प्रदान किए गए हैं।

(झ) अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस अधिकारियों को **20848 पुलिस (स्पेशल ड्यूटी) पदक** प्रदान किए गए हैं।

(ञ) अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान, विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को **4304 उत्कृष्ट पदक और 2233 अति–उत्कृष्ट पदक** प्रदान किए गए हैं।

(ट) अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर के निर्दिष्ट क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आतंरिक सुरक्षा/विद्रोह–रोधी ड्यूटी के दौरान घायल हुए राज्य पुलिस/सीएपीएफ कार्मिकों को **84 पराक्रम पदक** प्रदान किए गए हैं।

अन्य उपलब्धि

7.24 गृह मंत्रालय ने डिजिटल मोड में अद्यतन सतर्कता सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक सतर्कता रजिस्टर (ईवीआर) प्रणाली विकसित की है, ताकि आईपीएस अधिकारियों के सतर्कता प्रोफाइल के संबंध में एक सरल एवं तेज ट्रांसमिशन चैनल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह नई ईवीआर प्रणाली समय पर अद्यतन सूचना प्राप्त करने में सहायक है और इससे दक्षता में वृद्धि होगी।

क्षमता निर्माण

7.25 गृह मंत्रालय न केवल अपने देश के पुलिस बलों के लिए, बल्कि विदेशी पुलिस बल कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण का कार्य करता है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, मित्र देशों अर्थात मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, सेशेल्स, सूडान, तंजानिया और घाना के 139 विदेशी पुलिस अधिकारियों ने द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत स्थित अलग–अलग प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

7.26 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरर्पोरेशन (आईटीईसी) के तत्वाधान में बिम्सटेक देशों के सुरक्षा अधिकारियों के लिए दो पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और उनमें विभिन्न देशों के 26 अधिकारियों (श्रीलंका 6, नेपाल 5, थाईलैंड 5, बांग्लादेश 7 और भूटान 3) ने भाग लिया तथा साइबर सुरक्षा जांच संबंधी पाठ्यक्रम में विभिन्न देशों के 9 अधिकारियों (मालदीव 3, सूडान 2, तंजानिया 3 और घाना 1) ने भाग लिया।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

7.27 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत – तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामतः असम राइफल्स (एआर) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)" हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

7.28 "पूर्वोत्तर के प्रहरी" के रूप में सम्मानित, असम

राइफल्स (एआर) का गठन वर्ष 1835 में "कछार लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को 1,643 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) की रक्षा करने की अनिवार्य भूमिका के साथ पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में विद्रोह रोकने के लिए तैनात किया गया है। इस बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 47 बटालियनें (एक एनडीआरएफ बटालियन सहित), एक प्रशिक्षण केन्द्र, एक श्वान प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक घटक शामिल हैं तथा इसके कार्मिकों की कुल प्राधिकृत संख्या 66,411 है। विद्रोह–रोधी / आतंकवाद–रोधी (सीआई / सीटी) ऑपरेशन के लिए दिनांक 20.05.2021 से जम्मू एवं कश्मीर में असम राइफल्स की दो बटालियनें तैनात की गई हैं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.29 पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कार्रवाई	संख्या/राशि	राशि, जहां लागू हो (करोड़ रुपये में)
विद्रोह			
(क)	मारे गए	-	-
(ख)	गिरफ्तार किए गए	294	-
(ग)	आत्मसमर्पण करने वाले	120	-
गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्ति			
(घ)	आम नागरिक	330	-
(ङ)	हथियारों के डीलर और मादक पदार्थों के तस्कर	140	-
(च)	म्यांमार के नागरिक	128	-
युद्धक भंडारों की बरामदगी			
(छ)	मिश्रित हथियार	217	-
(ज)	मिश्रित गोलाबारूद	22544	-
(झ)	मिश्रित मैगजीन	137	-
(ञ)	हैंड ग्रेनेड/चाइनीज हैंड ग्रेनेड	57	-
(ट)	परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी)	11	-
(ठ)	डेटोनेटर	392	-
(ड)	जिलेटिन की छड़	390	-
(ढ)	रेडियो सेट	276	-
(ण)	लेथोड राउंड	06	
निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी			
(त)	गांजा (किग्रा.)	3189.002	7.631

(थ)	अफीम (किग्रा.)	4853.045	5.330
(द)	हेरोइन (किग्रा.)	15.571	55.93
(ध)	ब्राउन शुगर (किग्रा.)	82.764	103.38
(न)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (टेबलेट)	1179847	328.823
(प)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (किग्रा.)	1042.060	160.21
(फ)	अवैध शराब (बोतल)	25032	01.121
(ब)	भारतीय करेंसी (करोड़ रुपये में)	11940282	01.194
(भ)	म्यांमार की करेंसी (कयात)	9837800	-
(म)	लकड़ी (सीएफटी)	19123.100	15.884
(य)	मारिजुआना (किग्रा.)	180.000	0.720
(र)	काली मिर्च (किग्रा.)	27000	2.700
(ल)	सुपारी (किग्रा.)	475726.000	34.585
(व)	विदेशी सिगरेट (डिब्बियां)	2870	32.384
(श)	सोना (किग्रा.)	02.828	01.458
(ष)	विविध अवैध उत्पाद/वस्त्र (पैकेट/बैग) इत्यादि	111	4.745

(बरामद किए गए निषिद्ध पदार्थों तथा तस्करी किए गए सोने और करेंसी की कीमत लगभग 756.095 करोड़ रुपये है)

वीरता और अन्य पुरस्कार

7.30 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान बल के सदस्यों को निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए:

क्र. सं.	पदक/पुरस्कार	संख्या
(क)	सेना पदक (वीरता)	02
(ख)	पुलिस पदक (वीरता)	01
(ग)	राष्ट्रपति का पुलिस पदक (विशिष्ट)	01
(घ)	पुलिस पदक (सराहनीय)	15
(ङ)	राज्यपाल का स्वर्ण पदक	65
(च)	राज्यपाल का रजत पदक	59

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

7.31 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 03 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 04 एनडीआरएफ बटालियनों सहित इसकी 193 बटालियनें हैं, जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ

लगी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्यों में नक्सल–रोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 03 कमान मुख्यालय अर्थात् अपर महानिदेशक की कमान में विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान) तथा कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग, एयर विंग तथा अन्य सहायक इकाइयां शामिल हैं। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, बीएसएफ की कुल स्वीकृत पद संख्या 2,65,277 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.32 आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध सतत लड़ाई में, बीएसएफ ने दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान 02 आतंकवादियों/ माओवादियों को गिरफ्तार किया, 04 माओवादियों को मार गिराया तथा 825 आतंकवादियों/ माओवादियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अलावा, इस बल ने 78 हथियारों, मिश्रित गोला–बारूद के 1482 राउण्ड, 31 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) और 0.950 किग्रा. विस्फोटक सामग्री की जब्ती की कार्रवाई भी की। सीमा–पार के अपराधों की रोकथाम करने के अपने सतत प्रयास में, बीएसएफ ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 1549.23 करोड़ रुपये मूल्य की वर्जित सामग्रियां भी जब्त कीं, 3876 घुसपैठियों/ भगोड़ों को गिरफ्तार किया और 16 तस्करों/ घुसपैठियों/भगोड़ों को मार गिराया।

7.33 इस अवधि के दौरान, विभिन्न ऑपरेशनों में बीएसएफ के 16 कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की और 61 कार्मिक घायल हुए।

7.34 वर्ष 2022 (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:

(क)	कीर्ति चक्र	02
(ख)	वीरता के लिए पुलिस पदक	19
(ग)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	05
(घ)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	46

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

7.35 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 355 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें 66 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 110 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि–सुरक्षा कवर शामिल हैं। पांच दशकों की अवधि में, बल की नफरी में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रमुख संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों, विरासती स्मारकों (ताजमहल, लाल किला और स्टैचू ऑफ यूनिटी (एसओयू), केवड़िया तथा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों सहित) को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को समूचे देश में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी दिया गया है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.36 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 8763 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 110 उपक्रमों (पीएसयू) को अग्नि से संरक्षण और अग्नि–सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2022 में (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक), आग लगने से संबंधित कुल 2291 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 07 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 132.11 करोड़ रुपये की संपत्ति को बचाया गया। वर्ष 2022 (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) के दौरान सीआईएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए 57 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी के लिए 152 कंपनियां तैनात कीं।

7.37 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 66 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शामिल हैं। नवीनतम इंडक्शन दिनांक 05.08.2020, 09.02.2022 और 01.12.2022 को क्रमशः लेह, सूरत और मोपा हवाई अड्डों का किया गया था। वर्ष 2022 (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों पर 44.34 करोड़ रुपये की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 09.40 करोड़ रुपये की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 34.94 करोड़ रुपये की संपत्ति हवाई अड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोला–बारुद ले जाने के 221 मामलों, जाली ई–टिकट पर एंट्री के 59 मामलों एवं निषिद्ध सामग्रियों (मादक पदार्थों) के 11 मामलों का भी पता लगाया। हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के बीच 29.848 किग्रा. सोना और 23.79 करोड़ रुपये की नकदी का भी पता लगाया।

7.38 सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग, जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) कहा जाता है, वीवीआईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 144 वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में 51 संवदेनशील और अति–संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। वर्ष 1999 में, सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों, जहाँ सीआईएसएफ की तैनाती नहीं की जाती है, को भी भुगतान के आधार पर तकनीकी और अग्निशमन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था। सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 217 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कुल 14.68 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

7.39 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था और इसके कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 12,528 है। डीएमआरसी में तैनात की गई यूनिट एक अत्यधिक संवेदनशील यूनिट है और यह सीआईएसएफ की सबसे बड़ी यूनिट है। वर्तमान में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 249 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 45–50 लाख है। वर्ष 2022 (दिनांक 01.04.202 से 31.12.2022 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 87.06 लाख रुपये की नकद खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 76.37 लाख रुपये उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिए गए, जबकि 10.69 लाख रुपये डीएमआरसी को सौंप दिए गए। दिल्ली मेट्रो में 12.31 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, 16.85 लाख रुपये (लगभग) के सोने के आभूषण, 06 चांदी की चूड़ियां, 114 लैपटॉप, 39 कलाई घड़ियां, 05 कैमरे और 171 मोबाइल फोन भी पाए गए, जिन्हें उनके वास्तविक मालिकों/डीएमआरसी को सौंप

दिया गया। इसके अलावा, जब्त की गई 2.84 करोड़ रुपये की नकदी भी ईडी विभाग को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान, गुमशुदा बच्चों के 131 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 47 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ के कार्मिकों ने 04 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

7.40 शुरू में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच (मध्य प्रदेश) में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की नफरी और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसकी क्षमता 239 बटालियनों की है तथा इसके पास 43 ग्रुप सेन्टर, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 07 शस्त्र कार्यशालाएं तथा 03 केन्द्रीय शस्त्रागार, 05 सिग्नल बटालियनें, 01 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और 01 स्पेशल डयूटी ग्रुप (एसडीजी) हैं। इस बल में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय अर्थात निदेशालय के अलावा, 04 विशेष महानिदेशक जोन (केंद्रीय, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और जम्मू एवं कश्मीर), प्रशासनिक सेक्टरों के 21 महानिरीक्षक, ऑपरेशन सेक्टरों के 02 महानिरीक्षक, 39 प्रशासनिक रेंज मुख्यालय, 17 ऑपरेशन रेंज मुख्यालय के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संगठन और 04 कम्पोजिट अस्पताल (100 बेड वाले), 18 कम्पोजिट अस्पताल (50 बेड वाले) और 06 फील्ड अस्पताल भी हैं। यह बल इस समय कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी, नक्सल–रोधी अभियानों और वीआईपी सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों एवं विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल की 06 महिला बटालियनें और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 106 महिलाओं वाली 01 महिला टुकड़ी भी है तथा नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 242 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह और नक्सलवाद से निपटने के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश में कुल 239 बटालियनें [(06 महिला, 06 वीआईपी सुरक्षा, 10 कोबरा और 15 रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) सहित)] तैनात हैं। इस बल के कार्मिकों की संख्या 3,24,654 है। बल को सौंपी गई प्राथमिक भूमिका राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.41 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान सीआरपीएफ की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः–

1	मारे गए माओवादी/उग्रवादी	94
2	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	1083
3	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/उग्रवादी	231
4	बरामद किए गए हथियार	327
5	बरामद किए गए गोला-बारूद	14477
6	बरामद की गई विस्फोटक सामग्री (किग्रा. में)	232.615
7	बरामद किए गए ग्रेनेड (सं. में)	199
8	बरामद किए गए बम	09
9	बरामद की गई आईईडी	2325

10	बरामद किए गए डेटोनेटर	7114
11	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक	3161
12	बरामद की गई नकदी (भारतीय रुपए)	6,81,47,433 रुपये
13	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (किग्रा. में)	51511.6 किग्रा.
14	बरामद किए गए रॉकेट	01

7.42 सीआरपीएफ के कार्मिकों को दिनांक 31.12.2022 तक (अर्थात दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान) निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

(क)	शौर्य चक्र	01
(ख)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)	-
(ग)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)	109
(घ)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)	05

सीआरपीएफ में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ)

7.43 वर्ष 1991 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की 4–4 कंपनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ के कार्मिकों को सांप्रदायिक दंगों और समान परिस्थिति में एक प्रभावशाली हमलावर बल के रूप में प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें इस प्रकार की किसी घटना के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए देश भर में सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील 10 स्थानों पर स्थित हैं। आरएएफ बटालियनों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सीआरपीएफ की 05 और कार्यकारी बटालियनों को आरएएफ बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन सभी बटालियनों का गठन एक स्वतंत्र पद्धति से किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

सीआरपीएफ में कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

7.44 कोबरा – कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, जिसका गठन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए किया गया है। इनका चयन आयु और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सीआरपीएफ के कार्मिकों में से ही किया जाता है, जिसे जंगल वैरियर्स के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2008–11 के दौरान 10 कोबरा बटालियनों का गठन किया गया था और उन्हें प्रशिक्षित, सुसज्जित तथा असम एवं मेघालय के साथ–साथ छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है। जंगलों में रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित देश की यह एक श्रेष्ठ कमांडो यूनिट है। जंगल युद्ध कौशल एवं टैक्टिक्स में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2014 में बेलगाम (कर्नाटक) में एक कोबरा स्कूल भी स्थापित किया गया था, जो विशिष्ट बल के श्रेष्ठ कमांडो के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

7.45 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इस बल का गठन मूलतः आपूर्ति, संचार और आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर, एक एकीकृत "गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू

बल" के रूप में किया गया था। यह समय बीतने के साथ–साथ एक परंपरागत सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के रूप में विकसित हो गया। आज, आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत–चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में "कराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में "जाचेप–ला" तक भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 180 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। सबसे ऊंची चौकी ओपी दोर्जिला है, जो उत्तरी सिक्किम में 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आईटीबीपी की आठ (08) बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। आईटीबीपी 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों (एसएचक्यू), 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनों, 01 डिपो, महानिदेशालय सहित 10 अन्य फार्मेशनों, केंद्रीय रिकॉर्ड अधिकारी (सीआरओ) और 17 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 90,728 है। कैडर समीक्षा के कार्यान्वयन के पश्चात, अपर महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिमी कमान और पूर्वी कमान नामक दो नए कमान मुख्यालय स्थापित किए गए हैं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.46 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान आईटीबीपी की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(i) आईटीबीपी ने सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारत–चीन सीमा पर गहन सुरक्षा परिदृश्य के दौरान सतर्कता बनाए रखी।

(ii) कड़ी निगरानी रखने के लिए, आईटीबीपी ने भारत–चीन सीमा पर 2899 गश्तें लगाईं।

1.	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	11
2.	बरामद किए गए हथियार	01
3.	बरामद की गई विस्फोटक सामग्री (किग्रा.)	02
4.	बरामद की गई आईईडी	06
5.	बरामद किए गए डेटोनेटर	21

7.47 **पदक:** वर्ष 2022 (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित वीरता और अन्य पदक प्रदान किए गए:

1.	वीरता के लिए पुलिस पदक	06
2.	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	03
3.	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	11

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

7.48 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) का गठन सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने और पूरे भारत में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई,

चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर (गुजरात) में पांचवां हब अस्तित्व में आया।

7.49 फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद–रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से 'सर्वोत्कृष्ट' होने की स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस और सर्जिकल ऑपरेशन संबंधी क्षमताओं की वजह से इस विशिष्ट बल के कमांडो 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।

ऑपरेशन

7.50 **सतर्क बल**– एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) तथा त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत कम समय में प्रस्थान करने के लिए दिल्ली तथा सभी पांच क्षेत्रीय हबों पर चौकस (24X7) रखा जाता है। राष्ट्रीय संकट के दौरान एनएसजी कार्य बलों को गृह मंत्रालय के अनुमोदन से कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

क. इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशन – एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) को गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह समेत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक एनससजी द्वारा देश भर में वीवीआईपी के दौरों सहित इस प्रकार के 151 आयोजनों को कवर किया गया।

ख. संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की टोह लेना– एनएसजी पूरे देश में संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की नियमित रूप से टोह लेता है। स्वयं अपने ऑपरेशनों की योजना बनाने के लिए टोह लेने के दौरान संवेदनशील स्थानों और प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ली गई टोह का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i)	संवेदनशील स्थान/प्रतिष्ठान	– 100
(ii)	हवाई अड्डे	– 34
(iii)	एयरोड्रोन समिति की बैठक (एसीएम)/अपहरण–रोधी मॉक अभ्यास (एएचएमई)	– 57

प्रशिक्षण

7.51 **एनएसजी का इंडक्शन पाठ्यक्रम**

(क) एनएसजी कमांडो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रवेश मानकों को और अधिक कठोर बनाया गया है। सीएपीएफ के सभी महानिदेशकों से भी एनएसजी के लिए स्वयंसेवकों की स्क्रीनिंग करने और न्यूनतम शारीरिक तथा फायरिंग मानकों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक परिष्कृत एवं संकेंद्रित बनाने हेतु इसमें सुधार किया गया है।

(ख) दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक एनएसजी में सीएपीएफ के 676 कार्मिकों तथा सेना के 1603 कार्मिकों को शामिल किया गया।

7.52 **एनएसजी का क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम**

क. एनएसजी ने राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति की है और दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	भाग लेने वाले राज्य/सीएपीएफ	संख्या
1.	पुलिस कमांडो (क्षमता निर्माण) पाठ्यक्रम	11 राज्य पुलिस और 06 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	153
2.	निजी सुरक्षा अधिकारियों का पाठ्यक्रम	15 राज्य पुलिस और 16 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज (रॉयल भूटान आर्मी के 02 कार्मिकों सहित) ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	358
3.	बम निष्क्रियकरण संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	18 राज्य पुलिस और 16 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	478
4.	टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स	16 राज्यों और 14 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज (रॉयल भूटान आर्मी के 02 व्यक्तियों सहित) ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया।	132
5.	कस्टमाइज्ड बम डिस्पोजल कैप्सूल कोर्स	02 राज्यों (सीआईडी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस) ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	52
6.	क्लस्टराइज्ड संयुक्त आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण अभ्यास	14 राज्यों और 02 सीएपीएफ ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	281
7.	राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	14 राज्यों ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	135
8.	ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रशिक्षण	10 राज्यों और 03 सीएपीएफ ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	50
9.	हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए निजी सुरक्षा अधिकारियों का पाठ्यक्रम क्र.सं. 01 और 02	एनएसजी की टीम ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पंचकुला में हरियाणा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया	99
10.	सीओएएस (थल सेनाध्यक्ष) के गहन सुरक्षा समूह के लिए कैप्सूल कोर्स	सीओएएस के गहन सुरक्षा समूह ने मुख्यालय सीपीएफ, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	11
11.	सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए एकीकृत निजी सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम/ टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स	सीआरपीएफ कार्मिकों ने मुख्यालय सीपीएफ, एनएसजी मानेसर में भाग लिया	42
12.	हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स	एनएसजी की टीम ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पंचकुला में हरियाणा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया	40

13.	उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए वीआईपी सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण क्र.सं. 90 और 91	एनएसजी की टीम ने पुलिस लाइन, गोमती नगर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया	88
14	बम निष्क्रियकरण संबंधी एडवांस पाठ्यक्रम	14 राज्यों और 08 सीएपीएफ कार्मिकों ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में भाग लिया	83
15.	8वां राष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा - VIII	06 राज्यों और 02 सीएपीएफ कार्मिकों ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में भाग लिया	142
16.	राष्ट्रीय संयुक्त आईईडी-रोधी अभ्यास अग्नि शमन - VI	06 राज्यों और 02 सीएपीएफ कार्मिकों ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में भाग लिया	109
17.	कस्टमाइज्ड काउंटर टेररिज्म कैप्सूल पाठ्यक्रम	01 पैरा ब्रिगेड (सेना) और 02 राज्य पुलिस कर्मियों ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र, मानेसर में भाग लिया	70
18.	राज्य स्तरीय बम डिस्पोजल काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (सीआईईडी) प्रशिक्षण	06 राज्य पुलिस कर्मियों ने 27 एससीजी, चेन्नई में भाग लिया	71
		कुल	**2394**

ख. राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण– दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्यों और सीएपीएफ के लिए राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण संचालित किया गया:

क्र.सं.	**राज्य/सीएपीएफ**	**भाग लेने वालों की संख्या**			**कुल**
		अधिकारी	**सहायक कमांडेन्ट**	**रेंजर**	
(क)	चंडीगढ़	0	0	28	28
(ख)	दिल्ली	0	0	137	137
(ग)	गोवा	0	1	33	34
(घ)	गुजरात	2	1	16	19
(ङ)	मध्य प्रदेश	0	3	49	52
(च)	महाराष्ट्र	0	1	5	6
(छ)	मिजोरम	0	5	8	13
(ज)	पंजाब	0	0	25	25
(झ)	तेलंगाना	0	0	20	20

(ञ)	पश्चिम बंगाल	0	6	8	14
(ट)	आंध्र प्रदेश	0	0	14	14
(ठ)	कर्नाटक	0	6	5	11
	कुल	2	23	348	373

ग. **आतंकवाद – रोधी संयुक्त अभ्यास (जेएटीई) 2022**: एनएसजी द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)– क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (आरएटीएस) के फ्रेमवर्क के तहत 08 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2022 तक एनएसजी मानेसर गैरीसन में जेएटीई "मानेसर एंटी–टेरर 2022" आयोजित किया गया। एससीओ–आरएटीएस के निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रों के 09 अधिकारियों ने इस अभ्यास में भाग लिया:–

(i) कजाकिस्तान

(ii) किर्गिस्तान

(iii) रूस

(iv) ताजिकिस्तान

(v) उज्बेकिस्तान

घ. **अभ्यास गांडीव**: किसी आतंकवाद–रोधी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर के स्टेकहोल्डरों द्वारा आतंकवाद–रोधी (सीटी) कार्रवाई और बहु–शहर बहु–लक्ष्य परिदृश्य में बहु–एनएसजी कार्य बलों की तैनाती करने के लिए, एनएसजी चयनित शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद–रोधी/अपहरण–रोधी अभ्यास 'गांडीव' आयोजित करता है। एनएसजी द्वारा गांडीव अभ्यास की श्रृंखला में चौथा गांडीव–IV अभ्यास 03 से 07 नवम्बर, 2022 तक पंजाब और केरल राज्यों में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में राज्य सिविल प्रशासन, राज्य पुलिस, आतंकवाद–रोधी दस्ते (एटीएस), विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

7.53 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात "विशेष सेवा ब्यूरो" का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमा–पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा "सशस्त्र सीमा बल" के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)" बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

7.54 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार बल के कार्मिकों की संख्या 90,194 है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियनें, 04 आरटीसी (रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 डॉग प्रशिक्षण एवं ब्रीडिंग केन्द्र (डीटीएंडबीसी), 03 कम्पोजिट अस्पताल, 01 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू), 03 सब–सीएसडी, 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र और 01 काउंटर इंसरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सीआईएंडजेडब्ल्यूएस) और 01 "जी" स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा, यह बल भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं की रक्षा कर रहा है। एसएसबी आतंरिक सुरक्षा

और विद्रोह–रोधी कर्तव्य का निर्वहन भी करता है। एसएसबी ने अपने कार्मिकों की तैनाती विद्रोह प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और असम तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में भी की है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.55 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान एसएसबी की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
01	अपराधियों/तस्करों/नक्सलवादियों/आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों की गिरफ्तारी	5281
02	मारे गए	05
03	फैक्ट्री निर्मित हथियार	39
04	स्वदेशी हथियार	66
05	गोलाबारूद कार्ट्रिज/विस्फोटक	क) 5363 कारतूस ख) 141 किग्रा. आईडी ग) 1374 (डेटोनेटर) घ) 161.9600 मीटर कॉरडेस्क ङ) 06 हैंड ग्रेनेड च) 04 जीएफ राइफल ग्रेनेड छ) 19 पॉवर जेल विस्फोटक ज) 175.70 किग्रा. विस्फोटक झ) 02 किग्रा. बम ञ) 105 किग्रा. अमोनियम नाइट्रेट ट) 05 जिलेटिन की छड़ें
06	प्राचीन मूर्तियां	08
07	मवेशी	3987
08	एफआईसीएन	5,000/- रुपये
09	भारतीय मुद्रा	1,42,50,712/- रुपये
10	अन्य मुद्रा	1,01,32,021/- रुपये
11	सोना	0.5503 किग्रा.
12	चांदी	40.634 किग्रा.
13	प्रतिबंधित/निषिद्ध सामग्री	क) 15,04,337.658 किग्रा. ख) 13,7,427.99 लीटर ग) 12,77,695
14	वन उत्पाद	क) 41,768.1620 किग्रा. (जलाने की लकड़ियां) ख) 34,822.6511 घन फुट (लकड़ी के लट्ठे)
15	वन्यजीव	49
16	स्वापक पदार्थ	18,554.307 किग्रा.
17	मनःप्रभावी सिंथेटिक ड्रग	39,445

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती योजना

7.56 वर्ष 2011–12 से, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार है:

(क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक "एकल संयुक्त परीक्षा" आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है।

(ख) 05 वर्षों (2022–2026) के लिए गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा हस्ताक्षरित कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षाओं के संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, पूरे देश के अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने तथा आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा, केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छांटे गए अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य सीएपीएफ के समन्वय से नोडल बल द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/शारीरिक धीरज परीक्षण (पीईटी) आयोजित किया जाएगा और पीएसटी/पीईटी में सफल हुए अभ्यर्थियों के संबंध में परिणाम घोषित होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा जांच (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। मौजूदा पद्धति के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को डीएमई की प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है, उनके पास भर्तीकर्ता चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प होता है और इस प्रकार उन्हें रिव्यू चिकित्सा जांच (आरएमई) के लिए रिव्यू चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को डीएमई के विरुद्ध अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। तथापि, व्यावहारिक तौर पर आरएमई की प्रक्रिया पूरी होने में कम–से–कम दो से तीन माह का समय लगता है। इस विलम्ब से बचने के लिए, सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु रिव्यू चिकित्सा जांच के लिए समान दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, ताकि भर्ती हेतु चिकित्सा जांच को शीघ्र पूरा किया जा सके:

"विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को रिव्यू चिकित्सा जांच कराने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्हें अयोग्य होने के कारणों को दर्शाते हुए 24 घंटों के भीतर संबंधित सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति देनी होगी। इसलिए, अभ्यर्थियों की रिव्यू चिकित्सा जांच (आरएमई) डीएमई के बाद अगले दिन ही की जाएगी।

(ग) शारीरिक धीरज परीक्षण (पीईटी) अब केवल अर्हक प्रकृति का है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। साथ ही, साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

(घ) सभी भर्तियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।

7.57 सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आवंटन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीएपीएफ और असम राइफल्स की 50% रिक्तियों का आवंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख. 25% रिक्तियों का आवंटन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है (सीमा रक्षक बलों नामतः असम राइफल्स (एआर), बीएसएफ, आईटीबीपी और

एसएसबी में, रिक्तियों का आवंटन उन जिलों को किया जाता है, जो संबंधित सीमा रक्षक बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं। तथापि, गैर–सीमा रक्षक बलों अर्थात सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में रिक्तियों का आवंटन सभी सीमावर्ती जिलों के लिए किया जाएगा)।

ग. 25% रिक्तियों का आवंटन आतंकवाद/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

घ. भर्ती प्रारंभिक तौर पर केवल एसएससी के माध्यम से आयोजित नियमित भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ही की जाएगी।

ङ. यदि जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और सीमावर्ती जिलों को आवंटित कुछ रिक्तियां खाली रह जाती हैं, तो जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों/ एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के साथ–साथ सीमावर्ती जिलों वाले इस प्रकार के अन्य राज्यों, जहां रिक्तियां भरी न गई हों, में भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार की भर्ती रैलियां संबंधित सीएपीएफ द्वारा आयोजित की जाएंगी अथवा इसे अन्य सीएपीएफ की भरी न गई रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए केवल एक सीएपीएफ द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है।

वैश्विक शांति स्थापना

7.58 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में योगदान भी करता है। जब कभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मांग की जाती है, तो विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर फॉर्म्ड पुलिस यूनिटों (एफपीयू) की नियमित तैनाती भी की जाती हैं। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के असेसमेंट ऑफ मिशन सर्विस (एएमएस) पास करने वाले कुल 55 सिविलियन पुलिस (सीआईवीपीओएल) अधिकारियों ने दक्षिणी सूडान और अबेई में यूएन शांति स्थापना संबंधी मिशनों में सेवा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान और एजीएमयूटी कैडर के दो पुरुष आईपीएस अधिकारियों ने भी क्रमशः पुलिस प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में पी–IV स्तर पर और यूएनएमआईएसएस में डी–2 स्तर पर प्रतिनियुक्ति पद पर सेवा प्रदान की है। निम्नलिखित फॉर्म्ड पुलिस यूनिटों (एफपीयू) ने भी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवा प्रदान की हैः

क. डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक फॉर्म्ड पुलिस यूनिट।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए विमान सहायता

7.59 गृह मंत्रालय के संरक्षण में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एयरविंग हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों (बीओपी) के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों के लिए पर्याप्त विमान सहायता का प्रावधान करने, ऑपरेशन के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। रोटरी विंग का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है। इस समय, इसके बेड़े में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्ज़ीक्यूटिव जेट, 06 एमआई–17 1वी, 08 एमआई–17 वी5, 06 एएलएच/ध्रुव और 01 चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण

7.60 सीएपीएफ को सामान्य प्रावधान शीर्षों (अर्थात

हथियार एवं गोला–बारूद, वर्दी और तम्बू, मशीनरी एवं उपकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा मोटर वाहन) के अंतर्गत अपनी ऑपरेशनल आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे कि हथियार और गोला–बारूद, निगरानी उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, संचार उपकरण, आईटी उपकरण, विशेष वाहन, रक्षात्मक गियर, दंगा–रोधी उपकरण, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम वाली वर्दी आदि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि प्राधिकार के अनुसार कमी पूरी की जा सके और मौजूदा इनवेन्ट्री को बनाए रखने के लिए ठीक न हो सकने वाली वस्तुओं को बदला जा सके। दिनांक 31.12.2022 तक आवंटित और खर्च की गई निधियों का बल–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार व्यय	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार बजट अनुमान के संदर्भ में % व्यय
1.	सीआरपीएफ	1040.48	501.52	48.20 %
2.	बीएसएफ	790.00	384.35	48.65 %
3.	एआर	424.70	292.90	68.97 %
4.	आईटीबीपी	325.13	175.25	53.90 %
5.	एसएसबी	254.48	100.23	39.39 %
6.	सीआईएसएफ	206.83	89.72	43.38 %
7.	एनएसजी	205.67	32.32	15.71 %
	कुल	**3247.29**	**1576.29**	**48.54 %**

7.61 सामान्य प्रावधान के अलावा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कुल 1523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2026 तक सभी सीएपीएफ (अर्थात असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और सशस्त्र सीमा बल) के लिए आधुनिकीकरण योजना–IV को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस किया जा सके तथा आंतरिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती हुई चुनौतियों से पर्याप्त रूप से निपटा जा सके। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, आधुनिकीकरण योजना–IV के तहत बल–वार स्वीकृत परिव्यय, आवंटित निधि और उनके उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	परिव्यय	बजट अनुमान 2022-23	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय	बजट अनुमान के संदर्भ में % व्यय
1.	सीआरपीएफ	484.58	82.00	1.01	1.23 %
2.	बीएसएफ	355.66	40.00	1.24	3.10 %
3.	एआर	157.05	38.56	12.82	33.25 %
4.	आईटीबीपी	166.00	3.00	0.00	0.00 %

5.	एसएसबी	148.88	20.50	0.00	0.00 %
6.	सीआईएसएफ	122.21	30.96	2.38	7.69 %
7.	एनएसजी	88.62	33.28	0.00	0.00 %
	कुल	**1523**	**248.30**	**17.45**	**7.03 %**

7.62 इस योजना के माध्यम से, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी और दूरसंचार उपकरण, विशिष्ट वाहनों, सुरक्षा उपकरण (प्रोटेक्टिव गियर) आदि से भी सुसज्जित किया जाएगा, ताकि उन्हें सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस योजना से पूरे देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर, सीएपीएफ के पास उपलब्ध मौजूदा इन्वेन्टरी/प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बीच की कमियों को दूर किया जाएगा।

आधुनिकीकरण योजना IV के तहत सीएपीएफ द्वारा खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख हथियारों, उपकरणों और वाहनों में मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), असॉल्ट राइफल, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल उपकरण, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, मध्यम बुलेटप्रूफ वाहन, हल्के बुलेटप्रूफ वाहन, मिनी रिमोट चालित वाहन (आरओवी), मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), विशेष रूप से हल्के रकसैक, हल्के स्लीपिंग बैग, दो इंजन वाली एफआरपी स्पीड बोट, एएलएस एंबुलेंस, हैंड हेल्ड सैटेलाइट ट्रैकर, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर और सैटेलाइट फोन शामिल हैं।

स्वदेशी और खादी को बढ़ावा

सरसों का तेल

7.63 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, केवीआईसी से 3351.25 क्विंटल सरसों का तेल खरीदने का प्रस्ताव था और केवीआईसी के माध्यम से 180/– रुपये प्रति लीटर की दर से 5,34,64,501/– रुपये की लागत पर कुल 2970.24 क्विंटल सरसों का तेल खरीदा गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, केवीआईसी के माध्यम से 204/– रुपये प्रति किग्रा. की दर से 3,68,19,980/– रुपये की लागत पर कुल 1804.90 क्विंटल सरसों का तेल खरीदा गया है।

सूती बिस्तर की दरी

7.64 सीएपीएफ (बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) के लिए 509.25 रुपये की इकाई लागत पर सूती बिस्तर की दरी खरीदने हेतु दिनांक 06.01.2021 को आईटीबीपी द्वारा (सीएपीएफ की ओर से) केवीआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे दिनांक 31.03.2022 तक आगे बढ़ा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, केवीआईसी के माध्यम से 9,71,94,437/– रुपये की लागत पर कुल 1,90,858 दरी खरीदी गई हैं। उनकी आपूर्ति संबंधित सीएपीएफ को प्राप्त हो गई है।

कंबल

7.65 सीएपीएफ (असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सीआईएसएफ और एसएसबी) के लिए प्रति इकाई 1250 रुपये + 12% जीएसटी की दर से 13,710 ऊनी कंबलों के लिए सीआरपीएफ द्वारा केवीआईसी को दिनांक 08.10.2021 को आपूर्ति का आदेश दिया गया है। 3500 कंबलों की आपूर्ति प्राप्त हो गई है और उन्हें परीक्षण हेतु सीएपीएफ को बांट दिया गया है।

बेड शीट और तकिए का कवर

7.66 सीएपीएफ अस्पतालों के लिए बेड शीट और तकिए के कवर खरीदने हेतु केवीआईसी और अपर महानिदेशक (चिकित्सा), सीएपीएफ के कार्यालय द्वारा दिनांक 06.05.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीएपीएफ में स्वदेशी प्रौद्योगिकी/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच सहयोग

7.67 (i) सीएपीएफ में स्वदेशी प्रौद्योगिकी/उत्पादों को अपनाए जाने पर बल देने और डीआरडीओ की क्षमताओं का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने के लिए, गृह मंत्रालय के दिनांक 15.07.2020 और 17.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को सीएपीएफ में शीघ्र शामिल करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना की गई है। इस प्रावधान के तहत सीएपीएफ ने डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित उत्पाद खरीदे हैं:

क्र.सं.	डीआरडीओ द्वारा विकसित वस्तुएं	खरीदने वाला सीएपीएफ
i	• 100 ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कारबाइन • 100 ट्रिची असॉल्ट राइफल • 3700 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड	सीआरपीएफ
ii	• 2375 केरोसीन बुखारी	बीएसएफ
Iii	• 09 लॉन्चिंग प्रणाली के साथ माउंटेन फूट ब्रिज (प्रक्रियाधीन)	आईटीबीपी
iv	• 01 नेत्र यूएवी • 08 माइक्रो यूएवी • 2,000 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड (प्रक्रियाधीन)	एनएसजी

(ii) इसके अतिरिक्त, डीआरडीओ द्वारा विकसित अन्य वस्तुओं जैसेकि स्वयं नष्ट (सेल्फ डिस्ट्रक्शन) होने वाली प्रणाली के साथ 40 एमएम यूबीजीएल ग्रेनेड, हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, दीवार के पार देखने वाला रडार, एंटी–ड्रोन प्रणाली, 9X19 एमएम मशीन पिस्तौल आदि को सीएपीएफ में शामिल करने की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति

(iii) गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को भारत सरकार की 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' के अनुसार नष्ट कर दिया जाए। इस संबंध में, सीएपीएफ के 15 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 11,000 वाहनों की पहचान की गई है। इन वाहनों को चरणबद्ध ढंग से नष्ट किया जाएगा। इसी प्रकार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य पुलिस संगठनों के पुराने ऑपरेशनल वाहनों को नष्ट करने और उनके स्थान पर बेहतर प्रौद्योगिकी तथा कम ईंधन की खपत वाले वाहनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

पुलिस सेवा के9 (पुलिस के श्वान)

7.68 'पुलिस के9 सेल' की स्थापना **'देश में पुलिस सेवा के9 (पीएसके) की टीमों को मुख्यधारा में लाने और उसका संवर्धन करने** के अधिदेश के साथ दिनांक 01.11.2019 से पीएम प्रभाग के तहत की गई थी। दुनिया भर में प्रचलित समकालीन श्वान प्रशिक्षण तकनीकों के अनुसार वर्तमान के9 पद्धतियों का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करके थोड़े से समय के भीतर पर्याप्त प्रगति की गई है। विभिन्न सीएपीएफ के बीच पीएसके से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों में एकरूपता लाने और साथ ही विभिन्न पुलिस बलों तथा विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर–संचालनीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में एसओपी और नीतिगत निर्देश तैयार करके जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) वर्ष 2022 के दौरान निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)/ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(i) सभी सीएपीएफ, एनएसजी और असम

राइफल्स को दिनांक 08.06.2022 को पैट्रोल के9 की न्यूनतम स्तर की परिचालन क्षमता (एमएलओसी) जारी कर दी गई है।

(ख) पुलिस ड्यूटी के लिए भारतीय श्वानों की नस्लों का परीक्षणः भारतीय श्वान की 'मुढोल हाउंड' नस्ल का परीक्षण सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आईटीबीपी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। कुछ अन्य भारतीय श्वानों की नस्लों जैसेकि बीएसएफ में 'रामपुर हाउंड' और सीआरपीएफ में 'कोम्बई' का भी परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने हिमालयन माउंटेन डॉग (जैसेकि हिमाचली शेफर्ड/गद्दी/बखरवाल/ तिब्बती मास्टिफ) का भी बीएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा एक साथ परीक्षण करने का आदेश दिया है। वर्तमान में, ये परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) पुलिस सेवा के9 (पीएसके) संबंधी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनानाः मंत्रालय ने "पीएसके" के विषय पर सीएपीएफ और अन्य पुलिस/विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच एक दूसरे से सीखने एवं सहयोग करने की संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) **राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार**– "वार्षिक राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार" एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की सुविधा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा दिनांक 24.02.2021 और 25.02.2021 को दूसरे राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय/राज्य पुलिस, विधि प्रवर्तन और रक्षा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सुरक्षा संगठनों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ii) **एमएचए पुलिस के9 कार्यशालाएँ**– "के9 के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए कमियों को दूर करने" के उद्देश्य से विभिन्न पुलिस संगठनों के साथ "पुलिस के9 कार्यशालाएँ" भी आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, पीएसके के बारे में मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रदर्शन के अलावा 'के9 प्रशिक्षण की आधुनिक भाषा' के संबंध में भी प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जा रही है।

iii) **राष्ट्रीय पुलिस के9 पत्रिका**– इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के दौरान द्वि–वार्षिक 'राष्ट्रीय पुलिस के9 पत्रिका' का प्रकाशन भी शुरू किया है। यह पत्रिका "पीएसके" के क्षेत्र में एक–दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने की सुविधा के लिए पीएम प्रभाग के "पुलिस के 9 सेल" द्वारा प्रकाशित की जाती है। आरंभिक अंक को प्रकाशित करके दिनांक 02.01.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया था। इसका दूसरा अंक जुलाई 2021 में जारी किया गया था और तीसरा अर्थात जनवरी, 2022 का अंक मार्च, 2022 में जारी किया गया है।

7.69 **वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अब तक सीएपीएफ को जारी की गई व्यय संबंधी स्वीकृतियांः**

क्र.सं.	स्वीकृति की तारीख	संगठन	मामले का संक्षिप्त विवरण	राशि
1.	18.05.2022	आईबी	दूरसंचार विभाग (डीओटी) को अग्रिम भुगतान के लिए संशोधित व्यय की स्वीकृति	57,05,625/- रुपये

2.	23.06.2022	आईबी	आईबी के लिए जीसैट-18 में 12 मेगाहर्ट्ज स्पेस सेगमेंट का उपयोग करने के लिए वार्षिक लीज शुल्क के लिए व्यय की स्वीकृति	2,26,44,333/- रुपये
3.	27.07.2022	बीएसएफ	टीएसयू बीएसएफ के लिए 1.0 सेकंड और 3.5 सेकंड डिले इग्निटर असेंबलिंग मशीन के साथ आरएफ केस और कैप चैंबर असेंबलिंग मशीन की खरीद	6,70,54,680/- रुपये
4.	05.08.2022	एनएसजी	एनएसजी के सभी क्षेत्रीय केंद्रों (हब) के लिए 05 ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद हेतु व्यय की स्वीकृति	11,95,000/- रुपये
5.	16.08.2022	एनएसजी	3062 बीआर जैकेट की खरीद के लिए व्यय की स्वीकृति (2942 एनएसजी के लिए और 120 एएआई के लिए)	16,58,48,677/- रुपये
6.	22.09.2022	एनएसजी	29 एससीजी, एनएसजी कोलकाता के लिए कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज (सीआईएसआर-06 लांस, 50 मीटर) हेतु लक्ष्य प्रणाली (टारगेट सिस्टम) और सभी संबंधित उपकरण/सहायक उपकरणों की खरीद के लिए कुल 8,87,40,720/- रुपये के व्यय की स्वीकृति।	8,87,40,720/- रुपये
7.	24.08.2022	आईबी	दिल्ली क्षेत्र के लिए आईबी के अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) नेटवर्क पर फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लिए स्वीकृत व्यय और स्पेक्ट्रम शुल्क का अग्रिम भुगतान।	2,26,650/- रुपये
8.	18.10.2022	सीआरपीएफ	38,612 बुलेट प्रतिरोधी जैकेटों (सीआरपीएफ के लिए 38,412, एनआईए के लिए 100 और चंडीगढ़ पुलिस के लिए 100) की खरीद के लिए कुल 226,01,35,680/- रुपये के व्यय की स्वीकृति।	226,01,35,680/- रुपये
9.	03.11.2022	एसएसबी	कैरी बैग के साथ पानी की 50,012 बहुउद्देशीय प्लास्टिक बोतल की खरीद के लिए कुल 5,26,10,124/- रुपये के व्यय की स्वीकृति।	5,26,10,124/- रुपये
10.	27.12.2022	आईटीबीपी	आईटीबीपी के लिए पीएसी आधार पर मैसर्स बीईएल, बेंगलुरु से 500 'एचएफ टीएक्स-आरएक्स एलएचपी - 265 डी रेडियो सेट और उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए कुल 32,76,52,936/- रुपये के व्यय की स्वीकृति।	32,76,52,936/- रुपये

सीएपीएफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

7.70 आतंरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा निभाई जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि **अनुलग्नक–X** में दिए गए पिछले 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

अवसंरचना का विकास

7.71 वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 39.43 करोड़ रुपये और भूमि के अधिग्रहण के लिए 24.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सीएपीएफ की आवास परियोजना

7.72 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के तहत 3090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 13,072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था, जिसमें से दिनांक 31.12.2022 तक 10,319 घरों और 100 बैरकों का निर्माण किया जा चुका है। 2,644 घर तथा 12 बैरक निर्माणाधीन हैं और शेष 109 घरों की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

7.73 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक "कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)" की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों और अशक्त होने वाले लोगों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में तत्काल सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण हेतु संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 156 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं। पूर्व–सीएपीएफ और असम राइफल्स कार्मिकों के कल्याण और शिकायत के निवारण हेतु, डब्ल्यूएआरबी कार्यालय, नई दिल्ली में एक हेल्पलाइन नंबर 011–23063111 कार्यशील है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पूर्व–सीएपीएफ और असम राइफल्स कार्मिकों के पेंशन संबंधी लाभ, पुनर्वास, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के भुगतान से संबंधित शिकायतों और अन्य मुद्दों का निपटान किया जाता है। पीएसएआरए की वेबसाइट को पुनर्रोजगार कॉलम के तहत डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट से जोड़ा गया है तथा सीएपीएफ/एआर के सेवानिवृत्त और इच्छुक कर्मियों के डेटा को पीएसएआरए की वेबसाइट से जोड़ा गया है। पीएसएआरए की वेबसाइट का एक लिंक डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट पर भी दिया गया है। सभी सीडब्ल्यूओ/एसडब्ल्यूओ/डीडब्ल्यूओ और पूर्व–सीएपीएफ संघों को भी उपर्युक्त विषय के बारे में सूचित किया गया है तथा पूर्व–सीएपीएफ और एआर कर्मियों के बीच भी इसका प्रचार–प्रसार किया गया है। उपर्युक्त गतिविधि डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट पर "सीएपीएफ पुनर्वास" कॉलम के अंतर्गत उपलब्ध है।

7.74 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी–कभी, किसी आतंकवाद– रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 40.54 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)

7.75 गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व–कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के

लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में "केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" की शुरूआत की गई थी, जिसे पहले केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) कहा जाता था। आज की तारीख तक, 119 मास्टर कैंटीनें और 1,958 सहायक कैंटीनें चल रही हैं।

केपीकेबी में स्वदेशी

7.76 मंत्रालय ने दिनांक 01.06.2020 से "केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" और इसके स्टोर्स के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि केपीकेबी के माध्यम से "खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)" के उत्पादों की भी बिक्री की जाएगी। इस समय, इसके आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री के लिए बत्तीस (32) केवीआईसी उत्पादों जैसे कि खादी राष्ट्रीय ध्वज, अचार, सरसों का तेल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दलिया, शहद और तौलिया को केपीकेबी में पंजीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

7.77 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को समुचित रूप से पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके बच्चे माता–पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री 'मेरिट छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की 2000/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 2500/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की 2250/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3000/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह योजना आतंकी/नक्सली हमले में शहीद होने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से, मौजूदा 42 पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, 80 नए व्यावसायिक/तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों, प्रबंधन और अन्य पाठ्यक्रमों को भी पात्र बनाया गया है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

7.78 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर ऊँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्रों में शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ के कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर, लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने हेतु, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

क. देश के आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य की देखभाल का लाभ प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त पहल की गई है, जिसके तहत सभी सात बलों अर्थात असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सेवारत सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान सीएपीएफ योजना के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना दिनांक 23.01.2021 को असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी और वर्तमान में पूरे भारत में लागू की जा चुकी है। आयुष्मान भारत और सीएपीएफ का परस्पर संयोजन आवश्यकतानुसार शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे मौजूदा मजबूत आईटी ढांचे

की क्षमता और अधिक बढ़ी है तथा एबी–पीएमजेएवाई के तहत पैनल में शामिल 28,620 और सीजीएचएस के तहत पैनल में शामिल 1,622 अस्पतालों के नेटवर्क तक पहुंच का लाभ मिला है। इस योजना के तहत देश भर के उपर्युक्त अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। अब तक, 38 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड पहले ही सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को वितरित किए जा चुके हैं और उनके लाभार्थियों ने इस कैशलेस योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

ख. सभी सीएपीएफ की यूनिटों में ओपीडी/आईपीडी सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं और ये नवीनतम उपकरणों, दवाइयों तथा आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना से लैस हैं।

ग. पूरे देश में 50 बेड वाले 33 कम्पोजिट अस्पताल, 100 बेड वाले 06 कम्पोजिट अस्पताल और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 200 बेड वाले रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत किया गया है। ये कम्पोजिट अस्पताल और रेफरल अस्पताल मूल रूप से सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान करने के लिए हैं।

घ. उपर्युक्त के अलावा, सभी सीएपीएफ कार्मिक, चाहे वे किसी भी बल के साथ संबद्ध हों, किसी भी सीएपीएफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

ङ. 200 बेड वाले रेफरल अस्पताल, जो सीएपीएफ का एक तृतीयक देखभाल वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है, ने दिनांक 15.10.2015 से ग्रेटर नोएडा में काम करना शुरू कर दिया है। सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रभावकारी तृतीयक देखभाल प्रदान करने हेतु इस अस्पताल में उपयुक्त विशेषज्ञों को तैनात करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक, इस अस्पताल ने कोविड–19 की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान कोविड से प्रभावित कई सीएपीएफ कार्मिकों, उनके परिवारों एवं आम नागरिकों का इलाज किया है तथा अनेक कीमती जान बचाई है।

च. सरकार ने मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 500 बेड वाले सामान्य अस्पताल, 300 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स सहित "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफ़आईएमएस)" की स्थापना की भी मंजूरी प्रदान की है।

छ. "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस)" के निर्माण का काम सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। सीएपीएफआईएमएस परियोजना के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिनांक 30.11.2015 को 1,219.21 करोड़ रुपये का "एए एवं ईएस" स्वीकृत किया गया है।

ज. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर सीएपीएफ के 32 कम्पोजिट अस्पतालों को पृथकवास (आइसोलेशन) और सीएपीएफ के कोविड–19 रोगियों को उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से "समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी)" के रूप में नामित किया गया है।

झ. अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एवं एफडब्ल्यू) के सहयोग से, "समर्पित कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों" को आवश्यकता के अनुसार जरूरी वस्तुएं/उपकरण अर्थात ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट, गॉगल्स, गाउन और दस्ताने आदि भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड–19 वैश्विक महामारी के

निर्देश/दिशानिर्देश सख्त अनुपालन के लिए समय–समय पर सीएपीएफ के डीसीएचसी अस्पतालों को भी परिचालित किए गए हैं।

ञ. कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान, सीएपीएफ ने दिल्ली कैंट में डीआरडीओ कोविड अस्पताल, गुजरात के कोविड अस्पताल और छतरपुर, नई दिल्ली में एसपीसीसीसी को 110 चिकित्सा अधिकारी तथा 280 पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराए हैं।

ट. "एबी पीएम–जेएवाई" लाभार्थियों को सीएपीएफ की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पूरे देश में सीएपीएफ, एनएसजी और असम राइफल्स के 603 अस्पतालों को एनएचए के साथ पंजीकृत/पैनलबद्ध किया गया है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

7.79 महिला सशक्तिकरण समिति (2010–11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोकसभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्धसैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित संसदीय समिति द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, जिसके लिए वर्ष 2011 में सभी सीएपीएफ को बलों में महिलाओं का प्रतिशत 5% तक लाने के निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, दिनांक 05.01.2016 को, शुरू में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में महिला कार्मिकों से भरे जाने के लिए कांस्टेबल स्तर पर 33% पदों और सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) अर्थात् बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर पर 14–15% पदों को आरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

7.80 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने हेतु जेंडर सेंसिटाइजेशन, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास करने, अधिकाधिक महिलाओं को ऑपरेशनल ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले अधिकारी से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दूसरे संगठन से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ख. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच में शामिल किया जाता है। अर्ध सैनिक बलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनिक मामलों के साथ–साथ अन्य अनुशासनात्मक मामलों की मानीटरिंग आवधिक विवरणियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से की जा रही है, ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

ग. जेंडर सेंसिटाइजेशन और सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने

के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

घ. सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया गया है, ताकि विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जा सकें।

ङ. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है। क्रेच सुविधाओं की स्थापना से संबंधित जरूरतों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

च. कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए और साथ ही बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान सीआरपीएफ में 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

7.81 सीएपीएफ में महिला कार्मिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने और सीएपीएफ में महिला कार्मिकों के प्रतिनिधित्व में सुधार हेतु भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करके भर्ती की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ख. सीएपीएफ में भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक धीरज प्रशिक्षण (पीईटी) में छूट है।

ग. केंद्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव सीएपीएफ की महिला कार्मिकों के लिए भी लागू हैं।

घ. महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए एक महिला सदस्य को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ङ महिला कार्मिकों को उनके कैरियर में प्रगति अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में भर्ती नियमों के अनुसार उनके समकक्ष पुरुष कार्मिकों के समान अवसर प्रदान किया जाता है।

च. दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

बल	कुल स्वीकृत संख्या	कुल तैनाती की संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
सीआरपीएफ	324654	295231	9413	3.19
बीएसएफ	265277	239581	7500	3.13
सीआईएसएफ	170343	142565	9349	6.55
आईटीबीपी	90728	86874	2710	3.12

एसएसबी	97774	87245	3655	4.19
असम राइफल्स (एआर)	66411	58853	1953	3.32
कुल	**1015187**	**910349**	**34580**	**3.80**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

7.82 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने आम संसदीय चुनावों, विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता प्रदान की है।

7.83 वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न राज्यों (अर्थात झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, पंजाब एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में उप–चुनावों के लिए सीएपीएफ को मोबिलाइज करके तैनात किया गया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव–2022 हेतु बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन को भी मोबिलाइज करके तैनात किया गया।

7.84 वर्ष 2022 के दौरान, सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को सहायता देना भी जारी रखा। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सीएपीएफ मुहैया कराए गए।

7.85 अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ओडिशा और पंजाब में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) का गठन

7.86 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने हेतु राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी। अब तक, 185 इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 01 इंडिया रिजर्व बटालियन को स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया था। अब तक स्वीकृत कुल 185 आईआर बटालियनों में से, 159 आईआर बटालियनों का गठन किया जा चुका है।

7.87 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार है:

क. एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75% राशि (26.19 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाती है और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25% राशि का वहन स्वयं करना होता है।

ख. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आईआर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50% हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

ग. वर्ष 2022–23 में, आईआर बटालियन के लिए अनुदान सहायता के तहत 25 करोड़ रुपये, स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) के लिए 05.00 करोड़ रुपये तथा ऋण और अग्रिम के तहत 1.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, 7,80,66,500/– रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

7.88 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ "स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)" की एक योजना इस लक्ष्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी। शुरू में, 10 एसआईआरबी की मंजूरी दी गई थी और 01 आईआर बटालियन को एसआईआरबी में परिवर्तित किया गया था। कुल मिलाकर, इनकी संख्या 11 थी। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत 161 करोड़ रुपये है। इनमें से, केवल 03 बटालियनों का ही एसआईआरबी के रूप में गठन किया गया है। शेष 8 एसआईआरबी के लिए, राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्यों से कहा है कि वे इन एसआईआरबी को इस शर्त के साथ सुरक्षा कम्पनियों के रूप में परिवर्तित करें कि एसआईआरबी के लिए प्रतिपूर्ति की लागत गृह मंत्रालय के दिनांक 27.08.2018 के पत्र के तहत प्रति आईआर बटालियन के अनुसार (अर्थात 51.19 करोड़ रुपये प्रति बटालियन) होगी। बजट अनुमान 2022–23 में, एसआईआरबी के गठन के लिए अनुदान–सहायता के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार से 71,20,26,268/– रुपये का दावा प्राप्त हुआ था, तथापि, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज अर्थात उपयोग प्रमाण–पत्र (यूसी) और व्यय संबंधी ब्यौरे संलग्न नहीं किए गए थे, इसलिए राज्य सरकार को यूसी और व्यय के विस्तृत ब्यौरे के साथ अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पौधारोपण अभियान – 2022

7.89 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 'पर्यावरण' के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हैं और वे अपने परिसरों के अन्दर तथा उसके आस–पास पौधारोपण अभियान चलाते रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के आह्वान पर, सीएपीएफ ने जनवरी, 2022 से दिनांक 31.12.2022 तक बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया और 28 राज्यों तथा 06 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्थित अपने परिसरों और अपनी तैनाती वाले स्थानों पर 1,01,20,929 पौधे लगाए। सीएपीएफ, एआर और एनएसजी की यह उपलब्धि न केवल पर्यावरण के लिए उनकी चिंता को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

भारत के वीर

7.90 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के शहीदों के निकटतम संबंधियों (एनओके) के लिए अंशदान करने हेतु लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 09.04.2017 को "भारत के वीर" पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, दान देने वाले लोग इसका उपयोग करके सीधे एनओकेएस के खाते में अथवा "भारत के वीर" नामक कॉर्पस में अंशदान कर सकते हैं। जुलाई, 2018 में "भारत के वीर" ट्रस्ट की स्थापना भी की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव सेटलर के रूप में और सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स के महानिदेशक और सीएपीएफ से एक महिला

एडीजी/आईजी सदस्य ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं। "भारत के वीर" पोर्टल एवं ट्रस्ट के माध्यम से किए गए सभी अंशदान को धारा 80 जी और 12ए के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के क्लाउड सर्वर में होस्ट किया गया है और इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भुगतान गेटवे के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। दान देने वाले लोग डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से और साथ ही "भारत के वीर" के नाम चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अंशदान कर सकते हैं। इस मिशन में सहायता करने और प्राइवेट कम्पनियों से अंशदान प्राप्त करने हेतु, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के लिए "भारत के वीर" में अंशदान को "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" संबंधी गतिविधियों के भाग के रूप में शामिल किया है।

7.91 इसके अंतर्गत, दान देने वाले लोग शहीदों के निकटतम संबंधियों के खाते में सीधे 15 लाख रुपये तक का अंशदान कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर खाते को अपलोड करने के बाद तीन महीने का समय बीत जाने के बावजूद 15 लाख रुपये की राशि का अंशदान नहीं किया जाता है, तो कमी वाली राशि को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुग्रह राशि एवं अन्य परिलब्धियों सहित कुल अंशदान 01 करोड़ रुपये से कम है, तो कमी वाली राशि को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से प्रदान किया जा रहा है। कल्याणकारी गतिविधि को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हाल ही में, भारत के वीर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने उन सीएपीएफ/असम राइफल्स और एनएसजी कार्मिकों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं और चोट के कारण सेवा से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह, जो शहीद विवाहित हैं और जिनके सभी वित्तीय लाभ उनके पति–पत्नी को मिलते हैं, उनके वंचित माता–पिता की सहायता करने के उद्देश्य से, "भारत के वीर" ट्रस्ट ने ऐसे शहीदों के माता–पिता को 10 लाख रुपये की और धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, कोविड–19 प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय तैनाती के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीएपीएफ के कोरोना योद्धाओं के निकटतम संबंधियों के नाम तीन महीने तक बीकेवी पोर्टल पर अपलोड करके उन्हें भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, 592 शहीदों/कोरोना योद्धाओं के निकटतम संबंधियों को भारत के वीर पोर्टल/कॉर्पस से 77.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

आजादी का अमृत महोत्सव

7.92 स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत करने के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के उद्देश्य से, सीएपीएफ और असम राइफल्स द्वारा पूरे देश में 61,90,158 तिरंगे फहराए गए। जब केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, तो उनमें क्षितिज को केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगने का उत्साह देखा गया। जब सभी सीएपीएफ के कर्मियों ने अपने परिवारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया, तो यह शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। बलों ने न केवल अपनी भागीदारी करने, बल्कि बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों, व्यापक रैलियों, तिरंगा प्रस्तुतियों, बैंड डिस्प्ले और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस आंदोलन को नागरिकों तक ले जाने के अपने प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया। देश भर के नागरिकों का जबरदस्त उत्साह इस बात का प्रमाण है कि तिरंगा भारत और इसके लोगों के दिल में बसा हुआ है।

*****

अध्याय - 8
अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

8.1 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की स्थापना दिनांक 28.08.1970 को गृह मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था, कारागारों और सुधारात्मक प्रशासन में उत्कृष्टता और सर्वोत्तम मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय है। बीपीआरएंडडी के चार्टर में पिछले कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और इसमें अब आंतरिक सुरक्षा, भूमि और समुद्री सीमा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और उनकी विशेष इकाइयों का क्षमता निर्माण, पुलिस की छवि में सुधार और पुलिस–समुदाय इंटरफेस, किशोर न्याय, महिला सुरक्षा और अभियोजन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

8.2 बीपीआरएंडडी के पांच केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित हैं, और ये संस्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ और न्यायिक, अभियोजन, वन और कारागार सेवाओं के पुलिस अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रशिक्षण के लिए समर्पित हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल की स्थापना समूह 'क' पुलिस अधिकारियों को बेसिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने दिनांक 31.12.2022 को, देवनहल्ली, बेंगलुरु में छठे केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी।

अनुसंधान परियोजनाएं

8.3 वर्ष 1970 से, बीपीआरएंडडी ने 218 अनुसंधान अध्ययन और 82 डॉक्टोरल थिसिस पूरी की हैं। वर्तमान में, चार अनुसंधान अध्ययनों का कार्य चल रहा है।

8.4 बीपीआरएंडडी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के छात्रों को बीपीआरएंडडी के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 से शुल्क युक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। वर्ष 2022–23 में, विभिन्न विश्वविद्यालयों के 23 छात्रों ने बीपीआरएंडडी में अपना शुल्कयुक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा किया।

8.5 वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं:

(क) जून, 2020 में स्थापित मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो (एमओबी) ने वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित 2 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं:

(i) अपराध–की पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन;

(ii) क्षमता निर्माण की पहल के लिए सुधारात्मक प्रशासन और कारागारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण (टीएनए)।

(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्य–दबाव और आत्महत्या के मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय।

(ग) विधि प्रवर्तन (अपराध निवारण, अपराध का पता लगाने, यातायात प्रबंधन, आदि) में सीसीटीवी की प्रभावकारिता का समीक्षात्मक विश्लेषण।

(घ) किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत चाइल्ड केयर संस्थानः स्थिति और सुधार के उपाय।

(ङ) "विचारणाधीन व्यक्तियों, कैदियों और उनके परिवारों द्वारा सामना की गई समस्याएं" नामक एक डॉक्टरेट थीसिसः भारत सरकार की फैलोशिप योजना के तहत तमिलनाडु में सम्पन्न एक अध्ययन।

क्षमता निर्माण

8.6 वर्ष 2022–23 में, भारत और विदेश दोनों के पुलिस, कारागार, अभियोजन, न्यायिक और अन्य अधिकारियों एवं हितधारकों के लिए कई प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित किए गए। वर्ष के दौरान 423 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 29,945 अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल्स, संचार संबंधी कौशल और पब्लिक डीलिंग, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की जांच और उनकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, अपराध की जांच और उसका पता लगाने, विदेश में जांच/पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलटीए)/आर्थिक अपराध के संबंध में अनुरोध पत्र (एलआर) के आधार पर जांच, महिला पुलिस अधिकारियों के लिए आत्म–विकास और संघर्ष प्रबंधन, मानव आसूचना संग्रहण, एनडीपीएस मामलों की जांच, साइबर आतंकवाद से निपटना आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निर्भया कोष के तहत महिला सुरक्षा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन से संबंधित कई पेशेवर पहलुओं पर अभियोजन और जांच अधिकारियों के लिए 39 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 975 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नेशनल पुलिस टेक्नोलॉजी लीडरशिप (एनपीटीएल) और नेशनल पुलिस परस्पेक्टिव मैनजमेंट (एनपीपीएम) पर फ्लैगशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें 61 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण संबंधी अन्य उपाय

8.7 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा, क्षमता निर्माण संबंधी निम्नलिखित अन्य उपाय किए गएः

(क) 'ई–उस्ताद' स्व–शिक्षा पोर्टल के विस्तार का कार्य अंतिम चरण में है, जिसमें 5000 से अधिक व्यक्ति पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं।

(ख) देश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन और सूचना प्रणाली (टी एम आई एस) नामक एक पोर्टल शुरू किया गया।

(ग) भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 25 परिवीक्षाधीन आईआरएस अधिकारियों, 25 परिवीक्षाधीन एनआईएफएम अधिकारियों और 12 परिवीक्षाधीन आईपीओएस अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं

8.8 वर्ष के दौरान कई सम्मेलन, वेबिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की गईंः

(क) 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी)।

(ख) छठी अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी सम्मेलन (एआईपीडीएम)

(ग) 10वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन।

(घ) पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

(ङ) 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी।

(च) व्यक्तित्व विकास और तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला।

(छ) साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन।

(ज) पुलिस आधुनिकीकरण विषय पर वेबिनार।

(झ) चौथा राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस प्रदर्शनी।

(ञ) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) द्वारा विकसित सिक्योरिटी सोल्यूशन, निर्माण प्रौद्योगिकियों में नवीनतम रुझानों, भवन रखरखाव एवं स्थायित्व के विविध पहलुओं, 3–डी प्रिंटिंग, तपेदिक, क्रोनिक किडनी रोग और मस्कुलोस्केलेटल पेन में फिजियोथेरेपी की भूमिका, लापता बच्चों का पता लगाना और अवैध मानव तस्करी से निपटना जैसे विषयों पर वेबिनार और कार्यशालाएं तथा कम्प्यूटर में हिंदी टंकण कार्य कैसे करें विषय पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

(ट) मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन।

(ठ) कारागार में अपनाई जाने वाली गुड प्रैक्टिसिज।

(ड) कैदी के अधिकार और हक़ दारियां – विधि, नीतियां और व्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अद्यतन स्थिति।

(ढ) उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रेडिकलाइजेशन को समझना और आकलन।

(ण) सीसीटीएनएस/आईसीजेएस की अच्छी पद्धितयों पर चौथा सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.9 बीपीआरएंडडी ने अन्य भागीदार देशों के साथ भारत की क्षमता निर्माण पहलों को आगे बढ़ाया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भारत द्वारा 163 देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)।

(ख) सीएपीटी, भोपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस के सहयोग से "आतंकवाद–रोधी सहायता (एटीए)" पर विषयगत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(ग) दिनांक 19.04.2022 से 21.04.2022 तक 7वें अपराध निवारण कार्यकारी ब्रिक्स समूह के तहत बने क्षमता निर्माण संबंधी उप–समूह की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीपीआरएंडडी को विधि प्रवर्तन क्षमता निर्माण के मामले में एक अग्रणी एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

प्रकाशन

8.10 वर्ष 2022–23 में बीपीआरएंडडी ने कई प्रकाशन निकाले, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

क. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार भारत में पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े।

ख. त्रैमासिक समाचार बुलेटिन।

ग. जेल प्रशिक्षण मैनुअल।

8.11 बीपीआरएंडडी ने "आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच" में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार कीं।

52वां स्थापना दिवस समारोह

8.12 बीपीआरएंडडी का 52वां स्थापना दिवस (28.08.2022) समारोह दिनांक 09.09.2022 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि थे।

डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान 2022

8.13 केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने दिनांक 19.05.2022 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में "भारतीय पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग" विषय पर डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान 2022 दिया।

जनजातीय गौरव दिवस

8.14 स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में बीपीआरएंडडी मुख्यालय में दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

8.15 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) की स्थापना पुलिस, सुधारात्मक प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में की गई है। आरआरयू अधिनियम, 2020 के तहत स्थापित इस विश्वविद्यालय ने दिनांक 01.10.2022 से कार्य करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर गांधीनगर, गुजरात में 230 एकड़ में फैला हुआ है। आरआरयू एक शिक्षण, अनुसंधान और संबंद्ध विश्वविद्यालय है तथा यह आवश्यकता पड़ने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों को संबद्धता प्रदान कर सकता है। आरआरयू ने पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश और लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अपने परिसरों की स्थापना की है।

8.16 विश्वविद्यालय वर्तमान में अपने 10 स्कूलों में 36 शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम से लेकर पीएचडी तक के शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष भारत के सभी हिस्सों के साथ–साथ विदेशों से भी कुल मिलाकर 950 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2022 में समाप्त हुए शैक्षणिक वर्ष के दौरान उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 73% को उद्योग और विभिन्न सुरक्षा एवं पुलिस संगठनों में नौकरी प्राप्त हुई।

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय

8.17 गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में एनएफएसयू अधिनियम, 2020 के तहत एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य अध्ययन एवं अनुसंधान को सुगम बनाना और इसे बढ़ावा देना था ताकि एप्लाइड बिहेवियर साइंस स्टडीज, विधि, अपराध विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ–साथ फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। एनएफएसयू एक शिक्षण, अनुसंधान और संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है तथा यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों को संबद्धता प्रदान कर सकता है। एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगा और इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा।

8.18 गांधीनगर, गुजरात और दिल्ली में एनएफएसयू के परिसरों के अलावा गोवा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में तीन नए परिसर स्थापित किए गए हैं। विधि विज्ञान और संबद्ध विषयों में शिक्षण कार्य और अनुसंधान के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022–23 में पुणे और गुवाहाटी में भी अपनी अकादमियां शुरू की हैं। मणिपुर में एक फॉरेंसिक साइंस स्किलिंग एंड ट्रेनिंग संस्थान भी स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य में फॉरेंसिक के लिए एक शैक्षणिक सेटअप हो, विश्वविद्यालय संबद्धता के लिए इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करता है और अब तक चार संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थ, साइबर रक्षा, फॉरेंसिक और जांच मनोविज्ञान तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय में एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित बैलिस्टिक अनुसंधान केंद्र और परीक्षण रेंज भी है, जो बॉडी आर्मर और बख्तरबंद वाहनों, ग्लास प्लेट्स, हेलमेट आदि का उच्च–स्तरीय अनुसंधान परीक्षण करता है।

8.19 आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहायता के लिए, विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, सुरक्षा विशेषज्ञों, सतर्कता अधिकारियों और अन्य पेशेवरों को जांच और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब तक, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने भारत के 30,000 से अधिक अधिकारियों और 70 विभिन्न देशों के 5000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

8.20 शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ–साथ एनएफएसयू विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को परामर्श भी प्रदान करता है तथा साइबर सुरक्षा ऑडिट, संवेदनशीलता आकलन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फॉरेंसिक ऑडिट और परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवाएं प्रदान करता है।

फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस)

8.21 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) देश में फॉरेंसिक विज्ञान के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। डीएफएसएस फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न गर्वनमेंट हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स, शिक्षा जगत, अनुसंधान और विकास तथा उद्योग से जोड़ने का भी काम करता है। फॉरेंसिक विज्ञान में क्षमता और सामर्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, डीएफएसएस ने देश में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विभिन्न संस्थानों और विषयों के वैज्ञानिकों के लिए अपनी अतिरिक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहायता शुरू की है। रणनीतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्य, फॉरेंसिक विज्ञान के उपेक्षित क्षेत्रों का विकास करने में और देश के समग्र फॉरेंसिक विज्ञान और नवाचार परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

8.22 विभाग ने भविष्य के व्यवधानों के लिए अच्छी तरह से तैयार एक सुरक्षित और बेहतर समाज के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए फॉरेंसिक विज्ञान को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। वर्ष 2021–22 के दौरान कुछ प्रमुख सफलताएं हैं: जिनमें नए सीएफएसएल की स्थापना; सीएफएसएल के पारंपरिक और मौजूदा प्रभागों का स्तरोन्नयन और स्थापना, हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई) का उद्घाटन और फॉरेंसिक विज्ञान के उपेक्षित क्षेत्रों के निराकरण के लिए अपने अतिरिक्त रिसर्च प्रोग्राम को फिर से शुरू करना और मामलों की जांच के लिए स्वदेशी उपकरणों और तकनीकों का विकास किया जाना आदि शामिल है।

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सीएफएसएल)

8.23 गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के तत्वावधान में 6 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएं भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

8.24 मुख्य रूप से, सीएफएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका नई फॉरेंसिक तकनीकें विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है, फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु मूलभूत विज्ञान में नवीनतम विकास को अपनाना और इस प्रकार की सूचना को अन्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, सीएफएसएल को निम्नलिखित मामलों में भी अपराध के सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण करने का शासनादेश दिया गया है:

(क) केंद्र सरकार के सभी मामले।

(ख) उन राज्यों के मामले, जहां कोई फॉरेंसिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(ग) विधिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले।

(घ) राज्य की प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए अत्यधिक जटिल मामले, जिनके लिए उस राज्य में विशेषज्ञता मौजूद नहीं हैं।

(ङ) पड़ोसी देशों द्वारा भेजे गये मामले।

8.25 **सीएफएसएल का क्षेत्राधिकार:** 26 जुलाई, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इन छह सीएफएसएल को निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किये गये हैं:

(क) सीएफएसएल भोपाल:– मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।

(ख) सीएफएसएल पुणे:– महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली।

(ग) **सीएफएसएल गुवाहाटी**:– असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।

(घ) **सीएफएसएल कोलकाता**:– ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

(ङ) **सीएफएसएल हैदराबाद**:– आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, पुदुचेरी।

(च) **सीएफएसएल चंडीगढ़**:– जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा (लद्दाख के मामलों का निपटान सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है)।

(**नोट**: सीएफएसएल, दिल्ली तत्कालीन सीएफएसएल (सीबीआई) को दिनांक 18.12.2022 से डीएफएसएस के कार्यक्षेत्र में लाया गया है।)

8.26 तथापि, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मामले स्वीकार कर सकती हैं।

8.27 फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(i) एनएबीएल मानकों (आईएसओ/ आईईसीआई 17025:2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल और

(ii) फॉरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों अर्थातः जैविक विज्ञान (जीव विज्ञान और डीएनए), रासायनिक विज्ञान (रसायन विज्ञान, स्वापक पदार्थ, विष विज्ञान, विस्फोटक); साइबर फॉरेंसिक (कंप्यूटर फोरेंसिक्स एवं स्पीकर आइडेंटिफिकेशन) में कार्य पद्धति मैनुअल।

(iii) यौन उत्पीडन के मामलों में जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और परिवहन हेतु दिशानिर्देश।

(iv) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए उपकरणों की मानक सूची।

(v) अपराध स्थल की जांच संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

(vi) फॉरेंसिक उपकरण के परीक्षण और मापन के अंशशोधन की प्रक्रिया।

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सीएफएसएल)

8.28 डीएफएसएस के अंतर्गत सीएफएसएल को 13 प्रभागों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, दस्तावेज, बेलिस्टिक, डिजिटल फॉरेंसिक विज्ञान (फॉरेंसिक इलैक्ट्रॉनिक्स), फॉरेंसिक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए), फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक नार्कोटिक्स, फॉरेंसिक आसूचना और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में, सभी 6 सीएफएसएल में 11 प्रभाग प्रचालन में हैं। छह सीएफएसएल में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और फॉरेंसिक आसूचना प्रभाग स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

8.29 उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीएनए विश्लेषण, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो सत्यापन, वक्ता की पहचान, स्केनिंग इलेक्ट्रोन–माईक्रोस्कोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स–रे एनालिसिस (एसईएम–ईडीएक्सए) का प्रयोग करके शूटर की पहचान, स्वचालित आग्नेयास्त्र/गोलाबारूद पहचान प्रणाली, चेहरे की पहचान/सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, बुलेटप्रूफ सामग्री परीक्षण और कपाल अध्यारोपन के क्षेत्र में सीएफएसएल में नई प्रौद्योगिकियां हासिल की गई हैं।

8.30 **अनुसंधान कार्य**: छह केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं ने न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। इस अवधि के दौरान, छह

सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों/कार्यवाहियों के माध्यम से ओडियो–वीडियो, वक्ता की पहचान, करेंसी नोट, जीव विज्ञान/डीएनए प्रोफाइलिंग, विषविज्ञान, रसायन आदि से जुड़े 31 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

8.31 **मामले की जांच संबंधी कार्यः** दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक, डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत छह सीएफएसएल ने अपराध के मामलों की जांच निम्नानुसार की हैः–

सीएफएसएल	भोपाल	चंडीगढ़	हैदराबाद	कामरूप	कोलकाता	पुणे	कुल
दिसंबर 2021 से अग्रेषित	366	1486	617	603	1390	638	**5100**
प्राप्त	698	3736	1678	1294	2541	887	**10834**
सूचित	827	3777	1946	889	2439	1023	**10901**
31 दिसंबर 2022 तक लंबित	237	1445	349	1008	1492	502	**5033**

8.32 ये प्रयोगशालाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जटिलता वाले, उन मामलों की जांच करती हैं, जिनमें विशेषज्ञ की पेशेवर राय और दक्षता की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों से प्राप्त नकली नोटों के मामले प्रयोगशालाओं द्वारा समयबद्ध तरीके से निपटाए जाते हैं। इसी तरह, छह प्रयोगशालाओं द्वारा मानव तस्करी, आतंकवाद–रोधी, पोस्को, एनसीबी, एनआईए और अन्य अदालती निगरानी वाले मामलों को निपटाया जाता है।

8.33 **न्यायालयी साक्ष्यः** दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान छह सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधिक न्यायालयों में 805 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

8.34 **अपराध स्थलः** इस अवधि के दौरान सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 57 महत्वपूर्ण अपराध दृश्यों की जांच की है।

8.35 **प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें प्रतिभागिता की गई और जिनका आयोजन किया गयाः** दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, छह सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए एनएफएसयू, विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य एजेंसियों जैसे कि एनएबीएल, आईएसटीएम, एनसीआरबी द्वारा आयोजित 49 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपकरण प्रशिक्षण में भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने 290 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया/ व्याख्यान दिए, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

8.36 फॉरेंसिक विज्ञान के स्नातकोत्तर पीजी छात्रों और राज्य और सीएफएसएल के विशेषज्ञों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तीन नए सीएफएसएल ने शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग के लिए दिनांक 30.05.2022 को एनएफएसयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत, छात्रों के लिए एम.एससी. (एफएस) पाठ्यक्रम शुरू किया गया और सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया और फॉरेंसिक विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। फॉरेंसिक विज्ञान के

क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रमों के दौरान इस विषय पर प्रस्तुतियां एवं तकनीकी व्याख्यान दिए और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए।

8.37 **एक्स्ट्रा म्युरल अनुसंधान (ईएमआर) योजनाः** डीएफएसएस, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी ईएमआर योजना के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, डीएफएसएस को फॉरेंसिक विज्ञान के चार विषयों में अनुमोदित ईएमआर योजना के तहत आईआईटी, एनआईटी, सी–डैक, विश्वविद्यालयों आदि जैसे विभिन्न संस्थानों से कुल 119 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक विषय के लिए ऑनलाइन प्रस्तुतियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए 4 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। 27 चयनित परियोजनाओं में से, पहले चरण में वित्त पोषण के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के लाभार्थियों को 25% धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। ईएमआर परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना है तथा साथ ही फॉरेंसिक उपकरणों और किटों और फॉरेंसिक जांच के लिए उपयोग आने वाले रसायनों का स्वदेशी विकास करना है। इससे लागत में कटौती करने, तकनीकी उन्नयन करने और मामले की जांच के काम में तेजी लाने आदि में मदद मिलेगी।

8.38 **सीएफएसएल का आधुनिकीकरणः** इस मंत्रालय द्वारा भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और पुणे स्थित चार केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया है। भोपाल, असम (कामरूप) और पुणे में नव निर्मित सीएफएसएल का उद्घाटन किया गया है और इन प्रयोगशालाओं ने नए परिसरों से कार्य करना शुरू कर दिया है। सीएफएसएल कोलकाता में आधुनिक प्रयोगशाला भवन परिसर में निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

8.39 नए प्रभागों की स्थापना के साथ–साथ मौजूदा प्रभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए, छह सीएफएसएल द्वारा इस अवधि के दौरान उपकरण खरीदे गए हैं, जिनमें फॉरेंसिक स्मार्ट सर्वर, वर्कस्टेशन, मोबाइल फॉरेंसिक उपकरण, डीवीआर जांच उपकरण, फॉरेंसिक मनोविज्ञान उपकरण, मफल फर्नेस इत्यादि शामिल हैं। कुछ उपकरणों की खरीद पर विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस वित्त वर्ष के अंत तक खरीद प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।

8.40 उपर्युक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान सीएफएसएल द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं सृजित की गईः–

– सीएफएसएल चंडीगढ़ 'ड्रोन फॉरेंसिक' की सुविधा विकसित कर रही है, जिसके बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। प्रयोगशाला ने एमटी डीएनए स्किवेंसिंग सुविधा और नेक्स्ट जनरेशन डीएनए स्किवेंसिंग सुविधा भी विकसित कर ली है।

– सीएफएसएल असम ने पेट्रोलियम उत्पादों के विश्लेषण के लिए सुविधा शुरू की।

– सीएफएसएल कोलकाता ने डीवीआर के इन बिल्ट फंक्शन का उपयोग किए बिना डीवीआर हार्ड डिस्क की जांच शुरू कर दी है।

– सीएफएसएल पुणे ने तंबाकू के मामलों की रासायनिक जांच शुरू की है और मिट्टी की जांच की सुविधा विकसित की है।

– एनसीएफएल हैदराबाद ने एलएएन के माध्यम से सभी वर्कस्टेशनों के साथ और इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएएन के माध्यम से अन्य सीएफएसएल के साथ स्मार्ट सर्वर को जोड़ा। अब, प्रयोगशाला में सभी फॉरेंसिक उपकरणों का उपयोग केंद्रीय रूप में स्थित सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है।

सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला

8.41 भारत में डीएनए विश्लेषण का प्रयोग अपने उभरते हुए स्तर पर है। डीएनए विश्लेषण वह तकनीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान मॉलीक्यूलर स्तर पर की जा सकती है। फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण एक

बहुत संवेदनशील और पुनरुत्पादनीय तकनीक है और यह तकनीक पीड़ित और संदिग्ध की पहचान, बड़ी आपदाओं में मानव की पहचान, पितृत्व और मातृत्व संबंधी विवादों, बलात्कार और हत्या के मामले, अस्पतालों में बच्चा बदलने, किसी मृतक की पहचान, अंग प्रत्यारोपण और आप्रवासन जैसे मामलों में आधुनिक आपराधिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा डीएनए विश्लेषण की बढ़ती हुई मांग के साथ ही, देश में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा शुरू की है। अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन कर इसका प्रचालन दिनांक 23.12.2019 को शुरू किया गया था।

8.42 बड़े प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के अंतर्गत डिजिटल ओटोक्लेव, बायो–इंक्यूबेटर्स, टीशू लाइजर्स, आटो–एक्सट्रेक्शन उपकरण, जीईएल डाक्यूमेंटेशन सिस्टम, रियल–टाइम पोलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, थर्मल साइक्लर्स, डीएनए सीक्वेंसर्स तथा सांख्यिकी विश्लेषण और डाटा प्रबंधन के लिए एनजीएस के साथ–साथ एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर की स्थापना को शामिल किया गया है।

8.43 इस संकाय ने विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और पोक्सो, यौन उत्पीड़न एवं डीएनए विश्लेषण से संबंधित 2579 अपराध सबूतों के साथ 421 मामलों की जांच की है।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई), हैदराबाद की स्थापना

8.44 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम स्कीम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 37.66 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से एक स्कीम अर्थात् हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 14.05.2022 को माननीय पर्यटन मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी और संयुक्त सचिव (सीआईएस) श्री आशुतोष अग्निहोत्री की उपस्थिति में इस आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।

राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

8.45 डीएफएसएस अपनी ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, विभिन्न नए और मौजूदा प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण करने, प्रमाणन प्राप्त करने, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने आदि में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) को लगातार तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। डीएफएसएस ने साइबर और डीएनए प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत एसएफएसएल द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन और इनके संबंध में सिफारिशें की हैं। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने 217.46 करोड़ रुपये की निधि अनुमोदित की है और निर्भया कोष स्कीम के अंतर्गत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 175.46 करोड़ रुपये की निधियां आंबटित की हैं। डीएफएसएस इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ गहन समन्वय कर रहा है।

8.46 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**

1. विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, निदेशक–सह–मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक, डीएफएसएस मुख्यालय ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राष्ट्रों के न्याय मंत्रियों की 9वीं बैठक की तैयारी के संबंध में 19 से 20 जुलाई, 2022 को फॉरेंसिक विशेषज्ञ गतिविधियों पर विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

2. डीएफएसएस के अंतर्गत सीएफएसएल की विशेषज्ञ समिति ने मॉरीशस में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मॉरीशस सरकार

ने समिति द्वारा दी गई जानकारियों पर सकारात्मक रूप से विचार किया।

3. व्यावहारिक प्रशिक्षण और अन्य संबंधित मामलों के विभिन्न प्रोटोकॉल को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए, भारतीय उच्चायोग, मॉरीशस के माध्यम से दिनांक 27.09.2022 को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें निदेशक, एफएसएल मॉरीशस और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ में सीएफएसएल और एनएफएसयू की विशेषज्ञ समिति ने भाग लिया।

4. सीएफएसएल पुणे ने आईएएसआर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन, 2022 में दिनांक 28.08.2022 को "अंडरस्टैंडिंग द साईकोलोजी ऑफ टेररिज्म थ्रू प्रोफाईलिंग ऑफ टेररिस्ट–कास्ट स्टडीज" नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा प्रयोगशाला का उद्‌घाटन

(स्रोत: सीएफएसएल हैदराबाद)

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली

भूमिका

8.47 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। यह प्रयोगशाला ब्लॉक नं. 04, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई और मुम्बई में सीबीआई के शाखा कार्यालयों में स्थित है।

क्षेत्राधिकार

8.48 सीएफएसएल, दिल्ली गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक वैज्ञानिक विभाग है। यह सीएफएसएल, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध के

सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। वास्तविक सुराग का पता लगाने के लिए पूरे भारत में अपराध के घटना स्थल पर भी इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। ये विशेषज्ञ जांच अधिकारियों तथा राज्य और केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के नए प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

1. न्यायालय साक्ष्य और अपराध का घटना स्थल

विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न न्यायालयों में 398 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए और दिल्ली एवं इसके बाहर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए अपराध के 181 प्रमुख घटना स्थलों की जांच की है।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी और संचालन

विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने अपने प्रोद्यौगिकीय ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य एजेंसियों यथा एनएफएसयू, एनएबीएल और बीपीआरएंडडी द्वारा आयोजित 47 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इंस्ट्रुमेंटल प्रशिक्षण में भाग लिया।

उपर्युक्त के अलावा, सीएफएसएल, दिल्ली के विशेषज्ञों ने अपराध स्थल से न्यायालय तक प्रत्येक चरण में श्रेष्ठ परिपाटियाँ विकसित करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान और वैज्ञानिक पूछताछ संबंधी तकनीकों के क्षेत्र में 209 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया/व्याख्यान दिया, जिनमें विभिन्न स्तरों के जांच अधिकारियों/अधिकारियों, वैज्ञानिकों, विधि अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

फॉरेंसिक विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों तथा राज्य और केंद्रीय एफएसएल के विशेषज्ञों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीएफएसएल ने शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग हेतु एनएफएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, एम.एससी.(एफएस) के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया तथा सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने फॉरेंसिक विज्ञान के नवीन क्षेत्रों में छात्रों, शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों के लिए व्याख्यान दिया और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

3. वर्ष 2022 के मामलों से संबंधित आंकड़े

1. दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	:	1119
2. दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक प्राप्त मामले	:	2199
3. दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक सूचित मामले	:	2313
4. दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	:	1005

4. गुणवत्ता आश्वासन संबंधी पहल

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी कार्यात्मक विषयों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली को आईएसओ आईईसी 17025 तथा "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला ने इसके प्रत्येक प्रभाग को भेजे गए अपराध के विभिन्न सबूतों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने हेतु "विस्तृत गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल" तैयार किया है। वर्ष के दौरान, 1603 मामलों (लगभग) में अनुरूपता संबंधी जांच की गई थी। एनएबीएल की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता मैनुअल को संशोधित किया गया था। प्रयोगशाला में नया मानक प्रारूप अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025 – 2005 शुरू किया गया है। अपराध के सबूतों के विश्लेषण कार्य में

प्रयुक्त उपकरणों को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से केलिब्रेट किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला के प्रबंधन तथा दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा, सीएफएसएल के सभी प्रभागों में नामित किए गए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। इस समय चलाए जा रहे गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। यह प्रयोगशाला किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की फॉरेंसिक जांच करने और न्याय की उपयुक्त व्यवस्था से संबंधित जटिलताओं के प्रभावशाली उपचारात्मक समाधान करने के लिए अपनी गुणवत्तापरक नीति का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के साथ–साथ सामान्य लोगों को भी प्रमाणित मानदंडों वाली भरोसेमंद गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सके।

5. मौजूदा जांच सुविधाएं

सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली में 12 पूर्णरूपेण सुसज्जित प्रभाग निहित हैं, जो अपराध के सबूतों/विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध के घटना स्थलों में पाये गए भौतिक/मनोवैज्ञानिक सबूतों के संग्रह/ पहचान करने में विभिन्न जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक सहायता संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ये प्रभाग बैलेस्टिक, बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट, रसायन, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फोटो, भौतिकी, सेरॉलोजी, कंप्यूटर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सहायता एकक के रूप में हैं।

सीएफएसएल, दिल्ली के विभिन्न प्रभाग

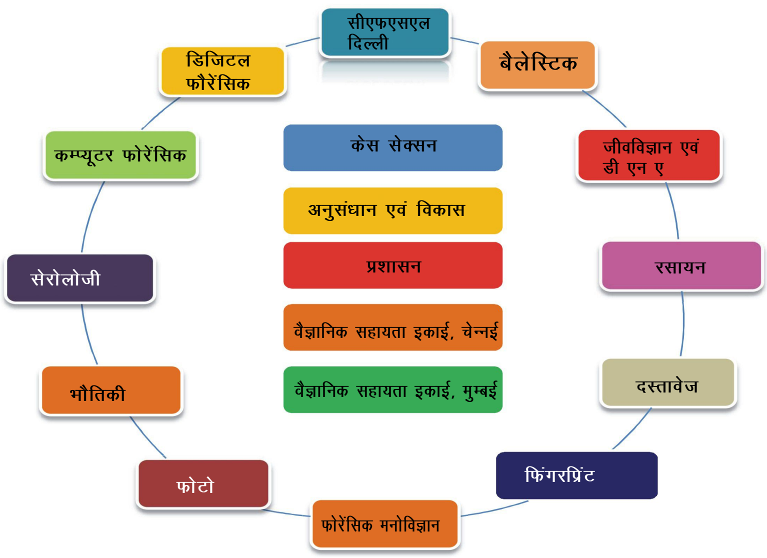

8.49 प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के फॉरेंसिक कौशल को उन्नत करने और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रोद्यौगिकियों को शामिल करने के लिए उनको विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

8.50 गृह मंत्रालय के दिनांक 11.03.1986 के संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना की गई थी। एनसीआरबी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

i. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय अपराधियों सहित अपराध और अपराधियों के सूचना प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करना, ताकि अपराधों को अपराधियों के साथ लिंक करने में जांचकर्ताओं और अन्य की सहायता की जा सके;

ii. पुलिस स्टेशन के रिकॉर्डों का संदर्भ लिए बिना भारत के संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांचकर्ता

एजेंसियों, न्यायालयों और अभियोजन संस्थाओं के लिए अंतर–राज्यीय तथा अंतर–राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में सूचना को दोतरफा संग्रहित, समन्वित और प्रसारित करना;

iii. राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक आंकड़े संग्रहित करना और उनको प्रोसेस करना।

iv. अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रिमांड, पैरोल, समयपूर्व रिहाई आदि से संबंधित दांडिक और सुधारात्मक एजेंसियों के कार्यों हेतु उनसे आंकड़े प्राप्त करना और उनको आंकड़े प्रदान करना;

v. राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्य में समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना;

vi. अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और

vii. अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों का मूल्यांकन, विकास और आधुनिकीकरण करना।

8.51 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का मुख्यालय महिपालपुर, नई दिल्ली में है और इसे गृह मंत्रालय का एक 'संबद्ध' कार्यालय माना जाता है। एनसीआरबी का कोलकाता में एक शाखा कार्यालय (मूल सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) मुख्यालय) है। कई वर्षों से, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर उसे एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने और सशक्त बनाने की एनसीआरबी की जिम्मेदारी भी इसका मुख्य एजेंडा बन गई है। एनसीआरबी ने देश में उपयुक्त आईटी प्लेटफार्म विकसित कर उनकी तैनाती करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपराध रिकॉर्डों के उनके कंप्यूटरीकृत प्रोसेस के कार्य में सहायता करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

8.52 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त आंकड़े संकलित करता है और अन्य के साथ–साथ अपने तीन महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशनों यथा 'क्राइम इन इंडिया', 'भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं' तथा 'प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया' में इन्हें प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्टों में निहित आंकड़े का व्यापक प्रयोग सांसदों, शिक्षाविदों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और एक विस्तृत अनुसंधानकर्ता समुदाय द्वारा प्रभावकारी नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए किया जाता है। ब्यूरो ने वर्ष 2021 की सभी तीनों रिपोर्टें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी हैं।

8.53 एनसीआरबी को अपराध प्रवृत्तियों और आपराधिक न्याय प्रणालियों के संचालन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण (यूएन–सीटीएस) के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है। एनसीआरबी 'सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपराध के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीसीएस)' के तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का भी एक सदस्य है।

8.54 **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) और अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस):** अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंव प्रणाली

(सीसीटीएनएस) जिसे 2009 में शुरू किया गया था और एनसीआरबी द्वारा कार्यान्वित किया गया था, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई थी और यह भारत में पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर अब देश के सभी 16,440 (100%) पुलिस थानों में उपलब्ध है।

8.55 सीसीटीएनएस परियोजना के क्रम में, अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) वह परियोजना है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों जैसे कि ई–न्यायालय, ई–कारागार, अभियोजन, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) आदि को एक अम्ब्रेला स्कीम से जोड़ती है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से आंकड़ों का आदान–प्रदान किए जाने को सुविधाजनक बनाता है और इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। आईसीजेएस से अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3415 न्यायालय परिसरों, 16,440 पुलिस स्टेशनों, 1296 कारागारों, 598 अभियोजन कार्यालयों और 117 में से 110 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एलईए, आरपीएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और आईवीएफआरटी द्वारा वांछित व्यक्तियों की तलाश के लिए आईसीजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और आईवीएफआरटी का डेटा भी खोज (सर्च) हेतु उपलब्ध है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पुलिस, कारागारों, न्यायालयों, फॉरेंसिक और अभियोजन सहित सभी स्तंभों के लिए खोज (सर्च) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

8.56 गुमशुदा व्यक्ति, वाहन सूचना प्रणाली, आर्म्ड लाइसेंस सूचना प्रणाली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी आईसीजेएस के अंतर्गत स्टैंडअलोन सिस्टम के रूप में आईसीजेएस से जोड़ दिया गया है।

8.57 28,820 से अधिक अधिकृत उपयोगकर्ता हैं, जो सर्च के लिए आईसीजेएस का उपयोग कर रहे हैं और आईसीजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अब तक लगभग 2.60 करोड़ सर्च की जा चुकी हैं।

8.58 एनसीआरबी ने बेहतर और त्वरित समन्वय के लिए पुलिस इकाइयों के बीच डिजिटल संचार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक) एप्लिकेशन विकसित किया है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक) एप्लिकेशन का उपयोग करके पुलिस स्टेशनों, उच्च कार्यालयों, कारागारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों द्वारा विभिन्न अपराध श्रेणियों के अंतर्गत चेतावनियां दी जा सकती हैं।

8.59 **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी):** गृह मंत्रालय द्वारा एनसीआरबी को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों तथा साथ ही महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराधों की सूचना देने में मदद करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1930 लागू किया गया है।

8.60 **राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी):** गृह मंत्रालय की आई4सी स्कीम के तहत, एनसीटीसी की स्थापना की गई थी जिसमें सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों, न्यायाधीशों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए पेशेवर गुणवत्तापूर्ण ई–लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक ऑपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म साइट्रेन (Cytrain) (https://cytrain.ncrb.gov.in) स्थापित किया गया है। इस सुविधा की प्रमुख विशेषता, प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक अनुकुल वातावरण तैयार करना है। प्रशिक्षुओं के लिए लगभग 1500 वीडियो/मूल व्याख्यान अपलोड किए गए हैं। प्रशिक्षुओं के लिए वर्चुअल हैंड्स–ऑन सुविधा के साथ एक ई–साइबर लैब भी स्थापित की गयी है।

8.61 वर्तमान में, साइट्रेन (Cytrain) पोर्टल 15 पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है (उपर्युक्त छह ट्रैक के अंतर्गत बेसिक स्तर, इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम तथा रिस्पॉन्डर, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन ट्रैक के अंतर्गत एडवांस स्तर के पाठ्यक्रम)।

8.62 **एनसीआरबी का 37वां स्थापना दिवस:** एनसीआरबी ने 11 मार्च, 2022 को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में,

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री अजय कुमार मिश्रा के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गृह मंत्रालय के गणमान्य व्यक्ति, सीपीओ/सीएपीएफ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीसीटीएनएस के नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय मंत्री महोदय ने एंड्रॉइड आधारित साइट्रेन मोबाइल एप्लिकेशन और तीसरा सीसीटीएनएस हैकथॉन एवं साइबर चैलेंज 2022 लॉन्च किया। इस अवसर पर एनसीआरबी की पत्रिका भी जारी की गई। माननीय मंत्री महोदय ने एनसीआरबी द्वारा 37 वर्षों की अपनी सतत यात्रा के दौरान हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की और संस्थान को इसके भावी प्रयासों के लिए प्रेरित किया।

11 मार्च, 2022 को एनसीआरबी का 37वां स्थापना दिवस (स्रोत: एनसीआरबी)

8.63 **राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस):** माननीय गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद, महत्वपूर्ण एनएएफआईएस परियोजना के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां 72,68,359 फिंगरप्रिंट (एफपी) आंकड़ों की उपलब्धता के साथ राष्ट्रीय स्तर की खोज (सर्च) के माध्यम से 600 से अधिक पुराने मामलों को हल करने में सक्षम रही हैं। एनसीआरबी परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने और एनएएफआईएस एप्लिकेशन पर विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। एनसीआरबी के अधीन केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) एनसीआरबी मुख्यालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न भूमिका–आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है, ताकि देश भर के फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ इस अत्याधुनिक फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की अधिकतम क्षमता का लाभ ले सकें। एनसीआरबी में 20 से 21 सितंबर, 2022 तक आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के 23वें अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और बायोमेट्रिक उद्योग ने एनएएफआईएस के महत्व, एफपी विज्ञान की चुनौतियों और एक कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए इंटरऑपरेबिलिटी के महत्व पर अपने विचारों को साझा किया।

फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशकों का 23वां अखिल भारतीय सम्मेलन, 2022 और इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि

8.64 468 विवादित दस्तावेजों पर विभिन्न संगठनों से

प्राप्त राय 31 दिसंबर, 2022 तक, संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई थी। दिनांक 08.11.2022 से 10.11.2022 तक आयोजित फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के प्रमाणन हेतु अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा–2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 226 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 173 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। तमिलनाडु के अभ्यर्थियों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि कर्नाटक के एक अभ्यर्थी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

8.65 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का एक अधिदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी और फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ब्यूरो की प्रशिक्षण शाखा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रत्येक वर्ष यह शाखा भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए औसतन 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। "साइबर अपराध एवं डिजिटल फॉरेंसिक", "अपराध आंकड़ा विश्लेषण", "अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली", "जाली भारतीय करेंसी नोट", "अंगुलछाप विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम", "बुनियादी फिंगर प्रिंट विज्ञान", "रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली", "क्राइम इन इंडिया" और "भारत में दुर्घटनावश मौते और आत्महत्याएं", "प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया", "प्रयोक्ता संचालन प्रशिक्षण एनएएफईएस", "राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली नामांकन पर कार्यशाला", "फिंगर प्रिंट लेने पर कार्यशाला", "आधुनिक उपकरणों के माध्यम से चांस प्रिंट डेवलपमेंट", "एनएएफआईएस पर प्रशिक्षको का प्रशिक्षण (टीओटी)", "फिंगर प्रिंट में एडवांस कोर्स" आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। एनसीआरबी संसाधन से जुड़े व्यक्तियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी प्रदान करता है, ताकि वे क्षेत्रीय अधिकारियों को आगे प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एनसीआरबी द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित सभी रैंकों के अधिकारी भाग लेते हैं।

एनसीआरबी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

8.66 दिनांक 31.12.2022 तक एनसीआरबी और क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (आरपीसीटीसी) द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

एनसीआरबी (मुख्यालय)		**सीएफपीबी, कोलकाता**		**आरपीसीटीसी (हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, लखनऊ)**		**कुल**	
आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**
887	18111	10	122	1493	36386	2390	54619

एनसीआरबी मुख्यालय में वेबिनार

8.67 सीआरबी क्षेत्रीय अधिकारियों के समक्ष आने वाले नवीन मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए मासिक वेबिनार भी आयोजित करता है, ताकि वे उन तरीकों/तकनीकों को जान सकें, जो अपराध की जांच में मदद कर सकती हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रख्यात संकाय सदस्यों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक, एनसीआरबी ने विभिन्न विषयों पर 9 वेबिनार आयोजित किए हैं।

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

8.68 एक नोडल सलाहकारी निकाय होने के नाते, "पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)" देश में पुलिस संचार की विभिन्न सेवाओं का समन्वय करने के अतिरिक्त, पुलिस संचार संबंधी सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है। इसके अतिरिक्त, यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/ सीपीओ और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में फैले "अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों" के माध्यम से संचार सुविधाएं प्रदान करता है। यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और उपकरणों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की जिम्मेदारी भी निभाता है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

8.69 यह निदेशालय कानून और व्यवस्था, वीवीआईपी/वीआईपी आवागमन आदि से संबंधित संदेशों के आदान–प्रदान के लिए अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्लयू) ग्रिड का रखरखाव करता है, जो कि देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों में फैले हुए हैं। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में 31 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन स्थित हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में भी आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को क्रियाशील बनाया जा रहा है। वर्ष 2022 में, साइफर संदेशों सहित कुल लगभग 10.46 लाख संदशों को क्लीयर किया गया है। सभी आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों को भेजने के लिए भी किया जाता है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

8.70 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की राजधानी में स्थित आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों, जिला स्तर तक राज्य पुलिस संगठनों और सीएपीएफ के स्थानों के बीच संचार के लिए एक अखिल भारतीय सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का प्रचालन करता है।

8.71 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर "अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट)" और नई दिल्ली स्थित पोलनेट हब निहित हैं। यह नेटवर्क स्वदेशी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट (जीसैट) सीरीज के सैटेलाइट पर कार्य करता है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। स्पेक्ट्रम की बेहतर क्षमता और इष्टतम उपयोग के लिए "डिजिटल वीडियो ब्राडकास्टिंग–सेटेलाइट वर्जन–2 (डीवीबी–एस2) प्रौद्योगिकी" को शामिल करके सैटेलाइट आधारित इस संचार नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और सीएपीएफ के 785 से अधिक अपग्रेडिड वीसैट संस्थापित किए गए हैं। पौलनेट नेटवर्क 3000 टर्मिनल की जरूरत पूरी कर सकता है और इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसका काम चल रहा है। यह नया नेटवर्क लद्दाख, पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों और लक्षद्वीप के साथ–साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे देश के दूरस्थ भागों को देश के अन्य किसी भी भाग से डाटा, वॉयस और वीडियो जैसी अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

8.72 दिल्ली स्थित मुख्य हब में किसी प्रकार की आकस्मिकता होने की स्थिति पैदा होने पर तत्काल नेटवर्क का ऑपरेशन संभालने के लिए बैंगलुरु में भौगोलिक रूप से व्यर्थ पड़े स्थान पर पोलनेट 2.0 के डिजास्टर रिकवरी हब की स्थापना का कार्य विचाराधीन है।

डिजिटल हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार का सुदृढ़ीकरण

8.73 डीसीपीडब्ल्यू ने नवीनतम प्रौद्योगिकी को

अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने डिजिटल हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया है, ताकि आपातकाल/आपदा के समय देश भर में राज्यों/संघ शासित राज्यों की राजधानियों में स्थित अपने आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों से संचार के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य से, निदेशालय ने 100 वाट के 40 डिजिटल एचएफ रेडियो और रग्ड लैपटॉप खरीदे हैं तथा इन्हें डीसीपीडब्ल्यू मुख्यालय एवं आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों में स्थापित किया गया है।

समन्वय विंग

8.74 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के "वायरलेस नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)" विंग के साथ समन्वय कर रहा है और नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान को तैयार/संशोधित करने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

8.75 डीसीपीडब्ल्यू ने इस वर्ष 5 सीएपीएफ और 1 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग किये जा रहे/खरीदे गए 85 संचार और तकनीकी उपकरणों के लिए गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं (क्यूआर) एवं परीक्षण निर्देशों (टीडी) को तैयार करने के दौरान एक महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका निभाई है। 14 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों और 3 सीएपीएफ के तकनीकी प्रस्तावों की भी जांच की गई थी और उपयुक्त सिफारिशें प्रदान की गईं।

8.76 डीसीपीडब्ल्यू ने पूर्ववर्ती डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) सेवाओं के विफल होने के पश्चात, कल्याणकारी उपाय के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से उपयोगकर्ता सीएपीएफ संगठनों हेतु भारतनेट वीसैट परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क 1047 डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल का पुनः प्रावधान करने के लिए गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ समन्वय किया, ताकि अत्यधिक दुर्गम स्थानों, जहां संचार के अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, पर तैनात जवान घर में अपने परिवारों के साथ बातचीत कर सकें। 1047 दुर्गम स्थानों में से, 972 स्थानों पर डीएसपीटी स्थापित कर दिए गए हैं तथा शेष बचे बीएसएफ के 75 स्थानों पर संस्थापन का कार्य सैटेलाईट कवरेज की अनुपलब्धता होने और तकनीकी कारणों से लम्बित है। इन स्थानों के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों का पता लगाया जा रहा है। इन स्थानों के लिए बीएसएनएल के माध्यम से संचार के वैकल्पिक साधन अर्थात आईएसएटी फोन उपलब्ध कराए गए हैं। डीसीपीडब्ल्यू कोई समस्या उत्पन्न होने पर उपयोगकर्ता सीएपीएफ संगठनों, गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के साथ भी समन्वय कर रहा है।

8.77 पूरे देश में 5 स्पॉट बीम्स के माध्यम से मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेस (एमएसएस) प्रदान करने के लिए जीसैट–06 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। रिमोट सैटकॉम टर्मिनल, एस–बैंड में संचालित होंगे, जबकि हब, सी–बैंड में सैटेलाइट के साथ संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय को सीएपीएफ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और गृह मंत्रालय के अन्य संगठनों के उपयोग के लिए जीसैट–06 सैटेलाइट के 25% संसाधन आवंटित किए गए हैं।

8.78 प्रथम चरण में उपर्युक्त संगठनों के लिए कुल 2367 जीसैट–06 उपग्रह टर्मिनलों वाले नेटवर्क हेतु जीसैट–06 हब की स्थापना का मामला डीसीपीडब्ल्यू में विचाराधीन है।

साइफर विंग

8.79 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर विंग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर–राज्य सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका साइफर दस्तावेज/डिवाइसों को प्राप्त करना है और क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके इन्हें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक, क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों और आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को कुल 15,716

क्रिप्टो दस्तावेज/उपकरण वितरित किए गए हैं।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

8.80 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है, ताकि अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस, सीएपीएफ और सीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीपीआरटीआई भारतीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पुलिस संगठनों के लिए, जब कभी विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय/ बीपीआरएंडडी द्वारा अपेक्षित हो, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

8.81 "क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई)" चंडीगढ़ और कोलकता में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु और गांधीनगर में भी आरपीडब्ल्यूटीआई स्थापित किए जा रहे हैं। आरपीडब्ल्यूटीआई, पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पुलिस संचार कार्मिकों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

8.82 सीपीआरटीआई नई दिल्ली, आरपीडब्ल्यूटीआई चंडीगढ़ और आरपीडब्ल्यूटीआई कोलकाता ने दिनांक 31.12.2022 तक 39 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस, सीएपीएफ तथा सीपीओ के 453 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू)/आरपीडब्ल्यूटीआई के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

8.83 स्थापनाओं की सुरक्षा के संबंध में डीसीपीडब्ल्यू के समक्ष आने वाली समस्या और साथ ही किराए के भवनों/राज्य सरकार के आवासों में संचार उपकरणों के समुचित रूप से कार्य करने के लिए एंटीना की बाधाओं पर विचार करते हुए, रायपुर और देहरादून में आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण अपेक्षित है। आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु क्रमशः 1446.94 वर्ग मी. और 3000 वर्ग मी. भूमि अधिग्रहित की गई है।

8.84 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, देहरादून के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव उत्तरखंड सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

8.85 इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से आरपीडब्ल्यूटीआई, कोलकाता के लिए नए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

8.86 गृह मंत्रालय ने गवर्मेंट ई–मार्केट के माध्यम से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी युक्त संचार उपकरण के क्षेत्रीय परीक्षण/जांच के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है। डीसीपीडब्ल्यू ने दिल्ली में अपनी सेंट्रल वर्कशॉप को सुदृढ़ किया है और डिजिटल रेडियो संचार के उपकरण की जांच के लिए डिजिटल जांच बैंच बनाई है। विभिन्न जांच/माप–तौल उपकरण यथा रेडियो संचार परीक्षण सेट (एनालॉग/डिजिटल), सिग्नल एनालाइजर, सिग्नल जेनरेटर, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी काउंटर, स्पेक्ट्रम एंड

वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर, बैटरी एनालाइजर और रियल टाइम सिग्नल/स्पेक्ट्रम एनालाइजर जांच/माप–तौल उपकरण खरीदे गए हैं। हैंड हेल्ड रेडियो सेटों के एंटीना और बैटरी के परीक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई हैं। हैंडहेल्ड डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) टियर–II रेडियो सेट और डीएमआर रिपीटर सेट के परीक्षण के लिए एसओपी तैयार की जा रही हैं।

8.87 अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान, निदेशालय की केंद्रीय कार्यशाला में कुल लगभग 7064 वस्तुओं को मिलाकर वायरलेस और अन्य उपकरण एवं सहायक कलपुर्जों के 69 परीक्षण/मरम्मत कार्य किए गए। कार्यशाला ने तकनीकी प्रस्तावों, क्यूआर, टीडी तैयार करने और साथ ही डिस्पैच करने से पहले के निरीक्षण (पीडीआई) कार्यों आदि पर सीएपीएफ को उपयुक्त सलाहकारी सेवाएं प्रदान की हैं।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

8.88 इस निदेशालय की एक जिम्मेदारी आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के दौरान केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और केंद्रीय पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करना है। निदेशालय ने विधान सभा चुनावों और पंचायत चुनावों व विशेष प्रबंधन के दौरान 03 राज्यों, 01 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और 01 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 5336 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

"आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत आयोजित कार्यक्रम

8.89 दिनांक 05.08.2022 को सीपीआरटीआई, नई दिल्ली में अखिल भारतीय मोर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान आयोजन में, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस और सीएपीएफ संगठनों ने भाग लिया। असम पुलिस को विजेता घोषित किया गया, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस और आईटीबीपी को क्रमशः प्रथम उप–विजेता और द्वितीय उप–विजेता घोषित किया गया।

8.90 दिनांक 29.09.2022 को क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई), चंडीगढ़ में साइफर दक्षता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में, उत्तरी क्षेत्र के 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस ने भाग लिया। पंजाब पुलिस को विजेता और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को उप–विजेता घोषित किया गया। दिनांक 27.10.2022 को आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, जयपुर में द्वितीय साइफर दक्षता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में, 2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस ने भाग लिया। यूपी पुलिस को विजेता और राजस्थान पुलिस को उपविजेता घोषित किया गया। तीसरी साइफर दक्षता प्रतियोगिता दिनांक 30.11.2022 को आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, मुंबई में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में, 2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस ने भाग लिया। महाराष्ट्र पुलिस को विजेता के साथ–साथ उप–विजेता भी घोषित किया गया। दिनांक 28.12.2022 को आरपीडब्ल्यूटीआई, बेंगलुरु में चौथी साइफर दक्षता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान, 2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस ने भाग लिया। कर्नाटक पुलिस को विजेता के साथ–साथ उपविजेता भी घोषित किया गया।

इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्स्पो 2022

8.91 इस निदेशालय ने दिनांक 08.09.2022 से 10.09.2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एक्स्पो में भाग लिया। डीसीपीडब्ल्यू ने अपने स्टाल पर पोलनेट फ्लाई अवे सैटेलाइट टर्मिनल, डिजिटल एचएफ, डिजिटल वीएचएफ और डिजिटल यूएचएफ रेडियो सेट, साइफर फ्लो डायग्राम तथा जांच और माप–तौल जैसे रेडियो उपकरण की लाइव कार्यपद्धति को प्रदर्शित करने के लिए एक पवेलियन लगाया। भाग लेने के लिए मौके पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई–सर्टिफिकेशन सहित ऑनसाइट मोर्स कोड प्रशिक्षण और रेडियो सेट संचालन भी किया गया। प्रतिभागियों को कुल 108 ई–प्रमाणपत्र जारी किए गए।

8.92 डीसीपीडब्ल्यू ने पीएस–एलटीई प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रस्तावित ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी–पीपीडीआर) नेटवर्क की मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट किया है और गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में इस पर

तकनीकी एडवाइजरी जारी की गई है। जानकारी के प्रसार के लिए पवेलियन में एक सूचना कियोस्क स्थापित किया गया था।

8.93 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संचार प्रमुखों सहित वरिष्ठ अधिकारियों, सीएपीएफ, सीपीओ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी टीम के साथ डीसीपीडब्ल्यू पवेलियन का दौरा किया और इन प्रौद्योगिकियों को दर्शाने के डीसीपीडब्ल्यू के प्रयासों की सराहना की तथा उनकी पुलिस संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के संबंध में भविष्य की कार्य–योजना पर चर्चा की।

8.94 समापन समारोह के दौरान डीसीपीडब्ल्यू को सरकारी क्षेत्र (शेल स्कीम) श्रेणी में "उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड ट्रॉफी" से पुरस्कृत किया गया।

ब्रॉड बैंड पैन–इंडिया पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी–पीपीडीआर) नेटवर्क के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)

8.95 वॉयस, डेटा एवं वीडियो कम्युनिकेशन के निर्बाध एकीकरण हेतु "नेक्स्ट जेनरेशन पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रीलिफ कम्युनिकेशन नेटर्वक" के संबंध में ट्राई की जून 2018 की सिफारिशों पर आधारित विनियामक पहलु सहित पालिसी बेस्ट सॉल्यूशन के साथ एक अखिल भारतीय ब्रॉड बैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रीलिफ (बीबी–पीपीडीआर) सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क को लागू किया जा रहा है।

8.96 बीबी–पीपीडीआर सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय के तहत सेक्शन 8 कंपनी के रूप में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का निर्माण किया जाएगा। उपर्युक्त नेटवर्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा एसपीवी को निःशुल्क आधार पर स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाना है। पायलट स्टडी सहित अलग–अलग चरणों में पूरे भारत में इस नेटवर्क को शुरू करने के लिए राज्य पुलिस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ परामर्श करके क्षेत्रों/स्थानों की पहचान की है। इस प्रायोगिक परियोजना और इसके बाद पूरे भारत में नेटवर्क को शुरू करने के लिए राज्यों/आपदा राहत एजेंसियों से सहयोग की आवश्यकता होगी। परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर–विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

8.97 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग तथा मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए "स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों और राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1961, 1971 और वर्ष 1988 के विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी है।

8.98 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात उत्तरी क्षेत्र कार्यालय (दिल्ली), दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र कार्यालय (मुम्बई) और पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (कोलकाता) हैं तथा साथ ही इसकी 13 जोनल यूनिटें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरू और पटना में स्थित हैं और 12 सब–जोन यूनिटें कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में स्थित हैं। गृह मंत्रालय ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में 45 पदों को समाप्त करके 419 नए पद सृजित किए जाने का अनुमोदन किया है और कनिष्ठ आसूचना अधिकारी (जेआईओ) के पद का पदनाम बदलकर उपनिरीक्षक और आसूचना अधिकारी (आईओ) का पदनाम बदलकर निरीक्षक करने को अनुमोदन प्रदान किया है।

8.99 इस अवधि के दौरान (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक) संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, वे हैं – गुवाहाटी, असम में कार्यालय–सह–आवासीय

(ओसीआर) परिसर, भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर (99% पूर्ण)। इंदौर में कार्यालय परिसर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और अक्तूबर, 2022 में इस कार्यालय का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुंबई में कार्यालय परिसर (ओसी) के निर्माण के लिए भूमि की खरीद कर ली गई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 30–31.07.2022 को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिनांक 30.07.2022 को मोहाली में चंडीगढ़ जोन, एनसीबी के नवनिर्मित कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर) परिसर का उद्घाटन किया।

प्रवर्तन संबंधी प्रयास

8.100 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022* की अवधि के दौरान देश में विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:–

मात्रा किग्रा/सं./बोतलों में

क्र.सं.	मादक पदार्थ का नाम	सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ	एनसीबी द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ
1	एसिटिक एनहाईड्राइड	56	4
2	एटीएस	558	113
3	कोकीन	130	26
4	कोडीन	346	0
5	एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन	964	64
6	गांजा	4,08,055	33,509
7	हशीश	1,206	122
8	हशीश का तेल	53	5
9	हेरोइन	2,958	502
10	केटामाइन	2	0
11	एलएसडी (ब्लॉट्स में)	935	100
12	एमडीएमए	11	0.23
13	मेफेड्रोन	2,833	62
14	मेथाक्वालोन	18	12
15	मोर्फीन	64	5
16	अफीम	1434	85
17	पोस्त की भूसी/स्ट्रॉ	2,21,509	4,177
18	मनःप्रभावी पदार्थ	गोलियाँ = 37,03,872 नग और 604 किग्रा	गोलियाँ = 1,94,626 नग और 105 किग्रा
		सीबीसीएस बोतलें = 6,16,668 नग, 228 लीटर	सीबीसीएस बोतलें = 95,286 नग
		इंजेक्शन = 39,954	इंजेक्शन = 1,936

अवैध खेती को नष्ट करना (क्षेत्रफल एकड़ में)

19	भांग	10,539
20	पोस्त	1,926

***(अनंतिम आंकड़े)**

दोषसिद्धि

8.101 एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालयों के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 42 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 73 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है।

मादक पदार्थों का निपटान

8.102 उक्त अवधि (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों अर्थात – अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना द्वारा जब्त 95701 किग्रा. और 11843196 नग मादक पदार्थों का निपटान किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

8.103 "स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी से निपटने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रवर्तन क्षमता सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता" नामक एक स्कीम, प्रारंभ में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से शुरू की गई थी। यह स्कीम 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। बाद में, इस स्कीम को नियमित आधार पर वर्ष 2009 से आगे बढ़ाकर वर्ष 2017 तक कर दिया गया था। केंद्रीय सहायता स्कीम और इसके उद्देश्यों को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने "स्वापक मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता" नामक स्कीम को तीन वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसका अनुमानित बजट 21.00 करोड़ रु. था, ताकि राज्यों द्वारा (क) निगरानी उपकरण; (ख) प्रयोगशाला उपकरण; (ग) गश्त/निगरानी हेतु वाहनों; (घ) कम्प्यूटरों एवं उनके उपकरण; (ड़) फैक्स मशीन और फोटोकोपियर; (च) प्रशिक्षण उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्री और (छ) प्रवर्तन हेतु अन्य उपकरण की खरीद की जा सके।

8.104 इस स्कीम को 3.25 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के साथ पुनः 1 वर्ष अर्थात 2020–21 तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें से 2.54 करोड़ रुपये 6 राज्यों को आवंटित किए गए थे। यह स्कीम दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो गई। इस स्कीम को 50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ पुनः 05 वर्ष की अवधि अर्थात 2021–22 से बढ़ाकर 2025–26 तक कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 5 राज्यों को 1.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और वर्ष 2022–23 के लिए अक्तूबर, 2022 के दौरान 04 राज्यों को 2,36,22,232/– रुपये की राशि जारी/स्वीकृत की गई है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

8.105 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मादक पदार्थ संबंधी कानून के प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के 192 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा–शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कूरियर एजेंसियों के लगभग 17,479 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

8.106 उपर्युक्त के अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी

करने वाले संगठनों (डीटीओ) द्वारा आधुनिक तकनीकों, विशेष तौर पर उभरती हुई सशक्त साइबर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने को ध्यान में रखते हुए, इस ब्यूरो ने अपने अधिकारियों के साथ–साथ अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं तथा यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम (यूएनओडीसी) और एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर/मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर/आईपीडीआर) के विश्लेषण, ओपन सोर्स/सोशल मीडिया के माध्यम से आसूचना और साक्ष्य एकत्र करने तथा डार्कनेट एवं क्रिप्टो करेंसी की जांच आदि पर विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित की हैं। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, इस प्रकार के 18 तकनीकी प्रशिक्षणों के माध्यम से कुल 141 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एनसीबी ने मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन पर प्रशिक्षण में मानकीकरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न रैंकों जैसे पुलिस उपाधीक्षक और उनके ऊपर के अधिकारियों, आईओ / जेआईओ (निरीक्षक/ उप–निरीक्षक), एसपीपी/पीपी, अन्य रैंक के साथ–साथ सिविल विभागों के अधिकारियों के लिए 05 अलग–अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ एक कोर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। ये मॉड्यूल एनएसीआईएन, बीपीआरएंडडी और सीएपीटी के अंतर्गत सभी राज्यों और प्रशिक्षण संस्थानों को परिचालित किए गए हैं। एनसीबी ने अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली कंट्री ऑफिस (अमेरिकी दूतावास), नई दिल्ली के सहयोग से आईडीएसए, नई दिल्ली में दिनांक 17–21 अक्तूबर, 2022 तक एनसीबी के 29 अधिकारियों के लिए 01 सप्ताह के 'एयरपोर्ट इंटरडिक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम' का आयोजन किया। एनसीबी ने दिल्ली न्यायिक अकादमी के सहयोग से 20–21 दिसंबर, 2022 तक एनसीबी के 49 विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) के लिए 02 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया ।

मांग में कमी

8.107 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थों के उपयोग की बुराई के बारे में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय और इसकी जोनल इकाइयां विभिन्न राज्य स्वापक मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2022 में, दिनांक 12.06.2022 से 26.06.2022 तक "नशे से आजादी" पखवाड़ा के रूप में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नशा विरोधी जागरूकता अभियान, ई–शपथ, नशा विरोधी जागरूकता प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान, संगोष्ठी/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण, साइक्लेथॉन/मैराथन/ बाइक रैली, नाटक/ नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता और मादक पदार्थों का निपटान आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। 26 जून अर्थात 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर जन–जागरूकता पैदा करने के लिए इन उपर्युक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। एनसीबी ने हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एनसीबी के आधिकारिक चैनल/हैंडल्स से यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। एनसीबी और इसकी फील्ड इकाइयों और इसके अधिकारियों ने आम जनता तक मादक पदार्थों के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों का भी उपयोग किया। माननीय प्रधानमंत्री के 'नशा मुक्त भारत' के विजन को पूरा करने के लिए रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनसीबी ने देश भर में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 573 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 1,49,559 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

माननीय गृह मंत्री का ट्वीट

महानिदेशक, एनसीबी का ट्वीट

<u>मादक पदार्थों के विरुद्ध ई-शपथ लेने से संबंधित पहल</u>

8.108 मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन की एक प्रमुख एजेंसी होने के अलावा, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को राज्य प्राधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, वेबसाइट **mygov.in** पर **"जिंदगी को हां और नशे को ना कहें"** नामक एक ई–शपथ अपलोड की गई थी। इस शपथ का उद्देश्य, नागरिकों के बीच मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों का संदेश फैलाना है ताकि वे भारत को नशामुक्त राष्ट्र बनाने और एक स्वस्थ जीवन जीने के अपने संकल्प का प्रदर्शन कर सकें।

ई–शपथ का लिंक नीचे दिया गया हैः–
"https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/"

8.109 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीएपीएफ और पुलिस एवं अन्य संबद्ध एजेंसियों सहित राज्य प्राधिकरणों को इस ई–शपथ के बारे में जागरूक किया गया था और साथ ही उनसे यह सूचना शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज में आगे फैलाने का अनुरोध किया गया, ताकि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक **जन आंदोलन** चलाया जा सके। एनसीबी ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के समग्र मार्गदर्शन के तहत चयनित स्कूलों और कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से एक मिशन/कैंपेन मोड में एक **"पूर्ण शपथ परिसर"** आंदोलन भी शुरू किया है। दिनांक 27.12.2021 को एनसीओआरडी की शीर्ष समिति की तीसरी बैठक, जिसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई थी, के दौरान, माननीय गृह मंत्री ने भी इस पहल की सराहना की थी। अब तक, 29.28 लाख से अधिक लोगों ने मादक पदार्थों के विरुद्ध यह ई–शपथ ली है।

नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी)

8.110 गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2019 के आदेश और बाद में दिनांक 05.12.2019 एवं 25.06.2020 के संशोधनों द्वारा एनसीओआरडी तंत्र का पुनर्गठन किया है। इसके अलावा, नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 25.03.2022 के आदेश और दिनांक 23.09.2022 के परिशिष्ट द्वारा वर्तमान एनसीओआरडी तंत्र में संशोधन किया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेशों के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों यथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एमओसीएंडएफ), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सीबीआईटी, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, डीसीजीआई, एनसीआरबी, एनआईए, डीआरआई, एनएमएससी, एनएससीएस, एनटीआरओ, ईडी को शीर्ष, कार्यकारी, राज्य और जिला जैसे विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी की समितियों में शामिल किया है।

<u>एनसीओआरडी तंत्र</u>

- **4– स्तरीय समन्वय तंत्र (वर्ष 2019 से लागू, बाद में गृह मंत्रालय के दिनांक 25.03.2022 के आदेश के तहत संशोधित)**
- **महानिदेशक, एनसीबी के अधीन एवं एनसीओआरडी**

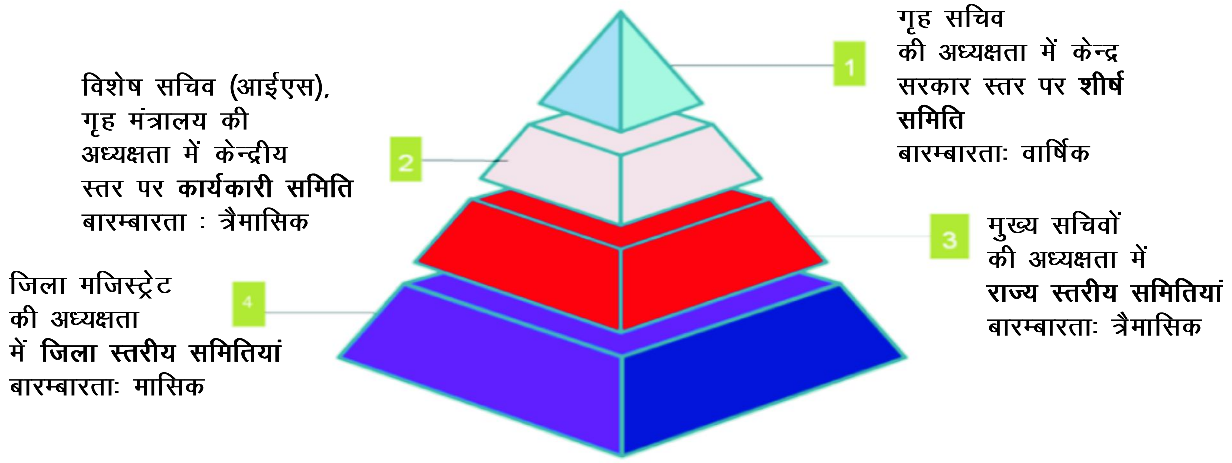

8.111 रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनसीओआरडी की दो शीर्ष स्तर की बैठकें आयोजित की गईं – (1) दिनांक 05.05.2022 को नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में चौथी शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी। माननीय केंद्रीय गृह सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और (2) केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में 5वीं शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक आयोजित की गयी।

8.112 रिपोर्ट की अवधि के दौरान एक कार्यकारी समिति स्तर की बैठक अर्थात विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एनसीओआरडी की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक दिनांक 23.09.2022 को गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनसीओआरडी की तीन मासिक बैठकें आयोजित की गईं, अर्थात 21वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 15.06.2022 को, 22वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 08.09.2022 को और 23वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 14.12.2022 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में हुई।

8.113 उपर्युक्त के अलावा, रिपोर्ट की अवधि के दौरान उनतालीस (39) राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें और दो सौ इक्यावन (251) जिला स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें भी आयोजित की गईं।

एनसीओआरडी पोर्टल

8.114 मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते, एनसीबी ने एनसीओआरडी पोर्टल बनाने की पहल की, जिसे **https://narcoordindia.in/**. पर एक्सेस किया जा सकता है। दिनांक 30–31.07.2022 के दौरान चंडीगढ़ में आयोजित "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इस एनसीओआरडी पोर्टल का शुभारम्भ दिनांक 30.07.2022 को किया गया था।

8.115 यह मंच सभी मादक पदार्थों और एनसीबी से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए एक गेटवे है तथा यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों सहित जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी चार स्तरों के हितधारकों के लिए पूर्ण ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) है।

निदान पोर्टल

8.116 एनसीबी ने, आईसीजेएस (इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के सहयोग से, **गिरफ्तार नार्को–अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस**

(निदान) भी तैयार किया है,जो सभी नार्को अपराधियों से संबंधित आंकड़ों का वन–स्टॉप समाधान है और एक प्रभावी जांच उपकरण के रूप में जांच एजेंसियों की मदद करेगा। निदान अपने आंकड़े ई–कारागार और एसआईएमएस (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली), जो एनसीबी का अपना सॉफ्टवेयर है, से प्राप्त करता है। इस पोर्टल की यूएसपी इसकी इंटरऑपरेबिलिटी और ऐसे प्रत्येक नार्को अपराधी, जो अन्य अपराधों में शामिल हो सकता है या उसके अन्य सहयोगी भी हो सकते हैं, पर डेटा का एक तालमेल है। निदान पोर्टल का वेब पता **https://nidaan.nic.** पद है। दिनांक 30/31.07.2022 को चंडीगढ़ में आयोजित "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन" के दौरान, भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 30.07.2022 को इसका शुभारम्भ किया गया था।

एनसीपीसीआर

8.117 एनसीबी के सक्रिय सहयोग से, एनसीपीसीआर ने "बच्चों में मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग की रोकथाम और अवैध तस्करी पर एक संयुक्त कार्य योजना" तैयार की थी, जिसका लोकार्पण दिनांक 09.02.2021 को किया गया। एनसीबी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ समन्वय किया है ताकि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरूद्ध जागरूकता फैलाई जा सके और युवाओं, विशेषकर बच्चों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाया जा सके।

चंडीगढ़ में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन

8.118 उत्तरी क्षेत्रों में मादक पदार्थों के परिदृश्य और इसे कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30–31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों/उप–राज्यपालों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

8.119 सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न हुईः–

(i) एनसीओआरडी पोर्टल का शुभारंभ

(ii) निदान पोर्टल का शुभारंभ

(iii) एनसीबी जोनल यूनिट, चंडीगढ़ के कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर) परिसर का उद्घाटन।

(iv) "नशे से आजादी पखवाड़ा – आयोजनों का संग्रह–2022" का लोकार्पण।

(v) "माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों का संकलन" का लोकार्पण।

(vi) "नेशनल नारकोटिक्स कैनाइन पूल" **(एनएआर–के9)** का शुभारंभ।

(vii) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के माध्यम से तैयार की गई एनसीबी की कार्यप्रणाली पर एक लघु वृत्तचित्र फिल्म का रिलीज।

गुवाहाटी, असम में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर क्षेत्रीय बैठक

8.120 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मादक पदार्थों के परिदृश्य और इसे कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 08.10.2022 को गुवाहाटी में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर एक क्षेत्रीय बैठक बुलाई, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री शामिल हुए।

गांधीनगर, गुजरात में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर क्षेत्रीय बैठक

8.121 गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के परिदृश्य और इसे कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एनसीबी के माध्यम से दिनांक 26.10.2022 को गांधीनगर में "मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" विषय पर एक पश्चिम क्षेत्रीय बैठक आयोजित की, जिसमें गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक शामिल हुए।

राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (एनएआर–के9) का निर्माण

8.122 एनसीबी ने एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल भी बनाया है, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 30–31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। पहले चरण में, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स एनसीबी को क्रमशः 10, 06 और 04 नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग और अटैचमेंट/प्रतिनियुक्ति के आधार पर आनुपातिक संख्या में डॉग हैंडलर/सहायक डॉग हैंडलर प्रदान करने पर सहमत हुए। तदनुसार, बीएसएफ ने पहले ही एनसीबी की चंडीगढ़, बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई इकाइयों में 10 श्वानों और 14 हैंडलरो के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। एसएसबी ने एनसीबी की दिल्ली, कोलकाता और जम्मू इकाइयों में 06 श्वानों और 09 हैंडलर के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। असम राइफल्स ने एनसीबी की इंफाल इकाई के लिए 02 श्वानों और 03 हैंडलर के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा, एनसीबी की गुवाहाटी इकाई में अतिरिक्त रूप से 02 श्वान और 03 हैंडलर उपलब्ध कराने के लिए एसएसबी से अनुरोध किया गया है।

8.123 एनसीबी अधिकारियों ने दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान, अठाईस (28) समन्वय बैठकों में, अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भाग लिया ।

*****

अध्याय - 9
आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

9.1 भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अलग–अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ–साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता के कारण भारत बड़े पैमाने पर आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है। सामान्य रूप से अनुभव की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू–स्खलन, मृदा–स्खलन और हिम–स्खलन, वन में आग, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह, भारत भी रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मानवजनित आपदाओं में आतंकवाद और भगदड़ ने भी नए आयाम जोड़ दिए हैं।

9.2 जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी एवं वैश्विक महामारी इत्यादि के परिणामस्वरूप भारत में आपदा का जोखिम और अधिक बढ़ गया है। ये आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत् विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

9.3 आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार, आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती करना; चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्री और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना; ऊर्जा एवं संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की बहाली करना; तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

9.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में आदर्शवादी परिवर्तन लाकर राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास की निरंतरता तब तक नहीं रह सकती है, जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

9.5 भारत सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे संबंधित अथवा उनके अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम, 2005) अधिनियमित किया था। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र बनाने एवं उसकी मानीटरिंग करने, आपदाओं के प्रभाव को

रोकने और उन्हें कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था, ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ कोविड–19 वैश्विक महामारी और मानव–जनित आपदाओं (जैसे कि एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा.लि., विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से उत्पन्न एक घटना) जैसी स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं तथा आग संबंधी आपदाओं की रोकथाम, उपशमन, उनसे निपटने की तैयारी और कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं की जांच करके आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संपूर्ण समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

गृह मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत अभियान का समन्वय

9.6 राष्ट्रीय आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि और कीट हमला, जिसकी देखरेख कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है, को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।

9.7 प्रत्येक आपदा की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने में प्रभावित राज्यों और/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार की ओर से लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में आपदा और आपदा जैसी स्थिति की गहन निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए, एक ओर प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ और दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया जाता है।

9.8 भारत ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है। हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विकास आयोजना के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की योजनाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। "आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना" में एक सुरक्षित और आपदा–रोधी भारत का निर्माण करने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, आपदा से निपटने की तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों और बाढ़ों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों में भारी कमी हुई है।

9.9 आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी भी आपात स्थिति की दशा में समय पर कार्रवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्म पर एक ग्रुप बनाया है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), पूर्व–चेतावनी एजेंसियों, मोचक बलों आदि के अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी/सावधानियों को समय पर जारी करने और बचाव एवं राहत के प्रयासों का समन्वय करने में यह ग्रुप अधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

9.10 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय ने अनेक बचाव एवं राहत अभियानों का समन्वय किया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक देश के विभिन्न भागों में आई बड़ी

आपदाओं और गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

क. दक्षिण—पश्चिम मानसून से निपटने की तैयारी

9.11 विशेष तौर पर दक्षिण—पश्चिम मानसून, 2022 के संदर्भ में तैयारी की समीक्षा करने और देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन 18—19 मई, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर तैयारी करने की सलाह दी गई है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह सचिव द्वारा किया गया था।

9.12 इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ—साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एसएएसई), एनआरएससी, (इसरो), जीएसआई और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ख. वर्ष 2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति

9.13 दक्षिण—पश्चिमी मानसून के दौरान, देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा होने के कारण, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर भारी वर्षा/भू—स्खलन और बाढ़ों से प्रभावित हुए थे। राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार—विमर्श के आधार पर और जब कभी उनके द्वारा अनुरोध किया गया, गृह मंत्रालय ने वहां एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें तैनात की थीं। जब बाढ़ की स्थिति अपने चरम पर थी, तो 18 जुलाई, 2022 को एनडीआरएफ की 174 टीमें तैनात की गई थीं। बाढ़ की स्थिति की गृह मंत्रालय में उच्च स्तर पर सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए तथा साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों की आवश्यकता के समय वहां बचाव और राहत ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों को लगाने/मोबिलाइज करने के कार्य का समन्वय किया।

ग. चक्रवात

(i) चक्रवाती तूफान "असनी"

9.14 6 मई, 2022 की सुबह दक्षिणी अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिण—पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। तत्पश्चात, 8 मई की सुबह इसने तीव्र चक्रवाती तूफान "असनी" का रूप ले लिया और आगे उसी शाम इसने दक्षिण—पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया। 11 मई को यह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान के रूप में और फिर उसी दिन समुद्र में डीप डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो गया।

9.15 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के बुलेटिन के आधार पर, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों को नियमित रूप से एडवाइजरी जारी की गई थीं। कम दबाव वाला क्षेत्र बनने के बाद से ही, स्थिति की उच्च स्तर पर 24X7 आधार पर निगरानी की गई। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की तैनाती/स्टैंडबाय सहित सभी प्रकार की आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की। इस चक्रवात की वजह से जान और माल के किसी नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ii) चक्रवाती तूफान "सितरांग"

9.16 20 अक्टूबर, 2022 की सुबह उत्तरी अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिणी अंडमान सागर एवं दक्षिण—पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया था। तत्पश्चात, 23 अक्टूबर की शाम को

इसने तीव्र चक्रवाती तूफान "सितरांग" का रूप ले लिया। इसने 80–90 किमी. प्रति घंटे से 100 किमी. प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ 24 अक्टूबर की रात्रि में चक्रवाती तूफान के रूप में तिनकोना और बारीसल के निकट संद्वीप के बीच बांग्लादेश तट को पार किया।

9.17 भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के आधार पर, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों को नियमित रूप से एडवाइजरी जारी की गई थीं। कम दबाव वाला क्षेत्र बनने के बाद से ही, स्थिति की उच्च स्तर पर 24x7 आधार पर निगरानी की गई । गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की तैनाती/स्टैंडबाय सहित सभी प्रकार की आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की। राज्य सरकार, एनडीआरएफ और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन समन्वय से गृह मंत्रालय के अथक प्रयासों से इस चक्रवात की वजह से मानव जीवन की कोई क्षति नहीं हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस चक्रवात के कारण कुल 19 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे।

9.18 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने भी दिनांक 21.10.2022 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले चक्रवाती तूफान से निपटने के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की तैयारी की समीक्षा की।

इस वर्ष के दौरान आपदाओं से हुई क्षति

9.19 वर्ष 2022–23 (दिनांक 25.11.2022 तक) के दौरान, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने चक्रवाती तूफानों/अचानक तेज बाढ़/बाढ़ों/भू–स्खलनों/बादल फटने आदि से विभिन्न मात्रा में हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं– आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर। वर्ष 2022–23 (दिनांक 25.11.2022 तक) के दौरान, देश में क्षति की मात्रा (अनंतिम) निम्नानुसार है:

मृत व्यक्तियों की सं.	2104
प्रभावित हुए मवेशियों की सं.	14,166
क्षतिग्रस्त घर (पूर्णतः और आंशिक)	3,18,253
प्रभावित फसल लगे क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	19.16 लाख हेक्टे. (लगभग)

वित्तीय तंत्र

9.20 राहत संबंधी व्यय का वित्तपोषण एक के बाद एक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होता है। 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकंप, सुनामी, आगजनी, बाढ़, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, कीट हमलों और शीतलहर/ पाला पड़ने को प्राकृतिक आपदा माना जाए। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 12 आपदाओं की सूची में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। भारत सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन तथा प्रशासन के बारे में दिनांक 12.01.2022 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश और मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

9.21 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और केन्द्र सरकार ने आपदा जोखिम प्रबंधन पर उनके द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने राज्य–वार आवंटनों के लिए एक नई पद्धति बनाई थी, जिसने व्यय आधारित पद्धति का स्थान ले लिया है। नई पद्धति क्षमता (व्यय के माध्यम से यथा प्रदर्शित), जोखिम क्षमता (क्षेत्र और जनसंख्या) और संवेदनशीलता (जोखिम सूचकांक) का एक मिश्रण है। पूर्ववर्ती वित्त आयोगों से हटकर, 15वें वित्त आयोग ने "राज्य आपदा

जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)" और "राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ)" नामक दो निधियों की सिफारिश की थी। एसडीआरएमएफ में दो घटक अर्थात एसडीआरएफ और राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) शामिल होंगे, जिसमें क्रमशः 80% और 20% के अनुपात में आवंटन होगा। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–26 की अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के अंतर्गत कुल 1,60,153/– करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसमें से, केंद्र का अंश 1,22,601/– करोड़ रुपए है और राज्य का अंश 37,552 करोड़ रुपए है। 1,60,153/– करोड़ रुपए में से, एसडीआरएफ का अंश 80% (अर्थात 1,28,122/– करोड़ रुपए) और एसडीएमएफ का अंश 20% (अर्थात 32,031 करोड़ रुपए) है। इसके अतिरिक्त, 80% के एसडीआरएफ आवंटन को तीन उप–आवंटनों अर्थात (क) कार्रवाई और राहत (एसडीआरएमएफ का 40%), (ख) वसूली और पुनर्निर्माण (एसडीआरएमएफ का 30%) और (ग) आपदा से निपटने की तैयारी तथा क्षमता–संवर्धन (एसडीआरएमएफ का 10%) में विभाजित किया गया है। यद्यपि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो को आपस में एक–दूसरे के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तथापि उस वित्त वर्ष में एसडीआरएफ की तीन उप–विंडो के अंतर्गत पुर्नआबंटन के लिए नम्यता हो सकती है।

9.22 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा 61,220/– करोड़ रुपए के लिए की गई सिफारिश की तुलना में वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के दौरान एसडीआरएफ में 128,122/– करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश की है।

9.23 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) के अंतर्गत किसी आपदा प्रबंधन की चुनौतीपूर्ण स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए "राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)" के गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन के लिए अधिसूचना दिनांक 28.09.2010 को जारी की थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के अंतर्गत 68463/– करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें भी दो घटक अर्थात एनडीआरएफ एवं एनडीएमएफ शामिल है, जिनके अंतर्गत 80% और 20% के अनुपात में आवंटन किया जाएगा, जो क्रमशः 54770/– करोड़ रुपए तथा 13693/– करोड़ रुपए की राशि बनती है।

9.24 गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मद्देनजर, निधियां राज्य आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से भी प्रदान की जाती हैं। गंभीर प्रकृति की आपदा के तुरंत बाद प्रभावित राज्यों से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, एक अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस टीम की रिपोर्ट की जांच केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उनके विचार हेतु और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियों के अनुमोदन हेतु रखा जाता है।

9.25 एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संचालन के लिए क्रमशः दिनांक 14.01.2022 और 28.02.2022 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और वे www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9.26 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत "आपदा से निपटने की तैयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण विंडो" के संस्थापन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 22.04.2022 को जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9.27 वर्ष 2022–23 के लिए, एसडीआरएफ में आवंटन 24,344.80 करोड़ रु. है, जिसमें से 18,635.20 करोड़ रु. भारत सरकार का केंद्रीय अंश है और 5709.60 करोड़ रु. राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2022–23 (दिनांक 17.11.2022 तक) के दौरान,

24 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश के रूप में प्रथम किस्त की 8,764.00 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022–23 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश की 866.00 करोड़ रु. की दूसरी किस्त भी 05 राज्यों को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 04 राज्यों को एनडीआरएफ से 502.744 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XI** में दिया गया है।

संस्थागत तंत्र

(I) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

9.28 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में चार सदस्य शामिल हैं – (1) श्री कमल किशोर, सदस्य एवं सचिव आई/सी, (2) श्री कृष्ण स्वरूप वत्स, सदस्य (3) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य और (4) ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बार (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए।

9.29 राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए, अनेक कार्य/पहलें करता है, जिनमें आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करना और साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए उन्हें अनुपालनार्थ दिशानिर्देश जारी करना शामिल हैं। इसमें उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित किया गया है, जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, आपदा से निपटने की तैयारी और आपदा के प्रभाव को कम करने के उपायों की योजना बनाने और क्षमता निर्माण की पहल करने के समय किया जाना होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) 2009

9.30 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 22.10.2009 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को अनुमोदन प्रदान किया था और दिनांक 18.01.2010 को इसे जारी कर दिया गया था। इस नीति में पूर्ववर्ती "कार्रवाई–केन्द्रित" दृष्टिकोण में बदलाव करते हुये आपदाओं के समग्र प्रबंधन की ओर ध्यान दिया गया है तथा आपदा की रोकथाम, उससे निपटने की तैयारी और उसके शमन पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)

9.31 एनडीएमए ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। इसे नवंबर, 2019 में विस्तृत परामर्शों के पश्चात संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए जोखिम (मेघ गर्जन के साथ–तूफान, बिजली कड़कना, झंझावात, धूल भरी आंधी और प्रचण्ड हवा/बादल फटना और ओलावृष्टि/हिम झील भरने से बाढ़ (जीएलओएफ)/लू/जैविक और जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल (बीपीएचई)/जंगल की आग), नए अध्याय (वर्ष–2015 के वैश्विक फ्रेमवर्क/सामाजिक समावेशन/डीआरआर को मुख्याधारा में लाने के बाद डीआरआर हेतु सामंजस्यता एवं परस्पर सुदृढ़ीकरण) शामिल है तथा जलवायु जोखिम की सूचना वाली डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में ''जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन'' भी शामिल है। इस एनडीएमपी में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए समयबद्ध कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ताकि ये कार्रवाइयां डीआरआर के सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के अनुरूप हो सकें। यह योजना केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा की गई है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

9.32 एनडीएमए ने अपनी स्थापना के बाद, आपदा

प्रबंधन के विभिन्न क्रॉस कटिंग विषयों पर 33 दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी दिशानिर्देशों की सूची **अनुलग्नक–XII** पर उपलब्ध है। ये दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर "Governance=>NDM Guidelines" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना

9.33 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में से 33 के पास अपनी अनुमोदित राज्य आपदा प्रबंधन योजना है। एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान करने वाले पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है– (i) जम्मू और कश्मीर और (ii) लद्दाख। इसके अतिरिक्त, एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान कर चुके दो पूर्ववर्ती संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (i) दादरा और नगर हवेली तथा (ii) दमन और दीव को भी मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) बनाया गया है। इन तीन (3) नव निर्मित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अलग–अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना

9.34 भारत सरकार के चौवन (54) मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। इन मंत्रालयों/विभागों की सूची **अनुलग्नक–XIII** में दी गई है।

एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस समारोह

9.35 एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस दिनांक 28.09.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया, जिसका विषय "आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में स्वयंसेवक बनना" था। श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे तथा उनके साथ श्री अजय कुमार मिश्रा, गृह राज्य मंत्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समापन सत्र के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ. पी. के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि थे।

9.36 कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों के साथ–साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके), नागरिक सुरक्षा और भारत स्काउट एवं गाइड (बीएसजी) जैसे अन्य संगठनों के स्वयंसेवकों/कैडेटों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उपर्युक्त राज्यों के आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने केंद्र सरकार द्वारा आपदा मित्र स्कीम के संवर्धन के अंतर्गत उन्हें प्रदान किए गए उनके निजी उपकरण, आपात कार्रवाई किट (ईआरके) और जिला स्तरीय इमरजेंसी एसेन्शियल रिसोर्स रिजर्व्ड (ईईआरआर) उपकरण को इस कार्यक्रम के स्थान पर प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त, तकनीकी सत्र के दौरान, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गैर–सरकारी संगठनों जैसेकि सीड्स, स्फीयर इंडिया, वर्ल्ड विजन इंडिया और एक्शन एड इंडिया तथा अंतर–राष्ट्रीय संगठनों जैसेकि यूनाइटेड नेशन्स वॉलंटियर्स, थाईलैंड, वॉलंटियरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल और श्री अखिलेश सुरजन, एसोसिएट प्रोफेसर, चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में स्वयंसेवक विषय पर अपनी सर्वोत्तम पद्धति/मामलागत अध्ययन (केस स्टडी) प्रस्तुत किए।

कोविड–19 हेतु किया गया कार्य

क. कोविड–19 ऑपरेशनल डैशबोर्ड

9.37 एनडीएमए ने वर्ष 2020 में आई कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के प्रबंधन के लिए एक जीआईएस पोर्टल विकसित किया है। कोविड–19 जीआईएस पोर्टल देश में तीनों स्तरों अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिले में रोगियों की संख्या, निगरानी की स्थिति, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, हॉटस्पॉटों और राहत शिविरों के संबंध में दैनिक स्थिति तथा आवधिक अपडेट देकर भारत में इस वैश्विक महामारी की बढ़ती स्थिति की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। जनता, एसडीएमए और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए कोविड–19

मामलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जियो–आधारित डैशबोर्ड विकसित किया गया था। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों को मिलाने से यह एक इंट्रैक्टिव प्लेटफार्म बन जाता है, जहां डेटा और सूचना एक आकर्षक दिखने वाले फार्मेट में उपलब्ध रहते हैं।

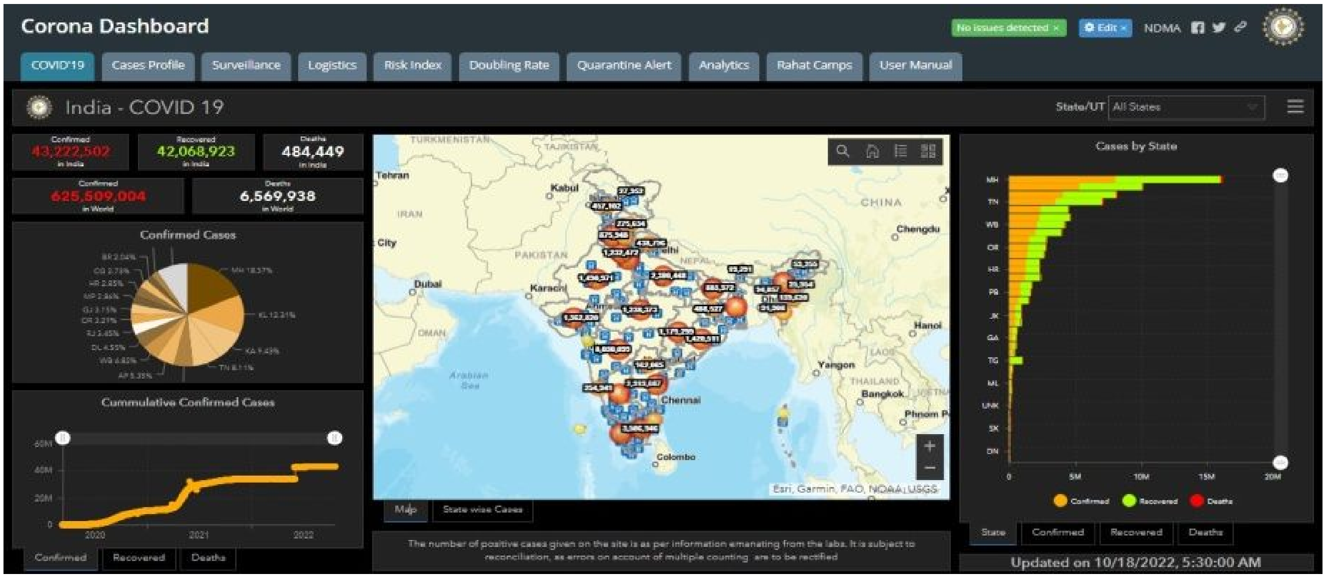

ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति संबंधी डैशबोर्ड

ऑक्सीजन ऑपरेशनल डैशबोर्ड

9.38 भारत के अलग–अलग राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एनडीएमए द्वारा ऑक्सीजन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या की उपलब्धता की स्थिति को दैनिक रूप से अपडेट करने के लिए अस्पताल के उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। डैशबोर्ड में सभी अस्पतालों के पते और भौगोलिक–स्थान सहित उनका डेटाबेस होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को किलोलीटर में उनकी भंडारण क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है और इसे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, डी–टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर में वर्गीकृत किया जाता है।

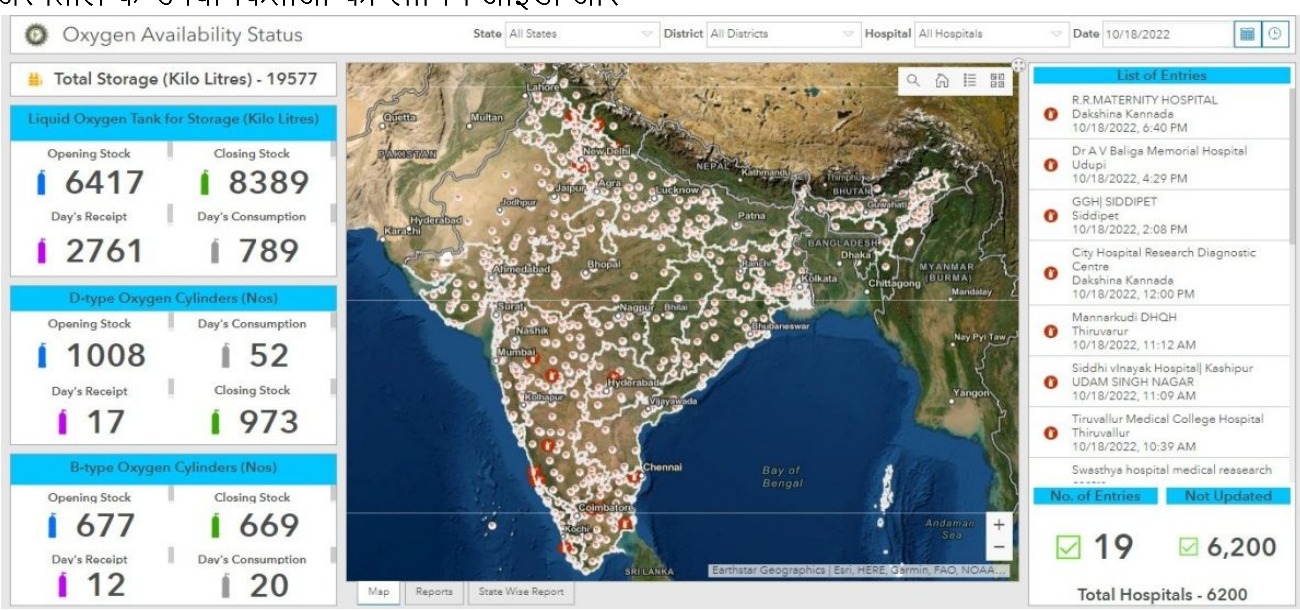

(II) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

9.39 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.10.2006 को स्थापित ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)'' को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की योजना बनाने और इसे प्रोत्साहन देने तथा आपदा प्रबंधन की नीतियों, रोकथाम तंत्र और आपदा के प्रभाव को कम करने के उपायों से संबंधित राष्ट्र स्तरीय सूचना बेस का प्रलेखन एवं विकास करने आदि की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र'' से अपग्रेड होकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) बनने के बाद, यह संस्थान सभी स्तरों पर आपदा की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारी की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करके भारत को आपदा झेलने में सामर्थ्यवान तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभारने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

9.40 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), रोहिणी परिसर की स्थापना 60.20 करोड़ रुपये की लागत से की गई है। एनआईडीएम को एनडीसीसी भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली से प्लॉट सं. 15, पॉकेट–3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली–110042 में शिफ्ट कर दिया गया है और इसने नए परिसर में दिनांक 01.04.2021 से काम करना शुरू कर दिया है।

9.41 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर की स्थापना 43.00 करोड़ रुपए की लागत से कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में की जा रही है। परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे एनबीसीसी ने अक्तूबर, 2022 में सौप दिया है। एनआईडीएम ने उक्त परियोजना को सभी दृष्टिकोण से पूरा करने के लिए 6 महीने और समय दिए जाने के साथ–साथ अतिरिक्त कार्य हेतु 5.33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया है।

आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.42 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:–

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
i.	फेस टु फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम	99	6031
ii.	एक दिवसीय वेबिनार	137	20691
iii.	तीन दिवसीय (ऑनलाइन) प्रशिक्षण कार्यक्रम	68	17369
iv.	ऑनलाइन पाठ्यक्रम (6 सप्ताह और 4 सप्ताह)	12	253
v.	कार्यशाला	12	990

(III) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

9.43 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों में विशेष कार्रवाई करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)'' का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था। इन बटालियनों को संवेदनशीलता की स्थिति के आधार पर देश के भिन्न–भिन्न भागों में तैनात किया गया था। वर्ष 2010 में 02 और बटालियनें बनाई गईं और बाद में, वर्ष 2015 में भी 02 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गईं। अगस्त 2018 में, आपदा कर्रवाई को सुदृढ़ बनाने की

दृष्टि से, भारत सरकार ने 637 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 04 अतिरिक्त बटालियनों के गठन को अनुमोदन प्रदान किया था। इन 04 बटालियनों में से, 03 बटालियनें क्रमशः पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में और 01 बटालियन जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में तैनात की गई है।

9.44 आज की स्थिति के अनुसार, एनडीआरएफ में 16 बटालियनें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। यह बल सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं जैसे कि रासायनिक, जैविक, रेडियो–धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु–कौशलयुक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एक विशेष बल के रूप में उभरा है। ये 16 बटालियनें भटिंडा (पंजाब), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वडोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अराक्कोनम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और होलोंगी (अरुणाचल प्रदेश), लाधोवाल (पंजाब), नुरपुर (हिमाचल प्रदेश), गदरपुर (उत्तराखंड) और द्वारका (नई दिल्ली) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए 28 भिन्न–भिन्न रणनीतिक स्थानों में तैनात किया गया है।

एनडीआरएफ द्वारा तलाशी और बचाव अभियान

9.45 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने कई ऑपरेशन किए तथा 37,697 कीमती जिंदगियां बचाईं (2065 लोगों को रेस्क्यू किया और 35,632 लोगों को आपदा से पहले बाहर निकाला), 1070 पशुधन को बचाया और 489 शवों को निकाला। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन को 'असनी' और 'सितरांग' चक्रवातों बाढ़ों के दौरान प्रभावित हुए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

9.46 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 की अवधि के लिए, एनडीआरएफ की ऑपरेशन संबंधी उपलब्धि का घटना–वार सार **अनुलग्नक–XIV** में दिया गया है।

(IV) एनडीआरएफ अकादमी

9.47 भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में शामिल अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज (एनसीडीसी) का विलय करके सितम्बर, 2018 में नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी (एनडीआरएफ अकादमी) नामक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इस संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र सरकार से 18.61 करोड़ रुपए की लागत से गांव–सूर्यादेवी, कमपत्ते (नागपुर) में अधिगृहीत 153 एकड़ भूमि पर 125.01 करोड़ रुपए (85.16 करोड़ रुपए की इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत सहित) की अनुमोदित लागत से की जा रही है। इस अकादमी की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाएगी और वह महानिदेशक, एनडीआरएफ के ऑपरेशनल एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

9.48 श्री अमित शाह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 02.01.2020 को एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला रखी है। वर्तमान में, नए परिसर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसके दिनांक 31.07.2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तब तक, यह पूर्ववर्ती एनसीडीसी के मौजूदा परिसर में कार्य कर रहा है।

9.49 वर्तमान में, यह अकादमी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा इसके अंतर–राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की परिकल्पना की गई है। यह पड़ोसी एवं अन्य देशों के आपदा कार्रवाई कार्मिकों को आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। यह अकादमी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को आपदा कार्रवाई के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर में काफी वृद्धि करेगी।

9.50 वर्ष 2022 के दौरान, इस अकादमी ने 1555 कार्मिकों (एनडीआरएफ– 1072, एसडीआरएफ– 105 और नागरिक सुरक्षा– 378) को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(V) नागरिक सुरक्षा

9.51 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के अंतर्गत भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं हैं, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

9.52 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना के सिवाय, सिविल डिफेंस का गठन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है, जिसमें आपात स्थिति में वृद्धि की जाती है। इस समय 14.11 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 5.38 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाए जा चुके हैं।

9.53 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उनकी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के लिए अधिकृत वस्तुओं पर उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में करती है। दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा के गठन, उपस्कर और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में 8 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की है।

9.54 नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन दिनांक 17.11.1962 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जनवरी, 2003 में, इस निदेशालय को आपदा प्रबंधन प्रभाग के अधीन गृह मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में घोषित किया गया था। इसका नाम बदलकर महानिदेशालय, अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड [(डीजी (एफएस, सीडी एंड एचजी)] कर दिया गया था। इस महानिदेशालय को नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड तथा अग्निशमन सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए नीति निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नागपुर में स्थित राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, जो एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, इस निदेशालय के अधीन कार्य करता है।

9.55 'द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग'' ने 'संकट प्रबंधन' नामक अपनी तृतीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि नागरिक सुरक्षा को उन सभी जिलों में गठित किया जाना चाहिए, जो न केवल शत्रु के हमलों, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील हैं। सैन्य खतरे और आपदा दृष्टिकोण के मद्देनजर, आज की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने कुल 295 नागरिक सुरक्षा जिले/नगर अधिसूचित किए हैं। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने राज्यों में नागरिक सुरक्षा घटक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्थान, मेघालय, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा केरल आदि जैसे कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली है और अपने सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को 'नागरिक सुरक्षा जिले' के रूप में अधिसूचित कर दिया है।

9.56 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठन पिछले कई दशकों से देश को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन भारत सरकार के 'समग्र राष्ट्र संबंधी दृष्टिकोण' के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठनों का वार्षिक दिवस समारोह प्रतिवर्ष 06 दिसम्बर को मनाया जाता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी में योगदान

9.57 कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों ने सक्रिय रूप से नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ उठाया है और 2 लाख से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं के साथ जमीनी स्तर पर

तैनात किए गए हैं। ये समुदाय आधारित स्वंयसेवक राज्य का कोविड–19 वार रूम चलाने, स्वैब कलेक्शन करने, क्वारंटाइन सेंटरों में तैनात होने, भोजन, राशन एवं दवाओं की होम डिलिवरी करने, अस्थायी अस्पतालों की स्थापना करने, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने, वैक्सीनेशन केंद्रों का प्रबंधन करने आदि से लेकर देशभर में जमीनी स्तर पर सरकार के प्रयास में सहायता करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। वे कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में स्थानीय/राज्य प्रशासन के लिए सच्चे ''कोरोना योद्धा'' के रूप में उभरकर सामने आए हैं और उन्होंने सच्चे ''बल बर्धक (फोर्स मल्टीप्लायर)'' के रूप में कार्य किया है।

(VI) होमगार्ड

9.58 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों ने स्वैच्छिक नागरिक बल की संकल्पना को अपना लिया। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड नामक एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। होमगार्डों की भूमिका में कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में राज्य पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना शामिल है।

9.59 सीमावर्ती राज्यों में, ग्रामीण और शहरी होमगार्ड घटकों के अतिरिक्त, सीमा विंग होमगार्ड (बीडब्ल्यूएचजी) की बटालियनें भी गठित की गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। यह संगठन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फैला हुआ है।

9.60 सुरक्षा से संबंधित विभिन्न युद्ध ड्रिल का अभ्यास करने के लिए "रियर एरिया सिक्यूरिटी एंड एक्सरसाइज विद ट्रुप्स (ईडब्ल्यूटी) एक्स दक्षिण शक्ति 2021" के पहलुओं का समन्वय करने के लिए पंजाब और राजस्थान के सीमा विंग होमगार्डों की बटालियनों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर "एक्सरसाइज चेतक चौकस" में भाग लिया।

कोविड–19 वैश्विक महामारी से निपटने में योगदान

9.61 कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों ने सक्रिय रूप से होमगार्ड की सेवाओं का लाभ उठाया है और 4.5 लाख से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों को विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं के साथ जमीनी स्तर पर तैनात किया गया है। समुदाय आधारित इन स्वंयसेवकों ने लॉकडाउन से संबंधित उपायों को सख्ती से लागू करने और सामुदायिक जागरूकता फैलाने में स्थानीय प्रशासन की सहायता की। वे कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में स्थानीय/राज्य प्रशासन के लिए सच्चे ''कोरोना योद्धा'' के रूप में उभरकर सामने आए हैं और उन्होंने सच्चे ''बल बर्धक (फोर्स मल्टीप्लायर)'' के रूप में कार्य किया है।

(VII) अग्निशमन सेवा

9.62 आग की रोकथाम और उससे निपटने से संबंधित सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन कानून एवं प्रशिक्षण के बारे में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी परामर्श देता है।

9.63 देश के जान और माल की सुरक्षा करने में अपने जीवन को न्योछावर करने वाले बहादुर अग्निशमन सेवा कार्मिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल, 2022 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया था। देशभर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2022 तक ''अग्निशमन सेवा सप्ताह'' मनाया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभागों ने कॉलेजों और स्कूलों में अग्नि सुरक्षा अभ्यासों, जागरूकता शिविरों, भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन किया है।

9.64 भारतीय मानक ब्यूरो ने मार्च, 2017 के दौरान

''भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016'' प्रकाशित की है। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, भाग–IV "आग एवं जीवन सुरक्षा" सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परिचालित की गई है, जिसमें उनसे अपने अग्निशमन सेवा अधिनियम में इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

9.65 राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रख–रखाव का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019 में संशोधित एक मॉडल विधेयक को गृह मंत्रालय ने सितंबर, 2019 में इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विधेयक को अपने संबंधित राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियमों/नियमों में अपनाएं।

9.66 राज्यों की अग्निशमन सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन मानदंडो को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधि का संवितरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

9.67 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय वर्ष 1956 में रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था और इसे बाद में वर्तमान स्थान अर्थात नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। एनएफएससी कॉलेज भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है, जिसे अग्निशमन अधिकारियों और कार्मिकों को अग्निशमन ग्राउंड अभियानों और आपदाओं के कुशल प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, वास्तविक जीवन में पराचिकित्सीय स्थितियों इत्यादि पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के अतिथि संकाय पैनल में आग की रोकथाम और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं। यह महाविद्यालय फायर इंजीनियरिंग में चार वर्षीय बीई डिग्री कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह आरटीएम विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियर अग्नि रोकथाम और बचाव कार्य हेतु भारत और विदेश में तैनात किए जाते हैं।

9.68 महाविद्यालय के उन्नयन की एक योजना 235.99 करोड़ रुपये के परिव्यय से जून 2010 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और परामर्श के अलावा अग्निशमन विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, खोज और बचाव तथा आपदा मोचन में विशेष और पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता को बढ़ाना है।

मननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 02.01.2020 को एनएफएससी नागपुर का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

प्रशिक्षण गतिविधियां

9.69 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 की अवधि के दौरान, इस कॉलेज ने बी.टेक (फायर) में युवा उम्मीदवारों और विभिन्न केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि के अग्निशमन सेवा अधिकारियों के लिए पांच नियमित शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें कुल 682 विद्यार्थियों/अधिकारियों ने भाग लिया है।

9.70 देश के अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन इंजीनियर विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों के विविध कार्यनीतिक और व्यूह अभियान तथा प्रबंधन में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब तक, महाविद्यालय ने 22,365 अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा हेतु पदक

9.71 भारत सरकार अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड कार्मिकों के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष में दो बार अर्थात गणतंत्र

दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य और सेवा पदक प्रदान करती है। स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर, अग्निशमन सेवा, होमगार्डों और सिविल डिफेंस कार्मिकों को कुल 101 पदक प्रदान किए गए थे।

क्र. सं.	पदक का प्रकार	अग्निशमन सेवा पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या		होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या	
		गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस	गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस
I	वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक	-	0	-	0
II	वीरता के लिए पदक	-	11	-	02
III	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक	-	06	-	07
IV	सराहनीय सेवा के लिए पदक	-	38	-	37
	कुल	**-**	**55**	**-**	**46**

(VIII) आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

9.72 माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयार्क शहर में आयोजित हुए "यूनाइटेड नेशन्स क्लाइमेट एक्शन सम्मिट" में सीडीआरआई की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने (दिनांक 28.08.2019 को) वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक 5 वर्षों की अवधि में एक निरंतर आधार पर तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अपेक्षित एक कोष निर्माण हेतु 480 करोड़ रुपये (लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय से आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए एक अंतरर्राष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई, एक सोसायटी के रूप में, जिसका सहायक सचिवालय कार्यालय नई दिल्ली में है) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। दिनांक 03.02.2020 को, सीडीआरआई सोसायटी को पंजीकृत किया गया है।

9.73 आपदा–रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन के माध्यम से आपदा–रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए भारत के आह्वान पर विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। आज तक, गठबंधन में 39 सदस्य शामिल हुए हैं, जिनमें इकतीस (31) राष्ट्रीय सरकारें, छह (6) अंतरराष्ट्रीय संगठन और दो (2) निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। सीडीआरआई का अब पूरी तरह से सक्रिय सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

9.74 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और गृह मंत्रालय, सीडीआरआई को भारत सरकार की ओर से संचालन निगरानी के अलावा कार्यक्रम हेतु वित्त प्रदान करते रहे हैं। एनडीएमए और गृह मंत्रालय ने सीडीआरआई को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने तथा सीडीआरआई को भारत के संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9.75 वर्ष 2022 में, सीडीआरआई ने महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों, विषयगत प्राथमिकताओं और परस्पर क्षेत्र संबंधी पहल के तहत विशिष्ट कार्यक्रम/ परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं और बड़े संसाधन निवेशों के साथ इन क्षेत्रों के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को ध्यान में रखते हुए बिजली, दूरसंचार और परिवहन क्षेत्रों पर अच्छी तरह से जोर प्रदान किया गया है। सीडीआरआई के क्षेत्रीय कार्यक्रम के पोर्टफोलियो का विस्तार किया गया, ताकि स्वास्थ्य एवं शहरी बुनियादी ढांचे में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा मिल सके। रोधकता और अनुकूलन के लिए वित्तपोषण करना भी सीडीआरआई के मुख्य कार्य का एक पोर्टफोलियो है।

9.76 विशेष रूप से बिजली, दूरसंचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी अवसंरचना के बुनियादी ढांचे की रोधकता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को स्वरूप प्रदान करने के लिए सीडीआरआई ने अपने चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन "आपदा–रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई)" की मेजबानी की। इसके अलावा, वर्ष 2022 के सम्मेलन में मुख्य फोकस छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) की संवेदनशीलता का समाधान करने पर केंद्रित किया गया था।

9.77 इन प्रयासों के आधार पर कार्य करते हुए, सीडीआरआई ने दो कार्यनीतिक पहल – "रोधक द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना (आईआरआईएस)" तथा "आपदा और जलवायु रोधक अवसंरचना पर वैश्विक फ्लैगशिप रिपोर्ट" शुरू की हैं। भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा सीओपी26 में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान आईआरआईएस का शुभारंभ किया गया था। यह तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सीडीआरआई की एक विशिष्ट पहल है और यह एसआईडीएस में अवसंरचना प्रणालियों की आपदा एवं जलवायु संबंधी रोधकता को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।

9.78 "आपदा और जलवायु रोधक अवसंरचना पर सीडीआरआई की वैश्विक फ्लैगशिप रिपोर्ट" राजनेताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और शोधकर्ताओं के वैश्विक श्रोतासमूह का ध्यान आकर्षित करने हेतु इसका प्रमुख माध्यम है। सीडीआरआई ने यह परिकल्पना की है कि वर्ष 2023 में लॉन्च की जाने वाली यह वैश्विक रिपोर्ट, तकनीकी अध्ययनों, पृष्ठभूमि दस्तावेजों, कार्यशालाओं और डाटा संग्रह के माध्यम से तैयार किया गये एक द्विवार्षिक प्रकाशन के रूप में होगी।

9.79 मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा–3 में निहित सीडीआरआई संबंधी छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु मुख्यालय समझौता (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 29.06.2022 को सीडीआरआई को एक अंतरर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की। मंत्रिमंडल के दिनांक 29.06.2022 के निर्णय के अनुपालन में 22.08.2022 को भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से) और सीडीआरआई के बीच मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं / कार्यकलाप

क. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

9.80 भारत सरकार ने चक्रवात के खतरे की आशंका वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभावों को कम करने और वहां तटीय पारिस्थितिक–तंत्र के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा–रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली; (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना जैसेकि बहु–प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल, निकासी / पहुंच मार्ग / पुलों, लवण तटबंध तथा अंडरग्राउंड केबलिंग; (iii) घटक 'ग': बहु आयामी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषण किया जाता है और घटक "ख" का वित्त–पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्त–पोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था।

9.81 एनसीआरएमपी के प्रथम चरण का अनुमोदन जनवरी, 2011 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए किया गया था। यह परियोजना कुल 2440 करोड़ रु. के व्यय के साथ दिसम्बर, 2018 में पूरी हुई थी।

9.82 एनसीआरएमपी के दूसरे चरण को जुलाई, 2015 में गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम

बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया था और परियोजना के पूरा होने की तारीख 15 मार्च, 2021 थी। दिसम्बर, 2020 के दौरान, 80 मिलियन अमरीकी डालर के निरस्तीकरण/सरेंडर करने के कारण एनसीआरएमपी चरण II के लिए परिव्यय को संशोधित कर 2059.83 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा इसके पूरा होने की संशोधित तारीख 15 सितम्बर, 2022 है। एनसीआरएमपी–।। के पूरा होने की तारीख को 1944.87 करोड़ रु. के संशोधित परिव्यय के साथ बढ़ाकर मार्च, 2023 कर दिया गया है।

9.83 एनसीआरएमपी के चरण–।। के तहत, दिनांक 31.10.2022 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 1343.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (31 अक्टूबर, 2022 तक), राज्यों को 16.39 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

9.84 आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) स्थापित करके आरंभ कर दी गई है तथा गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य में यह कार्य प्रगति पर है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक कुल 783 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थल (एमपीसीएस), 1291.52 किमी. सड़कें, 113.61 किमी. लवण तटबंध (एसई), 1178.43 किमी. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 34 पुलों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान, 31 अक्टूबर, 2022 तक 08 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थलों, 100.5 किमी. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 3.58 किमी. लवण तटबंध का निर्माण किया गया है।

9.85 आपदा संबंधी जोखिमों को कम करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों और समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के एक भाग के रूप में, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन उक्त परियोजना के उप घटकों में से एक है। एनसीआरएमपी चरण । एवं ।। के अंतर्गत विभिन्न विषयों में 832 क्षमता संवर्धन प्रशिक्षणों के माध्यम से 21888 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और साथ ही 3174 आश्रय स्तरीय प्रशिक्षणों के माध्यम से 63618 सामुदायिक प्रतिनिधियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

9.86 इसके अतिरिक्त, 8 परियोजना राज्यों में आश्रय संबंधी व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए 719 चक्रवात आश्रय प्रबंधन एवं रख–रखाव समिति भी गठित की गई हैं। प्रत्येक समिति में कई सरकारी अधिकारी, सामुदायिक प्रतिनिधि, महिलाएं और कमजोर वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।

9.87 एनसीआरएमपी के अंतर्गत निर्मित चक्रवात आश्रयों का उपयोग कोविड–19 वैश्विक महामारी और हाल ही में आए चक्रवातों के दौरान राहत और पुनर्वास संबंधी विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जाता है।

ख. अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

9.88 20.10 करोड़ रु. की लागत वाली इस स्कीम में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के एसडीएमए हेतु अन्य बातों के साथ–साथ 1.00 लाख रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह डीएम पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए राज्य प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक की अवधि में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 10.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अभिज्ञात 115 पिछड़े जिलों में से जोखिम ग्रस्त जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण

9.89 28.98 करोड़ रु. की लागत वाली इस स्कीम में 27 राज्यों और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के जोखिम संभावित प्रत्येक जिले में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/– रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह आपदा प्रबंधन पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के

कार्यन्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक की अवधि में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 13.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाना

9.90 पायलट योजना की सफलता के साथ–साथ मूल्यवृद्धि होने तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एनडीएमए 100000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप के उच्च जोखिम संभावित 350 जिलों में कुल 369.40 करोड़ रुपये की लागत से आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को एक आपातकालीन रिस्पांडर किट (ईआरके) और मृत्यु/स्थायी अशक्तता/अस्पताल में भर्ती होने की दशा को कवर करने वाला बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित जिले में "आपातकालीन जरूरी संसाधन भंडार (ईईआरआर)" प्रदान किया जाएगा। यह स्कीम मार्च, 2023 तक पूरी की जानी है।

9.91 उक्त स्कीम का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की "तैयारी एवं क्षमता संवर्धन वित्तपोषण विंडो" से किया जा रहा है। आज की तारीख में तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 21457 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 369.41 करोड़ रु. में से, 207.86 करोड़ रु. की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को या तो जारी की गई है अथवा एनडीएमए स्तर पर खर्च की गई है।

9.92 कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के सहयोग से एनडीएमए ने उक्त स्कीम के तहत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसे दिनांक 22.07.2022 को एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यशाला के दौरान, उक्त स्कीम के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों को व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सचेत) चरण–I

9.93 एनडीएमए कुल 355 करोड़ रु. के परिव्यय से सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सचेत एक एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, जो सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) के मानकों के आधार पर निर्मित है। यह योजना विभिन्न संचार माध्यमों जैसे एसएमएस, टीवी/रेडियो प्रसारण, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, उपग्रह टर्मिनलों आदि पर स्थानीय भाषाओं में भौगोलिक दृष्टि से संदर्भित आबादी के लिए आने वाले खतरों के बारे में चेतावनियों/अलर्ट के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी। चेतावनी देने वाली एजेंसियों जैसे आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, डीजीआरई, आईएनसीओआईएस आदि द्वारा दी गई चेतावनियों को चयनित मीडिया पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसार के लिए एसडीएमए द्वारा नियंत्रित और अनुमोदित किया जाएगा। यह योजना नागरिकों के साथ–साथ कार्रवाई करने वालों (रिस्पांडर्स) तक चेतावनी भेजने में लगने वाले समय को बहुत कम कर देगी, जिससे कार्रवाई और तैयारी के लिए मिलने वाला समय बढ़ जाएगा। इससे जान–माल की हानि में कमी आएगी। यह योजना अत्याधुनिक है और यह ''मेक इन इंडिया'' पहल है।

9.94 इस योजना के लिए एनडीएमए और सीडीओटी के बीच दिनांक 23.08.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 28.09.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस योजना दस्तावेज को जारी किया गया था।

आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपात मोचन सहायता प्रणाली (डायल 112) का विस्तार

9.95 **"देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल संकट (डिस्ट्रेस) नंबर"** वाले माननीय प्रधानमंत्री के विजन को कार्यान्वित करने के लिए, एनडीएमए ने आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपात मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के विस्तार की योजना शुरू की है। वर्तमान में ईआरएसएस (डायल 112) को वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक एसओएस, ईआरएसएस वेब पोर्टल आदि के माध्यम से महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, पुलिस, अग्नि और चिकित्सा सहायता के संबंध में नागरिकों से प्राप्त सभी आपात संकेतों पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रस्तावित योजना से आपदा की आपात स्थितियों को शामिल करने के लिए ईआरएसएस के वर्तमान दायरे का विस्तार किया जा सकेगा। डायल 112 पर शुरू की गई आपदा संबंधी आपात कॉल को पुलिस नियंत्रण केंद्र द्वारा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एसईओसी) में भेजा जाएगा, जहां से कॉल को आगे उपयुक्त रिस्पांडर के पास भेजा जाएगा।

9.96 उक्त परियोजना के लिए दिनांक 02.08.2021 को सीडैक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है और परियोजना का कार्य प्रगति पर है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी स्थापना का कार्य फरवरी 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

60 शहरों हेतु भूंकप आपदा सूचकांक (ईडीआरआई–II)

9.97 एनडीएमए द्वारा भूकंप आपदा जोखिम के अनुक्रमण के लिए, पूर्व में किए गए अध्ययन के क्रम में, पहले से अनुक्रमित शहरों के अलावा अतिरिक्त 60 शहरों हेतु आपदा जोखिम सूचकांक का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना के अगले चरण की योजना बनाई गई है। 116.2 लाख रुपये की लागत से चरण–II का कार्य मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर को प्रदान किया गया है, जिसमें से 46.48 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों में भूकंप के खतरे का आकलन करना है, जिससे नकारात्मक परिणामों का उपशमन करने, अगली घटना के लिए तैयार रहने और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक मुख्य रूप से शहर के खतरे, जोखिम और प्रभावन (एक्सपोजर) पर केंद्रित होगा। यह प्रत्येक शहर को उनके लिए संभावित जोखिम और इसके परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा, किसी भूकंप के कारण सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और शहरों के बीच जोखिम की पारस्परिक तुलना प्रदान करेगा तथा साथ ही शहर के अत्यधिक

संवेदनशील क्षेत्र में आपदा की तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों के प्राथमिकता निर्धारण में सरकारी एजेंसियों का मार्गदर्शन करेगा। परियोजना निगरानी समिति के साथ परामर्श से भूकंप जोखिम आकलन की पद्धति को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और निर्धारित शहरों में संवेदनशीलता संबंधी आकलन के लिए क्षेत्रीय कार्य चल रहा है।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

9.98 "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में आरंभ किया गया था। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र जैसे रोकथाम, उपशमन, तैयारी, बचाव, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/खोज अथवा पूर्व चेतावनी आदि में भारत के व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष संबंधित 'व्यक्तियों/ संस्थानों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर घोषित किया जाता है।

पुरस्कार जीतने वाले संस्थान को एक प्रमाण–पत्र और 51 लाख रु. का नकद इनाम प्रदान किया जाता है। जबकि पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण–पत्र और 5 लाख रु. का नकद इनाम प्रदान किया जाता है।

भूस्खलन

हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन इन्वेंटरी तैयार करने संबंधी पायलट परियोजना

9.99 एनडीएमए ने मई, 2018 में "हरिद्वार– बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन– व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मानचित्रों और भूस्खलन संबंधी सूची तैयार करने" संबंधी पायलट परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है और इसे शुरू किया है। यह परियोजना रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी) – उत्तर प्रदेश के सहयोग से कार्यान्वित की गई है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी – रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपनी तकनीकी जानकारियां तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा के माध्यम से 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीयकरण (एलजेडएच) मैप और 142 भूस्खलनों की सूची तैयार करने का कार्य किया गया। यह परियोजना शीघ्र पूरी हो जाएगी।

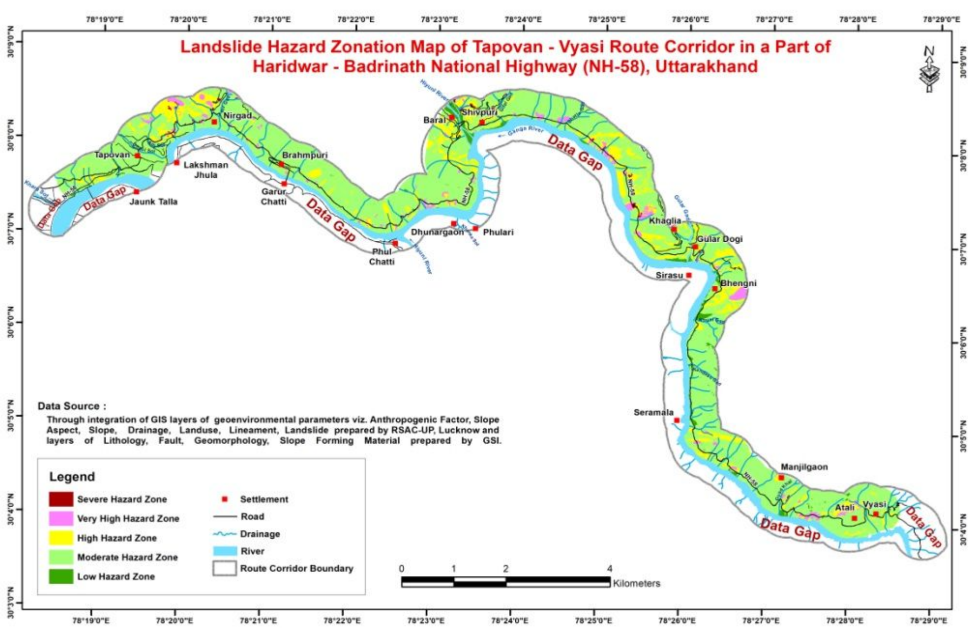

भू–स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)

9.100 एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/डीडीएमए की आपदा जोखिम संचालन प्रणाली में सुधार के अंतर्गत "भू–स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)" को अनुमोदन प्रदान किया। इस स्कीम का उद्देश्य स्थान विशिष्ट भू–स्खलन के उपशमन हेतु भू–स्खलन संभावित राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

9.101 एलआरएमएस एक पायलट स्कीम है, जो भू–स्खलन मॉनीटरिंग, जागरूकता फैलाने, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ–साथ भू–स्खलन उपशमन के उपायों से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करेगी।

9.102 उक्त स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना सभी चार राज्यों में पूरा होने के अंतिम चरण में है।

सीडीएम, एलबीएसएनएए में आईएएस/केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन की परियोजना

9.103 एनडीएमए, आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी के सहयोग से सीडीएम, एलबीएसएनएए, मसूरी में प्रतिवर्ष 950 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2021–22 (फरवरी, 22) से 2025–26 तक पांच वर्षों के दौरान कुल 3.75 करोड़ रु. के परिव्यय से उक्त परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

9.104 इस परियोजना का उद्देश्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न कार्यपालक और नीति निर्माण के स्तरों पर आपदा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करना; मामलागत अध्ययन करना; और आपदा प्रबंधन संबंधी ज्ञान कोष विकसित करना है।

सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय)

मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)

9.105 एनडीएमए ने एक पायलट परियोजना पूरी की थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों से निपटने के लिए 56 शहरों में पुलिस विभागों को मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस) से युक्त किया गया है। 930 पुलिस गश्ती वाहनों को गो–नो–गो उपकरणों से सुसज्जित किया गया था तथा 339 पुलिस स्टेशनों को विकिरण माप उपकरण एवं सुरक्षा किट प्रदान किए गए हैं। इस परियोजना के तहत शहरों में लगभग 430 पुलिस कर्मियों/एनडीआरएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। एनडीएमए ने मुम्बई के चार पुलिस स्टेशनों में सैंपल आधार पर इस उपकरण का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन का सत्यापन किया है। इस उपकरण के प्रयोग के बारे में पुलिस कर्मियों में जागरूकता की कमी; पुलिस वाहन पर गायब और खराब उपकरण जैसी खामियों वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। मध्यावधि मूल्यांकन के लिए एक जांच सूची तैयार की गई थी और चयनित शहरों/पुलिस स्टेशन में जागरूकता सृजन–सह–मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। सैंपल मध्यावधि मूल्यांकन करने, एएमसी को अंतिम रूप प्रदान करने और प्रत्येक पुलिस स्टेशन अथवा एसडीएमए को एमआरडीएस से संबंधित सभी कार्य सौंपने की योजना तैयार की गई है।

बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन संचालकों के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकालीन प्रबंधन पर प्रशिक्षण

9.106 सीबीआरएन आपात स्थिति के प्रति तैयारियों में सुधार करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण का काम जारी है। घटना स्थल पर प्रशिक्षित रिस्पांडर्स के आने तक सीबीआरएन की किसी भी घटना को रोकने और कम करने के लिए, बंदरगाहों को तैयार रखने के लक्ष्य के साथ सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बुनियादी खतरों, सुरक्षा कार्यों, व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) फील्ड अभ्यासों को शामिल किया गया है। चरण–1 में सीबीआरएन आपात प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण के कुल 25 बैच पूरे हो चुके हैं और बंदरगाहों के संचालन

के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को डोमेन विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। चरण–2 में 11 बंदरगाहों पर बुनियादी प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान आज तक, एनडीएमए ने 3 हवाई अड्डों और एक बंदरगाह (जयपुर, लखनऊ, रायपुर हवाई अड्डे और जेएनपीटी मुम्बई) का कार्य पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए, एनडीएमए प्रशिक्षण गतिविधियों के सूक्ष्म प्रबंधन के लिए एसडीएमए को शामिल करने की योजना बना रहा है। एक विस्तृत स्कीम तैयार की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के लिए ऑफ–साइट और साइट आपातकालीन अभ्यास

9.107 न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने एनपीपी हेतु ऑफ–साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) आयोजित करने के लिए तीन नई पद्धति (टेबल–टॉप, एकीकृत कमांड, नियंत्रण और कार्रवाई (आईसीसीआर) तथा आम जनता को शामिल करते हुए पूर्ण अभ्यास) तैयार की है। एनडीएमए की टीम ने साइट आपातकालीन अभ्यासों और ऑफ–साइट आपातकालीन अभ्यासों में क्रमशः 02 सितम्बर और 11 अक्टूबर, 2022 को भाग लिया और उनका पर्यवेक्षण किया।

भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर अध्ययनः विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सीखना

9.108 माननीय गृह मंत्री के निदेशानुसार वर्ष 2024 से पहले आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी बनने के लिए, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना के एक भाग के रूप में एनडीएमए ने भारत–जापान लैबोरेटरी, कीयो विश्वविद्यालय, जापान; इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड एन्वायरमेंटल ट्रांजिशन–इंटरनेशनल (आईएसईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका; और रेजिलिएंस इनोवेशन नॉलेज एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से "भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनानाः विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सीखना" विषय पर एक अध्ययन किया, ताकि आठ देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन मौजूदा डीआरएम शासन संरचनाओं (और इसी तरह की अच्छी प्रक्रियाओं) को समझा जा सके, जिन्हें भारतीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है।

9.109 रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, एनडीएमए भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है।

घ. मॉक अभ्यास (एमई)/ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास

9.110 एनडीएमए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से संवेदनशीलता प्रोफाइल के आधार पर आपदा के विभिन्न परिदृश्यों के संबंध में वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय मॉक अभ्यास (एमई) कैलेंडर तैयार किया है। उक्त अवधि के दौरान, भौतिक एमई और ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टेबल टॉप अभ्यास का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष 2022-23 हेतु कुल आंकड़े		
वास्तविक दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक	अनुमानित दिनांक 01.11.2022 से 31.03.2023 तक	कुल वर्ष 2022-23 के दौरान
10 (07 भौतिक और 03 ऑनलाइन एमई)	08	18

9.111 एनडीएमए ने 09–11 मई, 2022 और 30–31 अगस्त, 2022 को क्रमशः गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिए दुर्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) संबंधी प्रशिक्षण भी आयोजित किया है। एनडीएमए ने 18 और 19 जून, 2022 को ओडिशा; एसडीएमए द्वारा आयोजित "आपदा की तैयारी हेतु टेबल टॉप अभ्यास और मॉक

ड्रिल" में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। सदस्य, एनडीएमए के अर्ध–शासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक के साथ अभ्यास के बाद उपयुक्त कार्रवाई हेतु फीडबैक रिपोर्ट सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और ज्ञात कमियों के साथ साझा की गई।

एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय मॉक अभ्यास

9.112 एनडीएमए ने समुचित परामर्श के द्वारा एनडीआरएफ द्वारा किये जाने वाले जिला स्तरीय मॉक अभ्यास के तौर–तरीकों को तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, एनडीएमए ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों को जिला स्तरीय एमई (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एनडीआरएफ द्वारा तैयार किए गए) के जिला–वार, जोखिम–वार, तारीख/माह–वार वार्षिक एमई कलैंडर (वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23) परिचालित किए थे, जिनके अंतर्गत सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एनडीआरएफ के साथ तारीखों को तय करने और सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के साथ जिला स्तरीय मॉक अभ्यास करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इन मॉक अभ्यासों के कंप्यूटरीकृत डाटाबेस का रख–रखाव एनडीआरएफ द्वारा किया जा रहा है। एनडीआरएफ द्वारा आयोजित जिला–स्तरीय मॉक अभ्यासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**योजना वाले जिलों की संख्या**	**आयोजित करने वाले जिलों की संख्या**
1.	2020-21	154	98
2.	2021-22	288	249
3.	**वर्ष 2022-23 हेतु कुल आंकड़े**		
	वास्तविक दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक	अनुमानित दिनांक 01.11.2022 से 31.03.2023 तक	कुल वर्ष 2022-23 के दौरान
	129	126	255

ऑफसाइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

9.113 एनडीएमए ने 11 अक्टूबर, 2022 को काकरापार, जिला सूरत, गुजरात में "एकीकृत कमान एवं नियंत्रण और कार्रवाई" मोड में आयोजित रेडियोलॉजिकल ऑफ–साइट आपातकालीन अभ्यासों (ओएसईई) में भाग लिया। राज्य प्राधिकारियों और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के साथ विस्तृत फीडबैक साझा किए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, श्री कमल किशोर, सदस्य एवं सचिव आई/सी, एनडीएमए और श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य एनडीएमए ने दिनांक 03.09.2022 को कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और दिनांक 11.09.2022 को कैगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए ने दिनांक 28.10.2022 को कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और श्री कृष्ण सिंह वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने दिनांक 03.10.2022 को काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

9.114 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और महत्वपूर्ण आपूर्ति की सूची के प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित प्लेटफार्म है, जो किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए निर्णयकर्ताओं को अपेक्षित उपकरण और मानव संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईडीआरएन एनआईसी पर होस्ट किया जाता है और इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा प्रबंधन किया जाता है।

9.115 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क डाटाबेस में

सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के पास उपलब्ध डीएम उपकरण और संबंधित मदों की जिला–वार सूची रखी जाती है।

9.116 एनडीएमए ने उद्योगों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ कई उद्योग संघों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकों में भाग लिया है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया है, ताकि आपदा की स्थितियों/आपातकाल के दौरान दोहरे उपयोग अर्थात् जरूरतबंद स्थानों पर अपने स्वयं के उपयोग के साथ–साथ जिला प्रशासन द्वारा उपयोग किए जाने हेतु भी विशेष मशीनें/उपकरण की खरीद की जा सकें और आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधनों की सूची को अपडेट करने के लिए ऐसी मदों/मशीनों/उपकरणों की सूची जिला–प्राधिकरणों के साथ साझा की जा सके। निजी फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके सीएसआर निधियों से नई मशीनें/उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

9.117 आईडीआरएन सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। एनडीएमए ने स्वास्थ्य संबंधी 26 मदों/संसाधनों की एक सूची तैयार की है और उन्हें आईडीआरएन पोर्टल पर मदों की सूची में 'स्वास्थ्य सेवाओं' श्रेणी के तहत शामिल कराया है, ताकि आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को कोविड–19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वांछित संसाधनों की प्राप्ति में सुविधा हो सके।

9.118 एनडीएमए ने सभी राज्यों और स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के संसाधनों के उपयोग पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इन्हें फरवरी 2021 में जारी कर दिया है। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक तौर पर एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.119 कुशल मानव संसाधन सूची के अंतर्गत पूर्व–सैनिकों और पूर्व–सीएपीएफ कार्मिकों का ब्यौरा दर्शाने के लिए आईडीआरएन पोर्टल में एक प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं।

9.120 एनआईडीएम, जो आईडीआरएन डाटाबेस तैयार करता है, मासिक आधार पर आईडीआरएन सूची को अपडेट करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

*****

अध्याय - 10
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों की मात्रा और जटिलता पारस्परिक भागीदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल आरंभ करने और इन पर आगे कार्रवाई करने के लिए सतत रूप से अनेक देशों को शामिल करने हेतु अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के संबंध में एक नोडल मंत्रालय होने के नाते प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के संबंध में एक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

द्विपक्षीय सहयोग

10.2 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और मानव तस्करी से संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जिन पर भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, मानव तस्करी, धनशोधन, भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी, आदि को रोकने में भारत को समर्थ बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

10.3 "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि/करार", आतंकवाद से संबंधित अपराधों सहित अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में करार करने वाले देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

10.4 दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, भारत ने 45 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हाँगकाँग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, पोलैंड़, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंग्डम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार" पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रभावी हैं। बेल्जियम, ब्राजील, कंबोडिया, मोरक्को और पोलैंड़, के साथ "परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी)" पर हस्ताक्षर किए गए हैं परंतु इन देशों द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की गई है। "परस्पर विधिक सहायता संधि/करार" के तहत प्रदान की गई सहायता के अंतर्गत

विधि प्रवर्तन एजेंसियां अनेक करारकर्ता राष्ट्रों के अनुरोधों पर कार्रवाई करती रही हैं। इसी प्रकार, एमएलएटी/करार के उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए करारकर्ता पक्षकारों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

10.5 पोलैंड गणराज्य के राजदूत श्री एडम बुराकोव्स्की और भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव श्री वी.एस.के. कौमुदी ने दिनांक 25.04.2022 को नई दिल्ली में पोलैंड के साथ "आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि" पर हस्ताक्षर किए।

10.6 भारत गणराज्य और इतालवी गणराज्य के बीच "आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी)" के मसौदे पर दिनांक 09–10 मई, 2022 को नई दिल्ली में वार्ता बैठक आयोजित की गई और दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों द्वारा अंतिम रूप से तैयार मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। इटली के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डायरेक्टर जनरल फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल जुडिशरी, इटेलियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, श्री स्टेफानो ओपिलियो ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव (सीआईसी) सुश्री सहेली घोष रॉय ने किया।

10.7 सऊदी अरब के साथ दिनांक 07.11.2022 और 06.12.2022 को वर्चुअल वार्ता बैठक आयोजित की गई। किंगडम ऑफ सऊदी अरब सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. उमर सालेह अल–जहरानी ने किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव (सीआईसी) ने किया। दोनों पक्षों ने संधि के पाठ पर अनुच्छेद–वार बातचीत की और संधि के मसौदे को अंतिम रूप दिया।

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने तथा सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

10.8 भारत ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाईटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और जांबिया के साथ 43 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.9 ये करार/समझौता ज्ञापन, पारदेशीय संगठित अपराध से निपटने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में प्रचालनात्मक रूप से काफी उपयोगी हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोक, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और भागीदार देशों की आसूचना एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे अपराध, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार संबंधी रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं। भारत गणराज्य के एनसीबी और इंडोनेशिया गणराज्य के एनसीबी के बीच स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और इसके उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए दिनांक 17.06.2022 को इंडोनेशिया गणराज्य के नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड के बीएनएन प्रमुख डॉ. पेट्रस आर. गोलोस और भारत गणराज्य के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक श्री सत्य नारायण प्रधान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

10.10 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी हिस्सा अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके देश की जेल में स्थानान्तरित किए जाने हेतु "कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003" अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को इस मानवीय पहलू का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्ति अपने मूल देशों में अपने परिवारों के निकट रह सकें तथा उन्हें सामाजिक पुनर्वास का बेहतर अवसर मिल सके। सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक देशों के साथ द्विपक्षीय करार हस्ताक्षरित किए जाते हैं। भारत सरकार ने अभी तक 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.11 भारत ने सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः "विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर–अमेरिका समझौते" तथा "सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर यूरोप समझौता परिषद" पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर इन समझौतों पर सहमति देने वाले सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य देशों का कोई सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी सजा काटने के लिए अपने देश में हस्तांतरण का अनुरोध कर सकता है।

मानव तस्करी पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

10.12 भारत ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कम्बोडिया और म्यांमार के साथ मानव तस्करी पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि मानव तस्करी को रोकने में इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके।

10.13 भारत, वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए सार्क सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है।

10.14 भारत ने "पारदेशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी)" और यूएनसीटीओसी के अनुपूरण में इसके प्रोटोकॉल नामतः (i) व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और दण्ड व्यवस्था करने के प्रोटोकॉल तथा (ii) जमीन, हवा और समुद्र द्वारा प्रवासियों के दुर्व्यापार के विरूद्ध प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भारत–बांग्लादेश संबंध

10.15 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रि–स्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। वार्ता का पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गाड्र्स बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर है, दूसरा दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर है। दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि–स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता (एचएमएलटी) भी आयोजित की जाती है।

10.16 भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 18 वीं बैठक दिनांक 5–6 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री पीयूष गोयल ने की और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए. के. मुखलेसुर रहमान ने किया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के दायरे में सीमा पर बाड़

लगाने और विकास कार्य, अवैध पारगमन (क्रासिंग), उग्रवाद को रोकने में द्विपक्षीय सहयोग, आतंकवाद, संगठित अपराधों और तस्करी आदि का मुकाबला करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.17 सीमा प्रबंधन पर नेपाल–भारत संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बारहवीं संयुक्त सचिव स्तरीय बैठक दिनांक 15–16 जून, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच एक निर्बाध और रियल–टाइम सूचना साझा करने और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों पक्ष नो मैन्स लैंड के अतिक्रमण को हटाने और गायब एवं क्षतिग्रस्त बाउंड्री पिलर के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता (एचएसडी)

10.18 भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मंत्रिस्तरीय होमलैंड सुरक्षा वार्ता (एचएसडी) की तैयारी के लिए, दिनांक 12 जनवरी, 2022 को वर्चुअल मोड में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक (एसओएम) आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने किया और संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री रॉबर्ट सिल्वर्स, अंडर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूएसए ने किया।

10.19 एसओएम के दौरान, होमलैंड सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत गठित उप–समूहों यथा विधि प्रवर्तन कार्य, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, विमानन सुरक्षा, जांच सहयोग और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।

10.20 फोरेंसिक गतिविधियों के क्षेत्र में भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और बेलारूस गणराज्य की स्टेट फोरेंसिक एग्जामिनेशन कमेटी के बीच "सहयोग संबंधी करार" के मसौदे की स्थिति पर विचार करने के लिए दिनांक 09.11.2022 को अपर सचिव (डब्ल्यूएस), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और स्टेट फोरेंसिक एग्जामिनेशन कमेटी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक आयोजित की गई।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच आंतरिक मामलों से संबंधित वार्ता (एचएडी)

10.21 भारत–यूनाइटेड किंगडम (यूके) के आंतरिक मामलों पर चौथी वार्ता दिनांक 10.02.2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने किया और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री मैथ्यू रिक्रॉफ्ट, पर्मानेंट सेक्रेटरी होम ऑफिस ने किया। बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, आपराधिक न्याय में सहयोग, ओपन सोसाइटीज, होमलैंड सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

10.22 एससीओ के आंतरिक मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रियों की बैठक की तैयारी के लिए, दिनांक 24–25 मार्च, 2022 को वर्चुअल मोड में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) आयोजित की गई थी। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव (सीआईसी) सुश्री सहेली घोष रॉय ने किया। एससीओ के आंतरिक मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रियों की बैठक की कार्यसूची और उसमें चर्चा किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों को तैयारी बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

10.23 एससीओ के आंतरिक मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रियों की बैठक 17–19 अगस्त, 2022 को ताशकंद में आयोजित की गई थी। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने किया।

10.24 एससीओ के सदस्य देशों के बीच बैठक के दौरान कई व्यापक विचार–विमर्श किए गए, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद का मुकाबला, सीमा प्रबंधन, मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय गृह राज्य मंत्री (एन) ने इस आयोजन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के समकक्ष प्रतिभागियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

यूरोपीय संघ (ईयू)

10.25 यूरोपीय संघ (ईयू) के मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि महामहिम श्री एमन गिलमोर और केंद्रीय गृह सचिव के बीच दिनांक 28.04.2022 को एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान, मानवाधिकार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई प्रौद्योगिकियों का मानवाधिकार पर प्रभाव, आतंकवाद–रोधी कानून जैसे विशेष कानूनों का इस्तेमाल, दांडिक न्याय प्रणाली और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विचारणों को गति प्रदान करना आदि शामिल है।

क्षमता निर्माण

10.26 गृह मंत्रालय केवल अपने पुलिस बलों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में मित्र देशों यथा बांग्लादेश, भूटान, मॉरीशस, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, सेशेल्स के 110 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

वैश्विक शांति परिरक्षण

10.27 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा, जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर "संगठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू)" की भी नियमित तैनाती की गई है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से मिशन सेवा मूल्यांकन (एएमएस) की योग्यता प्राप्त कुल 55 सिविल पुलिस (सिवपोल) अधिकारियों ने दक्षिण सूडान और एबेई में "संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों" में अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा, राजस्थान तथा एजीएमयूटी कैडर से दो पुरुष भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों ने भी सेकंडमेंट पद पर क्रमशः पुलिस डिवीजन, यूएन मुख्यालय (एचक्यू), न्यूयार्क में पी–IV लेवल पर और यूएनएमआईएसएस के डी–2 लेवल में अपनी सेवाएं दीं। निम्नलिखित संगठित पुलिस यूनिटों (एफपीयू) ने भी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में सेवाएं दीं:–

डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से एक संगठित पुलिस यूनिट

10.28 अवैध वित्त पर काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक दिनांक 29.04.2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी ताकि अगले कुछ महीनों के लिए योजनाओं की कुछ जानकारी साझा की जा सके। इस कार्य समूह का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रैंसमवेयर हमलों में वर्चुअल संपत्ति के उपयोग से साइबर सुरक्षा और वित्तीय नियामक चुनौतियों से संयुक्त रूप से और व्यापक रूप से निपटा जा सके।

10.29 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुरक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूह की 8 वीं बैठक दिनांक 24.05.2022 को वर्चुअल मोड में हुई थी। इस वर्ष बैठक की अध्यक्षता चीन ने की। गृह मंत्रालय की ओर से निदेशक, आई4सी ने बैठक में भाग लिया।

10.30 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "आपराधिक कार्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की रोकथाम" विषय पर दिनांक 27.12.2019 के अपने प्रस्ताव 74/247 के तहत, सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की एक ओपन–एंडेड तदर्थ अंतर–सरकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो आपराधिक कार्यों के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों

तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आपराधिक कार्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का विस्तार करेगा।

वियना में 30 मई से 10 जून, 2022 तक तदर्थ समिति (एएचसी) का दूसरा सत्र हाइब्रिड रूप में आयोजित किया गया। निदेशक, आई4सी ने इस सत्र में ऑनलाइन भाग लिया। सदस्य राज्यों द्वारा निम्नलिखित अध्यायों पर इनपुट प्रदान किए गएः–

क) अपराधीकरण के लिए प्रावधान

ख) सामान्य प्रावधान

ग) प्रक्रियात्मक उपायों और विधि प्रवर्तन के लिए प्रावधान

10.31 चौथी भारत–जापान साइबर वार्ता, वर्चुअल रूप में जवाहरलाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 30.06.2022 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव (साइबर कूटनीति और नई उभरती एवं सामरिक प्रौद्योगिकियां), विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए), रक्षा मंत्रालय (एमओडी), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (एमईआईटीवाई), कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम इंडिया (सीईआरटी–आईएन) और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

10.32 भारत–ऑस्ट्रेलिया साइबर विशेषज्ञों की पहली बैठक ऑस्ट्रेलिया में दिनांक 4–6 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (साइबर कूटनीति) ने की। गृह मंत्रालय की ओर से साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के उप सचिव ने बैठक में भाग लिया।

10.33 आपराधिक कार्यों के लिए आईसीटी के प्रयोग को रोकने के लिए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को व्यापक रूप देने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र एड हॉक का तीसरा सत्र दिनांक 29 अगस्त से 9 सितंबर, 2022 तक हाइब्रिड रूप में आयोजित किया गया। निदेशक, आई4सी ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया था। सत्र के दौरान समझौते के निम्नलिखित अध्यायों पर चर्चा की गईः

क) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रावधान

ख) तकनीकी सहायता के लिए प्रावधान

ग) निवारात्मक उपायों के लिए प्रावधान

घ) कार्यान्वयन के तंत्र के लिए प्रावधान

10.34 भारत ने दिनांक 18–19 नवंबर, 2022 को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन "नो मनी फॉर टेरर" (एनएमएफटी) के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। इस सम्मेलन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एफएटीएफ शैली के क्षेत्रीय निकायों (एसआरबी), जी–20 आदि के सदस्य देशों सहित 77 देशों और 16 संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान, भारत ने अपने रुख को दोहराया कि आतंकवाद और इसका वित्तपोषण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

10.35 तीसरा एनएमएफटी सम्मेलन सामूहिक भागीदारी के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण वाले प्रगतिशील एजेंडे पर आयोजित किया गया था। इसकी पहल अप्रैल 2018 में पेरिस में आयोजित पहले एनएमएफटी सम्मेलन में की गई थी। इसे वैश्विक खतरों, आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों, खतरे से निपटने के रुझानों और तरीकों का आकलन करने के विषयों पर तैयार किया गया था जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नवंबर 2019 में आयोजित दूसरे एनएमएफटी सम्मेलन के दौरान विचार–विमर्श किया गया था। इसके अलावा, भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में वैश्विक मानकों को स्थापित करने में फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

10.36 माननीय राष्ट्रपति जी की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच 02 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्रों से लाभान्वित होंगे और यह आपदा प्रबंधन हेतु तैयारी, कार्रवाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

10.37 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच 02 अगस्त, 2022 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे भारत और मालदीव दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे और यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, कार्रवाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच दिनांक 14.11.2022 को आयोजित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक

10.38 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक दिनांक 14.11.2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) ने की, जिसमें विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। जेडब्ल्यूजी की यह बैठक एक–दूसरे की क्षमताओं एवं अपेक्षाओं को समझने और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर दिनांक 02.04.2022 को भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद '6' के अनुसार भविष्य की कार्रवाई तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी।

आपदा प्रबंधन सहयोग पर बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) विशेष समूह की पहली बैठक:

10.39 बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) सात सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है; जिसमें दक्षिण एशिया के पांच देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा बंगाल की खाड़ी के तटीय और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित दक्षिण– पूर्व एशिया के दो देश अर्थात म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करता है।

10.40 भारत ने 'आपदा प्रबंधन सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक' दिनांक 12.05.2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की। सदस्य देशों ने बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर अवधारणा नोट पर चर्चा की और उसे अंतिम रूप दिया।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के आपदा जोखिम प्रबंधन के कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीआरएम) की पहली बैठक

10.41 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) एक अंतर–सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1997 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और यह हिंद महासागर में

स्थित एक प्रमुख क्षेत्रीय समूह बन गया है। अंतरर्राष्ट्रीय संगठन आपदा जोखिम प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं और यह प्राकृतिक या मानव–जनित कई आपदाओं, जिसके परिणामस्वरूप जान–माल का नुकसान होता है और साथ ही पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, से प्रभावित होने वाले हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन रहा है।

10.42 भारत ने आपदा जोखिम प्रबंधन के कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीआरएम) की दिनांक 09.06.2022 को आयोजित पहली बैठक की मेजबानी की तथा इस बैठक में 12 सदस्य देशों ने भाग लिया। डब्ल्यूजीडीआरएम के उद्देश्य हैं:

I. सदस्य देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर एक सहयोगी आईओआरए डीआरएम फ्रेमवर्क के लिए आधार बनाना,

II. संस्थागत क्षमता वृद्धि, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और डीआरएम को मुख्यधारा में लाने के लिए डीआरएम पर एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण बनाना,

III. मौजूदा और उभरते मुद्दों से निपटने के लिए आईओआरए में डीआरएम हेतु एक समन्वित क्षेत्रीय विजन तैयार करना।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी)

10.43 नेपाल के पोखरा में आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद (सीओएम) की 37 वीं बैठक के दौरान, चार क्षेत्रीय संस्थानों नामतः सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी – नई दिल्ली, भारत); सार्क मौसम विज्ञान केंद्र (एसएमआरसी – ढाका, बांग्लादेश); सार्क वानिकी केंद्र (एसएफसी – थिम्पू, भूटान); और सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र (एससीजेडएमसी – माले, मालदीव) का सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, जो कि भारत में स्थित होगा, में विलय करने का निर्णय लिया गया।

10.44 सार्क सदस्य देशों की मंजूरी के साथ नए केंद्र ने अप्रैल, 2016 में एक अंतरिम इकाई (आईयू) के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा औपचारिक अनुमोदन देने के बाद अंतरिम दर्जा समाप्त हो जाएगा।

10.45 एसडीएमसी (आईयू), आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के समग्र उद्देश्य के साथ सार्क देशों के लिए नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

10.46 नवंबर 2016 से, एसडीएमसी (आईयू) ने आवासीय क्षमता निर्माण के 21 कार्यक्रम और 6 वेबिनार आयोजित किए हैं, जिसमें सदस्य देशों के लगभग 850 कार्मिकों को प्रशिक्षित / जागरूक बनाया गया है और लगभग 200 क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषय–विशेषज्ञों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

10.47 चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, एसडीएमसी की अंतरिम इकाई ने 2 आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिसमें सार्क सदस्य देशों के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

*****

अध्याय - 11
प्रमुख पहल और स्कीमें

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम

11.1 केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों के उप–समूह ने वर्ष 2015 में अनुशंसा की थी कि "कानून और व्यवस्था" तथा "न्याय प्रदायगी प्रणाली" की स्कीमों को कोर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस अनुशंसा के अनुसरण में, भारत सरकार (नीति आयोग) ने अपने दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, 66 मौजूदा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाकर 6 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों, 20 'कोर' स्कीमों तथा 2 'वैकल्पिक' स्कीमों को अंतिम रूप देते हुए "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को एक 'कोर' स्कीम के रूप में शामिल किया है।

11.2 इन स्कीमों के अंतर–संबंध तथा पूरकताओं का दोहन करके कार्यक्रम संबंधी परिणामों को हासिल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने पुलिस को सुसज्जित करने से संबंधित स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत समेकित किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने वाली सभी संगत स्कीमों को केंद्रीय बजट में एक जगह लाना है।

11.3 सरकार द्वारा कुल 25,061 करोड़ रुपये के परिव्यय से, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहली बार दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कुल परिव्यय में से, अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये था तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये था। इस 'कोर' स्कीम के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम के तहत कुछ उप–स्कीमों को छोड़कर बाकी उप–स्कीमों की समयावधि को दिनांक 31.03.2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

11.4 मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुल 26,275 करोड़ रुपये के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ इस स्कीम में ऐसी सभी प्रासंगिक उप–स्कीमें शामिल हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उनके कार्यकरण में सुधार में योगदान करती हैं।

11.5 मोटे तौर पर, इस अंब्रेला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम तथा जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की स्कीम। इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकल) के तहत बनी 15 उप–स्कीमें निम्नानुसार हैं:

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)**
    - **केंद्र प्रायोजित तीन उप–स्कीमें**

      (i) पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(ii) आंध्र प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए सहायता

(iii) इंडिया रिजर्व बटालियनें/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें /एसआईआर बटालियनें) गठित करना

- **केंद्रीय क्षेत्र की दो उप–स्कीमें**

  (i) फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम

  (ii) स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) II: जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)**

  - **केंद्र प्रायोजित तीन उप–स्कीमें**

    (i) सुरक्षा संबंधी व्यय (एनई)

    (ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)

    (iii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एलडब्ल्यूई)

  - **केंद्रीय क्षेत्र की सात उप–स्कीमें**

    (i) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस)

    (ii) वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों और चिंताजनक स्थिति वाले जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

    (iii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक कार्य योजना (सीएपी)

    (iv) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया योजना (विज्ञापन एवं प्रचार)

    (v) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– राहत तथा पुनर्वास (आरएंडआर)

    (vi) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– सुरक्षा वातावरण

    (vii) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– पुलिस

11.6 इस अम्ब्रेला स्कीम के कार्यान्वयन से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने और विकासपरक पहल करने के लिए सरकार की क्षमता में वृद्धि होगी, जो इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगी और साथ ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायता करेगी।

''पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' की स्कीम (''राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण'' की पूर्ववर्ती स्कीम)

उद्देश्य

11.7 यद्यपि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथापि, चूंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को वांछित स्तर तक आधुनिकीकृत तथा सुसज्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से 'राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग प्रदान करता रहा है। इस स्कीम को वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के बीच 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' के नए नाम के साथ जारी रखा गया था। चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है, इसलिए स्कीम का नाम बदलकर 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित इस उप–स्कीम का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस को आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत हथियार, संचार के लिए नवीनतम उपकरण, फोरेंसिक, सुरक्षा, प्रशिक्षण, साइबर अपराध, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था, आदि जैसे अपेक्षित संसाधनों से लैस करके पुलिस अवसंरचना को मजबूत करना है।

11.8 सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश

और उत्तराखंड के लिए वित्तपोषण पैटर्न 90:10 (केंद्रः राज्य) है और शेष राज्यों के लिए यह 60:40 है। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

11.9 मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ वर्तमान उप–स्कीम को जारी रखा है, जिसे राज्यों के साथ समुचित परामर्श करके और उनके सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया गया था:

(क) जमीनी स्तर पर स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए, पुलिस स्टेशनों के निर्माण को इस स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित विशेषज्ञ एजेंसियों की सलाह और मूल्यांकन की कमी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तकनीकी/आईटी सिस्टम के अनुमोदन की लागत के 3% की अधिकतम सीमा के साथ किसी पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी) की सेवाएं ले सकते हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में शामिल किया गया है।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

11.10 वित्तपोषण के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेष 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2018–19 से 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम के अंतर्गत 'क' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है। शेष राज्य 'ख' श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 40% निधियां राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती हैं। वर्ष 2018–19 से 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XVI** में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित और जारी की गई निधियां **अनुलग्नक–XVII** में दी गई हैं।

अनुमोदन प्रणाली

11.11 इस स्कीम हेतु केन्द्रीय बजट में किए गए आवंटन को पूर्व–निर्धारित अंतर–राज्यीय/संघ राज्य क्षेत्रीय वितरण अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित/आवंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य अंश (40% अथवा 10%) देना होता है तथा राज्यों को अपनी कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं। इन कार्य योजनाओं का अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी/यूटीएलईसी) द्वारा तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर स्कीम को देख रहे अपर सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। कार्य योजनाओं के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिये निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार, कार्य योजना को फरवरी तक, अर्थात वित्तीय वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाना होता है और राज्य 01 अप्रैल से जारी की जाने वाली निधियों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय से निधियां जारी करने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है।

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

11.12 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय गृह सचिव तथा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता है तथा अलग–अलग राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

निधियों का उपयोग

11.13 नकदी के अधिक कारगर प्रबंधन तथा सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन में और अधिक दक्षता लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने

तथा जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2021 से एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, सभी राज्यों को एक "एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)" नामित करनी होगी और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर एक एकल नोडल खाता खोलना होगा। नई प्रक्रिया के अनुसार, स्कीम की शेष निधियों (केंद्रीय और राज्य के हिस्से) के आधार पर ही राज्यों को धनराशि जारी की जानी है। एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि उस राज्य को आवंटित राशि के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एक किस्त में जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि के 25% से अधिक नहीं होगी।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी)

11.14 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए 340.00 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक स्कीम है। इसके प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(i) राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई
(ii) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
(iii) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
(iv) राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र
(v) संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीमों के लिए प्लेटफार्म
(vi) राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई
(vii) राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) पारिस्थितिकी तंत्र

आई4सी स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहल

11.15 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

क. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों को सभी तरह के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक नए सिरे से तैयार किया गया "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" दिनांक 30.08.2019 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध संबंधी घटनाएं, शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर स्वचालित तरीके से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसी के पास स्वतः पहुंच जाती हैं, ताकि उन पर आगे की कार्रवाई की जा सके, उन्हें एफआईआर में बदला जा सके और कानून के प्रावधानों के अनुसार फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई सहित, उन शिकायतों पर आगे कार्रवाई की जा सके। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. 365 दिनों के लिए 24X7 आधार पर "उपयोग करने में आसान" रिपोर्टिंग तंत्र।
ii. शिकायतों को जांच के लिए सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारियों को भेजना।
iii. बाल अश्लीलता (सीपी), बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री की गुमनाम रूप से ऑनलाइन सूचना देना।
iv. ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली।
v. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों के लिए अलग एवं संकेंद्रित रिपोर्टिंग और निगरानी।
vi. क्षेत्राधिकार के मिसमैच के मामले में, एफआईआर से पहले रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों के अंतर–राज्य/राज्य के अंदर हस्तांतरण का प्रावधान।
vii. विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए स्मार्ट खोज सुविधा।
viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को अन्य पुलिस स्टेशनों, जिला नोडल अधिकारियों अथवा राज्य नोडल अधिकारियों से सहयोग और

अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का विकल्प।

ix. शिकायत और संदिग्ध की टैगिंग करना, ताकि रिपोर्ट की गई सभी शिकायतों में से उस संदिग्ध के विवरण का पता लगाया जा सके।

x. एमआईएस रिपोर्टें।

ख. ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए एक टोल–फ्री नंबर 155260 चालू किया गया था, जिसे नए शॉर्ट कोड नंबर 1930 से बदल दिया गया है।

ग पोर्टल पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने में नागरिकों की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चैट बॉट (वाणी) विकसित किया गया है।

घ. गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को साइबर अपराध की प्रवृत्तियों, कार्यप्रणाली तथा साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाती है।

ङ. **"नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली"** को डिजाइन और विकसित किया गया है, जो राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और बैंकों/ भुगतान मध्यस्थों/वॉलेटों को साइबर अपराध बैकएंड पोर्टल के साथ एकीकृत करती है, ताकि पोर्टल पर रिपोर्ट की गई शिकायतों और बैंक/वॉलेट/व्यापारी तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य किया जा सके, जिससे इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस प्रणाली ने अप्रैल 2021 से कार्य करना शुरू कर दिया है। यह प्रणाली राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग करके साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को देने में नागरिकों की मदद करती है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इस मॉड्यूल के तहत 644899 साइबर धोखाधड़ियां दर्ज की गई हैं। **हेल्पलाइन नंबर 1930** की मदद से आज तक धोखाधड़ी की गई 205 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को जालसाजों के हाथ में पहुंचने से बचाया गया है।

11.16 **साइबर अपराध का विश्लेषण और समाधान:** चूंकि, "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" पर रिपोर्ट की गई अधिकांश साइबर घटनाएं, वित्तीय धोखाधड़ियों से संबंधित होती हैं, इसलिए वित्तीय धोखाधड़ियों के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए और धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई निधियों के प्रवाह को कम से कम संभव समय में रोकने हेतु, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करके, वर्ष 2021 में एक "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस)" शुरू की गई है।

11.17 क्षमता निर्माण

क. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने एक "वृहत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे "साइट्रेन" पोर्टल कहा जाता है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन, आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं और साथ ही प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद ऑनलाइन प्रमाणन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 28,293 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और 7641 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

ख. आई4सी ने पूरे देश में 2800 से अधिक साइबर पुलिस अधिकारियों को क्रिप्टो करेंसी, फॉरेंसिक और जांच, डीपफेक, डार्क वेब और एनोनिमाइजेशन नेटवर्क, बैंकिंग हैक्स की जांच और साइबर स्पेस में मोबाइल एप्लीकेशनों के दुरुपयोग जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया है।

11.18 साइबर फॉरेंसिक और जांच

क. विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच के दौरान साइबर फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के तहत द्वारका, नई दिल्ली में एक 'अत्याधुनिक' सुविधा– "राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला

(एनसीएफएल)" स्थापित की गई है।

ख. आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) ने साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में सहायता करने के लिए राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को लगभग 5800 साइबर फॉरेंसिक मामलों, जैसे कि मोबाइल फॉरेंसिक, मेमोरी फॉरेंसिक, सीडीआर विश्लेषण आदि में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ग. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए "डिजिटल जांच और साइबर फॉरेंसिक" में "गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" दिनांक 20.09.2021 से 20 प्रतिभागियों के बैच में शुरू हुआ, जिसमें उन्हें नवीनतम फॉरेंसिक उपकरणों के बारे में 10 दिनों तक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक, छः बैचों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

11.19 समन्वय तंत्र

क. साइबर अपराध के हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों का एक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है।

ख. गुवाहाटी, देहरादून, चंडीगढ़ और रायपुर में क्षेत्रीय स्तर पर चार कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पुलिस प्राधिकारियों के बीच सूचना एवं डेटा के आदान–प्रदान तथा समन्वय आदि के माध्यम से जेसीसीटी ने उत्साहजनक परिणाम प्रदर्शित किया है।

ग. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक एडवाइजरी समूह और पांच कार्य समूह गठित किए हैं।

11.20 विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत

क. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), दूरसंचार विभाग, बैंकों, भुगतान मध्यस्थों और अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा उद्योग निकायों जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पीएचडी चैंबर्स, आदि के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों, एमएसएमई तथा उद्योग में पहुंच (आउटरीच) को बढ़ाया जा सके।

ख. आई4सी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह (यूएन), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) तथा ब्रिक्स के साथ बैठकें, संयुक्त कार्य समूह की बैठक (भारत–अमेरिका) और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

ग. साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने हेतु मंत्रालयों, उद्योग निकायों, शैक्षणिक समुदायों, बैंकों, भुगतान मध्यस्थों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच नियमित रूप से विचार–विमर्श भी किए जाते हैं।

घ. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने साइबर अपराध की अधिकता वाले क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) जैसे कि जामताड़ा, मेवात, आदि में संदिग्ध सिम कार्डों के "ग्राहक अधिग्रहण फॉर्मों (सीएएफ)" का सत्यापन शुरु किया है।

ङ. संस्कृति मंत्रालय के साथ समन्वय करके "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी)" ने दिनांक 08.06.2022 से 17.06.2022 तक "आजादी का अमृत महोत्सव" बैनर के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75 स्थानों पर साइबर हाइजिन, साइबर अपराधों की रोकथाम,

साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किए। गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजिन और देश में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता सृजित करने हेतु दिनांक 20.06.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा – साइबर अपराध से आजादी – आजादी का अमृत महोत्सव" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

दिनांक 20.06.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा - साइबर अपराध से आजादी - आजादी का अमृत महोत्सव" पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री

(स्रोतः आई4सी)

11.21 साइबर जागरूकता और साइबर स्वच्छता संवर्धन

क. साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, एक सुनियोजित जागरूकता अभियान की योजना बनाई गई है, ताकि आम जनता तक पहुंचा जा सके तथा साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित संदेशों पर और अधिक बल दिया जा सके, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आई4सी द्वारा नियमित अंतराल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पब्लिक ऐप आदि पर साइबर अपराधों की रोकथाम और **साइबर सुरक्षा युक्तियों (टिप्स)** का प्रचार किया जा रहा है। लघु वीडियो, चित्रों (इमेज) और क्रिएटिव्स के माध्यम से 4146 से अधिक साइबर सुरक्षा युक्तियों को ट्वीट किया गया है तथा इसके 4.55 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" अर्थात https://www.cybercrime.gov.in का प्रचार करें।

ii. रेडियो अभियान।

iii. जनता को साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।

iv. 'साइबर सुरक्षा के बारे में किशोरों/ विद्यार्थियों के लिए हैंडबुक' प्रकाशित की गई।

v. सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम कार्य–प्रणालियां' प्रकाशित की गई।

vi. विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी–डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा और संरक्षा जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अलर्ट/एडवाइजरी जारी की गई।

ख. नियमित अंतराल पर आईसीटी उपकरणों की देखभाल करने की आदत को शामिल करके साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु "साइबर हाइजिन" बढ़ाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी स्कूलों/ कॉलेजों/ पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं में दिनांक 06.10.2021 से शुरू करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को **"साइबर जागरुकता दिवस"** मनाएं और इसमें जिला प्राधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों, नागरिक सेवा केंद्र, आदि को भी शामिल करें। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "वार्षिक कार्य योजना" तैयार की है।

ग. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय ने दिनांक 03.01.2022 को साइबर स्पेस के लिए साइबर हाइजिन पर एक एडवांस्ड मैनुअल और एक न्यूजलेटर ''साइबर प्रवाह'' जारी किया है।

घ. आई4सी की ओर से दिनांक 09.09.2021 और 31.08.2022 को बीपीआरएंडडी में **"मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ)/ मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) का राष्ट्रीय सम्मेलन"** आयोजित किया गया, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों, निजी विशेषज्ञों आदि ने महत्वपूर्ण क्षेत्र के जोखिमों, साइबर सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, साइबर सुरक्षा में उभरती प्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में चर्चा करने तथा कॉर्पोरेट्स और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच के अंतर को पाटने के लिए सहभागिता की।

ङ. आई4सी की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई4सी के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन** आयोजित किया गया, जिसमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साइबर अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न मामलों/अध्ययनों पर चर्चा की गई।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) द्वारा दिनांक 06.10.2022 को आयोजित "साइबर जागरुकता दिवस" के दौरान माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा

(स्रोत: आई4सी)

11.22 **अनुसंधान एवं विकासः** आई4सी स्कीम के तहत, बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र" की स्थापना की गई है तथा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), हैदराबाद में "साइबर अनुसंधान नवाचार और क्षमता निर्माण केंद्र" की स्थापना की गई है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के समस्या संबंधी विवरणों की जांच की जा सके और उपयुक्त सोल्यूशन विकसित किए जा सकें।

11.23 **सूचना सुरक्षाः** सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के अंतर्गत सूचना सुरक्षा में चूक/साइबर घुसपैठ को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय ने "राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी)" तैयार किया है और इसे जारी किया है। एनआईएसपीजी में सूचना के रख–रखाव हेतु प्रक्रियाएं और प्रभावी सूचना सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। एनआईएसपीजी को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सूचना सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने और सूचना सुरक्षा में चूक को रोकने के लिए एनआईएसपीजी के अनुसार सूचना सुरक्षा नियंत्रण को मजबूत करने हेतु उपयुक्त उपाय कर सकें।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

11.24 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आईसीए) की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के कारागार कार्मिकों, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, आदि के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान कारागारों तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और मॉड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

11.25 एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारूस्सालाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीआ, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से, भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का चयनित सदस्य है।,

11.26 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी–बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। वर्ष 2022 का सम्मेलन दिनांक 19.09.2022 से 23.09.2022 तक वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

11.27 कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं: (क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक, (ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक, (ग) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का

सुधारात्मक सेवा पदक और (घ) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक।

11.28 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने अथवा उन्हें भागने से रोकने आदि के लिए प्रदर्शित असाधारण शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है।

11.29 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.04.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक मेडल और स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

11.30 किसी वर्ष में दिए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

11.31 स्वतंत्रता दिवस, 2022 पर कारागार कर्मियों के लिए 'विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति के कुल 7 सुधारात्मक सेवा पदक' और सराहनीय सेवा के लिए 38 सुधारात्मक सेवा पदक अनुमोदित किए गए थे।

साक्षी सुरक्षा योजना, 2018

11.32 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके "साक्षी सुरक्षा योजना, 2018" तैयार की थी। इस योजना में खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (आपराधिक) सं 156 में दिनांक 05.12.2018 के अपने निर्णय में इस योजना का समर्थन किया है। इस योजना को कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.01.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गवाहों को इस योजना के तहत सुरक्षा मिलनी आरंभ हो गई है।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" – राज्य पुलिस बलों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान

11.33 भारत सरकार ने एक कार्यक्रम "एक भारत, श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)" शुरू किया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 31.10.2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विविधता का उत्सव मनाना है, ताकि विविधता में एकता का प्रदर्शन किया जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस कार्मिकों के आदान–प्रदान का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस तरह के आदान–प्रदान से एक राज्य के पुलिस बल को अलग संस्कृति और भाषा वाले दूसरे राज्य के पुलिस बल के बारे में जानकारी हो सकेगी। इससे न केवल एक–दूसरे की संस्कृति की बेहतर समझ और जानकारी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्हें एक–दूसरे के राज्य की पुलिस व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होगी।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

11.34 आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया गया था। उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य की कम्पनियों/निगमों आदि की सम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन का कार्य किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिकांश प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। एपीआर अधिनियम के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचना परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की अवधि लम्बी है, जिनके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

11.35 गृह मंत्रालय समय–समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 29 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। ऐसी पिछली बैठक केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2022 को आयोजित की गई थी।

राज्यपालों की नियुक्ति

11.36 वर्ष 2022–2023 के दौरान, एक राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और दो राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल, श्री ला गणेशन को दिनांक 18.07.2022 को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा को दिनांक 04.10.2022 को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉ सी.वी. आनंद बोस को दिनांक 17.11.2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. सी.वी. आनंद बोस द्वारा राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद, श्री ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

राज्यपालों का सम्मेलन

11.37 51वां राज्यपाल सम्मेलन दिनांक 11.11.2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। 51वें राज्यपाल सम्मेलन की कार्रवाई योग्य सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति के अवलोकन के लिए राष्ट्रपति सचिवालय को अग्रेषित कर दी गई है।

गावों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन

11.38 गृह मंत्रालय, गावों, शहरों, रेलवे स्टेशनों, आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'अनापत्ति' प्रदान करता है। वर्ष 2022–2023 (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, गांवों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त 18 प्रस्तावों को 'अनापत्ति' प्रदान की गई है।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

11.39 जब सितंबर, 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम अनुमोदित की गई थी, तब 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' नामक स्कीम के कार्यान्वयन की संरचना में 'पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन' के एक घटक को शामिल किया गया था। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि रखने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न समितियों द्वारा यथा अनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, मूल रूप से स्कीम के लिए कुल वार्षिक आवंटन के 10% तक की राशि रखने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, दस राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र माना गया था और 76.90 करोड़ रुपये के कुल प्रोत्साहन में से इन राज्यों में से प्रत्येक को 7.69 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। वर्ष 2019–20 से इस प्रोत्साहन निधि को बढ़ाकर '20% तक' कर दिया गया था। वर्ष 2019–20 के लिए, छह राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 158.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। यद्यपि, वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान कोई भी राज्य पात्र नहीं पाया गया, फिर भी वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इन प्रोत्साहनों के रूप में अतिरिक्त निधि का दावा करने का अवसर उपलब्ध है।

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

11.40 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट (एस.एम.ए.आर.टी.) पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस–संवेदनशील और सख्त; एम–आधुनिक और सचल; ए–सतर्क और जवाबदेह; आर–विश्वसनीय और प्रतिक्रियात्मक तथा टी–प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी–सक्षम। इस संबंध में अप्रैल–मई, 2015 के दौरान बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के बारे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस

गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक की अवधि के दौरान आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में बीपीआरएंडडी द्वारा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल का एक संकलन जारी किया गया था।

11.41 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और उसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पूरे देश में जिलों एवं पुलिस जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला–वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इसे अपनी राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 41,318 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

11.42 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 21.07.2018 को श्री राजनाथ सिंह, तत्कालीन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री प्रकाश जावडेकर, तत्कालीन माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की मौजूदगी में ताऊ देवी लाल स्टेडियम, गुरुग्राम में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लगभग 6000 कैडेटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर स्कूल के विद्यार्थियों के मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थियों पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे विद्यार्थियों के कार्य का बोझ न बढ़े। इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर किया जाना हैः (i) अपराध की रोकथाम और नियंत्रण तथा (ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथा आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं – मूल्य एवं नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति एवं सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2022 तक 11,000 से अधिक स्कूल और 7,18,638 विद्यार्थी एसपीसी कैडेट के रूप में नामांकित हैं।

राज्य विधायन

11.43 भारत के राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेशों/पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन संबंधी प्रस्तावों (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

11.44 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य

सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

11.45 पहले से लंबित राज्यों के विधायन संबंधी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान राज्यों से 27 नए विधायन संबंधी प्रस्ताव अर्थात् सहमति के लिए 25 विधेयक, पूर्व अनुदेशों हेतु 01 अध्यादेश और पूर्व मंजूरी के लिए 01 विधेयक प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	21
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	00
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	11
	(v) संबंधित राज्य सरकार को लौटाए गए विधेयक	00
II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	01
	(ii) बंद किए गए अध्यादेश	01
III.	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक	00
IV.	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	00
	कुल	**34**

11.46 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें देश के बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं में समय–समय पर संशोधन किए जाते हैं। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में गठित आयोगों/समितियों की सिफारिशों के आधार पर तथा न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

दया याचिकाएं

11.47 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है।

निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल

11.48 इस सेक्टर की उन्नति के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.9.2019 को पीएसएआर अधिनियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' लॉन्च किया था। यह पोर्टल अपराधियों के पूर्ववृत्त की अखिल भारत आधार पर ऑनलाइन खोज की सुविधा वाले अंतर प्रचालनीय दंड न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डेटाबेस के माध्यम से

आवेदकों/गार्डों/पर्यवेक्षकों आदि के चरित्र और पूर्ववृत्त के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस संबंधी आवेदनों के शीघ्र निपटान और कारगर निगरानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ ही, यह आवेदकों को आसानी से ट्रैकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ उद्योग को लागत में बचत करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्तमान में, यह पोर्टल पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है।

निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 की अधिसूचना

11.49 इस सेक्टर में "व्यवसाय करने में आसानी" को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित 'निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005' के तहत अधिसूचित 'निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006' की समीक्षा की है। नए मॉडल नियम अर्थात् 'निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020' को दिनांक 15.12.2020 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये नियम पूर्व में बने वर्ष 2006 के नियमों का अधिक्रमण करेंगे। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, 24 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों ने अपने नियमों को अधिसूचित करके नए नियमों को अपनाया है और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नए नियमों को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020 में तकनीकी परिदृश्य में प्रगति, पूर्ववृत्त का डिजिटल सत्यापन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुरूपता (अलाइनमेंट) और लाइसेंस शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल है। मॉडल नियमों को प्रमुख अधिनियम का अधिक कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है और ये निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल के पूरक हैं।

राष्ट्रीय मानदंड तैयार करना

11.50 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस बल अपनी संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इन बलों को सहायता प्रदान करने के अलावा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है और इन बलों की आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न साझा आवश्यकताओं के संबंध में राज्य पुलिस बलों को सहायता भी प्रदान करता है। राज्य पुलिस बलों द्वारा सीएपीएफ की गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों को अपनाना अथवा पुलिस के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में एसओपी परिचालित करना ऐसे ज्ञान के आदान–प्रदान के कुछ उदाहरण हैं। इससे पुलिस बलों, विशेष रूप से छोटे राज्यों के पुलिस बलों के लिए मार्गदर्शन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यह प्रयासों के दोहराव को भी दूर करता है और इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को भी आंशिक रूप से दूर करता है कि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण/न्यूनतम निर्धारित राज्य स्तरीय अवसंरचना तथा फॉरेंसिक के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक परिचालित किए हैं।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

11.51 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, देश में दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों और किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन स्कीम का वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया था। पूरे देश में लगभग 16,500 पुलिस स्टेशनों में से, चयन (शॉर्ट लिस्ट) करने का कार्य सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

(क) 750 से अधिक पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 3

(ख) अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2

(ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1

11.52 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों, लापता व्यक्तियों और पाए गए किन्तु पहचाने न जा सके व्यक्तियों/शवों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। देश में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड मुख्यतः अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में उनके प्रदर्शन पर आधारित था। इस प्रयोजन के लिए पुलिस स्टेशनों की अवसंरचना और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

11.53 वर्ष 2021 के लिए, देश के सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का चयन करने और उसे रैंक प्रदान करने के लिए पुलिस स्टेशनों के आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट दिनांक 19.11.2021 और 20.11.2021 को लखनऊ में आयोजित डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में जारी जा चुकी है।

11.54 वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग निम्नानुसार है:

रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पुलिस स्टेशन
1.	दिल्ली	उत्तरी जिला	सदर बाजार
2.	ओडिशा	गंजम	गंगापुर
3.	हरियाणा	फतेहाबाद	भट्टू कलां
4.	गोवा	उत्तरी गोवा	वालपोई
5.	कर्नाटक	रायचूर	मानवी
6.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	कदमत द्वीप
7.	महाराष्ट्र	सांगली	शिराला
8.	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	थोट्टियम
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	बसंतगढ़
10.	बिहार	अरवल	रामपुर चौराम

*****

अध्याय - 12
विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

12.1 गृह मंत्रालय (एमएचए) आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने, यहां ठहरने, उनकी आवाजाही और देश से प्रस्थान करने आदि का विनियमन कार्य आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश और आवाजाही

12.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा शासित होता है। जहां सभी विदेशी राष्ट्रिकों को सभी प्रकार का भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भौतिक अथवा स्टिकर स्वरूप में दिया जा सकता है, वहीं वर्तमान में, आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) 165 देशों के विदेशी राष्ट्रिकों को, पांच श्रेणियों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 03 देशों के राष्ट्रिकों को 06 नामित विमानपत्तनों पर आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा "आगमन पर वीजा" प्रदान किया जाता है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के ठहरने तथा उनकी आवाजाही और यहां से उनके प्रस्थान का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

12.3 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के दौरान कुल 38,34,984 विदेशी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की। इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक बांग्लादेश (8,42,869) से थे, जिसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका (8,05,692), यूनाइटेड किंगडम (3,75,157), आस्ट्रेलिया (1,84,343), कनाडा (1,45,221), श्रीलंका (1,11,455),नेपाल (88,460), जर्मनी (86,006), मलेशिया (83,808) और सिंगापुर (78,888) का स्थान था। दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के दौरान, विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से 73.06% हिस्सा इन 10 देशों का था, जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से शेष देशों का हिस्सा 26.94% था।

12.4 कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, इसके फैलाव को नियंत्रित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (विदेशी और भारतीय दोनों) के आगमन/प्रस्थान को कम करने के लिए फरवरी, 2020 से सुनियोजित तरीके से कई कदम उठाए थे। तथापि, भारत में अनलॉकिंग शुरू होने के साथ, केंद्र सरकार मई, 2020 से चरणबद्ध तरीके से वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील प्रदान करती रही है। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने "वंदे भारत मिशन" अथवा "एयर बबल" (द्विपक्षीय हवाई यात्रा व्यवस्था) स्कीम के अंतर्गत अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार किसी गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान से आने वाले यात्रियों सहित जलमार्ग अथवा फ्लाइट द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित श्रेणी के विदेशी राष्ट्रिकों को अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 21.10.2020 को आदेश जारी किए हैं:

(क) सभी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक तथा किसी भी देश का पासपोर्ट रखने वाले पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक।

(ख) पर्यटन वीजा पर आने वालों को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य से भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी राष्ट्रिक (उपयुक्त श्रेणी के आश्रित

वीजा पर उनके आश्रितों सहित)।

(ग) नियमित पर्यटक वीजा दिनांक 15.03.2022 को बहाल कर दिया गया था और 156 देशों के नागरिकों के लिए ई–पर्यटक वीजा भी दिनांक 15.03.2022 को बहाल कर दिया गया था।

(घ) वर्तमान में, 165 देशों के नागरिक ई–वीजा की सभी पांच उप श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए पात्र हैं।

(ङ) इसके अलावा, भारत–बांग्लादेश (16), भारत–भूटान (01), भारत–नेपाल (2) तथा भारत–पाकिस्तान (01) सीमाओं पर 20 भूमि आईसीपी भी खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, 03 रेल आईसीपी भी खोले गए हैं।

12.5 यूक्रेन और रूस में राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर और सद्भावना प्रदर्शित करते हुए, यूक्रेन और रूस के नागरिकों के लिए सभी प्रकार का वीजा/ई–वीजा निःशुल्क आधार पर प्रदान किया गया है। दिनांक 24.02.2022 के बाद यूक्रेनी और रूसी नागरिकों के निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने के लिए लागू जुर्माने को भी माफ कर दिया गया है।

12.6 देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 16.10.2021 से 31.03.2022 के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों को 3,13,414 पर्यटक वीजा (नियमित पर्यटक वीजा और ई–पर्यटक वीजा) निःशुल्क प्रदान किए गए।

12.7 अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की वजह से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण अफगानी नागरिकों के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में, ई–आपातकालीन X–विविध वीजा (ई–वीजा) आरंभ किया गया था।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

12.8 दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक, विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ) द्वारा कुल 1298 विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों में से सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया (645) से थी, जिसके बाद युगांडा (178) और बांग्लादेश (163) का स्थान था।

ई–वीजा

12.9 वर्तमान में, पांच उप–श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के तहत ई–वीजा की सुविधा, 165 देशों के नागरिकों को भारत में 29 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 05 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए प्रदान की गई है। इन 165 देशों के नागरिक ई–वीजा के लिए विश्व में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और वीजा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्तमान में ई–वीजा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

(क) ई–टूरिस्ट वीजा तीन विकल्पों के तहत दिया जाता है अर्थात कई बार प्रवेश के साथ 05 वर्ष के लिए (श्रीलंकाई नागरिकों को छोड़कर), कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए और दो बार प्रवेश के साथ एक महीने के लिए।

(ख) ई–बिजनेस वीजा कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

(ग) ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिन तक की अवधि के लिए दिया जाता है।

(घ) ई–कॉन्फ्रेंस वीजा एक बार प्रवेश के साथ 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है।

12.10 इसके अलावा, एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा भारत में ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई–कॉन्फ्रेंस वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

आगमन पर वीजा (वीओए) की योजना

12.11 ई–वीजा की सुविधा के अलावा, भारत सरकार ने जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए "आगमन पर वीजा" की योजना भी

क्रमशः दिनांक 01.03.2016, 01.10.2018 और 07.11.2019 से लागू की है, जिसके तहत व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 06 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जरिये अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए दो बार प्रवेश किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के मामले में, यह सुविधा उन यूएई नागरिकों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहले भारत के लिए ई–वीजा अथवा सामान्य पेपर वीजा प्राप्त किया हो, चाहे उस व्यक्ति ने भारत की यात्रा की हो अथवा न की हो।

12.12 इसके अलावा, अटारी आप्रवासन जांच चौकी को पैदल पार करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों को भी कुछ शर्तों के अध्यधीन एक बार प्रवेश के साथ 45 दिनों तक ठहरने के लिए "आगमन पर वीजा (वीओए)" प्रदान किया जाता है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दीर्घावधि वीजा (एलटीवी)

12.13 दिनांक 01.04.2022 से 27.09.2022 तक, गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) के क्रमशः कुल 902 और 112 मामले मंजूर किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एलटीवी के 8 मामले मंजूर किए गए।

पाकिस्तानी कैदियों का प्रत्यावर्तन

12.14 दिनांक 01.04.2022 से 27.09.2022 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 10 पाकिस्तानी सिविल कैदियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

12.15 दिनांक 01.04.2022 से 27.09.2022 तक, 02 भारतीय सिविल कैदियों और 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान द्वारा भारत में वापस भेजा गया।

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

12.16 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदायगी ढांचा विकसित एवं कार्यान्वित करना है, जो सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ–साथ वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान कर सके। प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता की सहायता वाले स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप इस स्कीम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

12.17 इस परियोजना में वैश्विक पहुँच निहित है, क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में स्थित 194 भारतीय मिशन, 108 आईसीपी (आप्रवासन जांच चौकियां), 12 एफआरआरओ (विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) और देश भर में जिला मुख्यालयों में 700 से अधिक एफआरओ (विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय) शामिल हैं। आज की स्थिति के अनुसार, विदेशों में स्थित 184 भारतीय मिशनों, 12 एफआरआरओ, 700 से अधिक एफआरओ और 108 आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है। वीजा आवेदकों के बायोमीट्रिक विवरणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में स्थित 184 भारतीय मिशनों में बायोमीट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

12.18 सरकार द्वारा आईवीएफआरटी योजना को मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2026 तक और पांच वर्ष की अवधि हेतु जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

12.19 वर्ष 2022 के दौरान, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे चेक पोस्ट को एक अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट (आईसीपी) के रूप में घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना

12.20 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इस कार्ड से, अन्य बातों के साथ–साथ, कृषि/बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर जीवन–पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार संबंधी अधिकार के क्षेत्र में उन्हें किसी समानता की अनुमति नहीं है।

12.21 दिनांक 01.04.2022 से 27.09.2022 तक की अवधि के दौरान कुल 2,99,168 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 8,880 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।

12.22 पहले जारी किए गए पीआईओ कार्डों को दिनांक 31.12.2023 तक भारतीय आईसीपी के माध्यम से प्रवेश/निकास के लिए वैध माना जाएगा। तथापि, यदि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा कोई समय–सीमा अधिसूचित की जाती है, जिसके द्वारा हस्तलिखित यात्रा दस्तावेज अवैध हो जाते हैं, तो पीआईओ कार्डधारकों को भारत की यात्रा के लिए भारतीय मिशनों से उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा।

12.23 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निवास कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई संबंधी सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को एफआरआरओ, लखनऊ के क्षेत्राधिकार से एफआरआरओ, दिल्ली को हस्तांतरित करने के अनुदेश जारी किए हैं।

12.24 केंद्र सरकार ने मूल भारतीय आप्रवासियों की छठी पीढ़ी तक के उन वंशजों, जो भारतीय भू–भाग से प्रवासी और अनुबंधित मजदूरों के रूप में रीयूनियन आईलैंड में पहुंचे थे, को प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार करने हेतु रीयूनियन आईलैंड, फांसीसी राज्यक्षेत्र में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(3) के तहत निहित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

नागरिकता विंग

12.25 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) दिनांक 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 10.01.2020 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों, जो दिनांक 31, दिसम्बर, 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में आए थे और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा या उसके तहत अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश को लागू किए जाने से छूट प्रदान की गई थी, को नागरिकता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाना है।

12.26 सीएए एक केंद्रित कानून है, जिसके तहत एक स्पष्ट निर्दिष्ट (कट–ऑफ) तारीख के साथ विनिर्दिष्ट देशों के पूर्वोक्त विशिष्ट समुदायों को छूट प्रदान की गई है। यह एक अनुकम्पा आधारित और सुधारात्मक कानून है।

12.27 सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, यह किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को किसी भी तरह से न तो छीनता है और न ही कम करता है। इसके अलावा, नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया वस्तुतः प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) है और सीएए किसी भी तरह से इस कानूनी स्थिति में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं करता है। अतः, किसी भी देश के किसी भी धर्म के वैध प्रवासी पंजीकरण अथवा देशीकरण के जरिए कानून में पहले से उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

12.28 भारत के संविधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छठीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएए के दायरे में संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत आने

वाले क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसलिए, सीएए पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय जनसंख्या को संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है।

12.29 गृह मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2022 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 5079 के माध्यम से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए अथवा धारा 6 के तहत देशीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों को गुजरात राज्य के 2 और जिलों अर्थात आणंद तथा मेहसाणा के कलेक्टरों को प्रत्यायोजित किया है। इसके साथ ही, अब 31 जिलों के कलेक्टरों और 9 राज्यों के गृह सचिवों को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट समुदायों के संबंध में नागरिकता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

12.30 एनआईसी द्वारा दिनांक 08 दिसंबर, 2022 को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 (2) के तहत भारतीय नागरिकता की बहाली के आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल का यूआरएल http://indiancitizenshiponline.nic.in/ है।

12.31 नागरिकता संबंधी सभी आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई को दिनांक 15.10.2019 से पेपरलेस कर दिया गया है। शुरू से आखिर तक कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों (गृह मंत्रालय तथा 9 राज्यों और 31 जिलों में केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों वाले प्राधिकारियों) द्वारा कुल 1739 नागरिकता प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें से, 1386 लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और 353 लोगों को धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।

एफसीआरए विंग

12.32 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक क्रियाकलापों और इससे जुड़े मामलों के संबंध में भारत में व्यक्तियों/एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने या उसके उपयोग को रोकने के उद्देश्य से विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है।

12.33 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति अथवा एसोसिएशन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्वानुमति प्राप्त कर सकता है। केवल उन एसोसिएशनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान गतिविधि के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड होता है। एसोसिएशन तथा उसके पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

12.34 दिनांक 14.12.2015 से सभी एफसीआरए सेवाओं जैसे कि पंजीकरण, पूर्वानुमति, पंजीकरण के नवीनीकरण, गैर–सरकारी संगठनों के ब्यौरे में परिवर्तन तथा विदेशी आतिथ्य की मंजूरी को ऑनलाइन कर दिया गया था। पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल तथा जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।

12.35 दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक पंजीकरण, नवीनीकरण एवं पूर्वानुमति तथा आतिथ्य से संबंधित एफसीआरए आवेदनों के निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	नवीनीकरण	3906	85
2	पंजीकरण	51	153

3	पूर्वानुमति	7	15
4	आतिथ्य	1791	337

12.36 विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 को संसद द्वारा सितम्बर, 2020 में पारित किया गया था और इसे दिनांक 28.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधनों से विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

12.37 अधिनियम के बेहतर अनुपालन के लिए तथा घोषित और विधिसम्मत उद्देश्यों का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, इन संशोधनों के तहत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

क) सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार नम्बर का प्रावधान

ख) विदेशी अभिदाय (एफसी) केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में खोले गए निर्धारित एफसीआरए खाते के माध्यम से प्राप्त करना

ग) विदेशी अभिदाय के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध और

घ) प्रशासनिक व्यय की सीमा को 50% से घटाकर 20% करना।

12.38 इन प्रावधानों से पदाधिकारियों की सही पहचान सुनिश्चित हो सकेगी तथा बेनामी/फर्जी प्रविष्टि की संभावना भी समाप्त हो जाएगी और गैर–उत्पादक मदों जैसे कि स्टाफ के अधिक वेतन, आलीशान भवनों एवं कार्यालयों तथा लग्जरी वाहनों आदि पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

12.39 केंद्र सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 के माध्यम से संशोधन किया है और इसे दिनांक 10.11.2020 को अधिसूचित किया गया है।

12.40 संशोधित तंत्र को सहज रूप से अपनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, एफसीआरए एसोसिएशनों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई थीं। इनमें पूर्ववर्ती एफ़सीआरए के मुख्य खाते के उपयोग की अवधि में विस्तार और एफसीआरए पंजीकरण की वैधता अवधि को आगे बढ़ाना शामिल है।

12.41 एफसीआरए पंजीकृत एसोसिएशनों/एनजीओ को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिटर्न (एआर) जमा करने की नियत तारीख को दिनांक 31.12.2021 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2022 किया गया था।

12.42 अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, दिनांक 01.07.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है।

12.43 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत कुछ अपराधों को दिनांक 01.07.2022 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से शमनीय बनाया गया है।

12.44 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 के तहत संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2022 से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

12.45 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानव इतिहास में एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1947 तक जारी रहा और इसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

12.46 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी।

वर्ष 1972 में, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदार बनाकर इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। वर्ष 2017 में, इस योजना के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" (एसएसएसवाई) कर दिया गया था। एसएसएसवाई के तहत पेंशन की मंजूरी की पात्रता संबंधी शर्तों का ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत

12.47 पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में, न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

12.48 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:

(क) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक सहयोगी के साथ उसी श्रेणी में आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'संयुक्त श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान;

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी के जीवनसाथी को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है;

(च) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने हेतु एक पूर्णरूपेण सुसज्जित तथा वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है; और

(छ) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवनसाथी को एक सहयोगी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

12.49 वर्ष 1972 में पेंशन की आरंभिक राशि 200/- रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय-समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 15.08.2016 से, पेंशन को संशोधित करके केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई राहत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.07.2022 से मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रुपये प्रति माह)	दिनांक 01.07.2022 से 36% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रुपये प्रति माह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/उनके जीवनसाथी	30,000/-	10,800/- रुपये	40,800/-
2.	स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/उनके जीवनसाथी	28,000/-	10,080/- रुपये	38,080/-
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी	26,000/-	9,360/- रुपये	35,360/-
4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 13,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक	4,680/- रुपये से 5,400/- रुपये तक	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात 17,680/- रुपये से 20,400/- रुपये तक

12.50 मौजूदा नियमों में स्पष्टता लाने और योजना के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए, दिनांक 06.08.2014 के पत्र संख्या 45.03.2014–एफएफ (पी) के माध्यम से केंद्रीय सम्मान पेंशन के वितरण के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 जारी किए गए थे।

12.51 सभी एसएसएसवाई पेंशन बैंक खातों को "आधार" से जोड़ने के कार्य में भी प्रगति हुई है, जो बढ़कर 98.14% हो गया है। सभी बैंकों को एसएसएसवाई पेंशन खातों को "आधार" से यथाशीघ्र जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

12.52 वित्त वर्ष 2022–23 हेतु गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में पेंशन के भुगतान के लिए 683.19 करोड़ रुपये, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु 4.61 करोड़ रुपये तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा स्वतंत्रता सेनानी गृह के रख–रखाव की प्रतिपूर्ति के लिए 34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

12.53 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2022 तक 1,71,655 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है, का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश और	15285
2	तेलंगाना	

3	असम	4442
4	बिहार और	
5	झारखंड	24905
6	गोवा	1508
7	गुजरात	3599
8	हरियाणा	1691
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू एवं कश्मीर	1807
11	कर्नाटक	10104
12	केरल	3425
13	मध्य प्रदेश और	
14	छत्तीसगढ़	3488
15	महाराष्ट्र	17965
16	मणिपुर	63
17	मेघालय	86
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	4196
21	पंजाब	7041
22	राजस्थान	814
23	तमिलनाडु	4135
24	त्रिपुरा	888
25	उत्तर प्रदेश और	18000
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	22523
28	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3
29	चंडीगढ़	91
30	दादरा और नगर हवेली	83
31	दमन और दीव	33
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2048
33	पुदुचेरी	320
34	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22472
	कुल	**171655**

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार पेंशनरों/लाभार्थियों की कुल संख्या 20680 है।

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

12.54 परम्परा के अनुसार, इस वर्ष, कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रसार के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिनांक 09.08.2022 को सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के सम्मान में "ऐट होम" समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के डीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के घर पर अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा चिहिनत किए गए स्थान पर जाकर उन्हें "अंगवस्त्रम

और शॉल" से सम्मानित किया।

12.55 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं, जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपर्युक्त 40 आंदोलनों में से, दो नवीनतम आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

12.56 वर्ष 1947–48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र बनाया गया था। तद्नुसार, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान भूमिगत यातनाओं के दावों पर विचार करने के उद्देश्य से 98 सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात, गृह मंत्रालय ने दावों पर विचार करने के लिए, जुलाई, 2004 में 18 अतिरिक्त सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता प्रदान की थी। गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों हेतु पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.09.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

12.57 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

चरण–I	1946 से 1953 तक
चरण–II	1954 से 1955 तक
चरण–III	1956 से 1961 तक

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

12.58 दिनांक 04.07.2018 को, भारत सरकार ने 3182.91 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम के तहत आठ योजनाओं को एक साथ मिलाकर उसे मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी। इन 08 योजनाओं में से, एफएफआर प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

क. तमिलनाडु और ओडिशा के शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।

ख. तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण संबंधी खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को अनुदान सहायता।

ग. भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान–प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले की अवसंरचना का उन्नयन।

12.59 "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.01.2020 के का. ज्ञा. सं. 42(2)/पीएफ–II/2014 द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक आगे बढ़ा दी गई थी। इसके बाद, मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 को 1452 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए सात उप–योजनाओं के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम को मंजूरी प्रदान की है।

श्रीलंकाई शरणार्थी

12.60 जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए। भारत सरकार का दृष्टिकोण उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना है। उनका इस प्रकार प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें राहत प्रदान की जाती है।

12.61 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, लेकिन, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद

ही दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 31.08.2022 की स्थिति के अनुसार, 58506 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु के 108 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और 54 शरणार्थी ओडिशा में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में राज्य प्राधिकरणों के पास पंजीकृत लगभग 34,135 शरणार्थी शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

12.62 प्रत्यावर्तन होने तक, उन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1276 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

तिब्बती शरणार्थी

12.63 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

12.64 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) द्वारा करायी गई नवीनतम जनगणना 2019 के अनुसार, भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 73,404 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से अथवा कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (21,324), हिमाचल प्रदेश (14,952), अरुणाचल प्रदेश (4,780), उत्तराखंड (4,829), पश्चिम बंगाल (3,076) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (6,989) में है। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और केवल एक शेष आवास योजना उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

12.65 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

12.66 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से शुरू करके वर्ष 2019–20 तक पांच वर्ष की अवधि हेतु धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान 56 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 40 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस योजना को और पांच वर्ष अर्थात 2021–22 से 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास तथा भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन और उन्नयन

12.67 भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय, सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014–15) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रुपये की लागत से बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना अनुमोदित की थी। इसमें से, दिनांक 31.12.2022 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 897.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ), चेन्नई

12.68 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)) के तहत वर्ष 1969 में रेपको (आरईपीसीओ) बैंक की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व एक निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी 500.25 करोड़ रुपये है और अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 152.77 करोड़ रुपये है, जिसमें से 50.03% का अंशदान भारत सरकार करती है और लगभग 6.36%का अंशदान पांच दक्षिणी राज्यों नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल द्वारा किया जाता है। शेष प्रदत्त पूंजी का अंशदान स्वदेश लौटने वाले तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने वर्ष 2021–22 के लिए 20% की दर से लाभांश की घोषणा की है।

रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

12.69 रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन लिमिटेड (आरपीएल) भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन वर्ष 1976 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर, प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः बसाने के लिए किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.10.2022 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रुपये थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रुपये और भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रुपये है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आरपीएल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

शत्रु संपत्ति

12.70 वर्ष 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के मद्देनजर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1962 के अंतर्गत दिनांक 20.08.1968 को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था, ताकि चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्तियों को आगे भी "भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखने का प्रावधान किया जा सके। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक सांविधिक पद है। सीईपीआई का मूल कार्य, समय–समय पर, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/ दिशानिर्देशों/ आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, शत्रु संपत्तियों की पहचान करना, उसे अपने अधिकार में रखना, उसका परिरक्षण, प्रबंधन और निपटान करना है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में स्थित 03 शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है।

12.71 पिछले कुछ वर्षों में सीईपीआई के कार्यालय ने पूरे देश में शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित संपत्तियों की पहचान की है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की सं.	संपत्तियां	प्रक्रियाधीन मामले	जिलों की सं.
1	उत्तर प्रदेश	54	6,255	3,797	62
2	पश्चिम बंगाल	17	4,088	810	16
3	दिल्ली	04	659	323	04
4	गोवा	02	295	10	02
5	महाराष्ट्र	10	211	84	05
6	तेलंगाना	03	159	शून्य	शून्य
7	गुजरात	06	151	95	09

8	त्रिपुरा	01	105	5,785	08
9	बिहार	6	94	140	11
10	मध्य प्रदेश	07	94	125	08
11	छत्तीसगढ़	01	78	05	01
12	हरियाणा	01	71	02	01
13	केरल	04	71	91	04
14	उत्तराखंड	05	69	68	03
15	तमिलनाडु	07	67	शून्य	शून्य
16	मेघालय	01	57	शून्य	शून्य
17	असम	06	29	शून्य	शून्य
18	कर्नाटक	05	24	14	08
19	राजस्थान	03	22	255	08
20	झारखंड	01	10	05	02
21	दमन और दीव	01	4	शून्य	शून्य
22	आंध्र प्रदेश	01	01	शून्य	01
23	अंडमान तथा निकोबार	01	01	शून्य	शून्य
कुल			**12,621**	**11,610**	

नीति

12.72 अधिनियम की धारा 8 (क) के तहत, भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) को भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से शत्रु संपत्तियों को बेचने अथवा उसका अन्यथा निपटान करने, जैसा भी मामला हो, के लिए अधिकृत किया गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार, शत्रु संपत्ति नियम 2015 अधिसूचित किया गया था, जिसमें संपत्तियों को अधिकार में रखने और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए सामान्य दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

12.73 इसके बाद, वर्ष 2018 के आदेश द्वारा एक अन्य दिशानिर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत शत्रु संपत्ति के निपटान अथवा जिस तरीके से शत्रु संपत्ति के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है, उस तरीके और उससे जुड़े मामलों के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करने के लिए शत्रु संपत्ति निपटान समिति (ईपीडीसी) का गठन किया गया था। केंद्र सरकार, समिति के सुझावों पर विचार करेगी और उस पर अपना निर्णय लेगी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 21 अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत यह निर्णय लिया था कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मूल्य वाली संपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य डीआईपीएएम फ्रेमवर्क द्वारा किया जाएगा और इससे कम मूल्य वाली संपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी मौजूदा प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

12.74 गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 19.04.2021 के आदेश के तहत एक करोड़ रुपये से कम मूल्य वाली शत्रु संपत्तियों को वर्तमान अधिभोगियों को देने और खाली शत्रु संपत्तियों या 01 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच के मूल्य वाली शत्रु संपत्तियों की मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से ई–नीलामी कराने की निर्णय लिया था।

12.75 इसके अलावा, ईपीडीसी ने अपनी दिनांक 03.02.2022 को हुई बैठक में 02 चरण की ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से शत्रु संपत्तियों के निपटान की सिफारिश की थी। तथापि, इसके बाद मैसर्स एमएसटीसी ने सूचित किया कि शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए दो चरण वाली नीलामी उचित नहीं है और उसने दिनांक 3 जून, 2022 को ईपीडीसी के समक्ष पुनः एक प्रस्तुति दी तथा उसमें शत्रु संपत्तियों की एक

चरण वाली नीलामी की सिफारिश की। इसके बाद, दिनांक 03.06.2022 को शत्रु संपत्ति निपटान समिति (ईपीडीसी) ने गृह मंत्रालय को एक पायलट परियोजना के रूप में एक चरण वाली ऑनलाइन निविदा के माध्यम से शत्रु संपत्ति का निपटान करने की सिफारिश की है।

12.76 मंत्रालय, वर्तमान में सीईपीआई की प्रशासनिक संरचना, प्रबंधन एवं प्रक्रिया को दुरूस्त करने और शत्रु संपत्तियों के मुद्रीकरण/निपटान के लिए निम्नलिखित रणनीति लागू कर रहा है। इसके घटक निम्नानुसार हैं:

i. शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण और डिजिटलीकरण;

ii. निपटान के लिए अधिक मूल्य वाली शत्रु संपत्तियों को लक्षित करना;

iii. राज्य नोडल अधिकारियों और संबंधित डीएम के साथ समन्वय करके शत्रु संपत्तियों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, मूल्यांकन और नामांतरण;

iv. शत्रु संपत्तियों के पट्टे और किराये की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करना और नए पट्टे या पट्टे के विस्तार को रोकना।

v. मुकदमेबाजी के मामलों और मुद्दों से निपटने के कार्य को सरल एवं कारगर बनाना।

vi. अधिनियम की धारा 18 के तहत अभ्यावेदनों का शीघ्र निपटान करना।

vii. "राष्ट्रीय सर्वेक्षण" करना।

12.77 एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सीईपीआई कार्यालय द्वारा व्यवस्थित कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में डीएम द्वारा बड़ी संख्या में शत्रु संपत्तियों का नामांतरण और मूल्यांकन किया गया है, जिससे बाद में इन संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नींव तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किये गये कार्यों का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य**	**उन जिलों की संख्या, जिनसे रिपोर्ट प्राप्त हुई**	**वर्ष 2022 में प्राप्त मूल्यांकन**	**वर्ष 2022 में प्राप्त नामांतरण**
1.	उत्तर प्रदेश	25	1120	939
2.	बिहार	1	8	6
3.	मध्य प्रदेश	2	60	5
4.	गोवा	2	20	130
5.	तमिलनाडु	1	12	12
6.	महाराष्ट्र	3	4	5
7.	पश्चिम बंगाल	1	86	81
8.	केरल	4	39	26
	कुल	**39**	**1349**	**1204**

12.78 सीईपीआई कार्यालय के अधिकारियों ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकें और समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा जिला–वार की गई कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

क्र. सं.	**जिला**	**भूमि**	**दुकानें**	**सर्वेक्षण/बेदखली**	**मूल्यांकन**
i	गाजियाबाद	597 बीघे 06 बिस्वा का अधिग्रहण करने के लिए निर्देश जारी किया गया	-	-	-

ii	गौतमबुद्ध नगर	-	10 अवैध दुकानें ध्वस्त की गईं	-	-
iii	रामपुर	34 एकड़ प्रमुख शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण किया गया	-	-	-
iv	कोलकाता	-	-	-	अधिक मूल्य वाली 95 संपत्तियां
v	दिल्ली	-	-	864	443
vi	हैदराबाद	650 एकड़ की प्रमुख शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध 557 नोटिस जारी किए गए	-	-	-
vii	कानपुर	-	-	स्वरूप नगर, बशर बगीचा और अन्य	-
viii	वाराणसी	125 प्रमुख शत्रु संपत्तियां	-	-	-
ix	सीतापुर	38.31 एकड़ भूमि	-	-	-
x	मुंबई	-	-	-	कोलाबा में 2 अपार्टमेंट

12.79 गौतमबुद्ध नगर जिले में राष्ट्रीय सर्वेक्षण और पायलट सर्वेक्षण के तौर–तरीके सीईपीआई और डीजीडीई को औपचारिक रूप से प्रदान किए गए हैं। पायलट सर्वेक्षण शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

12.80 इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गृह मंत्री के निदेश के अनुसार, बाद में मुद्रीकरण के हेतु विस्तृत जांच, सर्वेक्षण, नामांतरण और मूल्यांकन के लिए 49 मामलों को शार्टलिस्ट किया जा रहा है।

12.81 **शत्रु शेयरों के निपटान से सीएफआई को प्रेषित राजस्व**

वर्ष 2022–2023 : 54 करोड़ रुपये (3115 शेयर) + 54,22,219/– रुपये (उत्तर प्रदेश से किराये के राजस्व से)।

अदालती मामले

12.82 विभिन्न अदालतों में चल रहे अदालती मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) उच्चतम न्यायालय : 07 (सात)

(ii) उच्च न्यायालय : 332 (तीन सौ बत्तीस)

(iii) निचली अदालत : 218 (दो सौ अठारह)

12.83 शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 18ख के अनुसार, किसी भी शत्रु संपत्ति के संबंध में किसी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने के लिए किसी सिविल अदालत या प्राधिकरण का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। तथापि, निचली अदालतों को ऐसे मामलों पर विचार करते हुए पाया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

12.84 अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्तियों की कड़ी निगरानी पर बल देने के लिए, सीईपीआई की वेबसाइट जनता के लिए खुली है। यह वेबसाइट https://enemyproperty.mha.gov.in पर देखी जा सकती है।

*****

अध्याय - 13
महिला सुरक्षा

13.1 गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.05.2018 को एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है, ताकि देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाया जा सके और साथ ही पूर्ण रूप से न्याय का शीघ्र और प्रभावशाली क्रियान्वयन करके एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। यह प्रभाग उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता आदि के लिए नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है, जिनमें क्षमता संवर्धन और फॉरेंसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण; महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के प्रति अपराधों की रोकथाम से संबंधित मामले; व्यक्तियों के दुर्व्यापार और प्रवासियों की तस्करी; कारागार सुधारों, सुधारात्मक प्रशासन, कारागार/कैदियों के विधान; विष अधिनियम, 1919; और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से संबंधित मामले आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल

(क) "112 सिंगल आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में चल रही है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 139 रेल मदद हेल्पलाइन सेवा और 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1077 राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन के साथ भी एकीकृत किया गया है।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के भाग के रूप में, अब तक 1349.58 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन मॉनीटरिंग पोर्टल (एससीआईएम)" का उपयोग कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की गृह मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाती है।

(ग) समय पर और प्रभावी जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर–फोरेंसिक और संबंधित फोरेंसिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की परियोजना उन 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित की गई है, जिनमें यह परियोजना निर्भया कोष स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। अब गृह मंत्रालय का कुल वित्तपोषण 235.49 करोड़ रुपये हो गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने देश के सभी जिलों में मानव तस्करी–रोधी इकाइयां (एएचटीयू) गठित करने/सुदृढ़ बनाने और पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत 207.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के साथ–साथ प्रगति की निगरानी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। देश में एसएसबी/बीएसएफ द्वारा स्थापित 20 एएचटीयू सहित कुल 788 एएचटीयू कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, 13101 डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं।

(ङ) फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख–रखाव और परिवहन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की हैंडलिंग कर रहे जांच

अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और उनमें कौशल विकास किया जा सके। यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख–रखाव और परिवहन विषय पर "पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" और "लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान" द्वारा 24,717 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(च) "पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) की 14950 किट वितरित की हैं। ये एसएईसी किट यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के प्रभावकारी संग्रहण, रख–रखाव और भंडारण को सुविधाजनक बनाएंगे।

(छ) सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए, एनसीआरबी ने एक 'घोषित अपराधी' मॉड्यूल शुरू किया है, जो नागरिकों को घोषित अपराधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है।

(ज) फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से अपराध स्थल से बायोलॉजिकल सैंपल्स के एकत्रण, भंडारण और परिवहन संबंधी दिशानिर्देश, एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ/आईईसी17025: 2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल, फॉरेंसिक विज्ञान के छः विषयों में वर्किंग प्रोसीजर मैनुअल, और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन करने के लिए उपकरण की मानक सूची जारी की है।

13.2 महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा देश में चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

अंतर–परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तथा "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)"

13.3 अपराधों और अपराधियों से संबंधित सूचना की उपलब्धता आपराधिक जांच में न केवल समयबद्धता और कार्य कुशलता के लिए एक योगदान देने वाला कारक है, अपितु यह अपराध की रोकथाम के संबंध में अपराध विश्लेषण, अनुसंधान और नीति–निर्माण के उद्देश्य से इस डाटाबेस के उपयोग को भी सुविधाजनक बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करने और इसके आदान–प्रदान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस को एक साझा प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शुरू की गई कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीआईपीए) परियोजना के एक विस्तार के रूप में वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। जहां सीआईपीए पुलिस स्टेशनों (पीएस) में एकल आधार पर डाटा के कंप्यूटरराइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं, सीसीटीएनएस एक कदम और आगे बढ़ गई है और इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के संग्रहण और आदान–प्रदान के लिए सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) और उच्च पुलिस कार्यालयों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को कुल 2000 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

13.4 सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) अपराध और अपराधी से संबंधित डाटा का एकल संग्रह तैयार करना।

(ख) विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक एवं पैरामीटरीकृत अनुसंधान के विकल्प प्रदान करना, ताकि जांचकर्ता को सशक्त बनाया जा सके तथा साथ ही मामले का पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके।

(ग) नागरिकों को पूर्ववृत्त के सत्यापन का अनुरोध करने, दर्ज की गई शिकायतों की प्रगति के बारे में जानने आदि के लिए उन्हें पुलिस सेवाओं की सुगम डिजिटल पहुंच प्रदान करना।

(घ) नीति के बारे में सूचित करना तथा समय पर अपराध की प्रवृत्तियों और आपराधिक रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर निगरानी करना।

13.5 सीसीटीएनएस के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने समर्पित राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) स्थापित किए हैं। उल्लिखित उद्देश्यों के एक बड़े भाग की प्राप्ति के पश्चात, परिचालन एवं रखरखाव सहित इस परियोजना का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2022 को पूरा हो गया था।

13.6 वर्ष 2015 से, न्याय प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सीसीटीएनएस परियोजना के दायरे को अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने से आगे बढ़ाकर दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों अर्थात कारागारों, न्यायालयों, अभियोजन और न्यायालयिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक अंतर–परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना करने तक विस्तारित किया गया है। एनसीआरबी प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी थी। आईसीजेएस प्रणाली के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) का डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें विषय–वस्तु की स्वतंत्र छानबीन करने की सुविधा तथा पुलिस, कारागार और न्यायालय डाटाबेस में किसी आरोपी की खोज करने की क्षमता मौजूद है। आईसीजेएस के अंतर्गत खोज (सर्च) एवं पूछताछ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध है। यह आपराधिक जांच एवं न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। आईसीजेएस की क्षमताओं को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए, मंत्रिमंडल द्वारा कुल 3375 करोड़ रुपए की लागत से आईसीजेएस परियोजना के चरण–II को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- क्लाउड डेटा सेवाओं (डेटा सेंटर (डीसी) और डेटा रिकवरी (डीआर)) के माध्यम से साझा प्लेटफॉर्म।
- सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा और सूचना का ऑनलाइन पेपरलेस आदान– प्रदान।
- नागरिकों तक बेहतर पहुंच और सेवाएं।
- अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली सहित मौजूदा आईटी प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
- वर्कफ्लो इंटीग्रेशन और एनालिटिक्स में ब्लॉकचैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग।
- आपराधिक जांच के लिए एजेंसियों के बीच अधिकाधिक सहयोग।
- राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) का राज्य पुलिस, एफएसएल और कारागारों के साथ एकीकरण।
- 'स्मार्ट पुलिसिंग' की सुविधा के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स और डैशबोर्ड का विकास।

13.7 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस से संबंधित नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्य नागरिक पोर्टल भी शुरू किए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में राज्य नागरिक पोर्टल में नौ शासनादेशित महत्वपूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना, एफआईआर, गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों के ब्योरों की प्रतियां प्राप्त करना, पंजीकृत शिकायतों की प्रगति का पता लगाना, सम्पत्ति की चोरी की सूचना देना, लापता व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को जानना एवं उनकी सूचना देना और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रों के जारी/नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। नागरिक रोजगार पूर्व सत्यापन हेतु अनुरोध करने के लिए भी राज्य नागरिक पोर्टल का

इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में, शीघ्र पहचान और कठोर सजा की निश्चितता को एक व्यवहार्य निवारण के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन ई–एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू हो गई है। ई–एफआईआर की सुविधा संपत्ति और वाहन चोरी के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए और साथ ही उन मामलों के लिए भी उपलब्ध है, जिनमें अभियुक्तों के विवरण की जानकारी नहीं होती है।

13.8 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने सीसीटीएनएस प्लेटफार्म पर पुलिस से जुड़ी हुई विशिष्ट राष्ट्र स्तरीय नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं, जिनको www.digitalpolicecitizenservices.gov.in. पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) **लापता व्यक्ति की तलाश:** इस सेवा के अंतर्गत, नागरिक बरामद हुए अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डाटाबेस से अपने लापता परिजनों की ऑनलाइन तलाश कर सकते हैं।

(ख) **वाहनों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र बनाना:** इस सेवा के अंतर्गत, नागरिक किसी वाहन की सेकंड हैंड खरीद करने से पूर्व उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाटाबेस में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह संदिग्ध है अथवा साफ है। उक्त तलाश वाहन के ब्यौरे के आधार पर राष्ट्रीय डाटाबेस से की जा सकती है; कोई भी व्यक्ति स्वामित्व के हस्तांतरण से पूर्व आरटीओ द्वारा अपेक्षित संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र बना सकता है और डाउनलोड कर सकता है। वर्तमान में यह सर्विस ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।

(ग) **घोषित अपराधी:** नागरिक, न्यायालय द्वारा घोषित किए गए अपराधियों के आंकड़े देखने और प्रिंट करने के लिए "घोषित अपराधी तलाश सेवा" का उपयोग कर सकते हैं। इस मापदंड में तलाश करने के लिए नागरिकों को विशिष्ट ब्यौरे जैसे कि नाम, राज्य, जिला, तारीख, रेंज, एफआईआर संख्या डालने की आवश्यकता होती है।

वित्त वर्ष 2022–23 में उपलब्धियां

13.9 सीसीटीएनएस ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों तक पहुंच, कनेक्टिविटी और उपयोग के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। राज्यों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें एक राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। परियोजना के प्रयोग में हुई प्रगति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि/प्रचालन का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 01.01.2022 के अनुसार)	उपलब्धियां (दिनांक 01.12.2022 के अनुसार)
1.	कुल पुलिस स्टेशन	16347	16440
2.	सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना	16347	16440
3.	सभी पुलिस स्टेशनों में कनेक्टिविटी	15859	16388
4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां एनडीसी के साथ एसडीसी जोड़ी गई	36	36
5.	सीएएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर (100%) दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	16162	16354

6.	सीसीटीएनएस में पंजीकृत एफआईआर की संख्या	7.32 करोड़	7.93 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	36	36
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	36	36
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टलों से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	8 करोड़ से अधिक	12.50 करोड़

(आंकड़े का स्रोत: प्रगति और आईसीजेएस ट्रैकर)

आईसीजेएस/सीसीटीएनएस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, पुलिस कर्मियों के लिए कई सिस्टम और इंटरफेस शुरू किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस)

13.10 नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) के तहत, पूरे देश के पुलिस जिलों में कुल 1319 एनएएफआईएस वर्कस्टेशन शुरू (कमीशन) किए गए हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा एनएएफआईएस एप्लिकेशन तक सुरक्षित पहुंच के लिए 2158 वीपीएन आईडी बनाई गई हैं और ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और जेलों में उपलब्ध एक करोड़ देशव्यापी फिंगरप्रिंट डेटा में से, लगभग 70 लाख परिष्कृत आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनएएफआईएस में अंतरित किया गया है।

गिरफ्तार नार्को–अपराधियों के संबंध में राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएन)

13.11 गृह मंत्रालय ने गिरफ्तार नार्को–अपराधियों (एनआईडीएएन) से संबंधित पोर्टल पर एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस विकसित किया है, जो मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों अर्थात स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अपराधियों से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। यह ऑनलाइन सुविधा विशेष रूप से अंतर परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) से जुड़ी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग के लिए है। यह प्रणाली एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और इसमें 4.22 लाख से अधिक अपराधियों के संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं।

13.12 निदान (एनआईडीएएन) की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

I. विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ऑनलाइन केंद्रीयकृत डेटाबेस

II. विधि प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है–

(क) अन्य बातों के साथ–साथ मादक पदार्थों के बार–बार और आदतन अपराध करने वालों का पता लगाने के लिए डेटाबेस पर खोज (सर्च) करना।

(ख) मादक पदार्थों से संबंधित अपराध के बारे में अलर्ट भेजना और प्राप्त करना।

स्थगन चेतावनी मॉड्यूल

13.13 आईसीजेएस के अंतर्गत, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सुविधा प्रदान करने के एक कदम के रूप में, एक "स्थगन चेतावनी मॉड्यूल" तैयार किया गया है। जब कभी किसी आपराधिक मामले में कोई सरकारी अभियोजक दो से अधिक बार स्थगन की मांग करता है, तो इसके लिए उक्त प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारियों को एक चेतावनी भेजने का प्रावधान किया गया है।

क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक)

13.14 जघन्य अपराध और अंतर–राज्य अपराधों के मामलों में समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों की सूचना साझा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस स्टेशनों और उच्चतर कार्यालयों के लिए क्राई–मैक (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) की सुविधा शुरू की गई है। इसका प्रयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपराध तथा अंतर–राज्यीय अपराधियों के बारे में चेतावनियां/सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।

कार्य प्रणाली

13.15 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पुलिस और कारागार आंकड़े का प्रयोग करके एक कार्यप्रणाली (एमओ) शुरू की है। जांच अधिकारियों द्वारा इसका पूरे देश में ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है। यह विशेषता पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जांच सहायता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने अनुसंधान करने के लिए एक कार्यप्रणाली ब्यूरो (एमओबी) स्थापित किया है। एनसीआरबी द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए एमओ मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं।

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस

13.16 आईसीजेएस प्लेटफार्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए सितम्बर, 2018 में यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ज्ञात और अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान करके महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा को रोकना है और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीस घंटे (24x7) उपलब्ध है तथा यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववृत सत्यापन और शीघ्र पहचान में सक्षम बनाता है। एनडीआरएफ के पास पूरे देश के 12 लाख से अधिक यौन अपराधियों का आंकड़ा है, जिनसे जांच अधिकारी यौन अपराधियों के विरूद्ध निवारणात्मक उपाय करने के अतिरिक्त अभ्यस्त यौन अपराधियों का पता लगा सकते हैं।

यौन अपराधों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

13.17 यौन हमलों के मामलों में, दंड विधि (संशोधन) 2018, अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक रिपोर्ट की तारीख से 2 माह के भीतर जांच पूरी किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए यौन अपराधों की पहचान और उनके समाधान में प्रगति का पता लगाने हेतु सीसीटीएनएस डाटा पर आधारित एक "यौन अपराध संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)" पोर्टल बनाया है। यह एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर एफआईआर स्तर तक ड्रिल–डाउन सुविधा के साथ उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें और डैशबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है तथा इसमें मामलों के शीघ्र समाधान के लिए जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने की क्षमता विद्यमान है। आईटीएसएसओ से अनुपालन दर में वृद्धि का पता चलता है, जो वर्ष 2018 में 43% से बढ़कर वर्ष 2022 में 59.50% हो गई है। (अनुपालन दर = दो महीने के भीतर प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट/एफआईआर, जिसके दो महीने पूरे हो चुके हैं)

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

13.18 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत 364.03 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय से "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलैंस आदि के लिए 112 को एक अखिल भारतीय, एकल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नम्बर के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें क्षेत्रीय संसाधनों को कम्प्यूटर की सहायता से

पहुंचाया जाता है, जो कॉल, एसएमएस, ई–मेल, पैनिक बटन और 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से सुगम होते हैं। ईआरएसएस का अधिदेश एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफार्म प्रदान करना है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को आपातकालीन नम्बर 112 से जोड़ने में सहायता करेगा।

13.19 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 112 पर आधारित आपातकालीन संचालन (ऑपरेशन) शुरू करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर और सीमित संख्या में जीपीएस युक्त मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित आपात कार्रवाई (ईआर) वाहनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2022 तक)

13.20 112 पर आधारित एकल आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 139 रेल मदद हेल्पलाइन सेवा और 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1077 राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित की जा रही महिला हेल्पलाइन (181) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ 112 के एकीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

13.21 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस परियोजना के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने इस परियोजना के कार्यान्वयन को 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान मार्च, 2026 तक जारी रखने की योजना बनाई है।

सुरक्षित शहर परियोजना

13.22 सरकार ने महिला केंद्रित विकास पर बल दिया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि विशेष रूप से बड़े शहरों, जो जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करते है, में सार्वजनिक स्थानों और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी के लिए उनमें सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा हो। गृह मंत्रालय ने इस दृष्टि से 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संवेदनशील स्थानों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है, ताकि इस दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण इत्यादि सहित महत्वपूर्ण संपदा विकसित की जा सके। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए निर्भया फंड और गृह मंत्रालय के बजट से कुल 3080.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

13.23 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), संबंधित शहरों के नगरपालिका और पुलिस आयुक्तों तथा इस उद्देश्य से जुड़े हुए सिविल सोसायटी संगठनों से परामर्श किया है। इसमें शहर और वहां निवास करने वाले समुदायों के लिए मिश्रित समाधान शामिल हैं। सुरक्षित शहर परियोजनाओं की पहल के अंतर्गत विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. शहर के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत चल और अचल परिसम्पत्तियों समेत एकीकृत दृष्टिकोण जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से जुड़ी मैपिंग करना, स्थानों में अंधेरा हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करना, ऑटोमेटिड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) वाले कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें

कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, शौचालय बनाने सहित अपराध के अभिज्ञात स्थलों में सुरक्षित जोन क्लस्टर का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाना, अन्य के साथ—साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार बनाना इत्यादि। विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों को दूर करने और योजनाओं को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को शामिल किया गया है।

ii. महत्वपूर्ण मानव संसाधन संपदा, जैसे कि एसएचई टीमों के समान "सर्व महिला गश्ती दल" तैयार कर उनकी तैनाती करना, अहमदाबाद में अभयम वैन के समान फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल के लिए टीम, "सर्व महिला पुलिस स्टेशनों" का विकास और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती करना इत्यादि। हैदराबाद के सफल "भरोसा मॉडल" के आधार पर, अन्य शहरों में इस प्रकार के "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में फॉरेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल जैसे जांच के बेहतर जांच संसाधनों को भी शामिल किया जाता है।

iii. महत्वपूर्ण उपाय जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान और क्षमता निर्माण तथा कुछ शहरों में समुदाय और सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से अन्य सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है।

13.24 गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत सृजित की गई संपत्तियों का मानचित्रण करने और उनकी तैनाती को ट्रैक करने के लिए, एक "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल" (एससीआईएम पोर्टल) चालू किया है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली "सुरक्षित शहर परियोजनाओं पर गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति" द्वारा इन सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

13.25 डीएनए विश्लेषण अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली समय परीक्षित वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोष सिद्धि हासिल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में, सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि सरकार एक मिशन मोड के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी सहायता प्रदान कर रही है।

13.26 गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि स्कीम के भाग के रूप में कुल 235.49 करोड़ रुपए की लागत से 28 राज्यों में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यों को प्राथमिकता वहां लंबित मामलों और उनके द्वारा मांग के आकलन के आधार पर दी गई है। इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी स्वयं की फॉरेंसिक सुविधाओं का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजनाओं के तहत जिन मदों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वे राज्यों द्वारा स्वयं कमी—विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इन मदों में, एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए ऑटोक्लेव एवं ऑटोमेटिड डीएनए एक्सट्रैक्टर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंसर, सेंट्रीफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान नमूनों की पहचान को सुविधाजनक बनाने और एकत्रित साक्ष्य के साथ इसका मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के सबूतों के विश्लेषण हेतु इस परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त

किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

फारेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण (एसएमएफसी)

13.27 फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए 2080.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की एक योजना (एसएमएफसी)" को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन, मोबाइल फोरेंसिक वाहनों की खरीद, विभिन्न फोरेंसिक क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) द्वारा प्रशिक्षण/कौशल अकादमियों की स्थापना और एनएफएसयू के 5 ऑफ–कैंपस की स्थापना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉलेजों/संस्थानों की संबद्धता आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

कारागारों का आधुनिकीकरण

13.28 भारत सरकार ने "कारागारों के आधुनिकीकरण" की परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य जेल सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जेलों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, सुधारात्मक प्रशासन में सुधार करना और कुछ राज्यों में उच्च सुरक्षा वाली जेलों का निर्माण करना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कारागारों के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु 950 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 10 राज्यों (जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को लागू किया था) को कारागारों के आधुनिकीकरण वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (परियोजना) के तहत मार्च, 2022 में 50 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

13.29 बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920 को निरस्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया "आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022" लाया गया है, जिसे दिनांक 18.4.2022 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 4 अगस्त, 2022 से प्रभावी हुआ। नए अधिनियम में अब माप की सूची का विस्तार किया गया है, जिसमें न केवल उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो, बल्कि आइरिस एवं रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण तथा उनके हस्ताक्षर, लिखावट आदि सहित उनके व्यवहार की विशेषताएं भी शामिल हैं। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड को संग्रहीत करने, संरक्षित करने और नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को अधिकृत करता है। एनसीआरबी को आंकड़ों को संसाधित करने और उन्हें विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने का भी अधिदेश दिया गया है। नया अधिनियम स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एक इको–सिस्टम तैयार करने में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। गृह मंत्रालय ने 19 सितंबर, 2022 को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) नियम, 2022 अधिसूचित किया है। माप रिकॉर्ड का संग्रहण एवं भंडारण करने, उसकी प्रोसेसिंग करने और उसे नष्ट करने के लिए एनसीआरबी द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

विशेष छूट

13.30 "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने और उन्हें तीन चरणों अर्थात 15 अगस्त, 2022, 26 जनवरी, 2023 तथा 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने की सलाह दी है। गृह मंत्री के स्तर पर दिनांक 21.4.2022 के अ.शा. पत्र द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कैदियों की रिहाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 15 अगस्त, 2022 को कैदियों को विशेष छूट के पहले चरण के दौरान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया कि उन्होंने रिहाई के लिए 1126 कैदियों के मामलों को अनुमोदन प्रदान किया है।

अध्याय - 14
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

14.1 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर आतंकवाद–रोधी गतिविधियों सहित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों को देखता है तथा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित किए गए विषयों/मामलों को छोड़कर, इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों/मामलों के बारे में उनके साथ समन्वय करता है। यह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

14.2 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। इसकी पाकिस्तान के साथ 221 किमी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 120355 वर्ग किमी. (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित) है, जिसके अनुसार यह देश के 3.66% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

14.3 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का देश में 19वां स्थान है और कुल जनसंख्या 1,22,67,013 है। इसके दो विशिष्ट क्षेत्र अर्थात कश्मीर और जम्मू हैं, जिनमें कुल 20 जिले हैं।

14.4 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की पहल में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार, जब कभी आवश्यक हो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) उपलब्ध कराती रही है और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों पर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें पुलिस बलों को लाने–ले–जाने, सामग्री की आपूर्ति, आवासीय किराए, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय, नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों, एयरलिफ्ट प्रभारों, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन की लागत, परिवहन, ठहरने और खाने–पीने, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) [एसआरई (पी)] के तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 1989 से 31.12.2022 तक प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि 10528.72 करोड़ रुपये है और सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत और पुनर्वास) [एसआरई–(आरएंडआर)] के तहत 5348.68 करोड़ रुपये है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 31.12.2022 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार को एसआरई (पी) के तहत 308.98 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है और एसआरई (आर एंड आर) के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 198.62 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान, सुरक्षा संबंधी व्यय (सुरक्षा वातावरण) की योजना के तहत 2.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

14.5 वर्ष 2021–22(एई) के लिए मौजूदा और स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमानतः क्रमशः 1,95,118 करोड़ रुपये और 1,21,524 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2021–22(एई) के लिए मौजूदा तथा स्थिर (2011–12) कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) अनुमानतः क्रमशः 1,62,926 करोड़ रुपये और 97,335 करोड़ रुपये है।

14.6 मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2020–21 (आरई) और वर्ष 2021–22(एई) के लिए जम्मू एवं कश्मीर का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमानतः क्रमशः 1,27,348, रुपये और 1,44,908 रुपये है।

अधिनियम और नियम

14.7 केंद्र सरकार ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (वर्ष 2006 का 4) के तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के लिए एक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29.07.2022 को अधिसूचित की है।

14.8 सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया है। परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर विधान सभा क्षेत्रों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। 90 विधान सभा क्षेत्रों में से, 9 विधान सभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है और यह आरक्षण पहली बार किया गया है। वाल्मीकि समुदाय के लोगों, गोरखाओं और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अब संघ राज्य क्षेत्र के चुनावों में वोट डालने का अधिकार है।

14.9 जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में "कमजोर और सुविधा से वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों) के नामकरण को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्गों" के रूप में करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (एसईबीसीसी) की सिफारिश को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 23.12.2022 को अनुमोदित कर दिया गया है और जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 नामक एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

14.10 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) संघ राज्य क्षेत्र लगभग तीन दशकों से आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। पिछले कुछ वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	आतंकवादी जनित घटनाएं	मुठभेड़/आतंकवाद रोधी ऑपरेशन	मारे गए सुरक्षा बल (एसएफ) कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	मारे गए आतंकवादी
2018	228	189	91	55	257
2019	153	102	80	44	157
2020	126	118	63	38	221
2021	129	100	42	41	180
2022	125	117	32	31	187

14.11 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में जारी आतंकवाद जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में "अंतरराष्ट्रीय सीमा" और "नियंत्रण रेखा" दोनों सीमाओं के पार से होने वाली आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2017 से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में घुसपैठ के सूचित प्रयासों और कुल घुसपैठ के आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	2017	2018	2019	2020	2021	2022
घुसपैठ के प्रयास	419	328	216	99	77	53
कुल अनुमानित घुसपैठ	136	143	141	51	34	14

14.12 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति की निगरानी और समीक्षा जम्मू एवं कश्मीर, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय भी जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा की स्थिति की गहन और सतत निगरानी करता है।

14.13 भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर सीमा–पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सीमा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के सदैव बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु–स्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण/रखरखाव, नालों पर पुलियों/पुल का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, बेहतर आसूचना और प्रचालन संबंधी समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना प्राप्त करने के कार्य में तालमेल तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आंतकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई शामिल है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शांति भंग करने के आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमता को निष्प्रभावी करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने युवकों को आतंकवाद से दूर करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके मुख्य धारा में शामिल करने की नीतियों को भी प्रोत्साहित किया है।

14.14 सरकार का निम्नलिखित प्रयास रहा है:

(i) सीमा–पार के आतंकवाद से सीमाओं की सुरक्षा करने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से उपयुक्त उपाय करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रखी जाए और वहां पर लंबे समय से चले आ रहे आतंकवाद के प्रभाव के कारण लोगों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक–आर्थिक समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन की प्रमुखता बहाल की जाए, और

(iii) सतत शांति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना और हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को प्रभावी रूप से अपना दृष्टिकोण रखने का पर्याप्त अवसर देना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निवारण करना।

14.15 जम्मू एवं कश्मीर में गंभीर उग्रवाद को देखते हुए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए, जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 1989–90 में एक अलग सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना शुरू की गई थी। इसके तहत निम्नलिखित के लिए क्रमशः 90% और 100% व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है:

(क) पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस बल की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने हेतु एसआरई (पुलिस) और

(ख) अन्य राहत और पुनर्वास उपायों के अलावा आतंकवाद काल के दौरान घाटी से विस्थापित हुए अन्य कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास में सहायता करने के लिए एसआरई – राहत और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना।

14.16 सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए निम्नलिखित बटालियनों के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:–

(i) 5 इंडियन रिजर्व (आईआर) बटालियनें

(ii) 2 सीमा बटालियनें

(iii) 2 महिला बटालियनें

5 आईआर बटालियनों के लिए भर्ती का कार्य पूरा हो गया है। 2 सीमा बटालियनों तथा

2 महिला बटालियनों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

14.17 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की व्यवस्था वर्ष 1995 से शुरू की गई थी। एसपीओ की नियुक्ति की मूल अवधारणा में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अनुषंगी सहायता प्रदान करना और स्थानीय आबादी को स्वयं अपनी सुरक्षा में शामिल करना तथा आतंकवाद के खतरे से निपटने में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और अर्ध–सैनिक बलों की सहायता करना निहित था। उन्हें सौंपे गए विभिन्न कार्यों में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन किया जाता है। वर्तमान में, एसपीओ की स्वीकृत संख्या 34,707 है; जिनमें से 32,355 एसपीओ नियुक्त हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के एसपीओ का पारिश्रमिक निम्नलिखित तरीके से बढ़ाकर 18000/– रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है:

(i) 3 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) – 6000/– रुपये प्रति माह

(ii) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 9000/– रुपये प्रति माह

(iii) 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 12000/– रुपये प्रतिमाह

(iv) 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 15000/– रुपये प्रति माह

(v) 15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) – 18000/– रुपये प्रति माह।

14.18 सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए, ग्राम रक्षा समूह योजना को जम्मू एवं कश्मीर की सरकार द्वारा वर्ष 1995 में अधिसूचित किया गया था। अब, इस योजना को संशोधित किया गया है और दिनांक 14.08.2022 को अधिसूचित किया गया है। ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ग्राम रक्षा रक्षक के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, ग्राम रक्षा समूह की स्वीकृत संख्या 4,985 है, जिसमें से 4,153 ग्राम रक्षा समूह का गठन किया जा चुका है।

रियायती हेलीकॉप्टर सेवाएं

14.19 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान योजना दूरदराज के उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जहां सड़क मार्ग से जाना दुर्गम है अथवा सड़क मार्ग से जुड़े होने पर भी, वे भारी बारिश/बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान कटे रहते हैं। इस योजना को मार्च, 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अनुसार, भारत सरकार सब्सिडी का 75% वहन करती है और सब्सिडी का शेष 25% हिस्सा संबंधित सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (1947) और छंब नियाबत (1965 एवं 1971) से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता

14.20 प्रधानमंत्री विकास पैकेज–2015 (पीएमडीपी–2015) के अंतर्गत, पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित तथा जम्मू एवं कश्मीर में बसे 36,384 परिवारों को 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की जा रही है। भारत सरकार ने 5300 परिवारों में से उन विस्थापित परिवारों (डीपी) को भी शामिल करने के लिए ऐसी ही वित्तीय सहायता अनुमोदित की थी, जिन्होंने आंरभ में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर जाने का विकल्प चुना था, किंतु बाद में वापस आ गए और जम्मू एवं कश्मीर में बस गए। वर्ष 2016 में इस योजना के शुरू होने से लेकर दिनांक 31.12.2022 तक 33,636 पात्र लाभार्थियों को कुल 1452.34 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है।

पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

14.21 भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के उन 5,764 परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की जा रही है, जो विभाजन के उपरांत पश्चिमी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से प्रवास करके जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में बस गए थे। वर्ष 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1035 लाभार्थियों को कुल 38.28 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015

14.22 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015 पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक वृहत विकास और पुनर्निर्माण पैकेज है। इसमें सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बागवानी, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में 80,068 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 63 परियोजनाएं शामिल हैं।

14.23 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के गठन के बाद, जम्मू एवं कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपये के परिव्यय से 53 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन 53 परियोजनाओं में से, 29 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है/काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और शेष परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

बजट आवंटन में वृद्धि

14.24 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019–20 में 80,423 करोड़ रुपये, वर्ष 2020–21 में 92,341 करोड़ रुपये और वर्ष 2021–22 में 1,08,621 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 1,12,950 करोड़ रुपये हो गया है, ताकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुधार कार्यक्रम

14.25 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने समग्र विकास हासिल करने और लोगों में खुशहाली लाने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु आईटी सक्षम उपकरणों, भविष्य की रणनीतियों, लोकतंत्र को मजबूत करने की नई पहल, सुशासन, निवेश के अवसरों और सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति

14.26 जम्मू एवं कश्मीर अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में भारत के शीर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है। सौभाग्य, इन्द्रधनुष, उज्ज्वला, उजाला, पेंशन योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, **स्वामित्व**, किसान क्रेडिट कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, पोषण वाटिका आदि जैसी योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

14.27 पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में सरकार के कामकाज में परिवर्तन सभी सरकारी पहलों का केंद्र बिंदु रहा है। पिछले तीन वर्षों से विकास के अधिकांश मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के तहत लाभार्थियों का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया है।

14.28 सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अनुच्छेद 311 के तहत, 35 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और अनुच्छेद 226 के तहत, 32 कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

14.29 बीईएएमएस (बजट अनुमान और निगरानी प्रणाली), पे सिस्टम (भुगतान प्रणाली), 100% भौतिक सत्यापन, अनिवार्य प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से वित्तीय परिवर्तन ने परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति हुई हैः

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	पूंजीगत व्यय	पूर्ण की गई परियोजनाओं/कार्यों की संख्या
1	2018-19	8482	9229
2	2019-20	9998	12,637
3	2020-21	10532	21,943
4	2021-22	10224	50,627

कृषि

14.30 जम्मू एवं कश्मीर को कृषक परिवारों की मासिक आय के मामले में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में यह 5वां सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

सूचना प्रौद्योगिकी

14.31 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके), राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सेवाओं की प्रदायगी के वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) में संघ राज्य क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं के रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) के एकीकरण में संघ राज्य क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। घर से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए "ई–यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एक्सेसिबल एंड ट्रांसपैरेंट (उन्नत)" लॉन्च किया गया।

लैंड पास बुक

14.32 जम्मू एवं कश्मीर सरकार पूरे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जमाबंदी (अधिकारों का रिकॉर्ड) के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है और दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार 5142 राजस्व गांवों का कार्य पूरा कर लिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर स्वामित्व कार्ड जारी करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र बन गया। भूमि धारकों को त्रिभाषी लैंड पासबुक (उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी) जारी की जा रही है। तीन लाख लैंड पासबुक सृजित/जारी की जा चुकी हैं।

कोविड प्रबंधन

14.33 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने 15–17 वर्ष और 18 एवं उससे अधिक आयु वर्ग में कोविड–19 वैक्सीन की दोनों डोज के मामले में 100% कवरेज हासिल कर लिया है। 12–14 वर्ष की श्रेणी के लिए कोविड–19 वैक्सीन दिनांक 16.03.2022 को शुरू की गई है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, इस श्रेणी की 93% आबादी को पहली डोज और 85% आबादी को दूसरी डोज मिल चुकी है।

स्वास्थ्य बीमा

14.34 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने पूरे संघ राज्य क्षेत्र में "यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज" लॉन्च किया है। दिनांक 26.12.2020 से एबी–पीएमजेएवाई को मिलाकर बनाई गई एबी–पीएमजेएवाई–सेहत स्कीम जम्मू एवं कश्मीर के सभी परिवारों को फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

14.35 स्वास्थ्य बीमा के तहत 25.72 लाख परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें पीएम–जेएवाई के तहत 5.98 लाख परिवार और संघ राज्य क्षेत्र की स्कीम "सेहत" के तहत 19.74 लाख परिवार शामिल हैं। पीएम–जेएवाई और पीएम–जेएवाई सेहत के तहत 97.17 लाख पात्र लाभार्थियों की तुलना में, 78.12 लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। 78.06 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। पीएम–जेएवाई और एबी–एमपीजेएवाई–सेहत स्कीम के तहत परिवार के कम से कम एक सदस्य के सत्यापन के साथ 92.66% (23.22 लाख) परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

सामाजिक समावेशन

14.36 संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से (या तो

नकद या वस्तु के रूप में), अथवा परामर्श या जागरूकता कार्यक्रमों/दौरों के माध्यम से कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराए गए। 10,38,154 पेंशनरों के कवरेज के साथ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं में 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिन्हें प्रति माह 1000/– रुपये का भुगतान किया जा रहा है। पहली बार, ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किया गया है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 5.5 लाख अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), पहाड़ी भाषी वर्ग (पीएसपी) के छात्रों को कवर किया गया है।

युवा क्लब

14.37 महत्वाकांक्षी 'युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम' के तहत, जम्मू एवं कश्मीर के प्रत्येक पंचायत और शहरी वार्ड में 1 लाख से अधिक सक्रिय युवा सदस्यों के साथ 5000 से अधिक युवा क्लबों का गठन किया गया है। युवा क्लबों के स्वयंसेवकों ने नशामुक्ति और कट्टरवाद को समाप्त करने के कार्यक्रमों, श्री अमरनाथजी यात्रा से संबंधित ड्यूटी आदि जैसी गतिविधियों में शामिल होकर सरकार के प्रयासों को सम्पूरित किया है।

आजादी का अमृत महोत्सव

14.38 यह महोत्सव दिनांक 12.03.2021 को पांच विषयों के साथ शुरू हुआः स्वतंत्रता संग्राम, विचार @75, संकल्प @75, कार्य @75 और उपलब्धियां @75। दिनांक 26.09.2022 तक, आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर 25926 गतिविधियों को अपलोड किया जा चुका है।

अमृत सरोवर

14.39 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मिशन अमृत सरोवर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिनांक 24.04.2022 को ग्राम पंचायत पल्ली, सांबा, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, दिनांक 15.08.2022 तक 300 अमृत सरोवरों और दिनांक 15.08.2023 तक 1500 अमृत सरोवरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल ने दिनांक 13.08.2022 को सभी पूर्ण अमृत सरोवरों का ई–उद्घाटन किया। संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 15.08.2022 तक 1490 अमृत सरोवरों और दिनांक 31.10.2022 तक 1644 अमृत सरोवरों का लक्ष्य हासिल किया था। संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 15.08.2022 को सभी पूर्ण सरोवरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

नशामुक्त भारत अभियान

14.40 नशामुक्त भारत अभियान के तहत, सरकार ने 1764 गांवों तथा 1652 शैक्षणिक संस्थानों को कवर किया है और 97050 युवाओं सहित 4950484 व्यक्तियों तक पहुंच बनाकर जागरूकता लाने के लिए 332 विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया है। कुलगाम जिले में एक समग्र नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने किया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने 7 और जिलों यथा सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर और बांदीपोरा में डीडीएसी की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

विद्युत क्षेत्र

14.41 विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत, 3100 मेगावॉट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर पटरी पर लाया गया है। 1000 मेगावॉट क्षमता की पाकलदुल परियोजना और 624 मेगावॉट क्षमता की किरू परियोजना पर काम जोरों पर है तथा 800 मेगावॉट क्षमता की रतले परियोजना का काम सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा 1856 मेगावाट क्षमता की सावलकोट परियोजना के लिए निर्माण–पूर्व गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

कनेक्टिविटी

14.42 कनेक्टिविटी एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू–श्रीनगर रोड पर काजीगुंड–बनिहाल सुरंग का काम पूरा हो गया है,

जिससे दोनों ओर से प्रतिदिन चलने वाले ट्रैफिक से यात्रा का समय कम हो गया है।

14.43 जम्मू–अखनूर–पुंछ रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)–144ए), चेनानी–सुधमहादेव–डोडा–किश्तवाड़–अनंतनाग रोड (एनएच–244), सेमी रिंग रोड जम्मू, सेमी रिंग रोड श्रीनगर, बारामूला–गुलमर्ग रोड (एनएच–701) तथा श्रीनगर–शोपियां–काजीगुंड रोड (एनएच–444) के उन्नयन और जोजिला तथा जेड–मोड़ सुरंगों का कार्य तेज गति से चल रहा है।

14.44 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, जम्मू एवं कश्मीर ने निर्मित सड़क की लंबाई के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक हासिल की और वर्ष 2020–21 के दौरान भी संघ राज्य क्षेत्र ने उस रैंक को बरकरार रखा।

स्वास्थ्य

14.45 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अवंतीपोरा का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 07 नए गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रही है और वर्ष 2022–23 के दौरान 15 नर्सिंग कालेजों को चालू किया जाना है तथा राज्य के दो कैंसर संस्थानों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जायेगा। 140 स्वास्थ्य संस्थानों के पुनर्निर्माण/उन्नयन पर 881 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता 500 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है।

शिक्षा

14.46 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जम्मू में कार्यरत हैं और भौतिक बुनियादी ढांचे पर काम जोरों पर है। इसके अलावा, 50 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं और निर्माण कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है।

जल शक्ति

14.47 जल जीवन मिशन के तहत, 99.94% आबादी को पाइप से पानी उपलब्ध कराया जाता है। 57.84% व्यक्तिगत घरों में नल के कनेक्शन हैं। 23160 स्कूलों, 24163 आंगनबाड़ी केन्द्रों, 3324 स्वास्थ्य संस्थाओं तथा 1666 ग्राम पंचायत भवनों में पेयजल के कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

14.48 शाहपुरकंडी बांध परियोजना 2793.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निष्पादन के अधीन है।

शहरी विकास

14.49 सभी 1085 वार्डों में 100% डोर टू डोर कलेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 78 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 1400 करोड़ रुपये की कार्य योजना शुरू की गई है और वर्ष 2023 तक इन सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 100% कलेक्श्न तथा परिवहन और 60% अपशिष्ट प्रसंस्करण का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

पर्यटन

14.50 इस वर्ष अब तक सर्वाधिक पर्यटकों और हवाई यातायात का आगमन हुआ। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक पर्यटकों की संख्या 1.80 करोड़ तक पहुंच गई।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन नीति, 2020 अधिसूचित की है।

14.51 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, पर्यटन विभाग को 75 कम ज्ञात/ऑफ बीट स्थलों को विकसित करना है और इनमें से प्रत्येक स्थल पर 75 उत्सव आयोजित किए जाने हैं।

14.52 3.25 लाख से अधिक लोग ट्यूलिप गार्डन में घूमने आए, जो अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।

कृषि

14.53 राष्ट्रीय केसर मिशन के कार्यान्वयन से फसल की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित हुई है, जो 1.88 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 4.5 किलोग्राम/

हेक्टेयर हो गई है, जिसकी वजह से अंततः केसर उत्पादकों की आय दोगुना हो गई है।

14.54 संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने प्रभावी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन हेतु केसर तथा बासमती के लिए जी.आई. टैगिंग सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगी।

जनजातीय विकास

14.55 संघ राज्य क्षेत्र सरकार का फोकस जनजातीय आबादी के समावेशी विकास पर है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासी अधिनियम के तहत 2306 वन अधिकार प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

14.56 समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए सुधारात्मक उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। हाल ही में, पहली बार व्यक्तियों, संस्थानों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संघ राज्य क्षेत्र स्तर के जनजातीय पुरस्कार प्रदान किए गए। आईआईईटी–जम्मू और बाबा गुलामशाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी में जनजातीय पीठ स्थापित हैं।

14.57 जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री वन धन योजना, जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति, ट्रांसह्यूमन्स आदिवासी आबादी के लिए ट्रांजिट आवास की स्थापना, 1500 मिनी भेड़ फार्म, डेयरी इकाइयां, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, स्मार्ट स्कूल, विद्यार्थी छात्रावास, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) आदि कार्यान्वयन के अधीन हैं।

युवा और खेल

14.58 पिछले वर्ष के दौरान, 17.5 लाख से अधिक युवा खेल गतिविधियों में शामिल थे और चालू वर्ष में 35 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

14.59 "खेलो इंडिया स्कीम" के तहत, गुलमर्ग में दो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया।

14.60 संघ राज्य क्षेत्र के लगभग हर जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट हॉल के अलावा, युवा सेवा और खेल विभाग ने केंद्र सरकार के सहयोग से मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, न्यू इंडोर हॉल में अत्याधुनिक जिम्नास्टिक अकादमी, एम.ए. स्टेडियम जम्मू, नेहरू पार्क, श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाए हैं।

14.61 संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान है। विभाग द्वारा "माई यूथ माई प्राइड" और (यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट) वाईएसएस कप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खेल गतिविधियां पहली बार पंचायत स्तर तक पहुंच गई हैं।

उद्योग

14.62 जम्मू एवं कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस) में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज सहायता, जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन, कार्यशील पूंजी ब्याज प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है।

14.63 नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मौजूदा इकाइयों का पोषण करने के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों द्वारा समर्थित जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति 2021–30 के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों से "व्यापार करने में अधिक आसानी" होती है और साथ ही मानव इंटरफेस भी न्यूनतम हो जाता है।

14.64 जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021–30 ने औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बना दिया है। भूमि आवंटन का समस्त कार्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर नामोद्दिष्ट भूमि आवंटन समितियों द्वारा पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाता है।

14.65 जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास की नीति में परिभाषित समय–सीमा के साथ

निजी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध ढांचा प्रदान किया गया है।

भारत दर्शन यात्रा/वतन–को–जानो कार्यक्रम

14.66 युवाओं को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानकारी देने और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में हो रहे भारत के सांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में अवगत कराने के लिए, सभी सीएपीएफ, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस तथा समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की मदद से भारत दर्शन यात्रा/वतन को जानो यात्रा और कश्मीरी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2021–22 में, इस संबंध में कुल 8.80 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 2022–23 में, इन यात्राओं के संचालन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) से संबंधित गतिविधियाँ

14.67 सीएपीएफ द्वारा स्थानीय लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर, युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन आदि सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022–23 में, इन गतिविधियों के संचालन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

स्व–नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

14.68 भारत सरकार ने 1.11 करोड़ रुपये की लागत से 2500 महिलाओं (500 मास्टर प्रशिक्षकों सहित) के प्रशिक्षण के लिए गांदरबल में और 90 मास्टर प्रशिक्षकों सहित 2000 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 1.94 करोड़ की लागत से कारगिल में उप केंद्र के साथ लेह में स्वनियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के दो केंद्रों को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2021–22 में, इस संबंध में कुल 50.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। वर्ष 2022–23 में, एसईडब्ल्यूए को गतिविधियों के संचालन और गांदरबल में उनके संसाधन केंद्र के सुचारू कार्यकरण के लिए 14.77 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस परियोजना के तहत अब तक 4473 प्रशिक्षार्थियों और 638 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

14.69 लद्दाख दिनांक 31.10.2019 को एक संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल के बिना) बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है और 2300 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र देश का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और विरल आबादी वाला क्षेत्र है। शीतकाल में यहां कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है, क्योंकि जोजिला और रोहतांग दर्रों के बंद होने के कारण श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश से सड़क संपर्क टूट जाता है। द्रास टाउन विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। वर्षा अत्यंत कम और नगण्य है, जो इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान बना देती है। इस क्षेत्र में 18000 फीट से लेकर 26000 फीट तक की ऊंचाई वाली चोटियां, काराकोरम और ज़ांस्कर पर्वतमालाओं की बनावट के समानांतर दिखती हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लेह और कारगिल नामक दो जिले शामिल हैं। लद्दाख 02 राजमार्गों लेह–मनाली राजमार्ग (एनएच 03) और लेह–श्रीनगर राजमार्ग (एनएच 1) के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है। लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं लद्दाखी/भोटी, बलती, पुरगी और दरदी/शीना हैं। लद्दाख की अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजाति अर्थात बलती, बेडा, बॉट, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, मोन और पुरीग्पा हैं।

बजट आवंटन

14.70 वर्ष 2020–21 से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को हर वर्ष 5,958.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि उसका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)

14.71 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 21,441 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन 9 परियोजनाओं में से, 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, 1 परियोजना को बदलने की संभावना का पता लगाया जा रहा है और शेष 6 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआईडीसीओ)

14.72 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआईडीसीओ) की स्थापना 25 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ दिनांक 24.09.2021 को की गई है। यह कार्पोरेशन इस संघ राज्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की देखभाल करेगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालय

14.73 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 21.07.2021 को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्बन मुक्त पहल

14.74 फ्यांग, लेह में बैटरी भंडारण के साथ 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) का अनुबंध, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसईसीआई) द्वारा 385.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टाटा पावर को दिया गया है और यह कार्य शुरू हो गया है। मौजूदा सौर फोटो वोल्टिक संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि और नए सौर फोटो वोल्टिक संयंत्रों की स्थापना तथा 40 मौजूदा एसपीवी की बैटरी को बदलने का कार्य कर लिया गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा, शैक्षिक संस्थानों (कॉलेजों और स्कूलों) के लिए ई–बसों की खरीद पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 10 ई–कारें तथा 10 ई–बसें खरीदी गई हैं और 9 अतिरिक्त ई–बसें भी खरीदी जा रही हैं।

14.75 नुब्रा, चांगथांग और जांस्कर के ऑफ ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर, जहां ग्रिड से जोड़ने का काम चल रहा है, अन्य क्षेत्रों में ग्रिड से बिजली प्रदान करके सभी डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, फ्यांग, लेह में एसईसीआई द्वारा 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने पुगा, चांगथांग में भू–तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना (1–मेगावाट) शुरू की है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) लद्दाख में 80 किलोग्राम/दिन की उत्पादन क्षमता के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है और 05 बसों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन शुरू किया जाएगा।

14.76 बिजली क्षेत्र में कार्बन फूट प्रिंट को कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में, एनएचपीसी ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह और कारगिल के साथ लेह एवं कारगिल जिलों में 'पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज' के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि गतिशीलता, परिवहन, हीटिंग और माइक्रोग्रिड आदि में उसका उपयोग किया जा सके।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

14.77 जेजेएम के तहत, 42651 घरों के लक्ष्य की तुलना में, 30632 (71.82%) घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं। 42 गांवों को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से कवर किया गया है और 15 गांवों को "हर घर जल विलेज" के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत 981 स्कूलों में से, 854 (87%) स्कूलों

में पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा 944 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 882 (93.43%) आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

पर्यटन

14.78 पर्यटन विभाग ने अप्रैल, 2022 में "एप्रीकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल" मनाया। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, लेह में दिनांक 17.05.2022 से 18.05.2022 तक ओयो, दिल्ली के सहयोग से 275 होम स्टे मालिकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा, दिनांक 25.06.2022 को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल के करकमलों से होम स्टे नीति के तहत लाभार्थियों के बीच होम स्टे आइटम वितरित किए गए।

14.79 इस विभाग ने कारगिल में दिनांक 23.07.2022 से 24.07.2022 तक ख्री सुल्तांचो स्टेडियम कारगिल में लद्दाख उत्सव, समरह चिक्तन में दिनांक 17.07.2022 को पुरिगी–ए–रागास्टन (पुरिग उत्सव) 2022, पदुमजांस्कर में दिनांक 29.09.2022 से 30.09.2022 तक जांस्कर उत्सव 2022, दिनांक 08.10.2022 से 12.10.2022 तक द्रास उत्सव 2022 और दिनांक 13.10.2022 से 16.10.2022 तक लेह में लद्दाख उत्सव मनाया।

14.80 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, 756122 पर्यटक लद्दाख घूमने आए, जिसमें 23698 विदेशी पर्यटक और 732424 घरेलू पर्यटक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई–यू)

14.81 पीएमएवाई–यू के तहत, 943 घरों के स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में, 451 (47.82%) घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, 492 (52.17%) घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग

14.82 ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आजीविका आधार को बढ़ाने और उसका विस्तार करने के अलावा, मजदूरी पर रोजगार प्रदान करने, सतत विकास और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (पीएमएवाई–जी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) और राज्य क्षेत्र (कैपेक्स बजट) जैसी केंद्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

14.83 एसडीपी, राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा किया गया प्रमुख विकासात्मक बुनियादी ढाँचा निम्नानुसार है:

(i) राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 16 ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं ब्लैकटॉपिंग, 21 फुटपाथों की इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने, 34 सार्वजनिक पुस्तकालयों, 11 सार्वजनिक पार्कों और 02 सार्वजनिक सरायों के निर्माण का कार्य भौतिक रूप से पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में एसडीपी के अंतर्गत 53 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी), 8 बीडीओ/बीडीसी कार्यालयों, 09 पंचायत घरों, 31 सामुदायिक हॉलों/सभा केंद्रों, 03 पुस्तकालयों, 12 संपर्क सड़कों और 07 पैदल पुलों का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस योजना के तहत, 15.24 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिनमें से 9.57 लाख मानव दिवस महिला श्रम बल से हैं।

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इस योजना के अंतर्गत, आवास प्लस के तहत 478 घरों की जियो–टैगिंग पूरी कर ली गई है और 478 घरों के आवंटित लक्ष्य की तुलना में, 269 (56.27%) घरों का कार्य भौतिक रूप से पूरा कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

14.84 एसडीपी के तहत कारगिल में नवनिर्मित अस्पताल का कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 03.11.2022 को चालू हो गया है। जिला अस्पताल कारगिल को डिजिटल एक्स–रे और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन से लैस किया गया है। जिला अस्पताल लेह में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित की गई है। इसके अलावा, पांच मोबाइल चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं और लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 90 एमबीबीएस डॉक्टरों और 27 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है, जिनमें से 26 चिकित्सा अधिकारियों (एमबीबीएस) और 21 विशेषज्ञों/ सुपर–स्पेशलिस्टों को वर्ष 2022–23 के दौरान एनएचएम के तहत नियुक्त किया गया है।

14.85 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत, दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक 19056 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) (यूनीक हेल्थ आईडी) बनाए गए हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 2.95 लाख आबादी के लक्ष्य की तुलना में 3,02,327 एबीएचएएस सृजित किए गए हैं (100% के लक्ष्य को पार कर लिया है)। अप्रैल, 2022 से 31603 स्वास्थ्य रिकॉर्ड रोगियों के एबीएचए से जोड़े जा चुके हैं।

14.86 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में, 273 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एच एंड डब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में, एच एंड डब्ल्यूसी पोर्टल पर 262 एच एंड डब्ल्यूसी कार्य कर रहे हैं। अप्रैल, 2022 से 150 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को चालू कर दिया गया है। शेष चिकित्सा उप–केंद्रों को दिसंबर, 2022 तक एच एंड डब्ल्यूसी के रूप में चालू कर दिया जाएगा। दिनांक 01.04.2022 से, 149 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में 16105 टेली – परामर्श किए गए हैं।

14.87 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)/ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के तहत, 4396 लाभार्थियों ने अप्रैल, 2022 से लाभ प्राप्त किया है। देश भर में पीएमजेएवाई के पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करके इस योजना के तहत 4.38 करोड़ का बीमा कवर प्रदान किया गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने पीएमजेएवाई योजना के तहत अपनी लक्षित आबादी के 84% को कवर कर लिया है।

शिक्षा

14.88 स्कूल शिक्षा विभाग ने संस्थानों के प्रमुखों के लिए पाठ्यक्रम, स्कूल संबद्धता, री–इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम (एसएआरएएस) पोर्टल और ऑनलाइन संबद्ध स्कूल सूचना प्रणाली (ओएएसआईएस) पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। समग्र शिक्षा के तहत केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राज्य और जिला समन्वयकों के लिए प्रबंध पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओएस) आदि के सहयोग से शिक्षकों के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

14.89 संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और नई दिल्ली में 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता संग्रह (एनएलईपीसी) में प्रदर्शनी के लिए छात्रों की दो नवीन विज्ञान परियोजनाओं का चयन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लेह में "डेवलपमेंटल कॉन्क्लेव" का आयोजन किया।

14.90 इस विभाग ने स्कूल के छात्रों के बीच गतिविधि आधारित शिक्षा और नवीन सोच के लिए दो मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएँ, लेह एवं कारगिल जिलों में से प्रत्येक के लिए एक–एक, खरीदी हैं और छह स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की गई हैं। समग्र शिक्षा के तहत, दो मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नत किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

14.91 उच्चतर शिक्षा विभाग ने लद्दाख विश्वविद्यालय

और लद्दाख कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रथम लद्दाख शिक्षा मेला 2022 का आयोजन किया। शिक्षा मेले का उद्घाटन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया गया। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव लद्दाख, वन विभाग कारगिल और गैर–सरकारी संगठन– गो ग्रीन ज़ांस्कर और कनिष्क ज़ांस्कर के सहयोग से डिग्री कॉलेज, ज़ांस्कर द्वारा 25000 पौधों का एक मेगा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है।

14.92 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कारगिल में एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, डिग्री कॉलेज नुब्रा के लिए आंतरिक सड़क के मैकेडमाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, द्रास में सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की सुविधा के साथ दो स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं ।

कृषि

14.93 लद्दाख में जैविक खेती को बढ़ावा देने और लद्दाख को वर्ष 2025 तक जैविक बनाने के लिए, कृषि विभाग मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (एमओडीआई) कार्यान्वित कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, इस विभाग ने 90 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की हैं।

14.94 कृषि विभाग ने सर्दियों के दौरान बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए कृषक समुदाय के बीच लद्दाख ग्रीन हाउस के रूप में ज्ञात 201 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस वितरित किए हैं। क्षेत्र विस्तार के तहत इस विभाग द्वारा 13.5 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) के तहत लाया गया है।

बागवानी

14.95 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लद्दाख में खुबानी, सेब, अंगूर, अखरोट, बादाम आदि जैसे फल उगाए जा रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा फलदार पौधों के लिए 559 कनाल भूमि क्षेत्र विस्तार के तहत लायी गई है। बागवानी क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, 970 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं।

14.96 संरक्षित खेती के तहत, बेमौसमी फसलों/सब्जियों की खेती के लिए 50% सब्सिडी पर 555 ग्रीन हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए एकीकृत पोस्ट–हार्वेस्ट प्रबंधन के तहत 555 पैक हाउस और 85 संरक्षण इकाइयां प्रदान की गई हैं।

पशु और भेड़ पालन

14.97 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, 18680 टन दूध, 203.20 टन ऊन, 52.64 टन पश्मीना और 1658.66 टन मटन का उत्पादन हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, कारगिल जिले में तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। लद्दाख में "मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट" के संचालन और लद्दाख में डेयरी विकास के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन– लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

14.98 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (चरण–।।) के तहत, 100% मवेशियों और याक की आबादी को "पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क (आईएनएपीएच)" पोर्टल पर टैग और पंजीकृत किया गया है। चरण–।। में, 82914 मवेशियों/याकों को खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए टीका लगाया गया है और 4–8 महीने की उम्र की 5818 मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया गया है।

विद्युत विकास

14.99 लद्दाख विद्युत विकास विभाग ने नुब्रा, चांगथांग और जांस्कर के ऑफ–ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर सभी डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों को हटा दिया है। बिजली के लिए डीजी सेट चला रहे ज़ांस्कर और नुब्रा

को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, फ्यांग से डिस्किट, नुब्रा और द्रास से पदुमज़ांस्कर तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन को प्रधानमंत्री विकास पैकेज–2015 (पीएमडीपी) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग लद्दाख में स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट लगा रहा है, जो अवार्ड स्टेज पर है।

परिवहन विभाग

14.100 परिवहन विभाग ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए ई–वाहन नीति अधिसूचित की है । अब, लोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों (जैसे कि दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया) की खरीद पर 20–50% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोटर वाहन विभाग ने ''रेंट ए मोटर बाइक स्कीम'' के तहत रेंटल बाइक बिजनेस को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए 1177 प्राइवेट बाइक्स को कमर्शियल बाइक्स में परिवर्तित किया है।

नागरिक विमानन

14.101 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लेह और कारगिल दोनों जिलों में 37 हेलीपैड के निर्माण/उन्नयन तथा लेह और कारगिल में एक–एक हेलीकॉप्टर खड़ा करने के लिए दो हैंगरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सिंधु घाट, लेह में लगभग 26 हेलीपैड और एक हैंगर का कार्य पूरा हो चुका है।

14.102 "रियायती हेलीकॉप्टर सेवा" की योजना के तहत, पवन हंस लिमिटेड द्वारा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में दो हेलीकॉप्टर (एएस350 बी3 और एमआई–172) संचालित किए जा रहे हैं और इसके लिए बुकिंग ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

14.103 लगभग 934 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ उठाया है और 62 से अधिक रोगियों को हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया है।

शहरी विकास

14.104 शहरी विकास विभाग ने अधिकारियों, नगरपालिका समिति के निर्वाचित सदस्यों और अन्य शेयरधारकों के लिए जैव विविधता संरक्षण पर "संसिटाइजेशन–सह–परामर्श कार्यशाला" का आयोजन किया। विभाग ने लेह और कारगिल जिले में "पीएम–स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम–स्वनिधि) महोत्सव" और "यूनाइटेड इंडिया स्वच्छ कार्यक्रम" का आयोजन किया। गोविंदबल्लभ पंत 'राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान' (जीबी पंत–एनआईएचई) और लद्दाख पारिस्थितिक विकास समूह (एलईडीईजी) के सहयोग से दिनांक 22.05.2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव–विविधता दिवस मनाया गया । स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन का संचालन शुरू कर दिया गया है।

14.105 पीएम स्वनिधि योजना के तहत, प्रथम चरण में 351 स्ट्रीट वेंडर्स, द्वितीय चरण में 252 स्ट्रीट वेंडर्स तथा तृतीय चरण में 14 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

आईटी विभाग

14.106 आईटी विभाग ने मोटर गैराज लद्दाख के लिए "वाहन प्रबंधन प्रणाली (इन्वेंट्री सिस्टम)" विकसित की है और विभाग द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। विभाग की 14 सेवाएं यथा कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई), उद्योग और वाणिज्य तथा समाज कल्याण को "ई– सेवा लद्दाख पोर्टल" पर लाइव किया गया है और ये https://eseva.ladakh.gov.in/ladakheservices पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को "यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस (उमंग)" प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। अब, नागरिक उमंग प्लेटफॉर्म से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने, राशन कार्ड का विवरण देखने, राशन कार्ड का विवरण संशोधित करने और नई उचित मूल्य की दुकान जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आईटी विभाग ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 18.06.2022 को

डिजी लॉकर और उमंग प्लेटफॉर्म पर कार्यशाला का आयोजन किया है।

14.107 आईटी विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र में 100% आधार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में कई आधार नामांकन अभियान भी आयोजित किए हैं। इसके अलावा, विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लद्दाख में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के कवरेज के लिए आधार शिविरों का आयोजन किया।

युवा सेवाएं और खेल–कूद

14.108 युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा 180 खिलाड़ियों के लिए हैंडबॉल पर दो दिवसीय "प्रशिक्षण–सह–प्रतियोगिता कार्यक्रम" आयोजित किया गया। विभाग ने लद्दाख हैंडबॉल एसोसिएशन के सहयोग से दुरबुक ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में चार दिवसीय "कोचिंग शिविर–सह–प्रतिभा खोज शिविर" का आयोजन किया।

14.109 विभाग ने लेह और कारगिल में पहली लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भाला फेंक प्रतियोगिता, लेह में लद्दाख मैराथन 2022 के 9वें संस्करण, द्रास में एलजी पोलो कप के दूसरे संस्करण, 7वीं पारंपरिक मुख्य कार्यकारी पार्षद (सीईसी) तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022–23, शगरान चुचोट लेह में सीईसी पोलो टूर्नामेंट, प्रथम लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022–23, अंडर–19 बॉयज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट जैसे विभिन्न खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, रन फॉर यूनिटी, प्लॉग रन, शतरंज ओलंपियाड टार्च रिले का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 45 कैडेटों को नई दिल्ली भेजा गया। विभाग ने लद्दाख के तीरंदाजी संघ के सहयोग से पहली एलजी तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022–23 का आयोजन किया।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

14.110 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) नामक स्कीम के तहत, 18408.93 मीट्रिक टन (एमटी) खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की उठाई गई मात्रा की तुलना में, 18217.03 मीट्रिक टन (98.9%) खाद्यान्न मई 2021 से अक्टूबर 2022 तक 1.33 लाख (लगभग) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता प्राप्त घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएसएंडसीए), लद्दाख ने अगस्त, 2022 के महीने में "वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)" को सफलतापूर्वक लागू किया है। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रबंधन प्रणाली (आईएमपीडीएस) के तहत अंतर–राज्य पोर्टेबिलिटी के मुद्दे के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर 14445 चालू किया गया है। वर्ष 2022–23 में 292 प्रवासी मजदूरों ने "वन नेशन वन राशन कार्ड" के तहत लाभ प्राप्त किया है। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों का "मेरा राशन" एप पर पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है।

सहकारिता

14.111 इस विभाग ने रासायनिक खाद की खरीद में काफी कमी की है और आगामी फसल मौसम के दौरान आपूर्ति के लिए 19400 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की खरीद की है। आवश्यक वस्तुओं की खरीद और भंडारण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा आवश्यक वस्तुओं को ब्लॉक स्तरीय उपभोक्ता भंडारों में भंडारण के लिए बर्फीले क्षेत्रों में भेज दिया गया है। अगलिंग, लेह में पशुपालन विभाग का मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट स्थापित किया गया है और परीक्षण (ट्रायल रन) के लिए तैयार है। इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और एलएएचडीसी लेह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनडीडीबी, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक व्यापक डेयरी विकास योजना तैयार कर रहा है।

उद्योग और वाणिज्य

14.112 उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सुमूरनुब्रा में 01

हेक्टेयर भूमि पर मॉडल सीबकथॉर्न बगीचा विकसित किया है और सीबकथॉर्न के प्रचार के लिए निमो में 01 एकड़ भूमि पर मॉडल बगीचे में एक उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया गया है। सीबकथॉर्न की कटाई में तकनीकी पहल करने के लिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद– केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–सीएमईआरआई) ने कटाई के उपकरण विकसित किए हैं और ये उपकरण परीक्षण (ट्रायल रन) के लिए किसानों को प्रदान किए गए हैं। विभाग ने सीबकथॉर्न की जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैगिंग के लिए आवेदन किया है। विभाग ने दिनांक 31.10.2022 को 'ब्रांड लद्दाख' आउटलेट लॉन्च किया है और स्थानीय उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रचार एवं बिक्री के लिए आउटलेट्स में प्रदर्शित किया जाता है।

(i) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए 10.00 लाख रुपये तक का ऋण और विनिर्माण उद्यमों की स्थापना करने के लिए 25.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, चालू वित्तीय वर्ष में 192 मामलों के लक्ष्य की तुलना में, 109 मामले स्वीकृत किये गये हैं।

(ii) **वेवर मुद्रा स्कीम**: इस स्कीम के तहत, बैंकों को भेजे गए 95 मामलों में से, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 49 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(iii) **पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम**: इस स्कीम के तहत, लद्दाख को 33 मामलों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 18 मामलों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, छोटे उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 151 सदस्यों को 36,93,000 रुपये की दर से सीड कैपिटल मंजूर की गई है। इस स्कीम के तहत, 46 उद्यमियों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओएस)/एसएचजी) को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), सोनीपत तथा हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर के परिसरों में खाद्य प्रसंस्करण की नई और उन्नत तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

हस्तशिल्प और हथकरघा

14.113 हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने अंतिम उत्पादों के प्रशिक्षण और विपणन के लिए लद्दाख में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के साथ भी सहयोग किया गया है, जिसके साथ चमड़ा उत्पाद में नए कौशल प्रशिक्षण के सृजन के लिए क्षमता निर्माण की विभिन्न पहल की गई हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से लेह में आईटी सक्षम इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने रंगाई कार्यशालाओं का आयोजन करने और हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) के साथ भी सहयोग किया।

14.114 हथकरघा विकास विभाग बुनकरों को आधुनिक करघे प्रदान करके, डिजाइन और बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल में वृद्धि, विपणन प्रोत्साहनों के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग और

अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तरीय हथकरघा एक्सपो और मेलों में बुनकरों की भागीदारी के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने का कार्य कर रहा है। लद्दाख के उत्पादों को दुबई एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। पश्मीना पर काम कर रहे दो उद्यमियों ने दुबई एक्सपो में लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, पिछले 2 वर्षों से दिल्ली हाट में हथकरघा और हस्तशिल्प एक्सपो में क्षेत्र के लगभग अस्सी कारीगर, शिल्पकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। लद्दाख ने पश्मीना, सीबकथॉर्न और खुबानी जैसे क्षेत्र के जीआई वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में इंडिया जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) मेले में भी भाग लिया। दिल्ली में खिलौना मेले में लद्दाख के कई अन्य उत्पाद जैसे कि क्रोशिया के खिलौने, ऊन से बने पशु खिलौने आदि भी प्रदर्शित किए गए।

समाज कल्याण

14.115 विभाग ने सितंबर, 2022 में पोषण माह मनाया, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और बच्चों की लम्बाई एवं वजन के माप पर ध्यान केंद्रित किया गया। समाज एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत जिला स्तर पर ''सक्षम आंगनवाड़ी पोषण पंचायत एवं पोषण वाटिका'' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा, पंचायत हलकों पर प्रत्येक बुधवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और शिविर के दौरान विकास (ग्रोथ) की मॉनिटरिंग एवं एनीमिया की जांच की जा रही है। समाज एवं जनजाति कल्याण विभाग ने गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के तहत बच्चों के वजन की माप पर विशेष अभियान चलाया। विभाग ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, चंडीगढ़ में 90 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम आंगनवाड़ी का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

कौशल विकास

14.116 लद्दाख कौशल विकास मिशन ने"ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल" के सहयोग से "सहायक हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट" में तीन महीने की अवधि के अल्पावधि प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पंद्रह प्रशिक्षार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और सफल प्रशिक्षार्थियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "स्टार्ट अप किट" प्रदान की गई। इसके अलावा, लद्दाख कौशल विकास मिशन ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के सहयोग से लेह और कारगिल जिले में 'वॉयस ओवर एंड डबिंग' में अल्पावधि प्रशिक्षण आयोजित किया और 40 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया।

14.117 इसके अलावा, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की गई है और टाटा मोटर्स वर्कशॉप श्रीनगर में प्रशिक्षार्थियों (आईटीआई, लेह और कारगिल प्रत्येक से 06) के लिए एक सप्ताह का "ऑन जॉब" प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

लोक निर्माण (आर एंड बी और मैकेनिकल)

14.118 लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग, लद्दाख ने वर्ष 2022–23 के दौरान एसडीपी, स्टेट कैपेक्स, सीआरआईएफ और पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत 141.38 किमी. सड़कों का निर्माण किया है और 188.65 किमी. सड़कों को पक्का (ब्लैक टॉप) किया है।

*****

अध्याय - 15

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एवं सीसीआई)

15.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके क्षेत्रीय निदेशालय 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के मुख्यालय के लिए जनगणना भवन नाम से 2ए, मान सिंह रोड, नई दिल्ली में नया कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय भवन की आधारशिला 23.09.2019 को रखी थी। वर्तमान में कार्यालय एनडीसीसी–II भवन से कार्य कर रहा है।

15.2 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैः–

(i) **मकानों तथा जनसंख्या की गणनाः** भारत के जनगणना आयुक्त एक सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय और पर्यवेक्षण कराने; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के संकलन, सारणीकरण, और प्रसार के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी है।

(ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। इस भूमिका में, वह देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करता है ।

(iii) **सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस):** अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे अर्थात सैम्पल पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली 2003, में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, देश में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है।

(v) **मातृभाषा सर्वेक्षणः** यह परियोजना मातृभाषा का सर्वेक्षण करती है, जोकि दो और अधिक जनगणना दशकों में लगातार पायी जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम चयनित मातृ भाषाओं के भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ बनाता है।

(vi) **आंतरिक वित्त प्रभागः** आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफयू) जिसे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के "वित्त अनुभाग" के रूप में जाना जाता है, को भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (डीसीओ) के वित्तीय प्रस्तावों की जांच करने के लिए बनाया गया है। यह गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा नियुक्त आंतरिक वित्त सलाहाकार (आईएफए) के तहत गृह मंत्रालय में यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के कड़े अनुपालन के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

जनसंख्या की गणना

15.3 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी। आगामी जनगणना 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना है। वर्ष 2021 के दौरान जनगणना कराने की मंशा भारत के राजपत्र में मार्च, 2019 में अधिसूचित की जा चुकी है।

15.4 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय कार्रवाई है। पिछली जनगणनाओं की तरह, जनगणना 2021 दो चरणों में की जानी थी, अर्थात (क) अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या की गणना, के साथ 1 मार्च से 5 मार्च, 2021 तक संशोधित दौर। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना एवं मकानसूचीकरण प्रश्नावली के संचालन की अवधि से संबंधित अधिसूचनाए भी अधिसूचित की गईं। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और अन्य संबंधित फील्ड गतिविधियों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

15.5 मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना (द्वितीय चरण) के लिए स्पष्ट ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा, मकानों की स्थिति, परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाओं और उनके पास मौजूद परिसंपत्तियों पर बहुत उपयोगी डाटा प्रदान करेगा। दूसरे चरण में, व्यक्तियों के विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक मापदण्डों के साथ प्रवासन और प्रजनन विशेषताओं के आंकड़े एकत्र किए जाने है।

15.6 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर प्रसंस्करण करना हमेशा से ही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से प्रसंस्करण और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आई टी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक परिवर्तनशील रहा। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, पिछली दो जनगणनाओं 2001 और 2011 में इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए। आगामी जनगणना हेतु, जनगणना आंकड़ो के त्वरित प्रसंस्करण और शीघ्र जारी करने के लिए कुछ नई पहल की गई हैं।

15.7 भारत में दशकीय जनगणना करना एक विशाल कार्य है। इसलिए, आगामी जनगणना के लिए विभिन्न प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

(i) जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ संकलित किया जा चुका है और आगामी जनगणना के लिए घोषित निर्धारित तिथि अर्थात 31.12.2019 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप और जनगणना गतिविधियों के स्थगन के कारण, सीमाओं को स्थिर करने की तारीख अब 30.06.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पिछली जनगणनाओं की प्रश्नावली की समीक्षा और उसे अगली जनगणना हेतु अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है।

(iii) जनगणना की स्थगित अवधि के दौरान स्मार्ट फोन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विकसित किए गए आंतरिक मोबाइल ऐप का कड़ाई से परीक्षण किया गया है और ज़रूरी अपडेट तथा सुधार किए गए हैं।

(iv) जनगणना संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु विकसित जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल को और

भी अतिरिक्त कार्यक्षमताओं के साथ उन्नत किया गया है।

(v) जनगणना प्रश्नों (i) मुखिया से संबंध (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (iii) मातृ भाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ, (iv) व्यवसाय, (v) उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति और (vi) जन्म स्थान/अंतिम निवास स्थान, पर वर्णनात्मक उत्तरों को रोकने के लिए, एक 'कोड निर्देशिका" बनाई गई है जिससे कि प्रगणक फील्ड में आंकड़ो को कोडीकृत कर सके, परिणामस्वरूप आंकड़े शीघ्र प्रसंस्कृत और जारी होंगे।

(vi) आगामी जनगणना से संबंधित विभिन्न मदों/मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में विषय के विशेषज्ञ, जनसांख्यिकी, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि को शामिल करके एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया है। टीएसी और "जनगणना प्रश्नावली का विकास" और 'अगली जनगणना में प्रौद्योगिकी का उपयोग' पर गठित टीएसी की उप–समितियां प्रश्नावली और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने के लिए कई बार बैठक कर चुकी हैं।

(vii) आगामी जनगणना के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति, प्रस्तावित प्रश्नावली और सारणीकरण से संबंधित गहन विचार–विमर्श संबंधी मुख्य कार्यसूची के साथ अप्रैल, 2019 में एक आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन (डाटा यूजर सम्मेलन) आयोजित किया गया।

(viii) आंतरिक विकसित मोबाइल ऐप, सीएमएमएस पोर्टल, कार्यपद्धति और आगामी जनगणना के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली की जांच के लिए अगस्त–सितंबर, 2019 में पूर्व–परीक्षण किया गया।

(ix) डेटा संग्रह की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जनगणना दस्तावेजों/मोबाइल ऐप का जनगणना में प्रयुक्त सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(x) मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रारूप सारणीकरण योजना तैयार कर ली गई है और जनसंख्या गणना के लिए तैयारी की जा रही है।

15.8 अगली जनगणना हेतु जनगणना आंकड़ो को शीघ्र जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न नए कदम अपनाए जा रहे हैं:

(i) डिजिटल आंकड़ो का एकत्रीकरण: आगामी जनगणना में डेटा संग्रह डिजिटल रूप से किया जाएगा। प्रगणक अपने स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए, मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ो को एकत्रित और जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कनेक्टिविटी की समस्या होने पर कागज अनुसूची का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जनगणना के दोनों चरणों अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या गणना के दौरान स्व–गणना के लिए ऑनलाइन विकल्प रखने की भी योजना है।

(ii) आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रगणकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

(iii) सीएमएमएस पोर्टल को जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा जैसे कि जनगणना कार्यकर्ताओं सहित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और कार्य के आबंटन, जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक प्रगणक द्वारा फील्ड में कार्य की प्रगति, कुछ जनगणना रिकार्ड/सार का ऑटो–जेनेरेशन, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता/मानदेय के भुगतान हेतु प्रसंस्करण आदि।

(iv) फील्ड में वर्णनात्मक उत्तरों को कोडीकृत करने के लिए प्रगणकों द्वारा एक कोड निर्देशिका का प्रयोग किया जाएगा जोकि जनगणना आंकड़ों को जारी करने के लिए समय सीमा को कम करेगा;

(v) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित जनगणना अधिकारियों के

बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान का ऑनलाइन हस्तांतरण होगा।

(vi) जनगणना – एक – सेवा के रूप में (सीएएएस) आम जनता को प्रश्न–आधारित आंकड़ा पुनःप्राप्ति हेतु एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (एपीआई) और आसानी से वैबसाइट से डाउनलोड करने योग्य फारमेट में आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों की मांग पर साफसुथरा, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध करेगी।

15.9 केंद्र सरकार ने भारत की आगामी जनगणना के कार्य हेतु पहले ही 8754.23 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन कर दिया है।

भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अगली जनगणना के लिए मानचित्रण समाधानः

15.10 उन्नत भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनगणना कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में कई नई पहल की गई हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों, उप–जिलों, गाँवों, नगरों और नगरों के अंदर वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, वेब आधारित इंटरेक्टिव मानचित्रों के माध्यम से जनगणना परिणामों के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। इन पहलों में से कुछ इस प्रकार हैंः

(i) त्वरित और कुशल तरीके से जनगणना मानचित्रण गतिविधियों को पूरा करने के लिए मौजूदा डेस्कटॉप जीआईएस सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करणों में अपग्रेड किया गया है और नए–मॉड्यूल खरीदे गए हैं और नवीनतम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी मानचित्रण कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ii) जनगणना 2011 के पश्चात 31.12.2019 तक हुए क्षेत्राधिकार संबंधित परिवर्तनों को भू–संदर्भित डाटाबेस में अद्यतन किया जा चुका है और आगे अपडेशन करना जारी है चूंकि स्थिरता तारीख को बढ़ा दिया गया है।

(iii) जनगणना कार्यकर्ताओं के लिए 6 लाख से अधिक मानचित्र (जिला / उप–जिला / ग्राम स्तर) तैयार किए गए है और सीएमएमएस पोर्टल में अपलोड किए जा रहे हैं और इन्हें 31.12.2022 तक हुए क्षेत्राधिकार के परिवर्तनों के अनुसार आगे अद्यतन और अंतिम रूप दिया जाएगा।

(iv) पहली बार, देश में आगामी जनगणना के सभी गणना ब्लाकों के भू–संदर्भीकरण के लिए मकानसूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) मोबाइल मानचित्रण ऐप शुरू किया गया है और राष्ट्रीय एवं मास्टर प्रशिक्षकों को इस पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(v) मानचित्रण ऐप के उपयोग पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है।

(vi) जनगणना के कवरेज की जाँच करने के लिए, देश भर में फैले बिल्ट–अप एरिया (बीयूए) को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीयूए परत का उपयोग मोबाइल मानचित्रण ऐप डेटा (फ़ील्ड से प्राप्त करने के लिए) के साथ तुलना करने के लिए किया जाएगा, जिससे बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

15.11 भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) परियोजना को 576 मातृभाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है ।

15.12 प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने और विश्लेषण करने के लिए, यह योजना है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) पर एक वेब–अभिलेखागार स्थापित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु आंतरिक भाषाविदों द्वारा भाषाई आंकड़े के उचित प्रकार से सम्पादन का कार्य प्रगति पर है।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

15.13 छठी पंचवर्षीय योजना से ओआरजी एवं सीसीआई में भारत का भाषाई सर्वेक्षण एक नियमित अनुसंधान गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पिछले प्रकाशन की निरंतरता में, वर्ष के दौरान एलएसआई–झारखंड के खंड को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं एलएसआई–हिमाचल प्रदेश पूरा होने के करीब है। एलएसआई–तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का फील्ड कार्य चल रहा है।

एमटीएसआई आंकड़ों का प्रलेखन और संरक्षण

15.14 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) सर्वेक्षित मातृ भाषायी आंकड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें दृश्य–श्रृव्य माध्यम में संरक्षित करने में सराहनीय योगदान प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में, संग्रहीत करने की दृष्टि से एनआईसी के सर्वर पर मातृभाषाओं के वीडियो–ग्राफ्ड स्पीच आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं।

आंकड़ा प्रसार

15.15 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इसी प्रयोजन से, यह कार्यालय जनगणना से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर–कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी डाटा की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

15.16 निःशुल्क डाउनलोड के लिए ये डाटासेट आधिकारिक वेबसाइट https://www.censusindia.gov.in पर जारी किए जाते हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

15.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख अभिनव कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो–आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से पिछली दो जनगणनाओं के सैम्पल माइक्रो–आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में 21 भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जनगणना वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं।

15.18 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से पूर्ण हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। इन वर्कस्टेशन में 1991 से 2011 जनगणना तक प्रकाशित सभी सारणियाँ सॉफ्ट प्रति फ़ारमैट में, जनगणना 2011 हेतु जनसंख्या गणना(सीमित पैमाने) पर और जनगणना 2001 और 2011 से संबन्धित मकानसूचीकरण के सूक्ष्म सैम्पल आंकड़े (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और राज्य/संघ क्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। अनुसंधानकर्ता को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांख्यिकी पैकेज (एसपीएसएस) और सांख्यिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

15.19 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को स्कैन तथा अपलोड किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.20 भारत में वर्ष 1872 से दशकीय जनगणना कार्य नियमित रूप से किये जा रहे हैं। इतने विशाल और वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः सिंफोनिका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ़) तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है। वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त और अन्य देशों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाने वाली कुछ महत्वपूर्ण आयोजनों का नीचे उल्लेख किया गया है:

क) दिनांक 22 और 25 अगस्त, 2022 को ईएससीएपी, बैंकॉक, थाईलैंड द्वारा सांख्यिकीविदों के लिए डेटा गवर्नेंस पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती शरणदीप कौर बराड़, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, पंजाब और इस कार्यालय से श्रीमती आरती शर्मा, सहायक निदेशक ने भाग लिया। इस भागीदारी को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ख) दिनांक 29 नवंबर से 01 दिसंबर, 2022 के दौरान टोक्यो, जापान में एसोसिएशन ऑफ नेशनल सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टर्स ऑफ अमेरिका, एशिया एंड द पैसिफिक (एएनसीएसडीएपी) द्वारा आयोजित 31वें जनसंख्या जनगणना सम्मेलन में इस कार्यालय से श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, श्री पोलामुरी बाला किरण, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, (आंध्र प्रदेश), श्री वदुगुरु वीएलएन शर्मा, उप महारजिस्ट्रार और श्रीमती वंदना बिष्ट, सहायक निदेशक ने भाग लिया। इस बैठक में अधिकारियों की भागीदारी का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

आंतरिक प्रशिक्षण

15.21 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की प्रशिक्षण नीति (ओटीपी) प्रकाशित की गई। तदनुसार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कार्मिकों को इनडक्शन/प्रौन्नति/सेवाकालीन/विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है।

15.22 इस कार्यालय की मंशा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस मंशा के साथ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए के माध्यम से सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय/जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई।

15.23 अप्रैल–दिसंबर, 2022 के दौरान लगभग 600 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमोशनल/ इन–सर्विस/विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया है।

15.24 भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की संगोष्ठी व्याख्यान श्रृंखला के एक भाग के रूप में, अप्रैल–नवंबर, 2022 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित विषयों जैसे जनसांख्यिकी/सामाजिक–आर्थिक मुद्दों/शहरीकरण और प्रवासन/आवास की स्थिति/सतत विकास/सूचना प्रौद्योगिकी/प्रबंधन/नक्शानवीस /अन्य देशों में जनगणना/सामान्य स्वास्थ्य आदि पर विशिष्ट विशेषज्ञों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा 5 संगोष्ठी व्याख्यान आयोजित किए गए।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

15.25 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य

सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में भारत के महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सामान्य निदेश/दिशानिर्देश भी जारी करते हैं।

15.26 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश में जन्म पंजीकरण की संख्या 2011 में 2.18 करोड़ से बढ़कर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई है। दूसरी ओर, मृत्यु पंजीकरण की संख्या 2011 में 56.4 लाख से बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई है।

निर्धारित समय–सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

15.27 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधियां निम्नानुसार हैं: i) निर्धारित समय–सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद पर 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद पर 1 वर्ष के भीतर और iv) 1 वर्ष के बाद। वर्ष 2020 के दौरान, जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर किए गए पंजीकरण संबंधी जन्म और मृत्यु के आंकड़े 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। महाराष्ट्र, सिक्किम और दिल्ली ने पंजीकरण के समय अंतराल पर आंशिक डेटा प्रदान किया है और इसलिए डेटा को समेकित करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है।

15.28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2020 में निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण: निर्धारित समय-सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (प्रतिशत में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	
	जन्म	मृत्यु
90 प्रतिशत से अधिक	गुजरात, पुडुचेरी, तमिलनाडु, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मिजोरम, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, (15)	पंजाब, चंडीगढ़, मिजोरम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात (11)
80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर	छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश (2)	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ओडिशा, गोवा, लक्षद्वीप, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश (7)
50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर	त्रिपुरा, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, जम्मू और कश्मीर (9)	बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, तेलगाना, केरल, झारखंड (7)
50 प्रतिशत से कम या बराबर	उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड (7)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश (8)

15.29 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल जन्म का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय–सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80% से अधिक पर 90% से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 9 राज्य 50% से अधिक पर 80 % से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 7 राज्य 50% से कम या बराबर की श्रेणी में हैं।

15.30 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में, उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80% से अधिक पर 90% से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 7 राज्य 50% से अधिक पर 80% से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 8 राज्य 50% से कम या बराबर की श्रेणी के अंतर्गत हैं।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) में सुधार

15.31 **सीआरएस ओआरजीआई पोर्टल में सुधार:** हालांकि सीआरएस प्रणाली देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से काम कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति का लाभ प्राप्तकर जनता को त्वरित सेवा प्रदान कराने के संबध में इसे और अधिक कुशल और सदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा सीआरएस ओआरजीआई पोर्टल को नया रूप देने और देश की नागरिक पंजीकरण प्रणाली में एक आईटी सक्षम साधन के माध्यम से परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है, जिससे वास्तविक समय के आधार पर न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस के साथ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जा सके। परिवर्तन प्रक्रिया वितरण बिंदुओं को स्वचालित करने के संदर्भ में होंगे ताकि सेवा वितरण समयबद्ध, एक समान हो और भेदभाव रहित हो। ये परिवर्तन स्थाई, मापन योग्य तथा स्थान की सीमाओं से परे होंगे। यह परियोजना स्वरूपतः मॉड्युलर होगी जिसमें परिवर्तन के रोडमैप की संकल्पना, कार्यान्वयन सहित आईटी अनुप्रयोग का विकास, क्षमता निर्माण और रखरखाव शामिल होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 में संशोधन

15.32 आरबीडी अधिनियम लगभग 50 वर्ष पुराना है और इस अवधि के दौरान अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया। हालांकि, विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वर्ष 1970 में बनाए गए अधिनियम के कार्यान्वयन के नियमों को संशोधित किया गया है और वर्ष 2000 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा मॉडल नियमावली–1999 का एक सेट जारी किया गया। वर्तमान में, परिवर्तन और पिछले पचास वर्षों के दौरान समाज में नए विकास को समायोजित करने के लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए समसामयिक परिवर्तन लाने और पूरे भारत में पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने मौजूदा आरबीडी अधिनियम, 1969 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

15.33 मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत उपलब्ध करवाती है जोकि जन–स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए आवश्यक है। आवश्यक डाटा निर्धारित प्रपत्र में एकत्र किया जाता है (अस्पताल में होने वाली मृत्यु के लिए फॉर्म 4 और गैर–संस्थागत मृत्यु के लिए फॉर्म 4क)। यह प्रपत्र उन चिकित्सकों द्वारा भरा जाता है जो मृतक की चिकित्सा उसकी मृत्यु से पहले की बीमारी के समय कर रहे होते हैं। तत्पश्चात् इन भरे हुए प्रपत्रों को संबंधित जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को भेजा जाता है ताकि सारणीकरण हेतु इसे रजिस्ट्रार द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय को अग्रेषित किया जा सकें। मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण के आंकड़े राष्ट्रीय सूची (आईसीडी–10, जोकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किए गए है) के अनुसार सारणीबद्ध किए जाते हैं। एमसीसीडी 2020 रिपोर्ट भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है तथा एमसीसीडी 2021 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

15.34 वर्ष 2020 की "मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण" रिपोर्ट के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल पंजीकृत हुए 80,62,070 मृत्यु में से 18,11,688 मृत्यु (11,60,119 पुरुष और 6,51,569 महिला) का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है। राष्ट्रीय स्तर पर (34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचनानुसार) कुल पंजीकृत मृत्यु में से 22.5% पंजीकृत मृत्यु के कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है जबकि यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर 54.6% हो जाता है (32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों सहित) यदि मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण को अंतिम बीमारी के समय मृतक को प्राप्त किसी भी प्रकार की चिकित्सा देखभाल के साथ देखते है। कुल पंजीकृत मृत्यु की तुलना में चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मृत्यु का राज्य–वार प्रतिशत निम्नानुसार दर्शाया गया है:

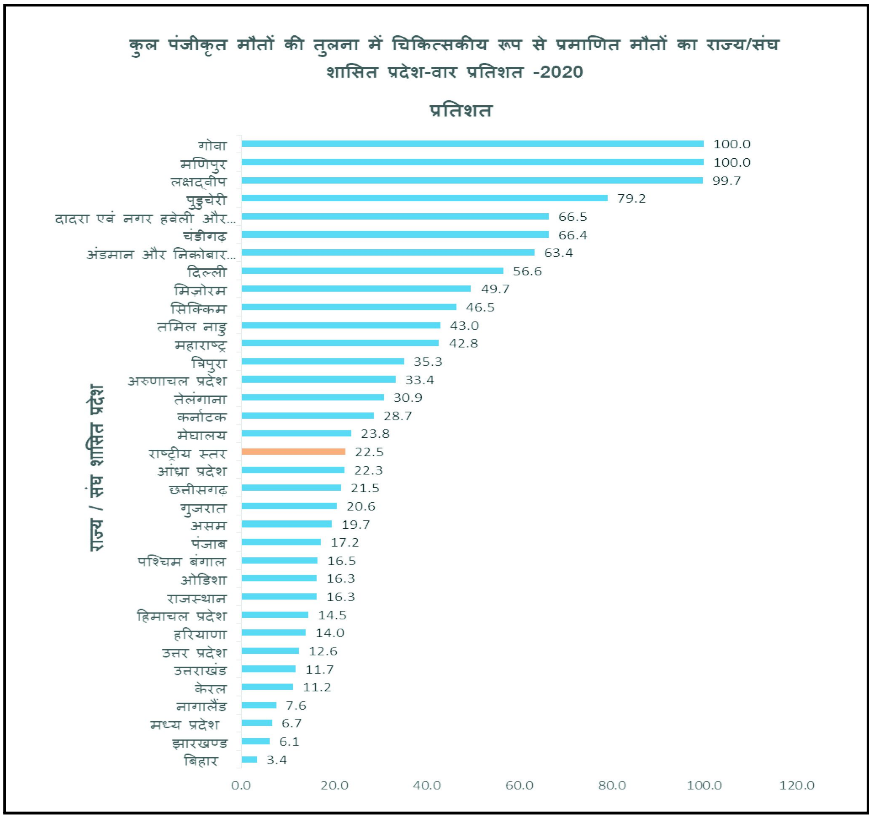

15.35 मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाणीकरण की स्थिति राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों मे अलग–अलग स्तर पर हैं। फिर भी, इस रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सकीय प्रमाणित मृत्यु के कारण तथा एवं उसकी गंभीरता पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला जा सकता है। एमसीसीडी की प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं सभी चिकित्सा संस्थानों को एमसीसीडी प्रणाली के तहत कवर करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय एवं राज्यों द्वारा सतत कदम उठाए जा रहे हैं।

सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

15.36 राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आंकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष

1969–70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जीवनांक दरों में परिवर्तनों की निगरानी करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में तात्कालिक एसआरएस सैंपल में 8841 इकाइयां (4958 ग्रामीण और 3883 शहरी) हैं। यह 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी हैं । सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रूप से एसआरएस बुलेटिन, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका निकाली जाती है।

15.37 वर्ष 2020 के संबंध में, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन 2020 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से जारी कर दिए गए हैं। अनुमान **अनुलग्नक–XVIII** में दिए गए हैं। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

(i) अखिल भारतीय स्तर पर अशोधित जन्म दर (सीबीआर) प्रति 1000 जनसंख्या के लिए 19.5 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 21.1 और शहरी क्षेत्रों के लिए 16.1 है। बड़े राज्यों में सीबीआर केरल में सबसे कम (13.2) और बिहार में सबसे अधिक (25.5) है।

(ii) अखिल भारतीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) प्रति 1000 जनसंख्या के लिए 6.0 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.4 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5. 1 है। बड़े राज्यों में, दिल्ली में सबसे कम (3.6) और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (7.9) दर्ज हुआ है।

(iii) नवजात (<एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) अखिल भारत के लिए प्रति 1000 जीवित जन्म के लिए 28 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 31 और शहरी क्षेत्रों के लिए 19 है। बड़े राज्यों में, केरल में सबसे कम (6) दर्ज हुआ है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (43) नवजात मृत्यु दर दर्ज हुआ है।

15.38 निम्नलिखित ग्राफ 1971 से 2020 तक भारत की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को दर्शाता है।

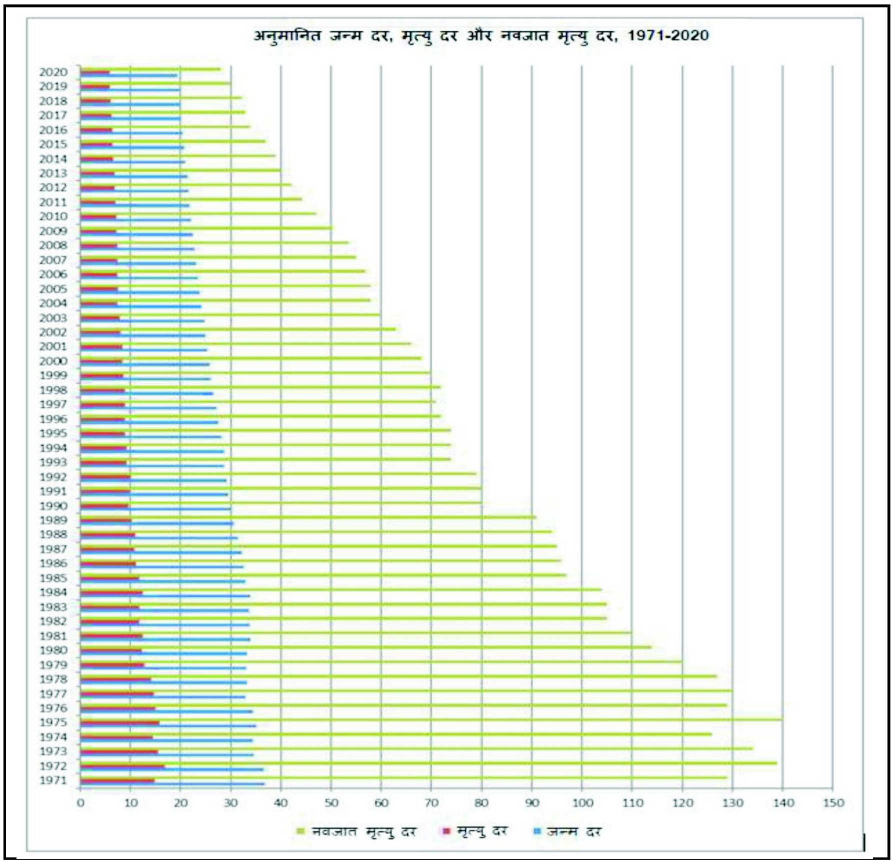

15.39 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट–2020 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर(यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर(टीएफ़आर) दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पाई गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

- देश के लिए यू5एमआर में 2019 की तुलना में 3 अंकों (2019 में 35 के मुकाबले 2020 में 32) की गिरावट दिखाई है।
- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2017–19 के 904 की तुलना में 2018–20 में 907 होने का अनुमान लगाया गया है।
- देश के लिए कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2019 में 2.1 से घटकर 2020 में 2.0 हो गई है। 2020 के दौरान, बिहार ने सबसे अधिक टीएफआर (3.0) जबकि दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम टीएफआर (1.4) की सूचना दी है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात 2.1, 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किया गया है अर्थात दिल्ली (1.4), तमिलनाडु (1.4), पश्चिम बंगाल (1.4), आंध्र प्रदेश (1.5), हिमाचल प्रदेश (1.5), जम्मू और कश्मीर (1.5), केरल (1.5), महाराष्ट्र (1.5), पंजाब (1.5), तेलंगाना (1.5), कर्नाटक (1.6), ओडिशा (1.8), उत्तराखंड (1.8), गुजरात (2.0), हरियाणा (2.0) और असम (2.1)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (2.2 की टीएफआर वाली) का टीएफआर एक शहरी महिला (1.6 की टीएफआर वाली) से अधिक है।

15.40 सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत 2018–2020 के लिए भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2017–2019 में 103 से घटकर 2018–2020 में 97 हो गया है।

15.41 वर्ष 2016–20 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिकाएं भी जारी की गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के लिए लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा **अनुलग्नक–XIX** में दी गई है। पिछले चार दशकों के दौरान 20.3 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.0 वर्ष है जन्म के समय पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.6 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 71.4 वर्ष है। बड़े राज्यों में, जीवन प्रत्याशा दिल्ली में सबसे अधिक (75.8 वर्ष) और छत्तीसगढ़ में सबसे कम (65.1 वर्ष) है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.6 वर्ष है, जो पुरुषों के लिए 67.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 70.1 वर्ष है। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 73.2 वर्ष है, पुरुषों के लिए 71.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 74.5 वर्ष है।

15.42 भारत में मृत्यु के कारणों पर रिपोर्ट 2016–2018 जारी की गई है। कुल मिलाकर अ–संक्रामक रोग देश में मृत्यु का प्रमुख कारण हैं, जो सभी मृत्यु का 54.5% अनुपात है। संचारी, मातृ, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियाँ जो इसके बाद मृत्यु का प्रमुख कारण है, मृत्यु के अन्य 22 % अनुपात का गठन करती हैं। संक्रामक रोगों और चोटों के लिए कुल मृत्यु में पुरुषों की मृत्यु का अनुपात अधिक है जबकि लक्षणों, संकेतों और खराब परिभाषित स्थितियों और संक्रामक, मातृ, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियों के लिए ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए लिंग के आधार पर महिला मृत्यु का अनुपात पुरुष मृत्यु की तुलना में अधिक है। वर्ष 2016–2018 के लिए भारत में मृत्यु के शीर्ष 10 कारण **अनुलग्नक–XX** में दिए गए हैं। कुल मिलाकर, मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय रोग (28.0) है, जिसके बाद श्वसन रोग (7.3) हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

15.43 सरकार ने देश में 2010 में सभी "सामान्य निवासियों" की विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हुए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार किया है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। 2015 में, कुछ मदों जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं स्थान, निवास स्थान और पिता के और माता के नाम को अद्यतित

किया गया था और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड संख्या एकत्रित किए गए थे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण बदलावों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अद्यतित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने असम राज्य को छोड़कर पूरे देश में जनगणना 2021 की मकानसूचीकरण चरण के साथ अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सुविधानुसार, एनपीआर डाटाबेस को अद्यतन करने का निर्णय लिया। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, एनपीआर अद्यतनीकरण का कार्य और अन्य संबंधित फील्ड कार्यों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एनपीआर डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए तीन माध्यमों को अपनाया जाएगा। जिसमें शामिल होगा (i) स्वयं से अद्यतनीकरण, जिसमें निवासियों को अपने स्वयं के डाटा फील्ड को कुछ प्रामाणिक प्रोटोकॉल का पालन कर वेब पोर्टल में अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, (ii) एनपीआर आंकड़ो का कागज फ़ारमैट में अद्यतनीकरण और (iii) मोबाइल मोड। जनगणना के पूर्व–परीक्षण के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित क्षेत्रों में एनपीआर अद्यतनीकरण पर पूर्व–परीक्षण किया गया था। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को एनपीआर के अपडेशन कार्य के दौरान एकत्रित/अद्यतित किया जाना है। अद्यतनीकरण के दौरान कोई दस्तावेज़ या बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किए जाएंगे।

15.44 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 3941.35 करोड़ रूपए के व्यय को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतनीकरण

15.45 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), असम में शामिल किए गए और शामिल नहीं किए गए लोगों की अनुपूरक सूची दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित की जा चुकी है। अंतिम एनआरसी में शामिल होने के लिए कुल 3,11,21,004 व्यक्ति योग्य पाए गए और 19,06,657 व्यक्ति अयोग्य पाए गए।

*****

अध्याय - 16
केंद्र-राज्य संबंध और अन्य विविध विषय

भाग–I: केंद्र–राज्य संबंध

अंतर–राज्य परिषद (आईएससी)

16.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक इकाइयों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) का गठन वर्ष 1990 में दिनांक 28.05.1990 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किया गया था।

16.2 अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने का कार्य सौंपा गया है, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं तथा उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार–विमर्श करती है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाये जाते हैं।

16.3 माननीय प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से कैबिनेट रैंक के छह मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर केंद्र सरकार में अन्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जिनके प्रभार के तहत किसी विषय से संबंधित किसी मद पर चर्चा की जानी हो। आईएससी का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19.05.2022 को किया गया था।

16.4 अंतर–राज्य परिषद सचिवालय आईएससी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और "की गई कार्रवाई" की रिपोर्ट स्थायी समिति/आईएससी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंतर–राज्य परिषद की बैठकें

16.5 अब तक, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतर–राज्य परिषद की 11वीं बैठक 16 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। परिषद की बैठकें कैमरे के समक्ष आयोजित की जाती हैं और सभी मामलों, जो परिषद के समक्ष विचारार्थ लाए जाते हैं, पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा सर्वसम्मति के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति

16.6 परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई करने के लिए वर्ष 1996 में अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और आठ मुख्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति की इसके गठन के समय से लेकर अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19.05.2022 को किया गया था।

क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

16.7 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय के रूप में गठित हैं, जिनका गठन अंतर–राज्य एवं क्षेत्रीय मुद्दों का

समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से दो सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर बैठकों से जुड़े होते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के लिए क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक वर्ष 1957 में आयोजित की गई थी।

16.8 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है, जिनमें संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने हेतु स्थायी समितियों की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं। स्थायी समिति के स्तर पर अनसुलझे मदों पर क्षेत्रीय परिषद में विचार–विमर्श किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के लिए स्थायी समिति की पहली बैठक वर्ष 1981 में आयोजित की गई थी।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

16.9 क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकें साल भर आयोजित की जाती हैं और इसके लिए उच्च स्तर पर गहन समन्वय की आवश्यकता होती है। मदों की पहचान करने, कार्यसूची में शामिल करने के लिए उनकी जांच करने, संबंधित राज्यों/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने, बैठकों के दौरान चर्चा के संचालन और उसके बाद निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सचिवालय को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है। क्षेत्रीय परिषद और स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक से पहले सचिवालय द्वारा हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ कई तैयारी/अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्षेत्रीय परिषद की इसकी स्थापना के बाद से अब तक 133 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी अब तक 69 बैठकें की जा चुकी हैं।

16.10 वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई हैं:

(i) **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 03.09.2022 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई थी। बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ii) **मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 22.8.2022 को भोपाल में हाइब्रिड मोड यानी वीसी माध्यम के साथ–साथ 'व्यक्तिगत रूप से' आयोजित की गई थी। बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(iii) **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 17.12.2022 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। बैठक में 20 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(iv) **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति:** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 26.4.2022 को कोलकाता में आयोजित की गई, जिसमें 86 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(v) **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति:** दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 28.5.2022 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई, जिसमें 89 मुद्दों पर चर्चा की गई।

16.11 बैठकों के दौरान, क्षेत्र में राज्यों के साथ–साथ एक या एक से अधिक राज्यों और संघ के बीच आम हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों/भारतीय डाक भुगतान बैंक शाखा का कवरेज, महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निपटान, ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, ऑनलाइन सखी डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 सॉफ्टवेयर का

एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे, समुद्री मछुआरों के लिए क्यूआर–सक्षम पीवीसी आधार कार्ड जारी करने सहित इन तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और मछुआरों से संबंधित मुद्दे, साइबर अपराध की चुनौतियां, हवाई अड्डों, रेलवे, सड़क परियोजनाओं आदि के लिए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी सहित बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे, अंतर–राज्यीय नदी जल का बंटवारा, खाद्यान्न के भंडारण और सीएमआर रिकवरी से संबंधित मामले, सामान्य गाद प्रबंधन नीति तैयार करने , राज्यों के बीच सीमा विवाद आदि मुद्दे शामिल थे।

16.12 क्षेत्रीय परिषदों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श किया जाता है और सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे केंद्र–राज्य संबंधों में सौहार्द को बढ़ावा मिलता है, सहकारी संघवाद की भावना पनपती है तथा सामाजिक एवं आर्थिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।

भाग II: अन्य विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

16.13 वर्ष 1954 में शुरू किया गया, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा/सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के लिए सम्मान स्वरूप दिया जाता है। अब तक 48 विभूतियों को यह अलंकरण प्रदान किया गया है।

16.14 दिनांक 25.01.2019 को घोषित भारत रत्न अलंकरण, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 08.08.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। यह पुरस्कार श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), डॉ. भूपेंद्र कुमार हजारिका (मरणोपरांत) और श्री प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया।

पद्म पुरस्कार

16.15 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों वाले क्षेत्रों यथा कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजिनियरी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है।

16.16 वर्ष 2016 से पहले, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑफलाइन माध्यम अर्थात हार्ड कॉपी द्वारा प्राप्त किए जाते थे। आम नागरिक के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के कारण प्राप्त नामांकनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्राप्त 2311 नामांकनों के मुकाबले, वर्ष 2022 में 173079 नामांकन प्राप्त हुए हैं।

16.17 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों से भी प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं उनकी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

16.18 इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

16.19 मार्च, 2022 में, भारत के राष्ट्रपति ने 129 पुरस्कार विजेताओं को पद्म पुरस्कार, 2022 से सम्मानित किया है, जिसमें 2 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं (संयुक्त पुरस्कार को एक ही पुरस्कार के रूप में गिना जाता है)। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 108 पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 34

महिलाएं थीं और सूची में विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी शामिल थे।

वीरता पुरस्कार

16.20 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दो बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

16.21 स्वतंत्रता दिवस, 2021 और गणतंत्र दिवस, 2022 पर घोषित पुरस्कारों के अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 26.01.2022 और 31.05.2022 को आयोजित दो समारोहों में प्रदान किए गए। इन दो समारोहों में कुल 14 नागरिक पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सिविलियन नागरिक के लिए एक अशोक चक्र पुरस्कार तथा 31 मई, 2022 को आयोजित एक अलंकरण समारोह में एक कीर्ति चक्र (सिविलियन नागरिक) और 12 शौर्य चक्र (सिविलियन नागरिक) प्रदान किए गए। स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने सिविलियन नागरिकों के लिए 06 वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है जिसमें 02 कीर्ति चक्र और 04 शौर्य चक्र पुरस्कार शामिल हैं।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

16.22 जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

16.23 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए; और जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के कृत्य या मानवीय प्रकृति के कृत्यों में दिया जाता है।

16.24 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2022 से जेआरपी के लिए नामांकन केन्द्रीयकृत पोर्टल अर्थात awards.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में मंगाए जा रहे हैं।

16.25 इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/—रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/— रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/— रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

16.26 भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 के लिए 06 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

16.27 भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत की है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान देने के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने तथा एक मजबूत एवं एकजुट भारत के मूल्य को सशक्त करने के लिए भारत के नागरिकों/संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक

योगदान को सम्मान देना है।

सतर्कता तंत्र

16.28 गृह मंत्रालय (मुख्य) के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी होते हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। एक निदेशक/ उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय (मुख्य) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में उनकी सहायता की जाती है।

16.29 गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जो संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), केंद्रीय सतर्कता आयोग का सहयोगी होने के नाते, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अधीन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

16.30 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सर्तकता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ "सत्यनिष्ठा" से जुड़े मामलों समेत सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है, ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन, कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाई रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए, जहां भी लागू हो, सीवीसी के साथ परामर्श से संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में अंशकालिक सीवीओ नियमित रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं।

(घ) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'पोजिटिव वेटिंग' कराई जाती है।

(ङ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ विचार–विमर्श कर उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

(च) मंत्रालय के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से सत्यनिष्ठा से संबंधित मामलों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।

(छ) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सर्तकता/ अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

16.31 दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को 31 अक्तूबर, 2022 को "सत्यनिष्ठा की शपथ" दिलाई गई और मंत्रालय में 02 नवम्बर, 2022 को भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

भ्रष्टाचार–रोधी नारों को दर्शाते हुए, विभिन्न स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.32 वर्ष 2022–23 के दौरान (दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में निपटाए गए सर्तकता और अनुशासन संबंधी मामले तालिकाबद्ध रूप से **अनुलग्नक–XXI** में संलग्न हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

16.33 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई (सूचना का अधिकार) अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण, वितरण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित आवेदन को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को भेजता है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

(क) मंत्रालय के पदाधिकारियों और उनके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

(ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

(घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी–II भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

(ङ) वर्ष 2022 के दौरान अर्थात दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक, 7415 आरटीआई आवेदन और 516 प्रथम अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं; तथा 3083 आवेदन और 90 प्रथम अपीलें मैन्यूअल/ऑफलाइन मोड में प्राप्त हुई। इनका तत्परता से निपटान किया गया और आवेदकों को सूचना देने के लिए इन्हें संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित किया गया।

(च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों को नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

16.34 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 61 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

16.35 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के तहत आने वाले सरकारी भवनों तक पहुंच का नियंत्रण कार्य, स्वागत संगठन के माध्यम से एसएसओ द्वारा किया जाता है। स्वागत संगठन में 148 कर्मचारी हैं, जो 47 सरकारी भवनों

में स्थित 62 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगंतुकों के प्रवेश को विभिन्न स्वागत कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इन कार्यालयों से आगंतुक पास जारी किए जाते हैं और उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आगंतुक पास पूर्व–निर्धारित स्तर के अधिकारियों से यह पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाते हैं कि आगंतुक को प्रवेश की अनुमति दी जानी है या नहीं।

16.36 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और उनमें प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना एवं उनका कार्यान्वयन करना है। वर्तमान में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के कार्मिक सरकारी भवन की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़) द्वारा रेल भवन की सुरक्षा की देखभाल की जा रही है।

16.37 विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ में "सरकारी भवन सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट बनाई गई है। सीआईएसएफ की जीबीएस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैंः–

(क) **प्रवेश नियंत्रण** – यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान–पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारकों को प्रवेश की अनुमति उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच–पड़ताल/तलाशी के बाद ही दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय** – ये बल मुख्य रूप से भवनों में आतंकवाद–रोधी उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) **बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण** – इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाईकर्त्ता के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **बिना आज्ञा प्रवेश** – भवन में किसी भी प्रकार के बिना आज्ञा प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ) **निकास नियंत्रण**– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

16.38 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1250 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक निःशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। वर्तमान में, एसएसएफ गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा कर रहा है।

राजभाषा

गृह मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

16.39 गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग, इस मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय–समय पर इस विषय पर जारी अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करता है तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करता है और साथ ही गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों एवं अनुभागों से प्राप्त सामग्री/दस्तावेजों का अनुवाद उपलब्ध कराता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

16.40 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और सभी निदेशक/उप सचिव इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। समिति की बैठक हर तिमाही में आयोजित की जाती है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

16.41 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा निरीक्षण

16.42 हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय के अधीन कुल 580 कार्यालयों में से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 95 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निदेशक और सहायक निदेशकों द्वारा किया गया। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में इस वर्ष के लिए 25 प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण करना निर्धारित किया गया है।

हिन्दी पखवाड़ा –2022

16.43 मंत्रालय में दिनांक 16.09.2022 से 30.09.2022 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान, 08 हिंदी प्रतियोगिताओं और 01 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें मंत्रालय के हिंदीभाषी एवं गैर–हिंदी भाषा–भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण

16.44 गृह मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 37 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 08 पद भरे हुए हैं और उनमें से 04 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। साथ ही, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 98 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 60 पद भरे हुए हैं और उनमें से 07 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, सहायक अनुभाग अधिकारियों के कुल 359 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 357 पद भरे हुए हैं और इनमें से 16 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित भी हैं। इसी प्रकार, आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के कुल 212 स्वीकृत पदों में से 89 पद भरे हुए हैं, जिनमें से 35 हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिंदी कार्यशाला

16.45 मंत्रालय के अधिकारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने तथा मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें कारगर रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 29 सितंबर 2022 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मंत्रालय के अधिकारियों और स्टाफ ने कार्यशाला में भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

16.46 इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बाद, इस समिति की पहली बैठक माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा भी इस बैठक में उपस्थित थे।

हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन के लिए नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना

16.47 गृह मंत्रालय में कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने

हेतु हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022–23 के दौरान लागू की गई थी, जिसमें 12 कर्मचारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। मूल्यांकन के बाद, 02 कर्मचारियों को पाँच–पाँच हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार, 03 कर्मचारियों को तीन–तीन हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 05 कर्मचारियों को दो–दो हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिंदी टिप्पण/प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.48 जनवरी–मार्च, 2023 के दौरान, 112 अनुभाग अधिकारियों और 340 सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण का प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

लोक शिकायतों का निवारण

16.49 इस मंत्रालय में कार्यरत आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल (समन्वय–II), सीआईसी प्रभाग को मंत्रालय में लोक शिकायतों के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी के संपर्क ब्यौरे स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से 30711 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और उक्त अवधि के दौरान 31142 लोक शिकायतों (पिछला शेष सहित) का निपटान किया गया।

विभागीय लेखा संगठन (डीएओ)

16.50 गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) होता है और मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक, उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक/सहायक निदेशक (ए/सी), वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की कुशल व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। डीएओ के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 47 वेतन एवं लेखा कार्यालय और 26 आंतरिक ऑडिट पार्टी निहित हैं। इसके अलावा, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आयुष्मान भारत कवर के तहत सीएपीएफ के मेडिकल बिलों के कैशलेस, पेपरलेस भुगतान के लिए गृह मंत्रालय के तहत पीएओ (आयुष्मान) भी स्थापित किया गया है।

16.51 डीएओ गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ और अन्य संगठनों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आकस्मिक बिलों, वेतन एवं व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान, लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के रख–रखाव तथा लगभग 6.5 लाख खाताधारकों के लिए एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के मासिक और वार्षिक खातों जैसे कि विनियोजन और वित्त खातों के समेकन और महालेखा नियंत्रक को इसकी प्रस्तुति के लिए भी उत्तरदायी होता है। डीएओ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नामक एक वेब आधारित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपने अधिकतर कार्य एक कंप्यूटरीकृत परिवेश में करता है।

16.52 इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के विभिन्न व्यय इकाइयों/डीडीओ (लगभग 1800) और स्कीमों/कार्यक्रमों की आंतरिक लेखा–परीक्षा करता है। डीएओ के आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) को इस मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक ऑडिट करने और गृह मंत्रालय को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखा–परीक्षा

स्कंध के कार्यों में गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होने वाले विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि, पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई), सीमा क्षेत्र विकास परियोजना (बीएडीपी), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) इत्यादि की योजनागत लेखा–परीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की अनुपालन लेखा–परीक्षा करना शामिल है। जहां तक अनुपालन लेखा–परीक्षा का संबंध है, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध सीएपीएफ, सीपीओ और गृह मंत्रालय के संगठनों के 1800 से अधिक यूनिटों की लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

16.53 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा–परीक्षाएं की गईं:

(क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 04 सीएपीएफ (अर्थात् एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ) के "सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम" से संबंधित कुल 04 लेखापरीक्षा।

(ख) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)– सुरक्षा संबंधी व्यय की लेखा–परीक्षा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है, इस स्कीम के तहत 54 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(ग) पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमओपीएफ) के लिए राज्यों को सहायता स्कीम – पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर 26 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(घ) सिविलियन पीड़ित (सीवी)–सिविलियन पीड़ितों (सीवी) की सहायता योजना के तहत 07 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(ङ) विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) – एसआईएस योजना के तहत 07 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(च) इस अवधि के दौरान 141 लेखापरीक्षित कार्यालयों/इकाइयों की 6 अनुपालन लेखापरीक्षा और 15 अन्य विशेष लेखापरीक्षा की गई।

16.54 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैराग्राफ तैयार करता है जिसके लिए मंत्रालय द्वारा "की गई कार्रवाई नोट" तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों को समय पर निपटाने के लिए, मंत्रालय की स्थायी लेखापरीक्षा समिति द्वारा इनकी लम्बित रहने की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और निपटान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय में ऐसे 18 लेखापरीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, 12 नए पैराग्राफ (11 पैरा और एक पूरी रिपोर्ट) प्राप्त हुए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई। 30 में से 12 पैराग्राफों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया, जिससे दिनांक 31.12.2022 की स्थितिनुसार 18 पैराग्राफ शेष रह गए हैं।

16.55 दिनांक 31.12.2021 की स्थितिनुसार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैराग्राफ की संख्या 7241 थी। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाए गए निरीक्षण पैराग्राफ की कुल संख्या क्रमशः 2021 और 2147 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2022 तक बकाया निरीक्षण पैराग्राफों की संख्या 7115 है। प्रत्येक संगठन के संबंध में स्थिति **अनुलग्नक–XXII** में संलग्न है।

16.56 गृह मंत्रालय की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई नोट" (एटीएन) की स्थिति **अनुलग्नक –XXIII** में दर्शाई गई है।

(नोटः गृह मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होना बाकी है।)

16.57 आईटी पहल

- दिल्ली पुलिस में ईआईएस के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया चल रही है।
- बिलों और व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन मामलों के निपटान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और खातों के समेकन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।
- मंत्रालय के गैर–सीएपीएफ कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए पीएफएमएस के कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- कार्यालय प्रमुखों से पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।
- डिजिटल मोड में जीपीएफ ब्रॉडशीट के रखरखाव के लिए सीजीए कार्यालय के कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग।
- मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के व्यय की निगरानी के लिए लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के ऑनलाइन ई–लेखा प्लेटफार्म का उपयोग।
- मंत्रालय की गैर–कर रसीदों की ऑनलाइन प्राप्तियों के लिए गैर–कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) का कार्यान्वयन।

बजट

16.58 वर्ष 2021–22 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) और 2022–23 के लिए बजट अनुमान (बीई) प्रावधान के संदर्भ में वास्तविक बजट उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

अनुदान संख्या	संशोधित अनुमान 2021-22	वास्तविक	संशोधित अनुमान के संदर्भ में %	बजट अनुमान 2022-23
49-गृह मंत्रालय	4558.61	4365.68	95.77	7621.00
50-मंत्रिमंडल	1725.00	1322.31	76.66	1711.04
51-पुलिस	110144.88	108042.48	98.09	119034.34

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

16.59 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। पिछला गठन दिनांक 21.08.2022 को किया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान अब तक पुनर्गठित शिकायत निवारण समिति को किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

16.60 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित सेवा मामलों के लिए, उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उप सचिव स्तर के एक अलग अधिकारी को नामित किया गया है।

16.61 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में मंत्रालय में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कार्यस्थल पर हुए मामलों के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

16.62 केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है।

16.63 दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय (मुख्य) में 07 नेत्रहीन, 04 बधिर और 12 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 02 सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति कार्यरत हैं।

16.64 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा.सं 21/05/2017–ई-II(बी) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को परिवहन भत्ता का सामान्य दर से दोगुना भुगतान किया जाता है।

जेंडर बजटिंग

16.65 गृह मंत्रालय में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई पहल का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

16.66 वर्तमान में, सीआईएसएफ की विभिन्न रिजर्व बटालियनों में 07 परिवार कल्याण केंद्र उपलब्ध हैं।

इनका विवरण निम्नानुसार हैं:

i) द्वितीय रिज़र्व बटालियन, रांची

ii) तृतीय रिज़र्व बटालियन, भिलाई

iii) चतुर्थ रिज़र्व बटालियन, शिवगंगाई

iv) पंचम रिज़र्व बटालियन गाजियाबाद

v) षष्टम रिज़र्व बटालियन गोवा (निर्माणाधीन)

vi) अष्टम रिज़र्व बटालियन, जयपुर

vii) दशम रिज़र्व बटालियन, बेंगलुरु

16.67 इसके अलावा, एनआईएसए/एफएसटीआई सहित सीआईएसएफ के सभी प्रशिक्षण केंद्रों (07 केंद्र) में भी परिवार कल्याण केंद्र है।

16.68 उपर्युक्त के अलावा, सीआईएसएफ के सभी प्रशिक्षण केंद्रों/रिज़र्व बटालियनों/स्थापनाओं में विशेष रूप से महिला कार्मिकों के उपयोग के लिए अलग मेस/बैरक का प्रावधान है।

भावी प्रस्ताव

16.69 सीआईएसएफ ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में तैनात महिला कार्मिकों को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ की आगामी परियोजनाओं में कतिपय प्रावधानों को शामिल किया है। इन्हें 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26) के लिए पुलिस अवसंरचना की केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर 04 परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने हैं :

i) 9वीं रिज़र्व बटालियन, गुवाहाटी

ii) 11वीं रिज़र्व बटालियन, नासिक

iii) 12वीं रिज़र्व बटालियन शेहोर

iv) एसएसजी ग्रेटर नोएडा

विभिन्न स्थलों पर बनाए जाने वाले बैरेक/एसओ हॉस्टल के विभिन्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

1. सीआईएसएफ मैदान गढ़ी
2. डीएमआरसी दिल्ली
3. आरटीसी भिलाई
4. आरटीसी बहरोर
5. एनआईएसए हैदराबाद
6. चौथी रिज़र्व बटालियन शिवगंगाई
7. 9वीं रिज़र्व बटालियन गुवाहाटी
8. 11वीं रिज़र्व बटालियन नासिक
9. 12वीं रिज़र्व बटालियन सेहोर
10. एसएसजी ग्रेटर नोएडा
11. सीएस मुख्यालय, भिलाई
12. एपीएस–II मुख्यालय बेंगलुरु
13. एनज़ेड–II मुख्यालय, जम्मू

16.70 परिवार कल्याण केन्द्र एवं महिला बैरकों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्थान	कार्य	स्थिति/टिप्पणी
1	10वीं रिज़र्व बटालियन बंगलुरु	परिवार कल्याण केंद्र	10 वीं रिज़र्व बटालियन, बेंगलुरु में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से एक परिवार कल्याण केंद्र बनाया गया है, जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 18.11.2022 को सीआईएसएफ़ को सौंप दिया गया है और इसका उपयोग सीआईएसएफ की महिला कर्मियों और परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है।
2	डीएमआरसी दिल्ली	जसोला विहार में 100 महिला कर्मियों के लिए बैरेक का निर्माण	i) सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी दिल्ली से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार लोकेशन से सूचना मिली है कि “जहां महिला बैरेक का निर्माण प्रस्तावित था, उस भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण के कारण उल्लिखित स्थान पर महिला बैरक का निर्माण नहीं किया जा सका।”
		द्वारका मेट्रो स्टेशन पर 86 महिला कार्मिकों के लिए बैरेक का निर्माण	ii) द्वारका मेट्रो स्टेशन पर 86 महिला कर्मियों के लिए 1.80 करोड़ रुपये की लागत से बैरक का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

16.71 विभिन्न समूहों में काम करने वाली महिलाओं की कुल संख्या इस प्रकार है:

समूह ‘क’	समूह ‘ख’	समूह ‘ग’	कुल
62	1427	7863	9352

16.72 सीआईएसएफ के संबंध में वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

स्कीम का विवरण	बजट अनुमान 2021-22	दिनांक 31.12.2022 तक व्यय	संशोधित अनुमान 2022-23 (प्रस्तावित)	बजट अनुमान 2023-24 (प्रस्तावित)
क्रेच सुविधा	0.35	0.18	0.34	0.36

16.73 आज की स्थिति के अनुसार, सीआईएसएफ में 16 क्रेच चल रहे हैं।

16.74 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए सीआईएसएफ में दो स्तरों पर शिकायत समिति का गठन किया गया है, यानी निदेशालय में केंद्रीय समिति और कार्यस्थल पर सेक्टर स्तर की समिति।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

16.75 भारत सरकार ने वर्ष 1985 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पहली महिला बटालियन को अनुमोदन प्रदान किया था। आज की तिथि के अनुसार, ऐसी छह बटालियनों (88वीं बटालियन, 135वीं बटालियन, 213वीं बटालियन, 232वीं बटालियन, 233वीं बटालियन और 240वीं बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ऑपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और बेंगलुरू में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप

सेंटरों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241वीं बटालियन (बस्त्रिया बटालियन) में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ सक्रिय रूप से सहायता कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

16.76 दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	कुल
488	998	7939	9425

महिला कर्मचारियों के वार्षिक वेतन की अनुमानित लागत लगभग 328.00 करोड़ रुपये है।

16.77 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन बनाए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

16.78 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत, महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

16.79 पहली भारतीय महिला गठित पुलिस इकाई (एफएफपीयू), जिसमें 125 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं, दिनांक 30.01.2007 को लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कॉन्फ्रेंस सेंटर में ड्यूटी शुरू की तथा इस सैन्य टुकड़ी का अंतिम बैच (एमएफपीयू–7वें बैच) फरवरी, 2017 के दौरान भारत वापस आया।

16.80 महिला कर्मचारियों के अलावा, बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी के लिए सेक्टर लेवल पर एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसका कार्यान्वयन समस्त बल स्तर पर किया जाता है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

i) महिला छात्रावास।

ii) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।

iii) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम और टीवी आदि का प्रावधान।

iv) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) विशेष रूप से महिलाओं को अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

16.81 सरकार ने पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के लिए क्रेच सुविधाओं के संचालन हेतु 60 लाख रुपये प्रदान किए हैं और वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भी 62 लाख रुपये आबंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए दिनांक 31.12.2022 तक के जेंडर बजटिंग के तथ्य एवं आंकड़े तथा दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक की शेष अवधि के लिए पूर्वानुमान/अनुमान निम्नानुसार हैं:–

मदों/स्कीमों/गतिविधियों, जैसा भी मामला हो, के नाम	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक	अनुमानित व्यय दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक	वर्ष 2022-23 के दौरान कुल
महिलाओं और उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर, जेंडर संवेदीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल केंद्र आदि जैसी स्कीमें	0.34	0.28	0.62

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

16.82 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें, उनके लिए वर्ष 2022–23 में किए गए प्रावधान और वर्ष 2022–23 के लिए अनुमानित प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपये में)

मद/स्कीम/गतिविधि, जैसा भी मामला हो, का नाम	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक	अनुमानित व्यय दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक	वर्ष 2022-2023 के दौरान कुल व्यय
कोड शीर्ष 50 (ओसी) के तहत गैर-योजनागत क्रेच सुविधा चाइल्ड बजटिंग/जेंडर बजटिंग	0.15	0.11	0.26

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

16.83 आईटीबीपी, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (एचडब्ल्यूडब्ल्यूए) नामक एक पंजीकृत वेलफेयर सोसायटी चला रही है और इसकी पंजीकरण संख्या 1998 का 32951 है। आईटीबीपी में संचालित हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसियेशन का मुख्यालय दिल्ली में है, विभिन्न बटालियनों और प्रशिक्षण केंद्रों में इसके उप–कार्यालय हैं, जहाँ आईटीबीपी कर्मियों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ विविध कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन केंद्रों में परिवार आईटीबीपी जवानों की ऊनी वस्त्रों की बुनाई, होजरी के सामान, जैम/जूस तैयार करने और वर्दी के सामान बनाने का काम करते हैं। ये गतिविधियां न केवल आईटीबीपी कर्मियों के परिवारों की आय को बढ़ाने में मदद करती हैं बल्कि सभी रैंकों पर बल के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच सामंजस्य भी विकसित करती हैं। एचडब्ल्यूडब्ल्यूए की आय का स्रोत स्वैच्छिक दान, अनुदान और संगठनों एवं व्यक्तियों से योगदान और एचडब्ल्यूडब्ल्यूए द्वारा आयोजित प्रदर्शनी (मेला), बिक्री आउटलेट्स आदि से प्राप्त बिक्री आय आदि हैं। एचडब्ल्यूडब्ल्यूए की सभी आय का उपयोग केवल परिवारों के कल्याण के लिए और आईटीबीपीएफ कर्मियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

16.84 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 14 प्रशिक्षण केन्द्रों और सेक्टर हेड क्वार्टर की लॉजिस्टिक एंड कम्यूनिकेशन, (एसएचक्यू) की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरकों में रखा गया है।

(ii) पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला केन्द्रित पत्रिकाएं और जर्नल अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टीवी और डीवीडी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेंटर/क्रेच उपलब्ध हैं। सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 12 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं।

बल का नाम	**स्थान**		**क्रेच/डे केयर केंद्रों की संख्या**
आईटीबीपी	1	एसएचक्यू (डीडीएन), पोस्ट-सीमाद्वार, जिला - देहरादून, (उत्तराखंड)	आईटीबीपी में कुल 12 क्रेच/डे केयर केंद्र उपलब्ध हैं।
	2	आईटीबीपी अकादमी, पोस्ट-मसूरी, जिला - देहरादून, (उत्तराखंड)	
	3	एम एंड एसआई औली, पोस्ट - जोशीमठ, जिला - चमोली (उत्तराखंड)	
	4	टीपीटी बटालियन-पोस्ट- एयरपोर्ट, चंडीगढ़ (यूटी)	
	5	11वीं बटालियन, पेगोंग (सिक्किम), 56, एपीओ	
	6	12वीं बटालियन, पोस्ट-मतली, जिला- उत्तरकाशी (उत्तराखंड)	
	7	50वीं बटालियन - रामगढ़, जिला- पंचकुला (हरियाणा)	
	8	एसएचक्यू (बरेली), पोस्ट- बुखारा कैंप, जिला बरेली (यूपी), पिन कोड 243 001	
	9	35वीं बटालियन, पोस्ट - महिदंडा, जिला- उत्तरकाशी (उत्तराखंड) पिन कोड 249195	
	10	55वीं बटालियन, रंगामती, तेजपुर (असम)	
	11	28वीं बटालियन, रेवाड़ी, हरियाणा	
	12	36वीं बटालियन, लोहाघाट, उत्तराखंड	

(vi) विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई एवं सिलाई मशीनें प्रदान की गई है, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

16.85 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और सचल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श करने के अतिरिक्त, फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

16.86 प्रत्येक समूह क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह - क	समूह - ख	समूह - ग	कुल
128	255	2326	2709

16.87 वर्ष 2022–23 के दौरान, आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और उनमें से प्रत्येक के लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(हजार रूपये में)

मद/योजना/गतिविधि, जैसा भी मामला हो, का नाम	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक	बजट अनुमान वर्ष 2022-23	प्रक्षेपित अंतिम संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23
कोड शीर्ष - 50 - अन्य प्रभार के तहत क्रेच सुविधा	500	600	600

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

16.88 बीएसएफ में विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह - क	समूह - ख	समूह - ग	कुल
141	514	6845	7500

16.89 वर्ष 2022–23 के दौरान, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संबंध में, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	स्कीम का विवरण	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23 (अनुमानित)
1	क्रेच सुविधा	1.00	1.00

16.90 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला कर्मचारियों के अलावा, यह बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार के महिला सदस्यों के लिए परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण किया है ताकि उन्हें नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि गतिविधियों के माध्यम से उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाया जा सके तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों की निगरानी के लिए सेक्टर स्तर पर समिति भी बनाई गई है, जिसे सभी स्तर पर लागू किया जाता है।

असम राइफल्स

16.91 बल में रायफलवुमेन को वर्ष 2015–16 में शामिल किया गया था। तब से बल ने राइफलवुमेन के लिए समान अवसर और अपेक्षित जेंडर विशिष्ट सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सचेत रूप से प्रयास किए हैं।

16.92 बल में स्वीकृत 2430 पदों की तुलना में राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) की वर्तमान संख्या 1544 है। 600 राइफलवुमेन की भर्ती प्रक्रियाधीन है। बल द्वारा 20 अतिरिक्त सहायक ट्रेडों में भी राइफलवुमेन की भर्ती की जा रही है।

16.93 दूरस्थ स्थान में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक सहकर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बल की राइफलवुमेन के लिए राइफलवुमेन पोस्टिंग यूनिट/मुख्यालय में बल्क पोस्टिंग के रूप में की जाती हैं। रायफलवुमेन की उम्र के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग के आदेश दिए जाते हैं। राइफलवुमेन की घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जीवनसाथी की पोस्टिंग, अनुकंपा ग्राउंड पोस्टिंग और अंतिम पोस्टिंग के लिए एसओपी बनाए गए हैं।

16.94 एनडीआरएफ जैसे अन्य बलों में तैनाती, संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनाती और यहां तक कि जम्मू–कश्मीर में तैनात असम राइफल्स इकाइयों में तैनाती देकर योग्य राइफलवुमेन को पर्याप्त एक्सपोजर देते हुए उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

16.95 वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में राइफलवुमेन ने केवल महिलाओं की टुकड़ी के रूप में भाग लेकर हमें गौरवान्वित किया है। आगामी गणतंत्र दिवस परेड में, असम राइफल्स समान अवसरों और जिम्मेदारियों के साथ मिलकर काम करने वाली राइफलवुमेन और राइफलमैन की संयुक्त टुकड़ी को यह मौका देगी।

16.96 राइफलवुमेन को खेल कोटा सहित नामांकन और पदोन्नति में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से ग्रुप 'ए' पदों के लिए प्रशिक्षण एवं कोचिंग भी सुनिश्चित की जाती है। अनुकंपा आधार पर भर्ती रैली के माध्यम से बहादुर–जवानों की पत्नियों की भर्ती का भी प्रावधान किया गया है।

16.97 बल ने रायफलवुमेन को अलग शौचालय, आवास, क्रेच की व्यवस्था और महिला डॉक्टरों की व्यवस्था जैसी जेंडर विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उनके कार्य करने की दशाओं में सुधार किया है। स्कूल जाने वाले बच्चों/छोटे बच्चों, वृद्ध माता–पिता आदि की दृष्टि से रायफलवुमेन की स्थिति पर विचार करते हुए उनकी ड्यूटी का समय निर्धारित किया गया है, जिससे वे घरेलू तनाव से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सिंगल राइफलवुमेन के लिए अत्यंत निजिता सुनिश्चित करते हुए सभी सुविधाओं के साथ अलग निवास करने की योजना बनाई गई है। ये निवास मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। हर बैरक में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर लगाए गए हैं।

16.98 विशाखा दिशा–निर्देशों के आधार पर, प्रत्येक मुख्यालय में रायफलवूमेन की शिकायत निवारण के लिए समितियों का गठन किया गया है।

16.99 बल की रायफलवुमेन को पृथक आवास प्रदान करने हेतु निधि व्यय/योजना का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	मदों/स्कीमों/गतिविधियों, जैसा भी मामला हो, का नाम	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022	प्रस्तावित व्यय दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023	कुल व्यय	टिप्पणी
1	अंब्रेला स्कीम	5.74 करोड़	0.50 करोड़	6.24 करोड़	--
2	असम राइफल्स के विभिन्न स्थानों पर राइफलवुमेन के लिए नई अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण	0.00	0.00	0.00	(क) आरओपीटी 2021-26 के तहत, 70.23 करोड़ रुपये की नई योजना का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। (ख) गृह मंत्रालय के मूल्यांकन की प्रतीक्षा है।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय

वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के दौरान गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री अमित शाह	गृह मंत्री
श्री नित्यानंद राय श्री अजय कुमार मिश्रा श्री निशिथ प्रामाणिक	राज्य मंत्री
श्री अजय कुमार भल्ला	गृह सचिव
श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार	सचिव (सीमा प्रबंधन)
सुश्री शिवगामी सुन्दरी नंदा (दिनांक 22.12.2022 से) श्री स्वागत दास (दिनांक 19.12.2022 तक) श्री वी.एस.के. कौमुदी (दिनांक 14.06.2022 तक)	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री राजित पुनहानी (दिनांक 21.11.2022 तक)	विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री श्रीराम तरणिकांति (दिनांक 21.11.2022 से) श्री राजित पुनहानी (दिनांक 19.10.2022 तक)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री पीयूष गोयल श्री प्रवीण वशिष्ठ सुश्री बी.वी. उमादेवी (दिनांक 31.12.2022 तक) श्री चंद्राकर भारती (दिनांक 16.08.2022 से) श्री श्यामल मिश्र (दिनांक 10.08.2022 से) श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (दिनांक 01.11.2022 तक) श्री राकेश कुमार सिंह (दिनांक 13.05.2022 से)	अपर सचिव
श्रीमती सहेली घोष रॉय श्री श्री प्रकाश श्री संजीव कुमार जिंदल	संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (इन-सीटू)

श्री आशुतोष अग्निहोत्री श्री सुनील कुमार वर्णवाल श्री सुमंत सिंह श्री सी. जी. रजनीकांतन श्री आशीष कुमार श्री संजीव सहगल (दिनांक 30.05.2022 से) श्री बी.सी. जोशी (दिनांक 13.05.2022 से) श्री ए.के. सरण (दिनांक 01.11.2022 से) श्री अनिल सुब्रमण्यम (दिनांक 01.11.2022 से) श्री जी. पार्थसारथी (दिनांक 01.11.2022 से) श्री श्यामल मिश्र (दिनांक 10.08.2022 तक) श्री राकेश कुमार सिंह (दिनांक 13.05.2022 तक) श्री मनीष तिवारी (दिनांक 23.06.2022 तक)	
सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री अरविंद कुमार (दिनांक 16.11.2022 से) श्री आलोक रंजन (दिनांक 15.11.2022 तक)	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक -II
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 27.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

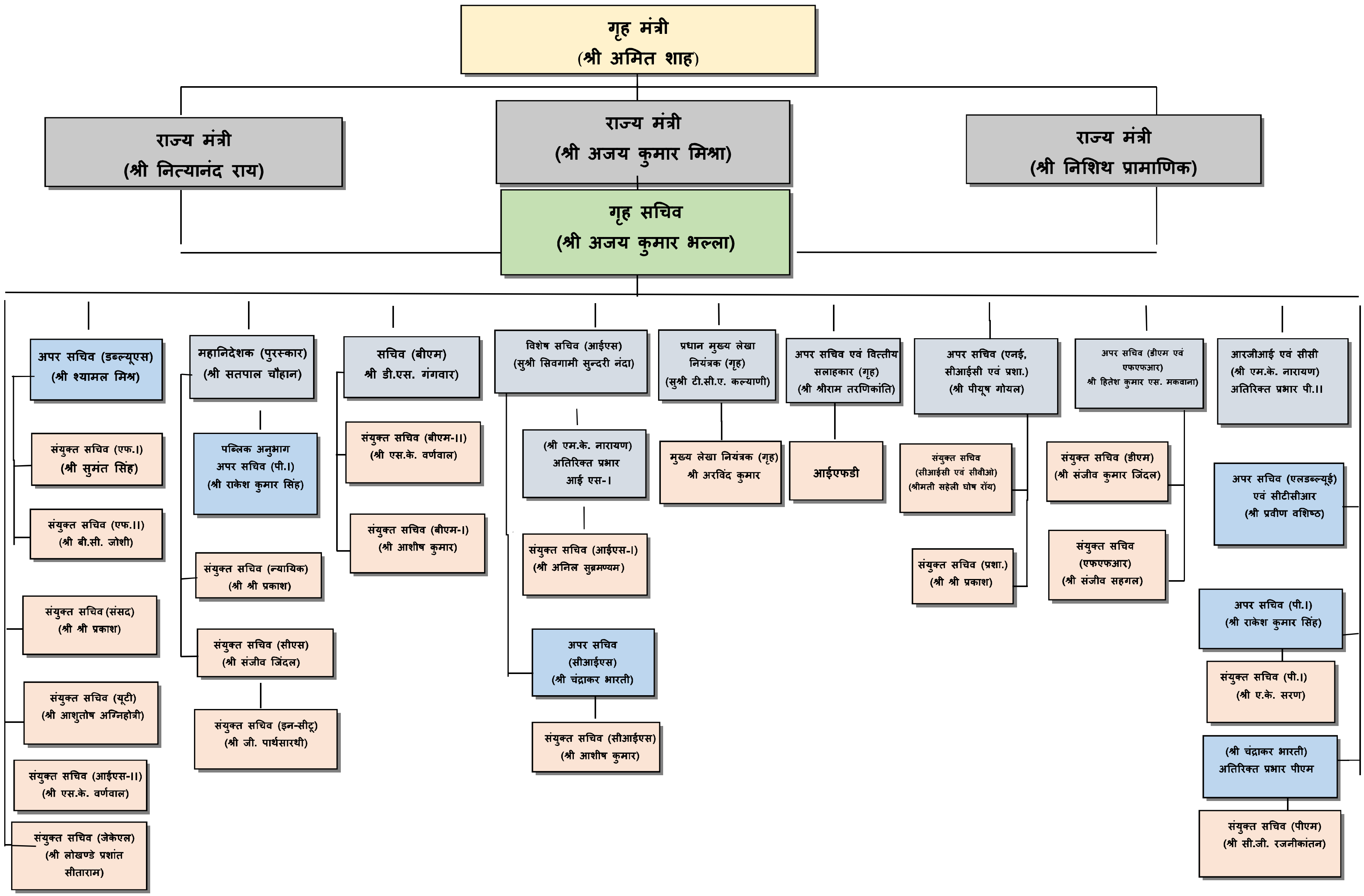

अनुलग्नक - III
[संदर्भ पैरा 2.40]

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधिविरूद्ध एसोसिएशनों" और/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

समूह का नाम		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
असम		
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	-तदैव-
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
मणिपुर		
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए)	- तदैव-
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (प्रीपाक) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी	- तदैव-
(iv)	कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा, जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है	- तदैव-
(v)	कांग्ली याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल)	- तदैव-
(vi)	कोऑर्डिनेशन कमेटी (कोर -कॉम)	विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(vii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके)	- तदैव-
(viii)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन
मेघालय		
(i)	हयनीट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)	विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
त्रिपुरा		
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	- तदैव-
नागालैंड		
(i)	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन

अनुलग्नक-IV
[संदर्भ पैरा 2.43]

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक (दिनांक 31.12.2022 तक) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरूणाचल प्रदेश	कुल
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	**280.00**
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	**300.00**
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	**405.00**
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	**250.00**
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	**320.00**
2020-21	65.43	41.82	39.50	8.70	4.88	24.92	**185.25**
2021-22	251.07	58.79	74.66	32.20	14.40	12.60	**443.72**
2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक)	109.16	22.82	23.64	18.85	6.45	4.30	**185.25**

अनुलग्नक- V
[संदर्भ पैरा 2.45]

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक (दिनांक 31.12.2022 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीएपीएफ/सेना को नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम के तहत आवंटित/जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

संगठन	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक)**
बीएसएफ	150.00	150.00	150.00	300.00	400.00	350.00	395.00	395.00
सीआरपीएफ	150.00	150.00	150.00	250.00	270.00	300.00	345.00	345.00
आईटीबीपी	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00
एसएसबी	70.00	70.00	70.00	140.00	150.00	150.00	185.00	185.00
असम राइफल्स	350.00	350.00	550.00	330.00	350.00	350.00	445.00	445.00
सेना	180.00	180.00	180.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल	**1000.00**	**1000.00**	**1200.00**	**1200.00**	**1300.00**	**1300.00**	**1500.00**	**1500.00**

अनुलग्नक-VI
[संदर्भ पैरा 2.46]

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक (दिनांक 31.12.2022 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये म)

वर्ष	**व्यय/जारी की गई निधि**
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22	100.00
2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक)	79.06

अनुलग्नक-VII
[संदर्भ पैरा 2.50]

वर्ष 2014 से 2022 के दौरान राज्य-वार सुरक्षा स्थिति

अरुणाचल प्रदेश									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	33	09	86	--	02	07	--	46	49
2015	36	05	55	03	01	03	01	17	33
2016	50	07	59	02	--	04	02	49	25
2017	61	09	44	--	03	03	01	43	27
2018	37	12	69	02	01	02	--	60	17
2019	36	02	106	02	12	02	--	44	34
2020	21	07	72	02	--	15	09	37	21
2021	26	07	70	01	--	69	15	43	17
2022	24	01	40	--	02	52	07	10	31
असम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	246	102	319	04	168	102	43	265	94
2015	81	49	645	--	09	30	17	413	27
2016	75	51	366	04	29	15	05	298	14
2017	33	16	204	03	06	13	02	120	05
2018	28	05	133	01	07	13	03	92	06
2019	17	--	131	--	--	49	22	85	10
2020	15	05	79	--	02	2,668	456	234	02
2021	21	13	70	--	14	1,353	437	86	08
2022	07	02	35	--	--	1,887	354	117	--
मणिपुर									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	278	23	1052	08	16	80	73	515	29
2015	229	41	805	24	15	04	02	252	26
2016	233	09	518	11	11	--	--	116	25
2017	167	22	558	08	23	74	10	127	40
2018	127	10	404	07	08	--	--	99	30
2019	126	09	476	--	07	--	--	92	15
2020	97	07	259	03	--	02	--	92	09
2021	112	18	242	05	09	20	15	113	15
2022	137	02	315	01	05	57	29	76	36

मेघालय									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	179	35	173	06	24	59	20	97	110
2015	123	25	121	07	12	78	45	53	87
2016	68	15	59	--	08	205	78	57	52
2017	28	06	13	--	02	37	14	12	18
2018	15	03	17	01	04	19	10	103	01
2019	02	--	06	--	01	01	--	04	--
2020	05	--	--	--	--	01	--	12	--
2021	02	--	1 1	--	--	02	--	02	--
2022	01	--	04	--	--	--	--	03	--

मिजोरम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	03	--	--	--	--	03	--	31	14
2015	02	--	04	03	--	--	--	19	13
2016	--	--	02	--	--	--	--	05	01
2017	--	--	05	--	--	--	--	16	--
2018	03	--	--	--	--	114	44	02	--
2019	--	--	--	--	--	--	--	13	--
2020	--	--	--	--	--	--	--	05	--
2021	--	--	--	--	--	--	--	18	--
2022	--	--	--	--	--	--	--	03	--

नागालैंड									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	77	12	296	--	01	--	--	150	65
2015	102	29	268	09	09	13	01	74	78
2016	58	05	198	--	--	16	03	80	51
2017	19	04	171	01	03	02	--	87	12
2018	42	04	181	03	03	--	--	64	63
2019	42	01	217	02	01	16	01	74	49
2020	23	02	222	--	--	04	--	84	33
2021	47	01	277	--	--	08	--	103	54
2022	31	01	167	--	--	02	--	70	36

त्रिपुरा									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	08	--	08	02	01	40	15	--	08
2015	01	--	02	--	--	15	03	--	03
2016	--	--	--	--	--	27	05	--	--
2017	--	--	--	--	--	01	--	--	--
2018	--	--	--	--	--	13	01	--	--
2019	--	--	--	--	--	90	44	--	--
2020	02	--	14	--	--	06	04	02	03
2021	01	01	16	02	--	21	04	02	--
2022	01	--	02	01	--	25	04	--	--

अनुलग्नक-VIII
(संदर्भ पैरा 3.36)

वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	2017-18 (केन्द्रीय अंश)	2018-19 (केन्द्रीय अंश)	2019-20 (केन्द्रीय अंश)	2020-21 (केन्द्रीय अंश)	2021-22 (केन्द्रीय अंश)	2022-23 (केन्द्रीय अंश) (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	अरुणाचल प्रदेश	154.14	80.87	42.15	24.50	30.92	0.00
2	असम	56.00	49.50	63.30	0.00	6.26	0.00
3	बिहार	46.00	32.20	51.09	0.00	6.26	0.00
4	गुजरात	31.72	56.23	14.00	0.00	6.26	0.00
5	हिमाचल प्रदेश	35.00	25.95	27.49	0.00	2.79	18.59
6	जम्मू एवं कश्मीर	198.89	84.00	114.37	0.00	0.00	0.00
7	लद्दाख			0.00	0.00	16.00	16.00
8	मणिपुर	27.56	20.34	14.93	0.00	0.00	0.00
9	मेघालय	36.56	22.69	45.36	0.00	5.85	6.45
10	मिजोरम	46.00	32.20	55.93	12.29	0.00	12.56
11	नागालैंड	40.04	33.96	24.85	5.07	16.10	0.00
12	पंजाब	28.00	33.08	24.72	0.00	0.00	0.00
13	राजस्थान	116.00	81.20	38.53	0.00	19.39	0.00
14	सिक्किम	28.01	27.50	53.01	14.97	32.43	59.16
15	त्रिपुरा	65.07	49.70	44.64	0.00	6.04	2.05
16	उत्तर प्रदेश	38.00	26.60	51.41	0.00	6.26	0.00
17	उत्तराखण्ड	31.00	29.20	43.60	7.14	30.25	0.00
18	पश्चिम बंगाल	122.00	85.40	115.21	0.00	31.21	0.00
	कुल योग	**1100.00**	**770.62**	**824.59**	**63.97**	**216.00**	**114.81**

अनुलग्नक-IX
(संदर्भ पैरा 7.3)

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग के अधिकारियों की अधिकृत संख्या (दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कैडर	वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी)					कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	प्रशिक्षार्थी रिजर्व	कनिष्ठ पद रिजर्व एवं छुट्टी रिजर्व	पदोन्नति वाले पद	सीधी भर्ती कोटा	कुल अधिकृत संख्या	डीओपीटी की अधिसूचना संख्या एवं तारीख के तहत अधिसूचित संवर्ग अनुसूची	तैनात अधिकारियों की संख्या		
		डीजी	एडी जी	आईजी	डीआईजी	एसपी	(एसडीपी)	(सीडीआर) एसडीपी के 40% की दर से)	(सीडीआर) एसडीपी के 25% की दर से)	(टीआर) एसडीपी के 3.5% की दर से	(जेआरपी और एलआर) एसडीपी के 16.5% की दर से	(पीक्यू)(एसडीपी +सीडीआर+एसडीआर+ टीआर का 33 1/3%)	(डीआरक्यू)			सीधी भर्ती	पदोन्नत अधिकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आंध्र प्रदेश	2	7	17	13	40	79	31	19	2	13	43	101	144	सं.11052/01/2014-एआईएस-II-ए दिनांक 18.07.2014	95	33	128
2	अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	4	13	27	38	86	168	67	42	5	27	94	215	309	सं.11052/07/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 08.09.2017	206	83	289
3	असम-मेघालय	3	8	20	21	55	107	42	26	3	17	59	136	195	सं.11052/06/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 28.02.2018	117	43	160
4	बिहार	3	10	23	22	74	132	52	33	4	21	73	169	242	सं.11052/09/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 21.12.2017	156	67	223
5	छत्तीसगढ़	2	7	11	12	46	78	31	19	2	12	43	99	142	सं.11052/10/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 19.05.2017	83	36	119
6	गुजरात	3	10	21	21	59	114	45	28	3	18	63	145	208	सं.11052/02/2016-एआईएस-II-ए दिनांक 01.02.2017	123	33	156
7	हरियाणा	2	6	16	15	40	79	31	19	2	13	43	101	144	सं.11052/03/2016-एआईएस-II-ए दिनांक 01.02.2017	87	34	121
8	हिमाचल प्रदेश	1	4	11	8	28	52	20	13	1	8	28	66	94	सं.11052/9/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 18.03.2016	58	27	85
9	जम्मू एवं कश्मीर*	2	4	12	17	45	80	32	20	2	13	67	80	147	सं.11052/05/2010-एआईएस-II-ए दिनांक 30.03.2010	67	12	79
10	झारखंड	2	6	14	14	46	82	32	20	2	13	45	104	149	सं.11052/03/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 16.09.2015	93	20	113
11	कर्नाटक	3	10	28	19	57	117	46	29	4	19	65	150	215	सं.11052/08/2015-एआईएस-II-ए दिनाक 29.12.2015	133	58	191
12	केरल	2	11	14	10	57	94	37	23	3	15	52	120	172	सं.11052/04/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 07.06.2016	102	14	116
13	मध्य प्रदेश	5	16	36	22	87	166	66	41	5	27	92	213	305	सं.11052/02/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 25.08.2015	175	72	247
14	महाराष्ट्र	4	16	29	32	91	172	68	43	6	28	96	221	317	सं.11052/04/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 16.10.2018	199	77	276
15	मणिपुर	1	4	10	10	25	50	20	12	1	8	27	64	91	सं.11052/01/2018-एआईएस-II-ए दिनांक 21.12.2020	46	15	61
16	नागालैंड	1	2	9	10	20	42	16	10	1	6	23	52	75	सं.11052/08/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 29.12.2017	38	19	57
17	ओडिशा	2	9	21	20	55	107	42	26	3	17	59	136	195	सं.11052/10/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 18.10.2018	120	-	120
18	पंजाब	2	7	19	20	46	94	37	23	3	15	52	120	172	सं.11052/11/2010-एआईएस-II-ए दिनांक 30.03.2010	116	35	151
19	राजस्थान	2	9	23	18	65	117	46	29	4	19	65	150	215	सं.11052/05/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 31.12.2015	136	58	194
20	सिक्किम	1	2	4	3	8	18	7	4	1	2	10	22	32	सं.11052/03/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 27.06.2017	20	9	29
21	तमिलनाडु	3	13	26	27	81	150	60	37	5	24	84	192	276	सं.11052/02/2018-एआईएस-II-ए दिनांक 26.11.2018	168	59	227
22	तेलंगाना	2	6	16	14	38	76	30	19	2	12	42	97	139	सं.11052/11/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 29.04.2016	85	37	122
23	त्रिपुरा	2	2	7	8	19	38	15	9	1	6	21	48	69	सं.11052/02/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 06.07.2017	38	12	50
24	उत्तर प्रदेश	7	21	51	50	151	280	112	70	9	46	157	360	517	सं.11052/02/2014-एआईएस-II-ए दिनांक 30.12.2014	317	125	442
25	उत्तराखंड	1	2	6	10	21	40	16	10	1	6	22	51	73	सं.11052/05/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 08.06.2017	47	22	69
26	पश्चिम बंगाल	5	14	36	39	94	188	75	47	6	31	105	242	347	सं.11052/07/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 19.01.2016	210	85	295
	कुल	67	219	507	493	1434	2720	1076	671	81	436	1530	3454	4984		3035	1085	4120

* जम्मू एवं कश्मीर एजीएमयूटी कैडर का एक भाग है।

अनुलग्नक- X
[संदर्भ पैरा 7.70]

वर्ष 2012-2013 से 2022-23 की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2012-13	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-14	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-15	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42324.04
2015-16	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86
2016-17	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-18	5318.39	16968.28	7889.67	19517.83	5663.50	1131.68	5275.17	61764.52
2018-19	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	1190.72	1115.72	6050.39	66073.42
2019.20	5877.79	21092.49	10272.58	25950.63	7168.50	1198.02	6960.08	78520.09
2020 21	5706.43	19827.75	10838.40	24769.25	6390.46	965.27	6240.94	74738.50
2021-22	6258.78	22021.70	11491.67	27368.54	7530.79	1095.42	7258.60	83025.50
2022-23*	5148.88	18900.89	10382.57	23696.73	6256.05	803.36	6159.14	71347.62

*दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार व्यय

अनुलग्नक- XI
[संदर्भ पैरा 9.27]

वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आवंटित और जारी की गई निधियां

(दिनांक 11.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	940.00	312.80	1252.80	470.00	470.00	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.40	23.20	233.60	--	--	--
3.	असम	648.80	72.00	720.80	324.40	324.40	250.00
4.	बिहार	1189.60	396.80	1586.40	594.80	--	--
5.	छत्तीसगढ़	363.20	120.80	484.00	--	--	--
6.	गोवा	9.60	3.20	12.80	4.80	--	--
7.	गुजरात	1112.00	370.40	1482.40	556.00	--	--
8.	हरियाणा	412.80	137.60	550.40	206.40	206.40	--
9.	हिमाचल प्रदेश	342.40	38.40	380.80	171.20	171.20	200.00
10.	झारखंड	476.80	158.40	635.20	--	--	--
11.	कर्नाटक	664.00	221.60	885.60	332.00	332.00	--
12.	केरल	264.00	88.00	352.00	132.00	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1528.80	509.60	2038.40	764.40	764.40	--
14.	महाराष्ट्र	2706.40	902.40	3608.80	1353.20	--	--
15.	मणिपुर	35.20	4.00	39.20	17.60	--	--
16.	मेघालय	54.40	6.40	60.80	27.20	--	--
17.	मिजोरम	39.20	4.00	43.20	19.60	--	--
18.	नागालैंड	34.40	4.00	38.40	17.20	17.20	39.284

19.	ओडिशा	1348.00	448.80	1796.80	674.00	674.00	--
20.	पंजाब	416.00	138.40	554.40	208.00	--	--
21.	राजस्थान	1244.80	414.40	1659.20	622.40	622.40	13.46
22.	सिक्किम	42.40	4.80	47.20	21.20	21.20	--
23.	तमिलनाडु	856.80	285.60	1142.40	428.40	--	--
24.	तेलंगाना	377.60	125.60	503.20	188.80	--	--
25.	त्रिपुरा	56.80	6.40	63.20	28.40	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	1624.00	541.60	2165.60	812.00	--	--
27.	उत्तराखंड	787.20	87.20	874.40	393.60	393.60	--
28.	पश्चिम बंगाल	849.60	283.20	1132.80	424.80	--	--
	कुल:-	**18635.20**	**5709.60**	**24344.80**	**8792.40**	**3996.80**	**502.744**

अनुलग्नक- XII
[सदभ पैरा 9.32]

एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के विषय	तैयार/जारी करने का माह और वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल 2007
2.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन	अप्रैल 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई 2007
4.	चिकित्सा तैयारी का प्रबंधन और बड़े पैमाने पर हताहतों संबंधी प्रबंधन	अक्टूबर 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी 2008
6.	चक्रवातों का प्रबंधन	अप्रैल 2008
7.	जैविक आपदाओं का प्रबंधन	जुलाई 2008
8.	परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन	फरवरी 2009
9.	भूस्खलन और हिमस्खलन का प्रबंधन	जून 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा का प्रबंधन	जून 2009
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर 2009
12.	घटना संबंधी कार्रवाई प्रणाली	जुलाई 2010
13.	सुनामी का प्रबंधन	अगस्त 2010
14.	आपदाओं के बाद मृतकों का प्रबंधन	अगस्त 2010
15.	शहरी बाढ़ का प्रबंधन	सितंबर 2010
16.	सूखे का प्रबंधन	सितंबर 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी 2012
18.	स्केलिंग, उपकरण का प्रकार और अग्निशमन सेवाओं का प्रशिक्षण	अप्रैल 2012
19.	कमजोर इमारतों और संरचनाओं की भूकंपीय रेट्रोफिटिंग	जून 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी 2016

22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी 2016
23.	संग्रहालय	मई 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थल और परिसर	सितंबर 2017
25.	नाव सुरक्षा	सितंबर 2017
26.	कार्य योजना तैयार करना - गरज के साथ तूफान और बिजली गिरना/तूफान/धूल/ओलावृष्टि और तेज हवा की रोकथाम और प्रबंधन	मार्च 2019
27.	आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय	सितंबर 2019
28.	विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितंबर 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर 2019
30.	कार्य योजना तैयार करना - हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)।	अक्टूबर 2019
31.	ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	अक्टूबर 2020
32.	भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2016 से भवन की भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश	मई 2021
33.	कार्य योजना तैयार करना - शीत लहर और पाले की रोकथाम और प्रबंधन 2021	अक्टूबर 2021

अनुलग्नक- XIII
[संदर्भ पैरा 9.34]

भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होंने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है	
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**
1.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
2.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग
5.	कोयला मंत्रालय
6.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
7.	मत्स्य पालन विभाग
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
9.	न्याय विभाग
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
11.	पंचायती राज मंत्रालय
12.	विद्युत मंत्रालय
13.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
14.	इस्पात मंत्रालय
15.	आयुष मंत्रालय
16.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
17.	सीमा प्रबंधन विभाग
18.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
19.	वाणिज्य विभाग
20.	उपभोक्ता मामले विभाग
21.	संस्कृति मंत्रालय
22.	रक्षा उत्पादन विभाग
23.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
25.	आर्थिक कार्य विभाग
26.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

28.	विदेश मंत्रालय
29.	उर्वरक मंत्रालय
30.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
31.	भारी उद्योग मंत्रालय
32.	गृह विभाग
33.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
34.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
35.	आंतरिक सुरक्षा विभाग
36.	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
37.	भूमि संसाधन विभाग
38.	खान मंत्रालय
39.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
40.	राजभाषा विभाग
41.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
42.	औषध विभाग
43.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
44.	लोक उद्यम विभाग
45.	रेल मंत्रालय
46.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
47.	ग्रामीण विकास विभाग
48.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
49.	अंतरिक्ष विभाग
50.	राज्य विभाग
51.	दूरसंचार विभाग
52.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
53.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
54.	युवा कार्यक्रम विभाग
55.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

अनुलग्नक-XIV
[संदर्भ पैरा 9.46]

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियों का घटना-वार सारांश
(दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक)

क्र.सं.	घटनाओं का प्रकार	उपलब्धियां			
		बचाए गए	सुरक्षित निकाले गए	शव	मवेशी
1	बाढ़	1915	35498	41	1061
2	डूबने के मामले	27	1	302	0
3	भूस्खलन	0	40	59	0
4	सीएसएसआर/भवन ढहना	15	0	42	0
5	नाव पलटना	0	0	27	0
6	बोरवेल की घटनाएं	3	0	1	0
7	वाहन संबंधी घटनाएं	0	7	60	0
8	मेला/उत्सव	3	12	1	0
9	कोई अन्य घटना	106	81	26	12
	कुल	**2069**	**35639**	**559**	**1073**

अनुलग्नक- XV
[संदर्भ पैरा 11.10]

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता') की स्कीम के तहत 'क' श्रेणी के राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	5.67	0.00	0.00	9.36	0.00
मणिपुर	5.99	10.75	0.00	0.00	0.00
मेघालय	3.66	6.63	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	8.38	34.63	1.14	0.00	0.00
नागालैंड	18.89	17.29	0.00	17.03	0.00
सिक्किम	0.36	0.00	0.00	1.37	0.00
त्रिपुरा	7.08	4.97	5.72	6.75	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	32.69	40.20	एनए	एनए	0.00
हिमाचल प्रदेश	3.35	27.49	0.83	0.00	0.00
उत्तराखंड	13.60	5.43	0.00	5.84	0.00
कुल	**100.70**	**147.39**	**7.69**	**40.35**	**0.00**

एनए - इन वर्षों के दौरान यह स्कीम जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं थी।

अनुलग्नक- XVI
[संदर्भ पैरा 11.10]

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता') की स्कीम के तहत 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	50.81	75.36	5.83	0.00	0.00
बिहार	13.18	9.42	19.12	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	8.56	8.35	7.16	5.44	0.00
गोवा	0.21	0.00	0.22	0.26	0.00
गुजरात	52.62	41.19	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	12.95	18.48	0.00	10.35	0.00
झारखंड	9.91	7.08	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	11.39	14.61	9.14	32.54	0.00
केरल	17.78	54.01	0.00	4.48	0.00
मध्य प्रदेश	37.97	14.45	0.00	6.78	0.00
महाराष्ट्र	9.58	65.98	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	35.10	42.45	0.00	3.90	0.00
पंजाब	36.52	31.33	4.15	0.00	0.00
राजस्थान	62.59	27.28	13.53	13.53	0.00
तमिलनाडु	68.87	56.62	0.00	0.00	0.00
तेलंगाना	64.17	57.58	4.16	8.74	0.00
उत्तर प्रदेश	118.67	62.75	32.02	32.02	0.00
पश्चिम बंगाल	46.93	46.53	0.00	0.00	0.00
कुल	**657.81**	**633.47**	**95.33**	**118.04**	**0.00**

अनुलग्नक- XVII
[संदर्भ पैरा 11.10]

'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की स्कीम के तहत चालू वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	
		आवंटन	जारी की गई निधि
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.86	0.43
2	चंडीगढ़	1.00	0.50
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.66	0.33
4.	दिल्ली	10.69	2.6725
5.	लद्दाख	0.66	0.33
6.	लक्षद्वीप	0.58	0.29
7.	पुदुचेरी	1.12	0.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	6.65	0.00
	उप-योग	**22.22**	**4.5525**

अनुलग्नक - XVIII
(संदर्भ पैरा 15.37)

सारणी 1: अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर, 2020

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			नवजात मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**19.5**	**21.1**	**16.1**	**6.0**	**6.4**	**5.1**	**13.5**	**14.7**	**11.0**	**28**	**31**	**19**
बड़े राज्य संघ राज्य/क्षेत्र												
1. आंध्र प्रदेश	15.7	16.0	15.0	6.3	7.0	4.9	9.4	9.0	10.1	24	26	18
2. असम	20.8	21.9	14.3	6.2	6.4	5.4	14.6	15.5	8.9	36	39	17
3. बिहार	25.5	26.2	21.0	5.4	5.5	5.2	20.1	20.7	15.8	27	27	25
4. छतीसगढ़	22.0	23.4	17.3	7.9	8.4	6.3	14.1	15.0	11.0	38	40	31
5. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	14.2	15.5	14.1	3.6	4.1	3.5	10.6	11.4	10.6	12	20	12
6. गुजरात	19.3	21.1	17.1	5.6	6.0	5.0	13.7	15.1	12.0	23	27	17
7. हरियाणा	19.9	21.2	17.7	6.1	6.5	5.5	13.8	14.7	12.2	28	31	23
8. जम्मू एवं कश्मीर	14.6	16.1	11.1	4.6	4.9	4.1	10.0	11.2	7.0	17	18	13
9. झारखंड	22.0	23.4	17.6	5.2	5.5	4.5	16.8	17.9	13.1	25	26	21
10. कर्नाटक	16.5	17.5	15.0	6.2	7.1	4.8	10.3	10.4	10.2	19	21	16
11. केरल	13.2	13.1	13.3	7.0	7.0	7.1	6.2	6.1	6.2	6	4	9
12. मध्य प्रदेश	24.1	26.0	18.8	6.5	6.8	5.6	17.6	19.2	13.2	43	47	30
13. महाराष्ट्र	15.0	15.3	14.6	5.5	6.2	4.6	9.5	9.1	10.0	16	20	11
14. ओडिशा	17.7	18.7	13.1	7.3	7.5	6.5	10.4	11.2	6.6	36	37	28
15. पंजाब	14.3	14.9	13.6	7.2	8.3	5.7	7.1	6.6	7.9	18	19	17
16. राजस्थान	23.5	24.4	20.8	5.6	5.8	5.1	17.9	18.6	15.7	32	35	23
17. तमिलनाडू	13.8	14.0	13.6	6.1	7.2	5.1	7.7	6.8	8.5	13	15	10
18. तेलंगाना	16.4	16.8	15.9	6.0	7.2	4.2	10.4	9.6	11.7	21	24	17
19. उत्तर प्रदेश	25.1	26.1	22.1	6.5	6.8	5.4	18.6	19.3	16.7	38	40	28
20. उत्तराखंड	16.6	17.0	15.6	6.3	6.7	5.1	10.3	10.3	10.5	24	25	24
21. पश्चिम बंगाल	14.6	16.1	11.2	5.5	5.3	5.8	9.1	10.8	5.4	19	19	17
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	17.3	17.8	15.0	5.7	5.9	4.4	11.9	11.8	10.6	21	22	13
2. गोवा	12.1	11.7	12.4	5.9	6.3	5.5	6.2	5.4	6.9	5	7	3
3. हिमाचल प्रदेश	15.3	15.7	10.0	6.8	7.0	4.4	8.5	8.7	5.6	17	18	15
4. मणिपुर	13.3	13.5	12.8	4.3	4.0	4.8	9.0	9.5	8.0	6	6	5
5. मेघालय	22.9	25.1	12.9	5.3	5.5	4.4	17.6	19.6	8.5	29	30	16
6. मिज़ोरम	14.4	16.8	11.7	4.2	3.8	4.6	10.2	13.0	7.1	3	3	3
7. नागालैंड	12.5	12.9	11.8	3.7	3.9	3.5	8.8	9.0	8.3	4	7	NA*
8. सिक्किम	15.6	14.0	18.2	4.1	4.3	3.7	11.5	9.7	14.5	5	8	1
9. त्रिपुरा	12.6	13.4	10.7	5.7	5.4	6.5	6.9	8.0	4.2	18	18	17

संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10.8	11.5	10.0	5.8	6.8	4.5	5.0	4.7	5.5	7	7	6
2. चंडीगढ़	12.9	18.1	12.8	3.9	4.0	3.8	9.0	14.1	9.0	8	9	8
3. दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव	20.3	18.0	21.4	3.7	4.7	3.3	16.6	13.3	18.1	16	15	11
4. लद्दाख	14.3	15.2	10.8	5.0	5.2	4.4	9.3	10.0	6.5	16	17	12
5. लक्षद्वीप	14.5	19.9	13.1	6.5	7.5	6.1	8.0	12.4	7.0	9	19	5
6. पुदुचेरी	13.1	13.1	13.1	5.4	7.2	5.0	7.7	5.9	8.1	6	8	5

नोट: छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नवजात मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2018-20 पर आधारित है।

*** उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्ष 2020 के लिए संबंधित सैंपल इकाइयों में कोई नवजात मृत्यु दर्ज नहीं की गई थी।**

अनुलग्नक - XIX
(संदर्भ पैरा 15.41)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय अनुमानित जीवनकाल, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2016-20

भारत और बड़े राज्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत*	**70.0**	**68.6**	**71.4**	**68.6**	**67.2**	**70.1**	**73.2**	**71.9**	**74.5**
आंध्र प्रदेश	70.6	69.1	72.2	69.7	68.0	71.6	72.7	71.6	73.8
असम	67.9	67.3	68.6	66.7	66.2	67.4	74.1	73.3	75.0
बिहार	69.5	69.7	69.2	69.1	69.3	68.9	71.9	72.3	71.3
छत्तीसगढ	65.1	63.5	66.8	64.3	62.6	66.0	68.0	66.7	69.4
दिल्ली	75.8	74.1	77.7	74.0	N.A.	76.6	75.8	74.1	77.8
गुजरात	70.5	68.1	73.2	69.2	65.9	73.1	72.2	70.9	73.6
हरियाणा	69.9	67.3	73.0	68.7	66.1	71.9	72.0	69.5	75.1
हिमाचल प्रदेश	73.5	70.3	77.5	73.2	69.9	77.2	77.1	74.7	81.0
जम्मू और कश्मीर	74.3	72.6	76.3	72.7	71.1	74.6	78.1	76.0	80.5
झारखंड	69.6	70.5	68.9	68.8	70.0	67.9	72.2	71.9	72.4
कर्नाटक	69.8	67.9	71.9	68.2	66.0	70.6	73.3	71.9	74.8
केरल	75.0	71.9	78.0	75.2	72.3	78.1	74.7	71.5	78.0
मध्य प्रदेश	67.4	65.5	69.5	66.4	64.3	68.7	70.8	69.3	72.4
महाराष्ट्र	72.9	71.6	74.3	71.6	70.2	73.0	74.6	73.4	76.1
ओडिशा	70.3	69.1	71.4	69.8	68.7	71.0	72.2	70.9	73.2
पंजाब	72.5	70.8	74.5	70.9	69.2	72.9	75.5	73.3	78.1
राजस्थान	69.4	67.1	71.7	68.4	65.8	71.2	72.6	71.5	73.6
तमिलनाडु	73.2	71.0	75.5	70.5	68.3	72.9	75.8	73.7	78.2
तेलंगाना	70.0	68.7	71.4	68.4	66.5	70.5	72.2	72.0	72.4
उत्तर प्रदेश	66.0	65.3	66.7	65.0	64.2	65.9	69.2	69.1	69.3
उत्तराखंड	70.6	67.5	73.9	70.3	67.0	73.9	71.0	68.8	73.7
पश्चिम बंगाल	72.3	71.1	73.6	71.1	69.6	72.7	74.5	73.8	75.3

* : भारत में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं

अनुलग्नक - XX
(संदर्भ पैरा 15.42)

भारत में मृत्यु के शीर्ष 10 कारण: 2016 - 2018

रैंक	**मृत्यु का कारण**	**मृत्यु का अनुपात**		
		पुरुष	**महिला**	**व्यक्ति**
1	हृदय रोग	29.6	25.8	28.0
2	श्वसन संबंधी रोग	7.0	7.8	7.3
3	असाध्य और अन्य नियोप्लाज्म	5.9	7.4	6.6
4	अज्ञात ज्वर	4.2	6.2	5.1
5	पाचन संबंधी रोग	6.1	3.5	5.0
6	प्रसवकालीन स्थितियां	4.7	3.2	4.1
7	अनजाने में लगने वाली चोटें: मोटर वाहन दुर्घटनाओं के अलावा	4.2	3.9	4.1
8	अनजाने में लगने वाली चोटें: मोटर वाहन दुर्घटनाएं	5.2	1.6	3.7
9	श्वसन संक्रमण	3.1	3.6	3.3
10	बीमार परिभाषित/ अन्य सभी लक्षण, संकेत और असामान्य क्लिनिकी और प्रयोगशाला निष्कर्ष	10.5	16.6	13.0
	अन्य सभी शेष कारण	19.4	20.4	19.8

अनुलग्नक-XXI

[संदर्भ पैरा 16.32]

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	52	53	646	640
2.	दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक शुरू किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	17	17	3095	3082
3.	दिनांक 31.12.2022 तक निपटाए गए सतर्कता/ अनुशासनिक मामले	14	14	3129	3115
4.	दिनांक 31.12.2022 को सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2-3)	55	56	612	607
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्यौरे के संदर्भ में)	14	14	3129	3115
	(क) बर्खास्तगी	0	0	25	25
	(ख) निष्कासन	0	0	105	105
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	0	0	21	21
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	4	4	409	407
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	4	4	322	322
	(च) पदोन्नति रोकना	0	0	0	0
	(छ) वेतन से वूसली के आदेश	1	1	1081	1074
	(ज) निंदा	1	1	862	859
	(झ) चेतावनी	0	0	127	127
	(ञ) असंतोष	0	0	0	0
	(ट) दोषमुक्ति	0	0	135	135
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	0	0	5	5
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	1	1	22	22
	(ढ) पेंशन में कटौती	3	3	0	0
	(ण) त्यागपत्र स्वीकृत	0	0	1	1
	(त) यूनिट में बंद	0	0	0	0
	(थ) क्वार्टर गार्ड में बंद	0	0	0	0
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	0	0	2	2
	(ध) स्थगन	0	0	12	10
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	0	0	0	0
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	0	0	0	0
	कुल (क से प)	**14**	**14**	**3129**	**3115**

अनुलग्नक-XXII
[संदर्भ पैरा 16.55]

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1768	488	843	1413
2	असम राइफल्स	173	11	26	158
3	बीपीआरएंडडी	23	0	17	6
4	बीएसएफ	430	119	51	498
5	सीआईएसएफ	429	145	22	552
6	सीआरपीएफ	305	40	3	342
7	चंडीगढ़	2099	451	268	2282
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	992	524	669	847
9	राजभाषा विभाग	40	10	9	41
10	आसूचना ब्यूरो	111	56	38	129
11	आईटीबीपी	147	61	50	158
12	लक्षद्वीप	203	0	0	203
13	गृह मंत्रालय (मुख्य)	30	10	33	7
14	एनसीआरबी	8	9	7	10
15	एनआईसीएफएस	14	0	0	14
16	एसवीपीएनपीए	16	16	0	32
17	एनएसजी	81	25	24	82
18	आरजीआई	372	56	87	341
कुल		**7241**	**2021**	**2147**	**7115**

अनुलग्नक- XXIII
[संदर्भ पैरा 16.56]

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल लेखा-परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई संबंधी नोट" की स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक रिपोर्टों का वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" लेखा-परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किये गये	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया था, किन्तु उन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और जो मंत्रालय द्वारा लेखा-परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रतीक्षारत है	उन एटीएन की संख्या, जिनका लेखा-परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है, किंतु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2016-17	17	0	0	0
2	2017-18	18	0	0	0
3	2018-19	18	0	0	0
4	2019-20	0	0	0	0
5	2020-21	3	0	0	4
6	2021-22	0	0	0	0

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

https://mha.gov.in/ पर भी उपलब्ध